"पारिवारिक हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

(चित्रकूटधाम मण्डल की उत्पीड़ित महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)

समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2005

निर्देशक

डा० एस०एस० गुप्ता

रीडर-समाजशास्त्र विभाग

पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा

शोधकर्ती

प्रतिभा पाण्डेय

अनुसंधान केन्द्र

पं० जवाहर लाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बाँदा

पं0 जवाहर लाल नेहरु पी0जी0 कालेज, बाँदा (उ0प्र0)

डॉ0 एस0एस0 गुप्ता
रीडर- समाजशास्त्र विभाग
पं0जे0एन0पी0जी0 कालेज, बाँदा (उ0प्र0)
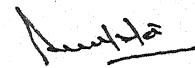
निवास
सदर बाजार, गूलरनाका, बाँदा
पिन-210001 (उ0प्र0)
मोबाइल-9415143360

दिनांक 21.05.05

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **कु0 प्रतिभा पाण्डेय** द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध, **"पारिवारिक हिंसा का समाज-शास्त्रीय अध्ययन" (चित्रकूटधाम मण्डल के विशेष सन्दर्भ में)** मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक-बु0वि0एके0/शोध/2002/877-79 दिनांक 09.03.2002 के द्वारा समाजशस्त्र विषय में, वे शोध कार्य के लिए पंजीकृत हुई है। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स की धारा 7 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा इस अवधि में इस शोध केन्द्र में उपस्थित रही है। यह इनकी मौलिक कृति है। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों के अत्यन्त संतोषजनक रूप से परिश्रमपूर्वक सम्पन्न किया है। मैं इस शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

(डॉ0 एस0एस0 गुप्ता)
रीडर- समाजशास्त्र विभाग
प0जे0एन0पी0जी कालेज
बाँदा (उ0प्र0)

घोषणा-पत्र

मैं कु0 प्रतिभा पाण्डेय, घोषणा करती हूँ कि समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत ''पारिवारिक हिंसा का समाज-शास्त्रीय अध्ययन (चित्रकूट धाम मण्डल के सन्दर्भ में) डाक्टर आफॅ फिलासफी (पी-एच0 डी0) उपाधि हेतु प्रस्तुत, यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक रचना है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया है।

अपना यह शोध कार्य मैने अपने सुयोग्य वरिष्ठ रीडर डा0 शिवशरण गुप्ता, समाजशास्त्र-विभाग, पं0 जे0 एन0 पी0 जी0 कालेज, बाँदा के पथ-प्रदर्शन में किया है।

Pratibha Pandey

(प्रतिभा पाण्डेय)

शोधार्थिनी

आभार

शोध ज्ञान संवर्धन के क्षेत्र में अद्वितीय महत्व रखता है। किसी भी स्तर पर एक शोध किसी भी विषय वस्तु की वास्तविकता की ओर अधिक निकट पहुंचने का एक वैज्ञानिक साधन है।

प्रत्येक शोध कार्य एक सामूहिक कार्य है, प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध भी एक सामूहिक प्रयत्न का प्रतिफल है। इस शोध प्रबन्ध को तैयार करने में अनेक महानुभावों एवं विद्वतजनों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा प्रथम कर्तव्य है।

सर्वप्रथम मै इस शोध-प्रबन्ध को करने का सम्पूर्ण श्रेय मेरे निर्देशक एवं श्रद्धेय गुरू जी डा० एस०एस० गुप्ता को देती हूँ, जिन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूटधाम मण्डल के सन्दर्भ में इस विषय के प्रति मेरा ध्यान आकर्षित कर शोध करने हेतु साहस एवं प्रेरणा प्रदान की। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''पारिवारिक हिंसा का समाज-शास्त्रीय अध्ययन'' एक विनम्र प्रयास है जो उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूँ।

इसी क्रम में मैं डॉ० जसवन्त प्रसाद नाग, रीडर एवं विभागाध्यक्ष-समाजशस्त्र विभाग, पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा एवं श्री नन्दलाल शुक्ल, प्राचार्य पं०जे०एन०पी०जी० कालेज बाँदा के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध-कार्य हेतु मुझे प्रेरित एवं दिशा-निर्देशित किया।

मैं महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष आर०सी० पाण्डेय की भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य से सम्बन्धित पुस्तकें प्रदान कर अमूल्य सहयोग किया है।

मै अपने पिताजी श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, माताजी श्रीमती तारा पाण्डेय, पितातुल्य श्री अनिल प्रकाश खरे, श्रीमती आरती खरे, ससुर पूज्यनीय श्री बह्मदत्त पाठक, पति श्री राजेश पाठक की भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरा न केवल आत्मबल बढ़ाया बल्कि हर प्रकार से इस शोध कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान किया।

मैं श्री अली मंजर एडवोकेट बाँदा की भी विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित अनेक सामग्री उपलब्ध करायी।

अन्त में मैं ''श्री प्रिन्टर्स'' पद्माकर चौराहा बाँदा को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होने इस शोध प्रबन्ध की पाण्डुलिपि को अति सुन्दर ढंग से टंकित किया है।

(प्रतिभा पाण्डेय)

शोधकर्ती

अनुक्रमणिका

सारणी सूची

चित्र सूची

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

- *भारतीय इतिहास में स्त्रियों की प्रस्थिति*
- *वैदिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति*
- *उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति*
- *धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की प्रस्थिति*
- *मध्यकाल में स्त्रियों की प्रस्थिति*
- *ब्रिटिश काल में स्त्रियों की प्रस्थिति*
- *स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की प्रस्थिति*

प्रस्तावना

भारत सरकार की मई 2000 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में हर 90 मिनट में एक दहेज से सम्बन्धित हत्या होती है, तथा एक दिन में 16 व एक वर्ष में लगभग 6000 (द हिन्दुस्तान टाइम्स, मई 18, 2000)। दहेज हत्या, पारिवारिक हिंसा का चरम रूप है। आज अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में पारिवारिक हिंसा का शिकार हैं। परिवार समाज की एक मौलिक सार्वभौमिक संस्था है। आदिकाल से ही परिवार मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को करता आ रहा है। आज समाज में नवीन सामाजिक प्रक्रियाएं क्रियाशील हैं फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। प्राथमिक एवं वैयक्तिक सम्बन्धों पर आधारित 'परिवार नामक संस्था' भी परिवर्तन की ओर अग्रसर है। वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने व्यक्ति एवं समाज के मध्य सम्बन्धों को पर्याप्त प्रभावित किया है। आज इन सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो रहा है। जिसका परिणाम पारिवारिक विघटन और पारिवारिक हिंसा है।

परिवार नामक इकाई स्त्री एवं पुरुष दोनों से मिलकर बनती है। पारिवारिक हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का ही एक रूप है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, महिला की परिवार में या प्रमुख रूप से समाज में उसकी स्थिति से यह सम्बन्धित है। विभिन्न कालों में यदि महिला की स्थिति की विवेचना करें तो पाते हैं कि भारतीय व्यवस्था के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति एक लम्बे समय से विवाद का विषय रही है। स्त्रियों से सम्बन्धित विवाद का कारण यह नहीं है कि भारत में स्त्रियों को जैविकीय अथवा मानसिक रूप से दोषपूर्ण माना जाता है, बल्कि इसका प्रमुख कारण यहां की पवित्रता सम्बन्धी संकीर्ण विचारधारा है। अनेक पश्चिमी विद्वानों ने यहां तक मान लिया है कि नारी के कुछ ऐसे जन्मजात दोष हैं जिसके कारण वह पुरुषों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकती हैं। डा० रुबैक का विचार है कि 'स्त्रियों में जन्म से ही असंगति और परस्पर विरोध का दोष होता है' जबकि

फ्रायड ने यहां तक कह दिया है कि यह स्वीकार करना होगा कि स्त्रियों में न्याय की भावना बहुत कम होती है क्योंकि उनके मस्तिष्क में ईर्ष्या भरी हुई है। भारतीय समाज में ऐसी कोई धारणा नहीं पाई जाती है। यहां की मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती रही है। स्त्री को पुरुष की अर्द्धांगिंनी के रूप में स्थान दिया गया है, जिसके बिना किसी कर्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि वैदिक काल के पश्चात् हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएं रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी और फलस्वरूप स्त्रियों में लज्जा, ममता और स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरुष ने उनका मनमाना शोषण प्रारम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों को स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रों का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण स्त्री धीरे-धीरे परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल बन गई। पुरुष ने शक्ति के लोभ में स्त्री के पारिवारिक अधिकार तक छीन लिए।

प्रसिद्ध नारीविद और विचारक सिमोन द बुआ ने बीसवीं सदी की शुरुआत में स्त्रियों के ऐसे चेहरे की परिकल्पना की थी, जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय का जमकर प्रतिकार करती हैं। औरत अकेली तब तक है, जब तक उसके साथ कोई नहीं। जैसे ही उसके अन्दर प्रतिशोध की आग धधकती है, वह अकेली नहीं रह जाती। नयी सदी की शुरुआत में उनके इस कथन का अर्थ कुछ स्पष्ट हो कर सामने आया है। कम से कम हाल की कुछ घटनाओं से आधी दुनिया का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है। यह चेहरा है पितृसत्ता के खिलाफ उठ कर खड़े होने का साहस करने वाली स्त्री का और पुरुष प्रधान समाज में परम्पराओं को तोड़ते हुए आगे आने वाली स्त्री का। स्त्री तो आगे आ रही है। वह समाज की पूर्व मान्यताओं को छिन्न-भिन्न करती हुई पुरुष एकाधिकार को चुनौती प्रस्तुत कर रही है। परन्तु क्या इससे समाज की दृष्टि में बदलाव आया है? पुरुष प्रधान समाज यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि महिलाएं पुरुषों से बराबरी कर रही हैं। फलस्वरूप समाज में महिलाओं

का अश्लील चित्र प्रस्तुत किया जाने लगा। उसे आज के वैश्वीकरण के समय में उत्पादन सामग्री बेंचने का माध्यम बना दिया गया। स्त्री के शरीर का प्रदर्शन कर वस्तुओं को बेंचा जाने लगा। आधुनिकता, भौतिकवादिता ने समाज के पूरे परिवेश को ही बदल दिया है। फैशन, मॉडलिंग के नाम पर महिलाओं के कम होते वस्त्रों ने पुरुषों की नजरों को और अधिक कामलोलुप बना दिया है। फलस्वरूप रिश्तों की मर्यादाएं भी इस संस्कृति का सामना नहीं कर पाई। महिलाएं अब अपने आस-पास ही असुरक्षित हो गई है। उनका उत्पीड़न कहीं दफ्तर का कर्मचारी कर रहा है तो कहीं परिवार का कोई सदस्य।

आज दहेज के नाम पर नई-नवेली बहुएं जला दी जाती हैं, तो कोई पति अपनी पत्नी को हर रोज पीटता है, तो कहीं पारिवारिक सदस्यों के अत्याचार से तंग आकर कोई नवविवाहिता फाँसी के फंदे पर झूल जाती है, तो कहीं किसी कलयुगी बाप द्वारा अपनी ही लड़की की अस्मिता लूट ली जाती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करें? विडम्बना है कि जब उसकी सुरक्षा करने वाला परिवार ही उसका उत्पीड़न करने लगता है। आखिर महिला सदैव से क्यों उत्पीड़ित हो रही है? इसके पीछे कारण है समाज की पुरुषवादी मानसिकता जो औरत को सिर्फ एक दासी के तौर पर तो स्वीकार कर सकता है, परन्तु एक सहगामिनी के तौर पर नहीं। महिलाओं के उत्पीड़न को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इतिहास में महिलाओं की स्थिति क्या रही है? यह जाना जाए।

महात्मा मनु ने 'मनुस्मृति' में कहा था कि- ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात् देवगण ऐसे स्थान पर वास करते हैं जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। शायद इसी भावना के तहत प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, विद्या, धन और शक्ति हमेशा से समाज में सुख, समृद्धि और सम्पन्नता के अधार रहे हैं। यह प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं के सम्मान और उनकी उच्च्य स्थिति का ही सूचक है कि शक्ति, समृद्धि, सम्पन्नता के इन तीनों आधारों का प्रतीक उस समय से सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा रूपी स्त्रियां

ही मानी गयी हैं।

भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति तथा उससे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करने से पूर्व इतिहास के पृष्ठों पर स्त्रियों का कैसा चित्र अंकित है, यह जानना अतिआवश्यक है। प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री का दर्जा बहुत ऊँचा था- ऐसी मान्यताओं को यथार्थ की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है। यदि यह स्वीकार कर लें कि प्राचीन युग में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी तथा उसका स्थान ऊँचा था तो उसकी उच्चता के प्रेरक तत्व कौन-कौन से थे तथा उसका ह्रास कब और कैसे हुआ, यह समझने के लिए इतिहास पर दृष्टिपात अनिवार्य है।

वैदिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति -

वैदिक समाज में नारी के अस्तित्व एवं योगदान से गृहस्थाश्रम को आदर्श रूप प्राप्त होता था। तदयुगीन गृह का अस्तित्व नारी के अस्तित्व में ही निहित माना जाता था। वेदयुगीन नारी समाज में पूज्य मानी जाती थी। वैदिक समाज भारतीय इतिहास का सर्वाधिक आदर्श समाज रहा है, जिसमें नारियों ने समस्त अधिकारों का पूर्णता के साथ उपभोग किया था।

ऋग्वैदिक युग में योग्य कन्या सुख का कारण मानी जाती थी। फिर भी वेद पुराणों में स्त्रियां पुत्र-प्राप्ति की कामना करती हुई दृष्टिगत होती हैं।

अथर्ववेद में कहा गया है कि "नव वधु तू जिस घर में जा रही है वहाँ की साम्राज्ञी है तेरे सास-ससुर, देवर व अन्य परिवारजन तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हो।" अथर्ववेद में ही लिखा गया है "जाया पत्ये मधुमती, वांच तदतु शन्तिवान्" अर्थात् बहु घर में आते ही गृहस्थी की बागडोर संभाल ले, आते ही घर की साम्राज्ञी बन जाये।

वेद-युगीन नारी मातृ-रूप में देवी के समान पूज्य मानी जाती थी। पत्नी को "जाया" का अभिधान प्रदान कर हमारे आर्य मनीषियों ने निःसंदेह नारी को गौरवपूर्ण स्थान दिया जिसके गर्भ में

स्वामी स्वयं पुत्र-रूप में जन्म ग्रहण करें वहीं ''जाया'' है।

वेद युग में पर्दा-प्रथा का पूर्णतः अभाव था। कन्याएँ निर्मुक्त होकर युवकों के साथ अध्ययन करती थीं एवं काम-धंधे भी करती थीं। वे अध्यापनादि क्षेत्र भी अपनाती थीं। स्त्रियाँ खुली आम-सभाओं में भाग लेती थी। वेद युगीन स्त्रियाँ जनतंत्रीय सभाओं की शासन सम्बन्धी बहसों में भी भाग लेती थी। किन्तु उत्तर वैदिक युग में नारी की बाह्य-क्षेत्रीय स्वतन्त्रता कुछ कम हो गयी थी।

पी.एन. प्रभु ने ''हिन्दु सोशियल आर्गनाइजेशन'' में लिखा है कि जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था स्त्री-पुरुषों में कोई भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी। वैदिक युग में पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह आदि कुरीतियाँ नहीं थी। यद्यपि वैदिक युग में नारी पावन एवं पवित्र समझी जाती थी किन्तु ''मासिक धर्म'' के समय वह अपवित्र एवं अस्पृश्य मानी जाती थी। उस समय वह गृहस्थी एवं धर्म का कोई कार्य नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उस स्त्री की दृष्टि एवं आवाज भी त्याज्य समझी जाती थी। वेद-युगीन समाज में धारणा थी कि मासिक धर्म के दिनों स्त्रियां व्याधि-ग्रस्त रहती है, अतः पत्नी का स्पर्श भी पति को हानि पहुँचा सकता था।

उस सीमित काल के अतिरिक्त वैदिक नारी धार्मिक क्षेत्र में पुरुष के समान समस्त अधिकारों का उपभोग करती थी। ए.एस. अल्तेकर के अनुसार ''नारी धर्म के मार्ग में बाधक नहीं थी। धार्मिक संस्कारों एवं उत्सवों में पत्नी की उपस्थिति एवं सहयोग वांछनीय माना जाता था।''

वेद युगीन विधवाऐं यातनामय जीवन नहीं जीती थीं वरन् वे समस्त सुविधाओं का उपभोग करती थी। पुनर्विवाहित विधवा समाज में आदरणीय दृष्टि से देखी जाती थीं। विधवा स्त्री अधिकांशतः अपने मृत पति के भाई से या उसके निकट सम्बन्धी से ही विवाह करती थी। वैसे इन्हें अजनबी व्यक्ति से विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त था।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में वर्णित है कि उर्वशी पुरुरवा की कुछ शर्तो सहित विवाह करती है

और शर्तो के टूट जाने पर वह पति से सम्बन्ध तोड़ लेती है। निष्कर्षतः वेद युगी स्त्रियाँ समस्त अधिकारों की भोक्ता थी एवं उनकी स्थिति उच्च तथा आदरणीय थी। के.एस. कापड़िया के अनुसार वह घरेलू दिनचर्या की मुख्य केन्द्र थी वह अपने घर की साम्राज्ञी थी। उस पावन युग में स्त्री सम्बन्धी कुरीतियों का चलन प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में वेद-युग नारी के उत्थान का पराकाष्ठा काल माना जाता है।

उत्तर वैदिककाल में स्त्रियों की प्रस्थिति -

उत्तर वैदिककाल को सामान्यतः ईसा से ६०० वर्ष पूर्व से लेकर ईसा ३०० वर्ष बाद तक माना जाता है। इस युग में पुत्री की अपेक्षा पुत्रागमन अधिक मांगलिक एवं आनन्ददायक माना जाता था फिर भी पुत्री का स्थान सम्मानजनक था। आपस्तम्ब गृह सूत्र से ज्ञात होता है कि यात्रा से लौटने पर पिता पुत्र की भाँति पुत्री को भी मन्त्रोच्चारण सहित आशीर्वाद देता था।

स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। स्त्रियों के उपनयन संस्कार का चलन पूर्णतः समाप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि गृह सूत्रों में स्त्रियाँ वेदाध्ययन करती थी।

बौधायन के मतानुसार यदि वयस्क कन्या का पिता तीन वर्ष तक कन्या का पति न खोज सके तो कन्या को स्वयं पतिवरण करने का अधिकार था। जहाँ तक स्त्रियों के पुनर्विवाह काप्रश्न है कुछ शर्तो सहित सूत्रयुगीन स्त्रियां भी इस सुविधा का उपयोग करती थीं। आदर्श एवं शुभचिन्तक पति के जीवित रहते हुए पत्नियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। सूत्रयुगीन स्त्रियाँ पर्दे की कुप्रथा से त्रस्त नहीं थीं। नव-विवाहित स्त्री भी पर्दा नहीं करती थी। इसका प्रमाण हमें आपस्तम्ब गृह सूत्र में प्राप्त होता है कि विवाह के उपरान्त श्वसुर गृह जाते समय वधु का मुख सभी दर्शक देखते थे, साथ निम्नांकित वेद मत्रों का उच्चारण भी करते थे।

''सुमंगलीयिं वधुरिमां समूत पश्चत्।

सौभाग्यमस्से दत्तवायाथास्त विपरेतन।''

महाकाव्य युगीन समाज में नारी का स्थान धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगा। सम्पूर्ण महाभारत में कन्या-जन्म को अशुभ मानने का मात्र एक ही संकेत मिलता है। यद्यपि इस तद्युगीन समाज में कन्या को लक्ष्मी माना जाता था। कन्या की पवित्रता के कारण ही सिंहासनारोहण या राजतिलक जैसे शुभ कार्यो में कन्या की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। पुत्री की रक्षा करना पितृ-धर्म माना जाता था। अनाथ कन्याओं की सुरक्षा राजा पितृवत् करता था। घर में कन्या का कार्य मुख्यतः अतिथि सत्कार करना होता था। कन्या को पुत्र के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। केवल पिता की सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता था, फिर भी पितृ-सम्पत्ति का कुछ अंश वह दहेज के रूप में प्राप्त कर लेती थी। कन्याएं शिक्षा भी प्राप्त करती थी।

विधवा स्त्री निःसंदेह दुःखी प्राणी मानी जाती थी, परन्तु समाज द्वारा उसे तिरस्कृत नहीं किया जाता था। स्त्री वैधव्य जीवन पाकर स्वयं भाग्य को भले ही कोसे, परन्तु समाज उसे सम्मानित स्थान ही प्रदान करता था। विधवा को अशुभ या पापिनी नहीं माना जाता था। इसका प्रमाण रामायण के इसी प्रसंग से मिलता है कि राजतिलक पर राम को उनकी विधवा माताओं ने ही सजाया था। कुन्ती ने द्रोपदी के विवाह पर आशीष दिया था।

महाकाव्य-युगीन समाज में सती प्रथा का चलन नहीं था। राजा दशरथ, बालि एवं रावण आदि सभी की विधवा पत्नियाँ अंत तक जीवित रही।

धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की प्रस्थिति -

धर्मशास्त्र काल में हमारा आशय तीसरी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक के समय से है। तीसरी शताब्दी के बाद याज्ञवल्क्य संहिता, विष्णु संहिता और पाराशर संहिता की रचना

हुई। यह काल सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था। स्त्रियां भी इस संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी।

इस काल में स्त्रियाँ 'गृहलक्ष्मी' से 'याचिका' के रूप में दिखाई देने लगी। जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं की प्रतीक बन गयी। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी। इस युग में यह विश्वास दिलाया गया कि पति ही स्त्री के लिए देवता है और विवाह ही उसके जीवन का एक मात्र संस्कार है। अनेक पौराणिक गाथाओं और उपाख्यानों को ईश्वर द्वारा रचित बताकर सतियों की कथाओं का प्रतिपादन किया। मनुस्मृति में यहाँ तक कह दिया गया कि स्त्री कभी भी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है।

यह भी कहा गया है कि विवाह का विधान ही स्त्रियों का उपनयन है, पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है और घर का काम ही अग्नि की सेवा है। वास्तविकता यह है कि स्त्रियों की स्थिति के पतन में इस काल को आधारभूत कहा जा सकता है जिसके बाद स्त्रियां एक 'वस्तु' बन गयी जिन्हें पुरुष अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार उपयोग में ला सकता था।

मध्यकाल में स्त्रियों की प्रस्थिति -

सोलहवीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का समय मध्यकाल में रखा जा सकता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में जितना पतन हुआ उतना कभी नहीं हुआ। यद्यपि पूर्व मध्ययुगीन समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न होने का उल्लेख अनेक स्थानों पर दिखाई देता है। पूर्व मध्ययुग में समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। पहले की अपेक्षा वे निरन्तर पतनोन्मुख थी। इस युग में स्मृतिकारों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा है। मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि - ''पत्नी को सुधारने के लिए उसे रस्सी से अथवा बाँस

की फराठी से पीटा भी जा सकता है किन्तु चोट सिर पर या पीठ पर नहीं होनी चाहिए।'' इस काल में स्त्रियों के लिए 'उपनयन' संस्कार बन्द हो गया, अतः धर्म की दृष्टि से वे शूद्रवत हो गई। स्त्रियों के विवाह की उम्र 8-10 वर्ष मान ली गई। फलस्वरूप वे पति के चुनाव के विषय में अपनी राय देने में असमर्थ थी ओर उनकी शिक्षा नहीं हो पाती थी। इस कारण उन्हें अपने पति पर आश्रित रहना पड़ता था। पति ही उनके लिए देवता था। वे अपने कार्यो में कभी भी स्वतन्त्र नहीं रही।

मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा। भारतीय समाज में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने की वजह से ब्राह्मणों ने संस्कृति की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए स्त्रियों के सम्बन्ध में नियमों को और अधिक कठोर बना दिया। इस युग में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता का इतना विकास हुआ कि 5-6 वर्ष की आयु में ही विवाह होने लगे जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा एवं सामाजिक स्तर में तेजी से गिरावट आयी। पर्दा प्रथा का विकास तो इस सीमा तक हुआ कि परिवार के अन्य सदस्य तो दूर, पति स्वयं भी किसी अन्य सदस्य के सामने पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का पति के शव के साथ सती होने की प्रथा का विकास भी इसी काल में सर्वाधिक हुआ। बहुपत्नी प्रथा, पुरुषों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई। फलस्वरूप इन सब स्थितियों ने स्त्रियों को निम्न से निम्नतर बना दिया।

ब्रिटिश काल में स्त्रियों की प्रस्थिति -

यह काल 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षो से स्वतन्त्रता पूर्व तक का है। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किए गये लेकिन सरकार की ओर से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के कोई व्यवहारिक प्रयत्न नहीं किए गए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक स्त्रियों की निर्योग्यताओं के आधार पर इस काल में उनकी दयनीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारों की मांग करने और व्यवहार में, नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। बाल-विवाह एवं पर्दा प्रथा का विरोध उसके चरित्र में कलंक माना जाता था। स्त्री के सम्बन्ध उसके माता-पिता के परिवार तक सीमित थे। इस प्रकार परिवार में स्त्री का एक मात्र कार्य बच्चों को जन्म देना और पति के सभी सम्बन्धियों की सेवा करना रह गया। परिवार में दहेज, सदस्यों की सेवा और धार्मिक कार्यों को लेकर स्त्री का शोषण एक बहुत सामान्य बात हो गयी। आर्थिक क्षेत्र में स्त्री की निर्योग्यताएं सबसे अधिक थी। उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से ही वंचित नहीं रखा गया बल्कि स्त्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं था। स्त्री स्वयं 'सम्पत्ति' बन चुकी थी। स्त्रियों के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को अनैतिक कार्य के रूप में देखा जाने लगा। कमोबेश यही स्थिति-राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भी थी।

स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की प्रस्थिति -

निःसंदेह भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। पश्चिमीकरण, लौककीकरण और जातीय गतिशीलता के कारण स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के प्रसार तथा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता कम होने लगी। संचार के साधनों, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में वृद्धि होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आरम्भ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई और सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें बाल-विवाह, दहेज प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई, आज महिलाएं, पंचायतों से लेकर शीर्ष पदों

पर भी पहुँच रही हैं। इसी प्रकार सेवाओं में भी उनसे आज कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। परन्तु इन सबमें जो अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह है स्त्रियों की सामाजिक जागरुकता में वृद्धि। आज स्त्रियों में रुढ़ियों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। आज की नारी खुली हवा में सांस ले रही है। परन्तु यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला स्थिति का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में निरन्तर वृद्धि से सम्बन्धित है। सरकारी आँकड़ों और समाचार पत्रों पर नजर डालने पर स्पष्ट है कि आज स्वतन्त्रता के 50 सालों के बाद महिला पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हो रही है। हर दो घंटे में बलात्कार, सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं से छेड़छाड़ तथा यौन अपराधों की संख्या में हो रही वृद्धि महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करती है। एक तरफ आज महिलाएं आसमान की ऊँचाइयों को छू रही हैं तो दूसरी तरफ समाज के किसी कोने में प्रत्येक क्षण किसी अबला पर अत्याचार हो रहा होता है। आज महिलाओं की स्थिति पहले से ज्यादा दयनीय है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि इतिहास के किसी भी काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक नहीं रही है। महिलाओं पर सदैव से शोषण और अत्याचार होते रहे हैं। भले ही उसका स्वरूप भिन्न रहा हो। लेकिन गत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ। वर्तमान में भारतीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है, परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर, सड़कों एवं सार्वजनिक यातायात के साधनों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई है। इसमें शारीरिक, मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा सम्मिलित है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सैद्धान्तिक आधार पर समझने के लिए कुछ दृष्टान्त प्रतिरूपों का निर्माण निम्न तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है-

(क) सार्वभौमिक जैविक लिंग -

लिगों के बीच शारीरिक एवं जैविक अन्तर सार्वभौमिक है और मूलभूत अंतर जननांगों की बनावट में होता है। जननांगों के बीच अंतर के अलावा नर-नारी में लम्बाई-चौड़ाई, आकार-प्रकार, वक्ष स्थलों में अन्तर, शरीर के बालों में भिन्नता इत्यादि भी होते हैं, जो कि सार्वभौमिक एवं उदविकास की वर्तमान स्थिति तक सार्वकालिक रहे है। इन्हीं अंतरों का लाभ उठाकर जोड़-तोड़ की प्रक्रिया से पुरुष ने नारी का शोषण किया है, जिसकी परिणति असमानता की भावना, असुरक्षा की भावना और शक्ति के पुरुष तक ही केन्द्रित करने की वृत्तियों से स्पष्ट होती है। इसी प्रकार नारी के शरीर को अमूर्त, सार्वभौमिक व सारत्व के आधार पर समझाया गया है। इसके अन्तर्गत उसके प्राणि शास्त्रीय आयामों को दर्शाया गया है। इसके विपरीत नारी शरीर का एक सांस्कृतिक अर्थ है। इसके अन्तर्गत प्राणीशास्त्रीय शरीर को सामाजिक व सांस्कृतिक अर्थ प्रदान किए जाते हैं। उसके शरीर को सांस्कृतिक वस्तु के रूप में रखा जाता है, जिसमें कभी-कभी विरोधाभासी अर्थ, नियन्त्रण व अधिकार निर्मित होते हैं। नारी के शरीर के अर्थ भिन्न लगाए जाते हैं। अलग-अलग अर्थ बनते चले जाते हैं। शरीर का अर्थ एक विस्तृत उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा है। नारी के शरीर को निर्यान्त्रित किया जाता है, वर्गीकृत भी। उसके शरीर को ऑकड़ों में नापा जाता है। कमर, नितम्ब, उरोजों के माप, लिंग केन्द्रीयता, समाज की व्यवस्था का अंग है। इसमें नारी का शरीर एक वस्तु बन जाता है। वस्तु जिसका उपयोग-उपभोग अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है। नारी वस्तु है अथवा व्यक्ति ? इसी प्रश्न के उत्तर में नारी शोषण का उत्तर भी छिपा है।

(ख) सार्वभौमिक लिंग प्रस्थिति -

लिंग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद संस्थागत होता है, और ये भेद सार्वभौमिक हैं। हालाकि इस भेद को प्रकट करने के तरीके भिन्न-भिन्न देश और काल में भिन्न होते हैं। लेकिन हर समाज

एवं हर काल में केवल महिलाएं ही इस भेद के दुष्परिणाम भोगती रही है, चाहे वो परिणाम शक्ति अथवा प्रभुत्व से अलग रहता हो, या फिर पुरुषों के सामने निम्न स्थिति मानने जैसी बात हो। अगर कोई महिला अपने पुरुष साथी की अपेक्षा ज्यादा काम करती है, तो भी उसे परिवार में अथवा समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं होता, जिसकी वो अधिकारी है। अफ्रीका में तकरीबन 70 प्रतिशत कृषि उत्पादन महिलाओं द्वारा होता है। भारत में आज भी कुछ ऐसी जातियां व जनजातियां हैं, जहां पर पुरुष तो आराम करते हैं और महिलाएं सारे दिन घर-गृहस्थी संभालने के अलावा खेतों पर व अन्य काम भी करती हैं। समाज के उच्च्य वर्गों में जहां अमीर महिलाएं कोई काम नहीं करती बल्कि अपने पति अथवा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा कमाई हुई दौलत का उपयोग-उपभोग करती है, वहां ये अमीर महिलाएं भौतिक ऐशो-आराम के बावजूद, दो स्थानों पर दूसरी महिलाओं से पिछड़ जाती है। पहला तो ये कि उन महिलाओं और उनका संसार मात्र अपने घर तक अथवा कुछ विशिष्ट घरों तक सिमट जाता है। उसका यह स्थान उनके पति अथवा उनके पुरुष रिश्तेदार तय करते हैं और इस तरह से उन उनकी सारी सृजनात्मक प्रतिभा संकुचित अथवा नष्ट हो जाती है। दूसरा यह कि तरह से उन महिलाओं की 'शक्ति' अथवा प्रभुता अथवा अधिकार से एक निश्चित दूरी बन जाती है। अंततः उसे स्वर्ण सुसज्जित महल के कैदी की तरह जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ता है। यहां तक कि विकास परक कार्यक्रमों में महिलाओं को यथोचित सम्मान एवं यथोचित लाभ नहीं दिया जाता है। विकास परक कार्यक्रमों के ज्यादा लाभ पुरुषों की झोली में ही जाते हैं। इस तरह यह पाया जाता है कि प्रायः लिंग असमानता हर स्तर पर, हर देश में, हर जाति में और हर काल में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। यह लिंग असमानता ही मुख्य रूप से महिला हिंसा के लिए उत्तरदायी है।

(ग) लिंग सम्बन्धी विशेष प्रस्थिति एवं स्तर -

समाज में स्तरीकृत एवं सोपानिक व्यवस्था का प्रचलन रहा है और कोई भी समाज, चाहे वो

आदिम हो या आधुनिक, इसका अपवाद नहीं है। स्तरीकरण के आधार हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं, और सदा इस बात पर अवलम्बित रहे हैं कि किसी समाज ने किन मूल्यों को कितनी प्राथमिकता दी है। स्तरीकरण की इस प्रक्रिया ने समाज को वर्ग, जाति आदि घटकों से संकुचित कर दिया है और समाज में अनेक स्तरों का निर्माण हुआ है। परिवार की संस्था ने पुरुष, स्त्री और बच्चों को एक परस्पर आबद्ध इकाई बनाया है और इस संस्था ने लिंग सम्बन्धी अन्दरूनी स्तरों को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं को एक निम्न दर्जा प्रदान किया गया है और इसी कारण एक लिंग-विशेष के रूप में उनकी दशा भी शोचनीय है।

वर्तमान में मध्यम वर्ग की महिलाएं नए पेशों को, नए उद्यमों को, नई वृत्तियों को अपना रही हैं, लेकिन फिर भी समाज के परम्परागत, संस्थागत ढ़ाँचे के कारण उन्हें अपने घर, अपने परिवार, अपने परिवेश में अपेक्षित, उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद उसे सामाजिक सम्मान व स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई है। पुरुष समाज द्वारा महिलाओं के प्रति आधुनिक एवं परम्परागत अपेक्षाओं के कारण पुरुष का स्त्री की शारीरिक सुन्दरता के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला है। महिला वर्ग से ये अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुष वर्ग की माँग और इच्छा के अनुरूप अपने शारीरिक सौन्दर्य को परिभाषित एवं परिमार्जित करें। साहित्य, पत्र, पत्रिकाओ, टी०वी० एवं समाचार-पत्रों ने महिलाओं को एक ग्लैमरस एवं रूमानी छवि प्रदान की है और महिलाओं के शारीरिक सौन्दर्य को प्रचारित करने में विशेष भूमिका निभाई है। स्त्री की देह को एक वस्तु के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री उद्योग, मीडिया और पूँजीवादी बाजार की शक्तियों ने बखूबी किया है। इस तरह बड़ी ही चतुराई से स्त्री की रचनात्मक, सर्जनात्मक एवं बौद्धिक प्रतिभा को नकारकर, स्त्री को एक बौद्धिक प्राणी नहीं अपितु एक देह, एक जिस्म, एक वस्तु, एक योग्य पदार्थ, एक खिलौना की तरह परिभाषित, प्रचारित एवं स्थापित किया जा रहा है। इन सबका प्रभाव

नारी की प्रस्थिति पर पड़ता है और नारी प्रस्थिति सीधे नारी शोषण एवं हिंसा को प्रभावित करती है।

(घ) लिंग प्रस्थिति सम्बन्धी लांछन -

समाज में ऐसे बहुत से रीति-रिवाज, तौर-तरीके, अभिवृत्तियाँ, व्यवस्थिति पूर्वाग्रह, संस्थाएं और संस्थागत वैचारिक विभिन्नताएं मौजूद है जिनमें बड़ी चतुराई के साथ महिलाओं पर कई तरह से लांछन आरोपित किए गये हैं। ये लांछन भी समस्त नारी समाज के अपमान और उत्पीड़न के प्रतीक हैं। समाज में विधवाओं की स्थिति, बिन ब्याही माँ, तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति, महिला वेश्याओं और उन महिलाओं की स्थिति जिन्हें बलपूर्वक बलात्कार का शिकार होना पड़ा, निपूती और बाँझ महिलाओं की स्थिति, 'दूसरी' महिला अथवा उप-पत्नी (रखैल) की स्थिति आदि उदाहरण एक वर्ग विशेष पर हुए अत्याचार एवं पुरुष वर्ग की दोहरी मानसिकता को दर्शाते हैं। पर्दा-प्रथा, अस्पृश्यता की प्रथा और रजोनिवृत्ति एवं शिशु जन्म (प्रथम चार सप्ताह) सम्बन्धी पुरुष समाज द्वारा बनाए गये कतिपय प्रतिबन्धों के कारण पुरुष समाज द्वारा महिलाओं के हृदय व मस्तिष्क में एक तरह की हीनभावना भर दी जाती है। इसी हीनभावना के वशीभूत होकर महिलाएं उत्पीड़न व अत्याचार को चुपचाप सहन करती रहती हैं। महिलाओं की बहुत सारी सामाजिक व शारीरिक प्रस्थिति यथा विधवा होना, बिन ब्याही माँ बनना, निपूती या बाँझ होना, उप पत्नी या रखैल होना इत्यादि स्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए पुरुष वर्ग जिम्मेदार है। लेकिन क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है और इसके सभी नियम पुरुषों द्वारा संचालित एवं पुरुषों की सुविधाओं के लिए बने हैं, इसलिए उपरोक्त वर्णित सभी बातों के लिए सिर्फ महिलाओं को दोषी माना जाता है और उन्हें ही इन सारी बातों का प्रतिफल भुगतना पड़ता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता के कारण अनब्याहे अथवा बिन ब्याहे बाप, तलाकशुदा पति, नपुसंक पुरुष एवं बलात्कारी पुरुष को कुछ नहीं कहा जाता और सारा दोषारोपण महिला पर

किया जाता है। इसी दोहरी मानसिकता के चलते सती जैसे अमानवीय कुरीति को भी पुरुष समाज द्वारा महिमा मण्डित करने का प्रयास किया गया है और इसके समर्थक इनकी जड़ों को वैदिक साहित्य में वर्णित होना बताते हैं। वेश्यावृत्ति जिसे संसार का सबसे प्राचीन व्यवसाय माना गया है और जिसके पीछे पुरुष समाज की घिनौनी और कुत्सित मानसिकता झलकती है, महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक साधन बन गया है। वैश्यालयों की जिन्दगी और वहां रह रही वैश्याओं का जीवन कितना दर्दनाक, कितना कारुणिक, कितना अमानवीय, कितना क्रूर होता है। इसके बारे में पुरुष समाज असंवेदनशील है, किसी मासूम और भोली-भाली लड़की को एक वेश्या बनाने में कई लोग यथा- दलाल, पुलिस वाले, कोठे की बाई, उसके बेंचने और खरीदने वाले इत्यादि शामिल होते हैं, लेकिन अगर कोई वैश्या अपना व्यवसाय छोड़कर एक सामान्य महिला की तरह जीवन बिताना चाहे या किसी सभ्य पुरुष से विवाह करना चाहे तो पुरुष प्रधान समाज इसे हेय समझता है।

उपरोक्त दृष्टान्त प्रतिरूपों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नारी शोषण या नारी समस्या मूलतः पुरुष प्रधान समाज और समाज की दोहरी मानसिकता से जनित है। पुरुष, समाज में सदैव से एक बुर्जुआ की तरह शोषक और महिलाएं, सदैव से ही सर्वहारा की तरह शोषित रही हैं। समाज की दोहरी मानसिकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। परिवार में जब एक बालक माँ से बाहर खेलने जाने की अनुमति माँगता है तो माँ सहर्ष अनुमति प्रदान कर देती है। लेकिन जब एक बालिका ऐसा करती है तब माँ उसे खेलने के बजाय घर-गृहस्थी के काम में अपने आप को व्यस्त रखने की सलाह देती है। इसी तरह जब समाज बालकों को इंजीनियरिंग अथवा चिकित्साशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और बालिकाओं को गृह विज्ञान अथवा सिलाई-कढ़ाई जैसे विषय पढ़ाने पर जोर देता है तब पुरुष समाज की दोहरी मानसिकता ज्यादा मुखर हो जाती है। वर्तमान समय में हालांकि समानता का दावा किया जाता है पर ये दावे जमीनी स्तर पर खोखले ही साबित हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं

ने स्वयं को पुरुषों से श्रेष्ठ करके दिखलाया है परन्तु वहाँ भी सम्मान पाने का हकदार पुरुषों को माना जाता है। आखिर समाज क्यों महिलाओं को पुरुषों के समान चलते हुए देखना नहीं चाहता है ? निरीह, रोती-बिलखती, दया की भीख माँगती नारी, समाज की स्वीकार्य है एक शक्ति स्वरूपा, ज्ञान की देवी, पुरुष की अर्द्धांगिनी सबल नारी स्वीकार्य नहीं है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक सामाजिक समस्या के रूप में निरूपित है, पर क्या हमारा समाज वास्तव में अन्य समस्याओं की भाँति इस समस्या से निपटने के सार्थक प्रयास कर रहा है ? इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में महिला हिंसा से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं आँकड़ों का पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का तात्पर्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाला किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार है, जिससे पीड़ित महिला को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाती हो। यह क्षति शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को, महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार आदि संबोधों से भी जाना जाता है। इसके अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध होने वाली अपराधिक हिंसा जैसे- बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि। पारिवारिक या घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पत्नी को पीटना, दहेज उत्पीड़न एवं हत्या, लैगिंक दुर्व्यवहार, विधवाओं एवं वृद्ध महिलाओं के दुर्व्यवहार आदि। सामाजिक हिंसा के अन्तर्गत भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, सम्पत्ति के अधिकार से महिलाओं को वंचित रखना, सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए सताना, कर्मक्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न आदि।

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के सन् 2003 में पंजीकृत मामलों में प्रताड़ना (30.4%), छेड़छाड़ (25%), अपहरण (12%), बलात्कार (12.8%), भ्रूण हत्या (6.7%) है। ये अपराध पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं पर इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में आध

ो से ज्यादा अपराध तो केवल पाँच राज्यों में होते हैं। जैसा कि निम्न दण्ड चित्र से स्पष्ट है, तथा शेष आधे से कुछ कम अपराध 20 राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में होते हैं-

उपरोक्त पाँचों राज्य देश के बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में देश की अधिकांश आबादी निवास करती है। अतः इन राज्यों में अधिक अपराधिक घटनाएं भी स्वाभाविक हैं। परन्तु इन पाँचों राज्यों में अपराध के बढ़ने का अगर कोई कारण खोजा जाए तो इन राज्यों में निरक्षरता, बेरोजगारी, पिछड़ापन समान रूप से व्याप्त है।

वर्ष 2002 में देश भर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कुल 1,41,373 मामले दर्ज हुए। क्राइम इन इंडिया 2000 की रिपोर्ट को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 1990 से 2000 के बीच एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज प्रतिदिन लगभग हर दो घंटे में एक महिला बलात्कार का शिकार हो जाती है। हालांकि कुछ राज्यों में आँकड़ों के हिसाब से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का प्रतिशत अधिक है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य राज्यों में प्रतिशत

नगण्य है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की स्थिति सम्पूर्ण देश में एक समान है बस मात्रा का फर्क है। क्राइम इन इंडिया की 2000 की रिपोर्ट के आधार पर देश के प्रमुख राज्यों में बलात्कार छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामलों का विवरण निम्न है-

प्रदेश	बलात्कार	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न
आन्ध्र प्रदेश	944	3231	2280
बिहार	1570	456	122
गुजरात	330	944	119
हरियाणा	421	605	423
हिमांचल प्रदेश	129	288	15
जम्मू कश्मीर	183	480	342
कर्नाटक	281	1568	75
केरल	552	1695	69
मध्य प्रदेश	3737	8516	840
महाराष्ट्र	1310	2805	930
उड़ीसा	747	1658	135
पंजाब	334	340	40
राजस्थान	1242	3092	50
तमिलनाडु	538	1948	2167
उ़त्तर प्रदेश	1865	2602	3160
पश्चिम बंगाल	814	1057	55
दिल्ली	435	549	123

उपरोक्त आँकड़े यद्यपि बलात्कार, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के हैं परन्तु इन आँकड़ों के संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई भी प्रमुख राज्य महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में पीछे नहीं है। सारिणी से स्पष्ट है कि हिन्दी भाषी राज्यों की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अत्यन्त सोचनीय है या मध्य भारत एवं उत्तर भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की मात्रा अधिक है। राज्यों की तरह देश के शहर भी महिला अत्याचारों में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन बलात्कार होता है। जब देश की राजधानी ही महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है तो देश के अन्य भागों का क्या होगा? दिल्ली की ही तरह प्रदेशों की राजधानियों का भी यही हाल है। महानगरों एवं प्रमुख राज्यों की राजधानियों में पंजीकृत बलात्कार, छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। चाहे देश की राजधानी हो या प्रदेश की, कोई नगर हो अथवा महानगर, कोई भी स्थान महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इन राजधानियों एवं महानगरों में जहाँ पुलिस मुख्यालय एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ फिर इतनी घटनाएं घटित कैसे होती हैं? इसका सीधा उत्तर है हमारी लचर कानून व्यवस्था एवं भ्रष्ट राज्य और पुलिस तंत्र जिसके कारण अपराधी चैन की नींद सो रहा है तथा आम जनता भय और असुरक्षा के माहौल में रहने को मजबूर हैं। कानून और पुलिस, समस्या का एक पक्ष हैं दूसरा पक्ष है हमारा समाज, जो महिलाओं के विरुद्ध कुंठित दृष्टिकोण अपने दिमाग में पाले हुए हैं। साथ ही हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आस्थाएं जो महिलाओं को किसी भी कीमत पर पुरुष के समान या बेहतर होना स्वीकार नहीं कर सकती।

नारी की उक्त स्थिति के लिए परिवर्तन की आधुनिक प्रक्रियाएं भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। 18वीं सदी के अन्त से ही यूरोप तथा भारत में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि हुई फलस्वरूप

परिवार के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन प्रारम्भ हुए इसी परिवर्तन को देखते हुए सोरोकिन लिखते हैं- "आज हमारे जीवन का हर पहलू, हर संगठन, प्रत्येक संस्था और सम्पूर्ण संस्कृति एक अभूतपूर्ण संकट के दौर से गुजर रही है। समाज का बाहरी ढ़ाँचा और आन्तरिक मानस रोगग्रस्त है। इस सामाजिक शरीर का शायद ही कोई हिस्सा मिले जो सूजा हुआ और घायल न हो। शायद ही कोई ऐसा स्नायु मिले जो सही ढ़ंग से अपना कार्य कर रहा हो, वास्तव में हम दो संस्कृतियों के बीच में फंसे हुए हैं। एक मरती हुई इन्द्रियपरक संस्कृति जो कल तक की सुन्दरतम उपलब्धि थी और दूसरी आने वाले की भावात्मक संस्कृति जिसे हमें ग्रहण नहीं कर पा रहे है। इस गड़बड़ी में सही दिशा देख पाना और अपने को बचाकर सही दिशा में ले जाना असम्भव प्रतीत हो रहा है। इस संक्रमणकालीन संध्यामें दिल कपाँ देने वाली डरावनी छायाएं उभर रही हैं और निरन्तर बढ़ रहे सन्ताप को चीर पाना कठिन हो गया है।" आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और उसमें तत्जनिक व्यक्तिगत तनाव वर्तमान समय में सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हो रही है। इस हिंसा के अनेक कारण और भी हैं। जिनमें प्रमुखतः नवीन आर्थिक व्यवस्था के बदलते हुए आयाम एवं उसे प्राप्त करने की होड़ में मीडिया से उत्पन्न एवं समस्याओं में वृद्धि जैसे प्रमुख कारण हैं। आज माता-पिता तथा बच्चे के विचारों, मूल्यों एवं आदर्श के भिन्न होने पर वे एकमत नहीं हो पाते। माता-पिता पुराने मूल्यों को महत्वपूर्ण समझते हैं, जबकि बच्चे नए मूल्यों के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता तथा बच्चों में तनाव उत्पन्न हो जाता है जो विघटन को जन्म देता है। समाज में होने वाले परिवर्तन की तीव्रता के कारण व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन का रूप ले लेते हैं। यही सामाजिक विघटन ही प्रत्येक प्रकार की हिंसा के पीछे का प्रमुख कारक है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी सामाजिक हिंसा का ही एक रूप है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अन्य प्रकार की हिंसाओं से एक रूप में भिन्न है कि

इसमें समाज का प्रमुख वर्ग पुरुष वर्ग इसे हिंसा मानता ही नहीं है। बल्कि इसे नियति मानकर अपनी भूमिका को नकार देता है। आज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक और प्रमुख कारण दम्पत्तियों के मध्य भूमिका सामंज्जस्य का अभाव है। उदार शिक्षा का प्रसार, समानता और आत्म सम्मान के नवीन विचार, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में दिया जाने वाला महत्व और आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता की इच्छा आदि ने स्त्रियों को उनके उत्तरदायित्व के मुख्य क्षेत्र अर्थात् घर के प्रबन्ध से दूर हटा दिया है। जिस कारण स्त्री और पुरुष के मध्य नवीन तनावों ने जन्म लेना प्रारम्भ कर दिया है।

औद्योगीकरण और नगरीकरण ने जहाँ तनावों को जन्म दिया है। वहीं आज सामाजिक परिवर्तन की नवीन प्रक्रियाओं यथा- वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण ने व्यक्ति में कुंठा को जन्म दिया है। आज हम देखते हैं कि नवीन प्रक्रियाऐं वैश्वीकरण, व्यवसायिकरण, उदारीकरण जैसे व्यवस्था की नवीन इकाइयों को प्रस्थापित करने की चेष्टा में लगी हुई है। वर्तमान में सामाजिक संरचना इन्हीं प्रक्रियाओं से निर्मित हो रही है। परिणामस्वरूप आज का मानव कुंठाओं का पुलन्दा बनकर रह गया है। ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक बमबारी हो रही है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आ रहा है और परिणामस्वरूप प्रत्येक स्थानीय संस्कृति, रीतिरिवाज और परम्पराएं नष्ट-भ्रष्ट हो रही है। ये सारी परिवर्तन वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही घटित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आर्थिक जीवन के साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी बदलाव आया है। मूल्य विश्वास, आचार, विचार सभी कुछ बदल रहे हैं। आज सामाजिक जीवन पूरी तरह से उपभोक्तावाद की गिरफ्त में है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के साथ कामुकता की संस्कृति भी पैर पसार रही है। फलस्वरूप अश्लीलता आज के दौर में श्लील लगने लगी है। आज घर में माँ, बाप, बच्चे सभी एक साथ बैठकर टी०वी० में उत्तेजक दृश्य और लगभग नग्न महिलाओं को विज्ञापनों में निहारते नजर आते हैं। जिससे युवा पीढ़ी का विकास गलत दिशा में हो रहा है। उनके मस्तिष्क में स्त्री का एक चित्र निर्मित हो रहा है।

जो मात्र उपभोग के लिए होती है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के छात्र, द्वारा अपनी कक्षा की छात्रा को ब्लैकमेल करना है। आज की फिल्मों एवं इंटरनेट ने युवाओं के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव लाना प्रारम्भ किया है। यही कारण है कि आज एक असफल प्रेमी अपनी प्रेमिका पर तेजाब डाल देता है या उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। आज टी0वी0 धारावाहिकों में विवाह पूर्व और विवाहेत्तर सम्बन्धों की भरमार है। फलस्वरूप समाज में भी ऐसे सम्बन्धों की बाढ़ सी आ गई है। ये अनैतिक सम्बन्ध ही आज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सर्वप्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। चाहे कवित्री मधुमिता हत्याकाण्ड हो या फिर मॉडल जेसिका लाल हत्याकाण्ड ये सब सफलता पाने की गलत राह और आधुनिकता की अंधी दौड़ का नतीजा है। यह सब वैश्वीकरण जैसे प्रक्रियाओं से ही जनित है। क्योंकि आज दौर में सफलता ही उच्चतम लक्ष्य है। इसके लिए नैतिक और अनैतिक साधनों का वर्गीकरण बेमानी हो गया है। यही कारण है कि प्राचीनकाल में जब स्त्रियों पर कई तरह की निर्योग्यताएं लादी गई तब हिंसा की मात्रा इतनी नहीं थी, जबकि आज महिला स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की अधिक वकालत हो रही है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्वतन्त्रता और अधिकारों में वृद्धि भी हुई है तब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के आँकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। शिक्षा का प्रसार समानता का बढ़ता दायरा ये सब क्या समाज के समक्ष एक नया प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे है? आज की सबल स्त्री कल की गुलाम स्त्री से ज्यादा उत्पीड़ित है क्यों? कहीं महिलाओं की स्वतन्त्रता ही उनके उत्पीड़न का कारण तो नहीं।

भारत के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में अक्सर यह खबर दिखलाई पड़ती है कि एक जवान औरत को जिंदा जला दिया गया या उसकी अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस प्रकार की मौतों की पीछे दहेज या कम दहेज कारण होता है। बहुत समय से ऐसी हत्याओं को जनता का संरक्षण प्राप्त होता आ रहा है तथा उन्हें मीडिया के सामने प्रसारित नहीं होने दिया जाता रहा है। ऐसी

हत्या से पूर्व पीड़ित को शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। घरेलू या पारिवारिक हिंसा एक लम्बे अन्तराल से घटित होती आ रही है। परन्तु रोचकता के अभाव के कारणये घटनाएं समाचार पत्रों में स्थान नहीं पा पाती। बहुत कम अवसरों में कोई महिला ऐसे उत्पीड़न के विरुद्ध केस दर्ज कराती है ? अन्यथा, पारिवारिक दबाव तथा पारिवारिक सदस्यों की इज्जत बचाने के प्रयोजन से महिला चुपचाप उत्पीड़न को सहन करना ज्यादा उपयुक्त समझती है। अधिकांश दहेज मौते दोबारा शादी कर और अधिक दहेज पाने के कारण होती है।

पारिवारिक हिंसा से आशय विवाहित महिला के विरुद्ध परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा की गई हिंसा से है। अधिकांश मामलों में महिला अपने पति द्वारा उत्पीड़ित की जाती है। दूसरे सदस्य नवविवाहित को पीटने में प्रत्यक्ष रूप से प्रायः संलग्न नहीं होते परन्तु वे पति को ऐसा करने के लिए प्रेरित जरूर करते हैं। पत्नी को पीटने के अतिरिक्त भी महिला को अन्य प्रकार से प्रताड़ित करना भी पारिवारिक हिंसा के अन्तर्गत आता है। घर के भीतर विवाहित महिलाओं के साथ अनेक प्रकार से उत्पीड़न होता है। दहेज को लेकर नवविवाहित के पारिवारिक सदस्यों द्वारा ताने मारना, उपेक्षा करना तथा पीटने आदि से तंग आकर प्रायः ऐसी महिलाएं आत्महत्या करने को विवश होती हैं। बहुधा घर के सदस्य ही मिलकर महिला को जला देते हैं या अन्य प्रकार से उसकी हत्या कर देते हैं। वैवाहिक बलात्कार भी पारिवारिक हिंसा का ही एक स्वरूप है। जिसके अन्तर्गत महिला की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा जबरन उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। इसी तरह कुछ मामलों में पारिवारिक सदस्यों द्वारा रिश्तों की आड़ में विवाहित महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले भी प्रकाश में आये हैं। परन्तु ऐसे मामलों को परिवार की इज्जत को देखते हुए प्रायः दबा दिया जाता है। इसी प्रकार विवाहित महिला में अनेक प्रकार की कमी निकालकर उसका कई प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है। उसे कई दिनों तक भूखा रखकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट तक की जाती है। पति

द्वारा पिटने की घटनायें तो आम हैं। ऐसी घटनाओं को समाचार पत्रों में स्थान नहीं मिलता। परन्तु आज शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां विवाहित महिलाएं अपने पति द्वारा न पीटी जाती हो। महिलाएं पति द्वारा पिटने को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर चुपचाप सहन करना ही ज्यादा उपयुक्त मानती है या कुछ महिलाएं इसे पति का अधिकार मानकर अत्याचार सहती रहती हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धर्म का प्रमुख स्थान है। हिन्दू धर्म में पति को देवता के समतुल्य माना गया है। पति चाहे शराबी हो, आवारा हो परन्तु एक पतिव्रता के लिए वह सदैव देवता समतुल्य ही होता है। उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कृत्य पत्नी के लिए मान्य होता है। इसीलिए महिलाएं पति के पीटने को पति का अधिकार मानती हैं। जबकि अक्सर पति से पिटने वाली महिला गंभीर चोटों का शिकार हो जाती है। ऐसी चोटों का उचित इलाज भी नहीं कराया जाता है।

परिवार समाज की एक मौलिक सार्वभौमिक संस्था है। शुरू से ही परिवार मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता आ रहा है। प्राथमिक एवं वैयक्तिक सम्बन्धों पर आधारित यह संस्था आज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। वर्तमान में वैश्वीकरण की अवधारणाएं व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न कर रही है। जिसका परिणाम पारिवारिक विघटन और पारिवारिक हिंसा है, सभी प्राथमिक सामाजिक समूहों में परिवार सामाजिक नियन्त्रण का सबसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली अभिकरण रहा है। सम्पूर्ण सामाजिक संरचना में परिवार का स्थान केन्द्रीय है क्योंकि इसके द्वारा स्थापित किए गये मानदण्डों में सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखने की क्षमता होती है। परिवार की नियन्त्रण शक्ति सर्वव्यापी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो परिवार के नियमों से प्रभावित न होता हो। वास्तविकता यह है कि जीवन के आरम्भिक काल से लेकर अन्त तक परिवार किसी न किसी रूप में सभी मानव व्यवहारों पर नियन्त्रण बनाए रखता है। लेकिन समाज में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हो रहे

हैं। परिवार में एक परिवर्तनों को डॉ० ए०आर० देसाई के शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

"परम्परागत और संयुक्त परिवार और परिवारवादी ग्रामीण ढ़ाँचे में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। ग्रामीण सम्बन्धों का आधार प्रस्थिति से समझौते की ओर बदल रहा है। प्रथा की हुकूमत कानून द्वारा बदली जा रही है। परिवार उत्पादन की इकाई से उपभोग की इकाई के रूप में बदल रहा है। परिवार को जोड़ने वाला बन्धन सम-रक्त के स्थान पर दाम्पत्य के रूप में बदला जा रहा है।"

परिवर्तन की इस बयार में महिलाएं अपनी प्रस्थिति एवं भूमिका को नए संदर्भ में देखने का प्रयास करने लगी है। परम्परागत समाज की भारतीय स्त्रियां आज भी यह तय नहीं कर पा रही है कि उनके क्या कार्य हों। स्वतन्त्रता के इस युग में आज वे अपने परम्परागत कार्यों से संतुष्ट नहीं है। परन्तु पुरुष स्त्रियों की परिवर्तित प्रस्थिति और भूमिकाओं के साथ किसी प्रकार का समायोजन करने को तैयार नहीं है और कई बार पति-पत्नी में से किसी एक के व्यक्तिगत में दोष होने पर परिवार में कलह प्रारम्भ हो जाता है। पति-पत्नी के स्वभाव में विरोध तथा उनके व्यक्तिगत व्यवहार, आदतों एवं रुचियों में समन्वय का अभाव भी हिंसा के लिए उत्तरदायी है क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थों के बढ़ जाने, घर के सदस्यों के उद्देश्य की एकता के समाप्त होने तथा पति-पत्नी के सम्बन्धों के स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि सुकोमल भावनाओं के समाप्त हो जाने से पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि अब विवाह एक धार्मिक बन्धन नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता मात्र रह गया है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी कटुता या मनमुटाव पैदा होने पर पति-पत्नी कई बार तो विवाह विच्छेदन की तैयारी में भी लग जाते हैं। इस कारण आज अनेक भारतीय परिवार संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे जीवन में विघटनकारी तत्वों के समावेश में व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ परिवार तथा समाज भी टूटने की कगार पर है। परिणामस्वरूप अपराध, मद्यपान तथा आत्महत्या जैसी समस्याओं

में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती जा रही है।

आज अब भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जहां पारिवारिक हिंसा का कोई न कोई स्वरूप मौजूद न हो। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इसकी दर अधिक है। प्रस्तुत अध्ययन ''पारिवारिक हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के चित्रकूटधाम मण्डल की उत्पीड़ित महिलाओं के संदर्भ में है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र वीरांगनाओं के यश से भरा पड़ा है। यहाँ रानी लम्मीबाई जैसी वीरांगना ने जन्म लिया है। फिर भी इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे को है। खासकर चित्रकूटधाम मण्डल में स्थिति और भी भयावह है। प्रस्तुत है वर्ष 2004 में चित्रकूट मण्डल में महिला उत्पीड़न की स्थिति -

चित्रकूट मण्डल में 2004 में महिला उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं बांदा में हुई। 2003 की तुलना में यह आंकड़ा करीब दो गुना पहुंच गया। उत्पीड़न की 55 घटनाओं की बदौलत हमीरपुर दूसरे ओर महोबा तीसरे स्थान पर रहा। सबसे कम 22 घटनाएं चित्रकूट जनपद में हुई। बांदा जनपद में 2003 में महिला उत्पीड़न के 46 मुकदमें पंजीकृत हुए थे। 2004 में ऐसी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ और 79 मुकदमें दर्ज किए गए। हमीरपुर जनपद में 2003 में 22 मुकदमें पंजीकृत हुए थे, जबकि 2004 में यह जिला दो गुने जमा आंकड़ा पार कर गया और इस वर्ष यहां 55 मुकदमें पंजीकृत हुए। वार्षिक आँकड़ों के अनुसार मण्डल के सभी जिलों में 2004 में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। इसी तरह महोबा में 2003 में 30 मुकदमें दर्ज हुए थे जबकि वर्ष 2004 में 34 मुकदमें दर्ज हुए हैं। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2003 में 15 घटनाएं हुई थी और वर्ष 2004 में 22 मामले पंजीकृत हुए।

अनुसूचित जाति महिला उत्पीड़न के मामलों में चित्रकूट जनपद में चार गुना इज़ाफा हुआ।

वर्ष 2003 के मुकाबले वर्ष 2004 में 14 मामलों की वृद्धि हुई है। बांदा में 36 के मुकाबले 44, महोबा में 5 के मुकाबले 8 मुकदमें लिखे गये। जबकि हमीरपुर में वर्ष 2003 और 2004 में 5-5 मुकदमें ही दर्ज हुए।

दहेज हत्या की घटनाओं में बांदा में तीन गुना वृद्धि हुई है। बांदा में वर्ष 2003 में दहेज हत्या के 6 मामलों के मुकाबले वर्ष 2004 में 16 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ी। बलात्कार के मामले में भी बांदा में वर्ष 2003 में 5 घटनाओं की तुलना में वर्ष 2004 में 13 घटनाएं घटी। हमीरपुर जनपद में दहेज हत्या के मामलों में वर्ष 2003 में 9 के मुकाबले वर्ष 2004 में 12 मामले दर्ज किए गये। जबकि बलात्कार की घटनाएं इस जनपद में वर्ष 2003 के मुकाबले वर्ष 2004 में दो गुना ज्यादा रही। चित्रकूट जनपद में वर्ष 2004 में दहेज हत्या के 2 तथा बलात्कार के 5 मामले दर्ज किए गये। (अमर उजाला कानपुर, 13.10.2004)

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में चित्रकूट मण्डल में महिला हिंसा की घटनाओं में कई गुना इजाफा हुआ है। आज जबकि महिला समानता की बात की जा रही है। तब ऐसे में पिछले वर्षो की तुलना में घटनाओं का बढ़ना महिला समानता जैसे मुद्दों पर प्रश्चिह्न खड़ा करता हैं

पारिवारिक हिंसा के संदर्भ में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं किसी मुद्दे पर पति से बहस, सेक्स से इनकार, बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करने और खाना जल जाने पर पति द्वारा पीटे जाने पर कोई शिकवा-शिकायत नहीं करती हैं। हाल ही में एक सर्वे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की 8,075 महिलाओं महिलाओं से बातचीत के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए-

- 49 फीसदी का कहना था कि उसके पति को उन्हें मारने-पीटने का अधिकार हैं
- सर्वे में ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि पति के साथ किसी मुद्दे पर बहस होने पर उनकी

पिटाई होती है। इसके अलावा बहुत अधिक खर्च और बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं करने पर भी ज्यादातर पति अपनी पत्नियों को मार बैठते हैं।

- सर्वे के दौरान 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे शारीरिक हिंसा की शिकार हैं।
- 45.7 फीसदी महिलाओं ने कहा कि शादी के मामले में उनसे किसी तरह की राय नहीं ली गयी।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से 25 महिलाओं को देर से खाना बनाने पर पतियों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हर 100 में से 80 महिलाओं को उनके पति गाली-गलौज करते है। हर 100 में से 51 महिलाओं को घर से निकालने की धमकी का आए दिन सामना करना पड़ता है। हर 100 में से 40 महिलाओं को घर एवं बच्चों की सही देखभाल न करने के आरोप में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हर 100 में से 25 महिलाओं का उत्पीड़न ससुराल वालों का अनादर करने के आरोप में होता है। हर 100 में से 33 महिलाओं को उनकी वफादारी पर शक होने के आरोप में उत्पीड़ित किया जाता है। हर 100 में से 10 महिलाओं को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, घर के बाहर कदम रखने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। (अमर उजाला, कानपुर, 07.02.2003)

चित्रकूट मण्डल में स्थिति इससे बदतर है। चूंकि यहां का समाज अत्यन्त पिछड़ा है और परम्परागत है अतः यहां पति से पिटने में महिलाओं को कोई ऐतराज नहीं है। शोधकर्ता ने अपने सर्वेक्षण में पया कि लगभग प्रत्येक महिला परिवार में गाली-गलौज का शिकार होती है जवकि अधिकांश महिलाएं पति द्वारा पीटी जाती हैं। पिछड़ापन अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में दहेज प्रथा जैसी कुरीति व्याप्त है। फलस्वरूप दहेज हत्या के मामलों में अप्रत्याशित वुद्धि हुई है। दहेज के लिए उत्पीड़न में महिलाओं को शारीरिक यातना के साथ-साथ मानसिक यातनाएं भी दी जाती हैं। दहेज प्रथा के अतिरिक्त पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी इस क्षेत्र में अभी जीवित हैं। शिक्षा का प्रसार और

जागरूकता न होने के कारण लड़कियों को उचित शिक्षा नहीं दिलायी जाती है। यहाँ पर यह धारणा पुख्ता है कि लड़कियों को पराए घर जाना है तो अधिक पढ़ लिखकर वह क्या करेगी? फलस्वरूप इस क्षेत्र में महिला साक्षरता काफी कम है। शिक्षित न होने के कारण ही महिलाएं चुपचाप उत्पीड़न सहने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में कुछ समूह तो ऐसे हैं जहां लड़कियों एवं महिलाओं के घर से निकलने पर भी प्रतिबन्ध है।

परिवार में स्त्री सास-सुसर यहां तकि उसके पति द्वारा दलित की तरह समझी जाती है। स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर ग्रहण करने वाली स्थिति है। यह बात उन सब जातियों और वर्गों के परिवारों की स्त्रियों के बारे में सही है जिन पर आज भी सामन्तवादी प्रभाव है या जिनकी जीवन प्रणाली या मूल्य सामन्ती हैं। जैसा कि एंजिल्स ने भी अपनी रचना में परिवार के भीतर पुरुष को बुर्जुआ और स्त्री को सर्वहारा माना है। जहां स्त्री का प्रत्येक प्रकार का उत्पीड़न होता है। गांवों में नव धनाढ्य लोगों ने स्त्रियों पर उच्च्य शिक्षा ग्रहण करने, प्रवसन और नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा रख हैं। सही बात तो यह है कि पुरुषों और पुरुषों द्वारा निर्मित वातावरण ने स्त्रियों को पराधीन बना दिया है। इस वातावरण ने स्त्रियों की सोच भी ऐसी कर दी है, जिससे वे पुरुषों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, उत्पीड़न को चुपचाप सह सके। इसी वातावरण का प्रभाव है कि कभी-कभी स्वयं स्त्री ही स्त्री पर जुल्म ढाने लगती है। परिवार के भीतर स्त्री एक सास, ननद के रूप में एक नवविवाहिता स्त्री पर अत्याचार उत्पीड़न करती है। स्त्रियों के पुरुष और सामाजिक संरचना के साथ बंधन को पूंजीवाद का लक्षण माना गया है। इस तरह के बन्धनों से स्त्रियों की मुक्ति को समाजवाद की विशेषता कहा जाता है। स्त्रियों के लिए रोजगार उनकी समस्याओं को हल करने का रामबाण नहीं है। समाज के निम्न वर्गों में स्त्रियां अनेक आर्थिक कार्यों में रत हैं और फिर भी वे पुरुषों के शिकंजे में जकड़ी हुई है। आधुनिक भारत में स्त्रियों की दुर्दशा समझने के लिए उनको शिक्षित-अशिक्षित, धनी, निर्धन और ग्रामीण बनाम शहरी

के संदर्भ में समझने से भी उपयुक्त समझ मिलेगी। वास्तव में स्त्रियों को पुरुषों से अलग रखकर समझा ही नहीं जा सकता। केवल परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है। जिसमें स्त्रियों के साथ अनुदार रूप में व्यवहार किया गया है। एक बार लेओन ट्रोट्स्की ने कहा था- "पुरुषोचित अहंवाद की कोई सीमा नहीं है। संसार को समझने के लिए हमें इसको स्त्रियों के चक्षुओं से देखना चाहिए।"

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति मात्र घरेलू कार्य, बच्चे पालने वाली पर्दानशीन की है। हालांकि आज महिलाओं की इस स्थिति में परिवर्तन के सम्बन्ध में अनेक तरह के दावे किए जा रहे हैं। परन्तु आज भी इनका न तो कोई स्तर है और न ही समुचित भागीदारी है। इसीलिए इनका शोषण और उत्पीड़न निरन्तर जारी है। लिंग भेद के कारण इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पर्दाप्रथा, लिंग-भेद, विधवा शोषण, बाल विवाह, दहेज प्रथा और न जाने कितनी कुरीतियां समाज में व्याप्त है। इसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नारी ही प्रभावित होती है। उसे स्वनिर्णय का अधिकार नहीं है परिवार में उसकी भूमिका नगण्य है। उसकी भूमिका परिवार के भीतर बच्चा जनने, पालने से लेकर घरेलू कार्यों का करने तक ही सीमित है। हालांकि वर्तमान में वह घर से इतर अन्य क्षेत्रों में भी दायरा बढ़ा रही है परन्तु घर के भीतर उसकी प्रस्थिति और भूमिका पूर्ववत है। यद्यपि वह महत्वाकांक्षी है परन्तु उसकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप उसे अवसर उपलब्ध नहीं है। यदि अवसर उपलब्ध भी हो तो वहां वह स्वतन्त्र रूप से कार्य करने को स्वतन्त्र नहीं है। वहां भी उसे पुरुषों द्वारा निर्मित वातावरण में कार्य करना पड़ता है। जन्म लेने के उपरान्त जहां वह अपने परिवार में पुत्र-पुत्री विभेद के बीच अपना समय इस आत्मप्रवंचना के साथ गुजारती है कि पुरुष उससे श्रेष्ठ है वहीं विवाह के बाद वह पति के पैरों की जूती है जिसका उपयोग वह बच्चा जनने वाली मशीन के रूप में करता है। परन्तु वह इस अवस्था का विरोध करने की बजाय समझौतावादी रूप अपनाकर पुत्रवती होने का

स्वप्न देखती है तथा बच्चे को जन्म देती है इस आस के साथ कि उसका होने वाला पुत्र बुढ़ापे का सहारा बनेगा पर आने वाले कल में उसके द्वारा निर्मित हाड़मांस का लोथड़ा ही उसका नियन्त्रक बन जाता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई है। जिससे कोई भी देश, कोई भी समाज एवं कोई भी समुदाय मुक्त नहीं है। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है और वे अन्तर्राष्ट्रीय करारों के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होती है। वैसे तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किए बिना उसका पूर्ण निदान संभव नहीं है, पर यदि पाश्चात्य एवं विकसित देशों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि इसका कारण मानवीय संरचना व स्वभाव में अंतर्निहित होने के कारण जड़ से इसका उन्मूलन संभव नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः मानवाधिकारों के प्रति आम जनता में जागरूकता का अभाव सा परिलक्षित होता है। फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, लोगों के अधिकारों का हनन आदि सामान्य रूप से प्रचलित है। शहरी संस्कृति की विकृतियों के कारण आज भी भारत के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ जो बिना अंगरक्षकों के चलती है, किसी भी समय बलात्कार हो सकता है और जरूरी नहीं है कि अपराधी पकड़ा जाए। प्रत्येक स्थल पर प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। व्यवहारिक स्वरूप यही मांग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोंच बदलें।

द्वितीय अध्याय

पद्धति शास्त्र

- अध्ययन का प्रारूप
- अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
- अध्ययन का उद्देश्य
- अध्ययन की संकल्पनाएं
- अध्ययन का क्षेत्र एवं पद्धति

अध्याय - 2

पद्धति शास्त्र

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन -

किसी अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर भविष्य का कार्य निर्धारित होता है। अतः शोधकार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विषय पर पूर्व में विद्वानों द्वारा किये गये शोध कार्यो की जानकारी करना आवश्यक हो जाता है-

कपूर प्रमिला (1972) "मैरिज एण्ड द वर्किंग वुमैन इन इण्डिया" ने वैवाहिक जीवन में सांमजस्य में बाधक कारकों तथा तनाव के कारकों को निम्न 6 कारकों में विभाजित किया है-

1. दम्पति की विवाह पूर्व की सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का विछिन्न होना।
2. दम्पति के व्यक्तित्व गुणों में असाम्य (अनुपयुक्तता) एवं असौम्यता का होना।
3. दम्पति के बीच 'यौन सम्बन्धों का असामंजस्यपूर्ण' होना।
4. विवाहेत्तर दशाओं का प्रतिकूल होना।
5. पति-पत्नी भूमिका तथा प्रस्थिति संकुल के बारे में दम्पति की अभिवृत्ति का प्रतिकूल तथा विषम होना।
6. पत्नी के रोजगार-संकुल के बारे में दम्पति की प्रतिकूल अभिवृत्ति।

ब्लूमर डी० (1973) 'न्यूरो साइकिपोट्रिक आसपेक्ट्स आफ वायलेंट बिहेवियर' ने यह निष्कर्ष दिया कि शराब पत्नी के विरुद्ध हिंसापूर्ण व्यवहार को प्रत्यक्ष रीति से भड़काती है या वह मुख्यरूप से पूर्व से ही विद्यमान आक्रमणशील प्रवृत्तियों की अन्तर्बाधा को समाप्त करने का काम करती है। ब्लूमर का मानना है कि कुछ हिंसा के अपराधकर्ता हिंसा का प्रयोग करने से पूर्व साहस जुटाने के लिये शराब पीते हैं परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है कि केवल मदिरापान से ही हिंसापूर्ण व्यवहार भड़कता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो मदिरापान करते हैं परन्तु हिंसात्मक नहीं होते। इसलिये

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में शराब के प्रयोग को 'प्रमुख' कारक न मानकर केवल 'सहयोगी' कारक ही माना जा सकता है।

वोल्फगैंग, एम0ई0 (1978) "वायलेंस इन द फैमिली" ने अपने अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि उत्पीड़न का शिकार वे महिलायें होती हैं-

1. जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मछवि खराब होती है, जो आत्मा व मूल्यन से ग्रसित होती हैं या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गयी हिंसा के फलस्वरूप भावात्मक रूप से समाप्त हो चुकी हैं या वे जो परार्थवादी विवशता से ग्रस्त हैं।
2. जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थिति में रहती हैं या ऐसे परिवारों में रहती हैं जिन्हें समाजशास्त्रीय शब्दावली में सामान्य परिवार नहीं कहा जा सकता। सामान्य परिवार वे हैं जो संरचनात्मक रूप से पूर्ण होते हैं आर्थिक रूप से निश्चित है, प्रकार्यात्मक रूप से उपयुक्त हैं और नैतिक रूप से नैष्ठिक हैं।
3. जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है जिसके कारण उन्हें व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
4. जिनके पति / ससुराल वालों का विकृत व्यक्तित्व है।
5. जिनके पति बहुधा मदिरापान करते हैं।

व्होरा, आशारानी (1982) "नारीशोषण : आईने और आवाम" नारी समस्या से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, जिनमें निम्नांकित महत्वपूर्ण हैं-

1. भारतीय नारी की समस्यओं को किसी एक पहलू से नहीं देखा जा सकता। न ही सभी स्त्रियों की स्थिति समान है। यहां महानगरीय अति आधुनिकता से लेकर आंचलिक आदिवासी स्त्री तक स्थितियों के अनेक स्तर हैं।
2. निम्न वर्णो की स्त्रियां आत्मनिर्भर होने और कहीं कहीं पति से अधिक अर्जित करने के

बावजूद उनसे पिटती है इसलिये स्त्री की समस्या को केवल आर्थिक प्रश्न के साथ जोड़कर देखा नहीं जा सकता। वहां गरीबी के साथ अशिक्षा, पिछड़ा मानसिक स्तर और ढीले नैतिक मूल्यों का दुरुपयोग भी इसके पीछे है।

3. स्त्रियों की प्रस्थिति को देशकाल के सन्दर्भ में और स्थानीय परम्पराओं के साथ जोड़कर ही देखना समझना चाहिए। किसी देश की संस्कृति के आधार से भी इस विकास को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय नारी को समझ लेना चाहिए कि हमारा समाज उसी स्त्री के प्रति बेहद क्रूर है जो पुरुष विरुद्ध मोर्चा बनाती है और उत्तरदायित्वहीन आजादी चाहती है।

4. नारी की स्वभावगत दुर्बलता ही उसे समस्याग्रस्त और पतोन्मुख बनाती है भय और असुरक्षा की भावना लिये जब तक वह पुरुष से सहारा मांगती रहेगी इस श्रेष्ठत्व और हीनत्व भावना से मुक्ति असंभव है।

5. अंततः नारी से मानवी होने के लिए बौद्धिक स्तर पर विकास भी करना होगा। तर्कशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अपने नारीत्व के आग्रहों से ऊपर उठकर एक स्वतंत्रचेता, उदारचेता व्यक्तित्व लेकर नारी पुरुष सम्बन्धों में सहज मैत्रीभाव विकसित करना होगा। अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी।

राजारमन इन्दिरा (1983) ''इकोनामिक्स आफ ब्राइड प्राइस एण्ड डावरी'' ने अपने अध्ययन के आधार पर वधु मूल्य एवं दहेज के अर्थशास्त्र को स्पष्ट किया है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक हिंसा के लिये दोनों ही कारक उत्तरदायी हैं।

आहूजा राम, ''महिलाओं के विरुद्ध अपराध'' (1987 व 98) ने राजस्थान में 1982-84 में किये गये आनुभाविक अध्ययन के आंकड़ों का उपयोग किया है। जिसमें पत्नी को पीटने से सम्बन्धित निम्न निष्कर्ष दिये हैं-

1. पत्नियां जो 25 वर्ष की आयु से कम होती हैं उनके उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है।

2. कम आय वाले परिवारों में महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है।

3. पत्नी को पीटने में महत्वपूर्ण कारण हैं – यौन सम्बन्धी असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति का गार्वित अहम् या हीन भावना, पति का पियक्कड़ होना, ईर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कायरता।

4. अनपढ़ पत्नियों की शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा पति द्वारा पीटे जाने की सम्भावना अधिक होती है।

एग्नेस, फ्लेबिया (1990) "वायलेंस इन द फैमिली" में नातेदारी के दुष्प्रकार्यात्मक पक्ष पर प्रकाश डालती है। आपने यह स्पष्ट किया है कि भारत में पारिवारिक हिंसा में नातेदार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यह तथ्य निकाला कि पत्नी के पीटने की घटना हर आम भारतीय घर में घटती है।

गायदिल्लू, रेहाना (1990) "वुमेन इन द इण्डियन सोसाइटी" रेहाना ने भारतीय समाज में महिला को एक शोषित तत्व के रूप में रेखांकित किया है, जिसे पुरुषों ने धर्म का सहारा लेकर सदैव शोषित रखा।

कृष्णराज, मैत्रेयी (1991) "वुमन एण्ड वायलेंस" में बलात्कार के निम्न रूपों का विवरण दिया है–

1. परिवार के अन्तर्गत बलात्कार (जैसे कौटुम्बिक व्यभिचार, बाल यौन दुरुपयोग और पति द्वारा बलात्कार, इसे कानूनी तौर पर बलात्कार नहीं माना गया है।)

2. जाति वर्ग की प्रधानता के रूप में बलात्कार (उदाहरण के लिए उच्चजाति के पुरुष द्वारा निम्न जाति की महिला के साथ बलात्कार, जमींदारों द्वारा भूमिहीन / कृषि महिला मजदूरों, बन्धुवा महिला मजदूरों के साथ बलात्कार)

3. बच्चों, अवयस्क, असुरक्षित युवतियों के साथ बलात्कार।

4. युद्ध, साम्प्रदायिक दंगों और राजनीतिक विप्लवों के दौरान सामूहिक बलात्कार।

5. हिरासत के दौरान बलात्कार (जैसे - पुलिस हिरासत, रिमांड गृहों, अस्पतालों, काम के स्थानों में आदि।)

6. आकस्मिक, अप्रत्याशित बलात्कार।

केलकर, गोविन्द (1992) ''वायलेंस अगेंस्ट वुमेन'' : पर्सपेक्टिव्स एण्ड स्ट्रेटेजीज इन इण्डिया'' ने अपने अध्ययन में पारिवारिक हिंसा के समाधान के सन्दर्भ में निम्न निष्कर्ष निकाले-

घरेलू हिंसा के समाधान के लिये महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा के लिये रणनीतियां बनानी आवश्यक हैं। जब नारी शिक्षित बनेगी उसमें उत्पीड़न के विरुद्ध साहस उत्पन्न होगा साथ ही उनमें स्वतंत्रता का भाव जागृत होगा।

शैक्षणिक वातावरण लिंग आधारित नहीं होना चाहिए, लड़कियों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए।

पारिवारिक हिंसा की रोकथाम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक दोनों मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मीडिया स्त्री एवं पुरुष के सम्बन्धों को सही रूप में चित्रित कर सकता है।

समुदाय के भीतर ही महिलाओं के समूहों का निर्माण होना चाहिए। जहां पर महिलाएं स्वयं को अभिव्यक्त कर सके, अपनी स्वयं की समस्याओं की समूह ही समस्या के रूप में प्रतिविम्बित कर सके। साथ ही समस्या के समाधान की खोज एवं उस दिशा में सार्थक पहल कर सके।

लवानिया एम0एम0 (1992) ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र'' नामक पुस्तक में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित रोचक तथ्य प्रस्तुत करती है-

शहरी क्षेत्र में महिला उत्पीड़न में पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण पति-पत्नी की एकान्तिका का अभाव है। साथ ही स्त्रियों का परिवार के प्रति वफादार होना, स्वयं चुप्पी, ज्ञान का अभाव आदि कारण भी स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा के अप्रत्यक्ष कारण कहे जा सकते हैं।

पारिवारिक हिंसा में ज्यादातर महिलाएं पति द्वारा पीटी जाती हैं। उनके साथ गाली गलौज किया जाता है। इन मामलों में परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, मित्रों द्वारा पति का निजी मामला मानते हुए आंख बन्द कर ली जाती है।

लवानिया ने हिंसा के प्रेरणा स्रोत में-

1. प्रस्थिति जिसके कारण हिंसापूर्ण व्यवहार किया जाता है।
2. पीड़ितों की विशेषताएं
3. उत्पीड़न करने वाले की विशेषताएं

जैसे- (अ) पीड़ित द्वारा भड़काना, (ब) नशा, (स) महिलाओं के प्रति शत्रुता की भावना, (द) परिस्थिति सम्बन्धी लालसा आदि कारण प्रमुख माने हैं।

महिला उत्पीड़न रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा।

आहूजा, मुकेश (1996) ने विधवाओं के अध्ययन में विधवाओं के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न के सन्दर्भ में निम्न निष्कर्ष दिये हैं-

1. युवा विधवाओं को अधेड़ विधवाओं की अपेक्षा अधिक अपमानित और तंग किया जाता है और उनका शोषण और उत्पीड़न भी अधिक होता है।
2. साधारणतया विधवाओं को अपने पति के व्यापार, हिसाब-किताब, सर्टिफिकेटों, बीमे की पालिसियों और प्रतिभूतियों के बारे में नगण्य के बराबर जानकारी होती है इस प्रकार वे परिवार के षड़यन्त्र का शिकार हो जाती हैं।
3. विधवाओं का शिकार अधिकांशतया पति के परिवार के सदस्य ही करते हैं।
4. उत्पीड़न के तीन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शक्ति, संपत्ति और कामवासना - सम्पत्ति मध्यवर्ग की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारण होता है, कामवासना निम्नवर्ग की

विधवाओं के और शक्ति मध्यवर्ग और निम्नवर्ग दोनों की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारक होता है।

5. यद्यपि सास का सत्तावादी व्यक्तित्व और पति के भाई बहनों का असमंजस विधवा के उत्पीड़न के महत्वपूर्ण कारक होते हैं फिर भी सबसे महत्वपूर्ण कारक विधवा की निष्क्रिय कायरता होती है।

6. आयु शिक्षा और वर्ग का विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध दिखाई देता है परन्तु परिवार की रचना और उसके आधार से उसके कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होते।

मधुरिमा (1996) ''वायलेंस अगेंस्ट वुमन : डायनामिक्स आफ कान्जुगल रिलेशन्स'' ने अपने अध्ययन में पारिवारिक उत्पीड़न और दहेज मौतों के सन्दर्भ में निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं-

परिवार में महिलाओं पर उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई, दुर्व्यवहार, भावप्रवण अत्याचार और इस प्रकार के अन्य व्यवहार को महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाता है।

समाज के सभी वर्गो में पारिवारिक अत्याचार होते रहते हैं।

विवाह के पश्चात शुरु के वर्षो में महिलाओं की मृत्यु की घटनाएं बढ़ रही हैं। नव-विवाहिताओं पर अत्याचार के चरम रूप को 'दहेज मौतों या दुल्हन जलाने की घटना' के रूप में माना जाता है।

अधिकांश दुल्हन जलाने की घटनायें या दहेज मौतें या दहेज हत्या के मामले लड़की ससुराल वालों की उन अतृप्त मांगो के कारण होती हैं जिन्हें लड़की के माता-पिता पूरी नहीं कर पाते हैं। बहू को अपर्याप्त दहेज लाने के लिये तंग किया जाता है और ससुराल वाले बहू को खत्म करने की साजिश करते हैं ताकि वे अपने लड़के की शादी एक बार फिर कर सकें और नई बहू के माता-पिता से अधिक दहेज ले सकें।

अधिकांश मामलों में दहेज मौत या दहेज हत्या या विवाह के बाद की आत्महत्या (यातानाओं से तंग आकर) रोकी जा सकती है। यदि दुल्हन के माता-पिता या रिश्तेदार उसके बार-बार अपने

ससुराल न जाने की इच्छा को मानकर उसे अपने पास रखने के लिये तैयार हों।

वधू द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं के पीछे अधिकांशतः ससुरालवाले अथवा पति द्वारा किये गये अत्याचार होते हैं।

लीला विसारिया (2000) 'वायलेंस अगेंस्ट वुमन' ने गुजरात के गांवो के अपने अध्ययन में पत्नी के पीटने के कारकों के सन्दर्भ में निम्न निष्कर्ष दिये-

1. पिछड़ी जाति की महिलाएं उच्च एवं निम्न जाति की अपेक्षा अधिक पीटी जाती है।
2. 15-24 आयु वर्ग की महिलाओं का उत्पीड़न अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक होता है।
3. 6-10 वर्ष की वैवाहिक अवधि वाली महिलाएं अधिक पीटी जाती हैं।
4. अशिक्षित महिलाएं समय पर भोजन न बना पाने के कारण, घर ठीक ढंग से व्यवस्थित न कर पाने के कारण पीटी जाती हैं। जब कि सेकेण्डरी एवं उच्च स्तर तक शिक्षित महिलाएं बच्चों की सही देखभाल न कर पाने के कारण पीटी जाती हैं।
5. अशिक्षित तथा कम पढ़े लिखे पतियों की अपेक्षा वे महिलाएं अधिक पिटती हैं जिनके पति सेकेण्डरी या इससे अधिक स्तर तक शिक्षित हैं।

हालांकि संयुक्त परिवार में महिलायें समायोजन कम कर पाती हैं। परन्तु पति द्वारा पीटे जाने के मामले में संयुक्त परिवार की अपेक्षा पत्नियां एकाकी परिवारों में ज्यादा पीटी जाती हैं।

क्राइम इन इण्डिया रिपोर्ट (2000)

वर्ष 2000 में देशभर में बलात्कार के 8858, छेड़छाड़ के 8054 तथा यौन उत्पीड़न के 11024 मामले दर्ज हुये।

- मात्र 16% मामले ही दर्ज हो पाते हैं।
- 100 में से 4 बलात्कारियों को दण्ड मिलता है।
- 3% बलात्कारी पारिवारिक सदस्य होते हैं।

- 1/3 पीड़ित महिलाओं की उम्र 16 वर्ष से कम होती है।
- 84% महिलाएं बलात्कारी को पहचानती हैं।
- प्रतिदिन 20 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ जाती है।
- प्रतिदिन 90 महिलाओं को गंभीर छेड़छाड़ सहनी पड़ती है।
- प्रतिदिन यौन उत्पीड़न के 30 से अधिक मामले दर्ज होते है।

इण्डिया टुडे (2002) : ने सितम्बर के अपने अंक में कम्पनियों में यौन उत्पीड़न को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-

1. प्रबन्धक की अपनी कर्मचारी से 'डेट' की बात यौन उत्पीड़न है।
2. एक्जीक्यूटिव का अपनी सचिव से आते-जाते बार-बार टकराना भी यौन उत्पीड़न है।
3. नेट पर पोर्नोग्राफी महिला सहयोगी को दिखाता है - यौन उत्पीड़न है।
4. महिला कर्मचारियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में पुरुष कर्मियों का अकेले में बात करना यौन उत्पीड़न।
5. महिला कर्मचारी को स्वीट हार्ट कहना, यौन उत्पीड़न।
6. महिला सहयोगियों को गन्दे मेल भेजना, यौन उत्पीड़न।
7. महिला सहयोगी को सप्ताहांत साथ में बिताने को कहना भी यौन उत्पीड़न।
8. पुरुष महिलाओं के लिए एक ही शौचालय भी यौन उत्पीड़न।

कुछ कम्पनियों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बना रखी है परन्तु ज्यादातर कम्पनियों में ऐसी नीति नहीं बनी है।

सोना दीक्षित, अरुण कुमार (2004), योजना, "मानवाधिकार और महिलाएं" ने यौन उत्पीड़न में निम्नांकित कृत्यों को सम्मिलित किया है-

1. शारीरिक सम्पर्क या ऐसे सम्पर्क का प्रयास

2. यौन सम्पर्क का प्रस्ताव अथवा अनुरोध

3. अश्लील टिप्पणियां एवं संकेत

4. कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन

5. अन्य अशोभनीय अथवा अश्लील आचरण

पीयूष लाड़ (2004), योजना, 'महिला स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम' ने महिला उत्पीड़न और महिला स्वास्थ्य के सहसबंध को दिखलाते हुए निम्न निष्कर्ष दिये-

1. 28% महिलाओं को वर्ष में कम से कम एक बार शारीरिक यातना झेलनी पड़ती है।

2. 39% महिलाओं को शारीरिक यातना देने वाले उनके पुरुष साथी होते हैं।

3. भारत में पिछड़े वर्गो की लगभग 75 प्रतिशत महिलायें मारपीट की शिकार होती हैं।

4. 22 प्रतिशत उन महिलाओं को भी शारीरिक यातना मिलती है जो सम्भ्रान्त परिवारों से हैं।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला है कि इससे इनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर निम्न तरह से कुप्रभाव पड़ता है-

1. महिलाओं के मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

2. पत्नी को पीटने से महिला को आघात, फ्रैक्चर, चोटें, रक्तस्राव, गर्भपात व विकलांगता आती है।

3. दहेज के कारण वधु को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से बहुधा महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या मार दी जाती हैं किन्तु जो बच जाती हैं, उनमें विकृति, मानसिक रूप से क्षुब्ध होना, आत्महत्या की प्रवृत्ति पनपती है।

4. बलात्कार के फलस्वरूप महिलाओं के स्वास्थ्य में प्रजनन सम्बन्धी अंग भंग, रक्त स्राव, यौन संक्रमण, चोटें, एड्स व मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है।

5. वैवाहिक बलात्कार के कारण भी महिलाओं में अनिद्रा, किसी के पास आने से घबराहट या

स्वयं की नकारात्मक छवि, जननांग में खिंचाव, गर्भपात, मृत वच्चों का जन्म, मूत्राशय के संक्रमण, यौन संक्रमण व इनफर्टिलिटी जैसे प्रभाव पड़ते हैं।

मिल जे0एस0, 'द सब्जेक्शन आफ वुमन' ने इतिहास के कई उदाहरण देकर निम्न निष्कर्ष दिये हैं-

1. महिलाएं घर से इतर क्षेत्र में भी कार्य करने योग्य हैं और पुरुषों से कम क्षमतावान नहीं हैं।
2. बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं से महिलाओं को शारीरिक कष्ट तो मिलता ही है साथ ही उसे ताउम्र कचोटता है मानसिक संत्रास।
3. महिला उत्पीड़न के लिए हमारा समाज तो दोषी है ही साथ ही लचर कानून व्यवस्था भी इसके लिये समान रूप से उत्तरदायी है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व -

अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित अध्ययनों की प्रचुरता रही है। चूंकि यह विषय सदैव समसामयिक एवं चिन्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है अतः विद्वानों की दृष्टि ऐसे अध्ययनों पर सदैव केन्द्रित रही है। परन्तु ऐसे अध्ययनों से प्रायः एक बात समान नजर आती है कि इन अध्ययनों में महिला उत्पीड़न के बाह्य जैसे रूपों पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है। जिनसे ये अध्ययन प्रायः बलात्कार, दहेज हत्या तक ही सीमित प्रतीत होते हैं ऐसे अध्ययनों में राम आहूजा (1987), कार्टिस लिन (1974), ई0वी0 लियोनार्ड (1982), टिंकलेबर्ग (1973), एलिजाबेथ विलसन (1983) आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार बलात्कार से सम्बन्धित तथ्यों एवं आंकड़ों को कई संगठनों द्वारा समय-समय पर एकत्र कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि महिला उत्पीड़न के अन्य स्वरूपों पर अध्ययन नहीं हुए हैं। पारिवारिक हिंसा या उत्पीड़न के सन्दर्भ में मेरी बोरलैण्ड (1976) का अध्ययन महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होनें पारिवारिक हिंसा के संरचनात्मक

कारणों को खोजने की कोशिश की है। इसी प्रकार वोल्फगैंग (1978) का अध्ययन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की दशाओं का वर्णन करते हैं। राजारमन इंदिरा (1983) वधुमूल्य और दहेज को पारिवारिक हिंसा से जोड़ने का प्रयास करती हैं। राम आहूजा (1987) पत्नी के पीटे जाने के सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो मुकेश आहूजा (1996) विधवाओं के सन्दर्भ में निष्कर्ष देते हैं। इसी क्रम में पीयूष लाड (2004) का 'महिला स्वास्थ्य और उत्पीड़न' में सह सम्बन्ध को प्रस्तुत करता अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्रमिला कपूर (1972) वैवाहिक जीवन में सामंजस्य में बाधक कारकों का विवरण प्रस्तुत करती है। आशारानी वोहरा (1982) का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आपने नारी की समस्याओं को किसी एक पहलू से न देखने पर जोर देती है।

उपरोक्त अध्ययन नारी उत्पीड़न के विविध पहलुओं से सम्बन्धित है परन्तु जैसा कि आशारानी वोहरा (1982) स्पष्ट करती है कि सर्वत्र नारी की स्थिति समान नहीं है। इसी प्रकार समस्याओं की प्रकृति भी भिन्न-भिन्न है। इस दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के चित्रकूटधाम मण्डल की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वहां ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता प्रतीत होती है क्यों कि यहां पर महिला उत्पीड़न की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक है साथ ही बदलते सामाजिक परिवेश में ऐसे अध्ययनों की स्वमेव आवश्यकता है।

भारतीय सामाजिक जीवन का आज तक कोई भी पक्ष ऐसा नहीं बचा है जिसमें विघटनकारी तत्वों का समावेश न हो। आज न केवल व्यक्तिगत जीवन विघटित हो रहा है बल्कि हमारा परिवार तथा समाज भी टूट रहा है इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत जीवन में जहां अपराध, मद्यपान तथा आत्महत्या की समस्याएं बढ़ रही हैं वहीं पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति नये वैवाहिक मूल्यों, विवाह विच्छेदन की बढ़ती हुई दर तथा दहेज के कारण विघटन का रूप अत्यधिक स्पष्ट होने लगा है। परिवार को विघटन की ओर ले जा रहे कुछ कारण यह भी हैं-

1. सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता

2. सामाजिक संरचना में परिवर्तन

3. भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा

4. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण

5. निर्धनता

6. रोमांस पर आधारित विवाह

7. यौन सम्बन्धों की असन्तुष्टि

8. अस्वस्थ्य मनोरंजन का प्रभाव

9. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अन्तर

10. व्यक्तित्व सम्बन्धी दोष

11. पारिवारिक तनाव

"राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 98-99 के अनुसार 56 प्रतिशत महिलाओं ने पत्नी को पीटे जाने का समर्थन किया है। 15-49 वर्ष तक की 90000 महिलाओं से बातचीत से ज्ञात हुआ कि ज्यादातर महिलाओं ने घरेलू हिंसा को अपने जीवन का अंग मानकर स्वीकार कर लिया है।"

दैनिक, अमर उजाला, कानपुर, 23 नवम्बर 2000

स्वयंसेवी संस्था 'साक्षी' के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 65 प्रतिशत महिला वकील यौन शोषणों का शिकार हुई।"

दैनिक, अमर उजाला, कानपुर, 23 नवम्बर 2000

एक अध्ययन राजधानी की 600 बालिकाओं व महिलाओं पर किया गया है। इसे प्रो0 उषा नायर, प्रो0 सरोजनी रिछारिया, श्रीमती अनीता नूना ने किया है। यह जानकारी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा कमला मानकेकर ने इस प्रकार दी है।

''कामकाजी औरतों एवं कालेज की छात्राएं वसों की छेडखानी से परेशान है 50 वर्ष से ऊपर के पुरूष ज्यादा दोषी है युवा मात्र फब्तियां कसते हैं''

महानगरों में किये गये सर्वेक्षण के परिणम भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं-

- 52 प्रतिशत छात्राएं ब्याय फ्रेन्ड चाहती है चाहे उनसे विवाह न हो।
- 46 प्रतिशत युवतियां व्यायफ्रेंड को प्रतिष्ठा का पर्याय मानती है।
- 38 प्रतिशत युवतियां विवाह से पूर्व यौन सम्बन्ध बुरा नहीं मानती है।
- 36 प्रतिशत यौन सम्बन्धों के मामले में पुरूषों की भांति स्वतंत्रता चाहती है।

(दैनिक जागरण, कानपुर, 16 जुलाई 2000)

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2001 को दैनिक आज कानपुर में प्रकाशित लेख, 'अधिकारियों के लिये संघर्षरत महिलाएं' में कहा गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ऑकडों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1999 में बलात्कार के 337, अपहरण के 1043 और छेड़छाड़ के 558 मामले दर्ज किये गये थे। सितम्बर 2000 तक राजधानी दिल्ली में बलात्कार के 295, अपहरण के 625 और छेडछाड के 440 मामले दर्ज हुये है। यह सरकारी आंकड़ें जब इतने ज्यादा है तो वास्तविक संख्या के बारे में स्वतः ही अन्दाजा लगाया जा सकता है।

(दैनिक जागरण, कानपुर, 8 मार्च 2001)

भारतीय नारियों के शोषण के कुछ दृष्टांत इस बात के प्रतीक है कि उत्पीड़न की विधाओं एवं संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। व्यक्तिशः नारी उत्पीड़न के सामाजिक पक्ष के अतिरिक्त एक पक्ष और भी है, जिस पर विस्तार से अध्ययन की आवश्यकता है। परिवार में नारियों पर किया गया अत्याचार, अनाचार, और दुराचार यदा कदा परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति के अनुसार अत्याचार की मात्रा घटती एवं बढ़ती हैं। विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को जहां उपेक्षा सहनी पड़ती है वही विवाहित महिलाओं को शारीरिक एवं परित्यक्ताओं को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती

है एवं अविवाहित महिलाऐं नियंत्रण रूपी यातना सहती है। किंतु विचारणीय विषय यह है कि पारिवारिक संरचना के वे कौन ऐसे घटक है जो इस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिये उत्प्रेरित करते है। मूलतः परिवार जनसंख्या वृद्धि उनका पोषण एवं संस्कृति के हस्तांतरण की क्रिया करता है। इन तीन प्रमुख क्रियाओं को निष्पादित करने में परिवार के सभी सदस्यों की सक्रिय भूमिका होती है। वे कौन से ऐसे तत्व है जो इन सदस्यों को महिला के प्रति उपेक्षा उसे दीन, निरीह व निर्बल समझकर उसको उत्पीड़ित करने के लिये प्रेरित करतें हैं।

विश्व की आधी आय महिलाओं के द्वारा किये गये कार्यो से प्राप्त होती है किन्तु यह सारी क्रिया कलाप असंगठित क्षेत्र में होने के कारण इसका श्रेय महिलाओं को नहीं प्राप्त होता जबकि पुरूष इनकी सहगामी क्रियाओं के परिणामस्वरूप ही अपनी आय एवं प्रस्थित बढ़ाते रहे है। यह विडम्बना ही है कि इतनी रचनात्मक भूमिका के बावजूद महिलाएं उपेक्षित रही हैं। यह समाज में एक सार्वभौमिक भ्रम बना हुआ है कि आय प्राप्त करने में पुरूष की ही मुख्य भूमिका होती है। वर्तमान समय के अध्ययनों ने इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया है। भारत जैसे देश में भी महिलाओं को आर्थिक अनुत्पादक इकाई मानने की भूल बनी हुयी है। जिनके कारण वनिताए वंचित, शोषित एंव व्यथित है।

इस प्रकार आर्थिक विषमता का भ्रम भी महिला उत्पीड़न का कारण रहा है। परिवार में इस उत्पीडन के विविध प्रकारों में ताना मारना, उपेक्षा करना, सौत लाना, एवं शारीरिक प्रताड़ना है इससे पीडित होकर अनेक महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती है। तो कुछ स्वेच्छा से परिवार का त्याग कर देती है। इस भयावह स्थित के प्रमुख कारण क्या है इसे जानने का प्रयास प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। इस दृष्टि से अध्ययन का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य -

कोई भी अध्ययन कार्य तब तक सफल एवं महत्वपूर्ण नही हो सकता जब तक वह केन्द्रित एवं उद्देश्पूर्ण न हो। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन को निम्नलिखित कुछ सामान्य उद्देश्यों के अर्न्तगत सीमाकित करने का प्रयास किया गया है।

1. प्रथम उद्देश्य यह है कि महिलाओं के आत्याचार के विविध स्वरूप क्या है? यह जानना।
2. अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य उन कारकों का पता लगाना है जिनकी वजह से उत्पीड़न होता है।
3. तृतीय उद्देश्य यह है कि उत्पीड़न की मात्रा पर किन किन सामाजिक कारकों का प्रभाव पडता है।
4. चतुर्थ उद्देश्य यह है कि महिलाओं की हिंसा में पारिवारिक सदस्यों की क्रमशः क्या भूमिका है।
5. पंचम उद्देश्य यह है कि विवाहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा में पति की क्या भूमिका एवं प्रतिक्रिया है।
6. षष्टम उद्देश्य यह है कि उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति नातेदारी व्यवस्था के प्रकार्यात्मक एवं दुष्प्रकार्यात्मक प्रभाव को स्पष्ट करना।
7. सप्तम उद्देश्य यह है उत्पीड़ित महिलाओं में संचार मध्यमों एवं नारी जागृति आन्दोलनो से प्राप्त चेतना की जानकारी प्राप्त करना।

उपकल्पनायें-

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर अध्ययन की कुछ सामान्य उपकल्पनायें निर्मित की गई है। जो निम्नलिखित-

1. महिलाओं के अत्याचार के विविध स्वरूप, अनाचार, दुराचार एवं अत्याचार को प्रभावित करने में शिक्षा एवं आर्थिक दशाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका महिला उत्पीड़न में सकारात्मक होती है।
3. विवाहेत्तर यौन सम्बन्धों के कारण महिला उत्पीड़न की मात्रा में वृद्धि होती है।
4. दहेज प्रकरण महिला उत्पीड़न को बढ़ाने में सहायक होता है।
5. परम्परेत्तर विवाह का महिला उत्पीड़न पर कोई प्रभाव नही पड़ता।
6. महिला उत्पीड़न पर परिवार एवं नातेदारी सम्बन्धों का सकारात्मक प्रभाव पडता है।
7. महिला आन्दोलन, संचार माध्यमों का आधुनिकीकरण एंव वैधानिक सुविधाए महिला उत्पीड़न रोकने में सहायक है।

अध्ययन पद्धति-

प्रस्तुत अध्ययन सफल बनाने हेतु कुछ अनुसंधान प्रविधियों का सहारा लिया गया है जिनका विवरण क्रमानुसार निम्न है।

1. निरीक्षण या अवलोकन-

वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिये अवलोकन विधिका प्रयोग सर्वाधिक उचित एवं सन्तोषजनक माना जाता है। ज्ञान संग्रह की यही एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साधारण अर्थो में कार्य-कारण अथवा पारस्परिक सम्बन्धों को जानने के लिये स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। श्रीमती पी०वी० यंग के अनुसार

''अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ सम्पूर्णता की रचना करने वाली प्रथक इकाईयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त

किया जा सकता है।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझाता है, और सम्बन्धित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करता है।

अवलोकन की विशेषताऐं -

अवलोकन की परिभाषाओं से इसके निम्न विशेषताए प्रकट होती है।

1. मानव इन्द्रियों का प्रयोग :-

इस विधि में मानव इन्द्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है। किन्तु नेत्रों का प्रयोग भी इसमें विशेष रूप से किया जाता है।

2. प्राथमिक सामग्री का संकलन :-

इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है।

3. सूक्ष्म, गहन, एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन -

अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है अतः वह घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है।

4. कार्य कारण सम्बन्ध का पता लगाना-

वैज्ञानिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखकर उनमें कारणों और परिणामों की भी खोज करता है। जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की और बढ़ा जा सके तथा वास्तविकता का

पता लगाया जाता है।

5. व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन-

अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभावाश्रित अध्ययन पद्धति है जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है।

6. निष्पक्षता -

अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आंखो से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जॉच करता है अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है।

7. प्रत्यक्ष अध्ययन -

इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है।

अवलोकन के प्रकार -

सामाजिक घटनाऐं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती है। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नही किया जा सकता है इसी कारण अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुये/ अवलोकन को उसकी प्रकृति के आधार पर

1. सहभागी अवलोकन
2. असहंभागी अवलोकन
3. अर्द्धसहंभागी अवलोकन में बांटा गया है।

यहां पर केवल अर्द्धसहभागी अवलोकन का विवरण दिया जा रहा है क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन मं अवलोकन के इसी प्रकार को अपनाया गया है।

अर्द्धसहभागी अवलोकन

किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन सम्भव नहीं हो पाता इसलिये ही गुडे एवं हाट दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्द्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव

देते है जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। अर्द्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यो में तो सहभागी बना रहता है। लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते है और दोनों के दोषो से बचाव हो जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किये जाने वाले समुदाय के कुछ साधारण कार्यो में भाग भी लेता है यद्यपि अधिकांशतः वह तटस्थ भाव से बिना भाग लिये उनका निरीक्षण करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में निरीक्षण के लिये चित्रकूटधाम मण्डल के चार जनपदों में स्थित न्यायालयों में लंवित महिला भरण पोषण, सुरक्षा एवं उत्पीडन से सम्बनिधत मामलों में जिनकी संख्या लगभग 300 है को चुना गया है। इनमें से 200 पारिवारिक उत्पीडित और विवाहित महिलाओं का निरीक्षण, अर्द्धसहभगी विधि से किया गया है। जिसके अन्तर्गत गवेषिका को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अक्सर गवेषिका को शक की निगाह से देखा गया । बहुत विश्वास दिलाने पर ही उत्तरदाता एवं संबन्धित लोग बातचीत करने को तैयार होते थे। परन्तु जो सबसे प्रमुख बात है उत्तरदाता से आवश्यक तथ्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक एकांत के लिये बहुत मशक्करा करनी पड़ी। गवेषिका के कुछ ऐसे परिचित घर भी थे जहां अध्ययन से संबन्धित कुछ उत्तरदाता थे। वहॉ पर गवेषिका ने सहभागी होकर स्थितियों को परखा तो पाया कि पारिवारिक हिंसा के पीछे मुख्य कारक दहेज तथा पृष्ठभूमि की भिन्नता थी। गवेषिका के सामने भी कई बार पीडित महिला के लिये अपशब्दों का प्रयोग किया गया।

साक्षात्कार :-

साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख प्रविधि है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने

सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्यूत्तर होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते है तथा स्वतन्त्र विचार विमर्श करते है। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों विश्वासो मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवां तथरज्ञ भविष्य के इरादों को ज्ञात करना है साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है। यह एक लचीला उपकरण है जिसमें समय एवं परिस्थित के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन सम्भव है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है 'अन्तर दर्शन' अथवा 'अन्तर दृष्टि' दूसरे शब्दो में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। जैसा कि सी० ए० मोंजर ने स्पष्ट किया है "एक सर्वेक्षण साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है।"[1]

इसी प्रकार पी०वी०यंग ने इसकी परिभाषा देते हुये स्पष्ट किया है कि "साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अन्तरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जोकि उसके लिये सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है।"[2]

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते है यहाँ एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं विचारों मनोवृत्तियों एवं आन्तरिक जीवन का अध्ययन करता है यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है।

---

1. C.A. Moser - Servey Methods is social Investigation Pg. 271.
2. P.V. Young- Scientific Social Survey and Research Pg. 242.

साक्षात्कार की विशेषताएं-

साक्षात्कार की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

1. साक्षात्कार के लिये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर सम्पर्क, वार्तालाप एवं अन्तः क्रिया करते है।
2. इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता
3. साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है।
4. साक्षात्कार एक उद्‌देश्यापूर्ण वार्तालाप है।
5. यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है।
6. साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते है।
7. साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है।
8. साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है।

साक्षात्कार के प्रमुख उद्‌देश्य -

साक्षात्कार के प्रमुख उद्‌देश्य निम्न है-

1. प्राकल्पनाओं का प्रमुख साधन-

साक्षात्कार का एक उद्‌देश्य प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री को एकत्र करना है। साक्षात्कार करने से अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाएं, विचार, मनोवृत्तियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। साथ ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में भी बहूमूल्य अनुभव होते है। जिससे नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है।

2. प्रत्यक्ष एवं आमने-सामने के सम्पर्क द्वारा सूचना -

साक्षात्कार का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं आमने-सामने के सम्पर्क द्वारा सूचना का संकलन करना है। इस प्रविधि में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने सम्पर्क स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा व्यक्ति से उसकी अनेक आन्तरिक बातें, भावनाएं उघ्वेगो, मनोवृत्तियों आदि का भी अध्ययन सम्भव है जो कि सामाजिक अनुसंधान कार्यो में अति महत्वपूर्ण है।

3. निरीक्षण का अवसर मिलना-

साक्षात्कार का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है कि इससे निरीक्षण का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अजनबी सा किसी परिवार का निरीक्षण करने जाये तो परिवार वालों को अजीब सा सन्देह होगा। परन्तु साक्षात्कार के बहाने अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ-साथ उत्तर दाता के घर वातावरण, पास पड़ोस, घर के सदस्यों का व्यवहार आदि का निरीक्षण कर लेता है इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता को निरीक्षण एवं साक्षात्कार दोनों ही पद्धतियों के लाभ प्राप्त होने का सुन्दर अवसर प्राप्त हो जाता है।

4. आन्तरिक एवं व्यक्तिगत सूचना-

साक्षात्कार प्रविधि द्वारा अनेकों व्यक्तिगत एवं आन्तरिक तथ्यों का अध्ययन करने में भी सहायता प्राप्त होती है। अनेक गुणात्मक तथ्य जैसे- व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, लोक विश्वास, व्यक्तिगत उघ्वेग, मनोवृत्तियां और प्रवृत्तियां जो कि मानव के आन्तरिक जगत में विद्यमान रहते हैं साक्षात्कार प्रविधि द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

व्यक्तिगत साक्षात्कार-

साक्षात्कार को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। संख्या के आधार पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रविधि अपनाई गई

है। अतः यहां पर इसी प्रकार का उल्लेख किया जा रहा है। व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। श्री सिन पाओ यंग के अनुसार- ''व्यक्तिगत साक्षात्कार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलाता है'' इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूंछता चला जाता है, साक्षात्कारदाता उसका उत्तर देता चला जाता है कभी-कभी दोनों ही प्रश्नोत्तर करने लगते हैं।

प्रायः व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक लाभ होने की सम्भावना रहती है। प्रथम तो अन्य पद्धतियों की तुलना में इस पद्धति से कहीं अधिक सत्य सूचनाएं प्राप्त करने की सम्भावना रहती है। क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के अनेक गलत उत्तरों को उसी समय ठीक कर सकता है। दूसरे इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा अनुसूची में दिये गये प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर सम्भव होते हैं क्यों कि साक्षात्कारकर्ता स्वयं प्रश्न पूंछता है। इसके अतिरिक्त अनुसूची में यदि किसी प्रश्न की भाषा कठिन हो तो साक्षात्कारकर्ता उसे सरल करके समझा भी सकता है। इतना ही नहीं व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक भावुक एवं संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होने की सम्भावना होती है क्यों कि साक्षात्कारकर्ता उन प्रश्नों को उत्तरदाता के समक्ष अति कोमल रूप से प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रविधि को तथ्यों के संकलन के लिये उपयोग में लाया गया है। अध्ययन के लिये चित्रकूट धाम मण्डल के चारों जनपदों में भरण पोषण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित न्यायालयों में लम्बित मामलों के वादियों में से 200 का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया है। साक्षात्कार में अनुसूची भरने के साथ-साथ उत्तरदाता के वातावरण का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान कई रोचक बातें प्रकाश में आयी। बांदा जिले की बबेरू तहसील के अन्तर्गत ग्राम मिलाथू में पीड़ित महिला की सास की अपनी बहू की कमियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही थी। तभी उसकी अपनी बेटी ससुराल से रोती हुयी आ गयी। सारी बातें पता चलने पर वही सास अपनी बेटी की सास को भद्दी भद्दी गालियां बकने लगी। जब गवेषिका ने उक्त महिला को एहसास कराया

आपकी बहू के मायके वाले भी आपक बारे में ऐसी ही प्रतिक्रिया कर रहे होंगे तब उक्त महिला का व्यवहार एकदम से बदल गया और गवेषिका पर क्रोधित होती हुई भीतर चली गयी। इसी प्रकार उत्तरदाताओं के मन में मुकदमों के लिए उत्साह नहीं था। वे सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना चाहती है। दाम्पत्य जीवन में दरार के लिये वे संयुक्त परिवार को दोषी ठहराती है।

अनुसूची -

सामाजिक अनुसंधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से सम्बन्धित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों का संकलन है तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची में पर्याप्त समानता है फिर भी अनुसूची की अपनी निजी विशेषताएं हैं इसके द्वारा साक्षात्कार एवं अवलोकन पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूंछा जाता है और भरता जाता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिये भी अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची के माध्यम से वैयत्तिक मान्यताओं, सामाजिक अभिव्यक्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार, प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके द्वारा संग्रहीत तथ्यों में एक रूपता लाकर उनका गुणात्मक एवं संख्यात्मक मापन सरलता से किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सूचना भी सजातीयता के लिये आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता समान प्रश्न पूंछें एवं एक ही प्रकार की सूचनाएं संकलित करें, जिसके लिए अनुसूची एक प्रमुख उपकरण है। अनुसूची एक फार्म के रूप में होती है जिसमें अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रश्न एवं

सारणियां होती हैं जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूंछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है जैसा कि बोगार्डस ने इनको परिभाषित करते हुए लिखा है-

''अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है।

इसी प्रकार गुडे एवं हाट इसको परिभाषित करते हुये लिखते हैं-

''अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने-सामने की स्थिति में पूंछे और भरे जाते हैं।''

परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूची अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची होती है जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता से पूंछता और भरता जाता है।

अनुसूची की विशेषताएं

अनुसूची की निम्न विशेषताएं हैं-

1. अनुसूची अध्ययन की समस्या से सम्बन्धित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से सम्बन्धित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है।
2. इसे एक प्रपत्र अथवा फार्म के रूप में छपवाया जाता है जिसमें क्रमबद्ध रूप में प्रश्न रखे जाते हैं।
3. इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष एवं आमने सामने का सम्पर्क करता है।
4. इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है न कि उत्तरदाता
5. इसमें साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समावेश होता है।

6. अनुसूची का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनोंही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिये कर सकते है।
7. इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है।
8. अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है जिससे वह विषय से न हटे।

अनुसूची के उद्देश्य-

अनुसूची के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखिति है -

1. अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रामाणित, विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित करना है।
2. इसका उद्दृदेश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट कर उन्हे अनुमापन योग्य बनाना है।
3. अध्ययन समस्या के बारे में वैषयिक सूचना संकलित करना।
4. तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना।
5. स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना।
6. अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाव।

साक्षात्कार अनुसूची-

अनुसूची के प्रकारों में साक्षात्कार अनुसूची प्रमुख है। प्रस्तुत अध्ययन में सूचना संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारिणी दी हुई होती है, जिन्हे साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूंछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध

किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहीत सामग्री की जॉच अथवा अध्ययन को प्रारम्भ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची से विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है तथा कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। लेकिन जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं से सूचनाएं संकलित की जा सकती है।

प्रस्तुत अध्ययन में सूचना प्राप्ति हेतु लगभग 75 प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की गयी है जिसमें हॉ/नही, मुक्त एवं विकल्पनीय या बन्द प्रश्न रखे गये है। कुछ प्रश्न उत्तरदाता की सामान्य जानकारी से सम्बन्धित है। कुछ उत्तरदाता के उत्पीड़न की प्रकृति से सम्बन्धित है। प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाताओं के विचार, मनोवृत्तियों को परखने की भी कोशिश की गई है।

निदर्शन-

निदर्शन सामाजिक अनुसंधान की आधारशिला है। निदर्शन इकाईयों के चयन का वैज्ञानिक तरीका है। समग्र में कुछ से इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। दैनिक जीवन में भी निदर्शन विधि का प्रयोग खूब होता है। चावल खरीदने के लिए मुट्ठी भर चावल देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता है कि ढेर का चावल कैसा है। अर्थात् कुछ को देखकर सम्पूर्ण का अनुमान लगा लेना ही निदर्शन का प्रयोग अनुसंधान के लिए एक आवश्यक चरण बन गया है। गुडे एवं हाट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है -

''एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है।''

किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहीत सामग्री की जॉच अथवा अध्ययन को प्रारम्भ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची से विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है तथा कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। लेकिन जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं से सूचनाएं संकलित की जा सकती है।

प्रस्तुत अध्ययन में सूचना प्राप्ति हेतु लगभग 75 प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की गयी है जिसमें हॉ/नही, मुक्त एवं विकल्पनीय या बन्द प्रश्न रखे गये है। कुछ प्रश्न उत्तरदाता की सामान्य जानकारी से सम्बन्धित है। कुछ उत्तरदाता के उत्पीड़न की प्रकृति से सम्बन्धित है। प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाताओं के विचार, मनोवृत्तियों को परखने की भी कोशिश की गई है।

निदर्शन-

निदर्शन सामाजिक अनुसंधान की आधारशिला है। निदर्शन इकाईयों के चयन का वैज्ञानिक तरीका है। समग्र में कुछ से इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। दैनिक जीवन में भी निदर्शन विधि का प्रयोग खूब होता है। चावल खरीदने के लिए मुट्ठी भर चावल देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता है कि ढेर का चावल कैसा है। अर्थात् कुछ को देखकर सम्पूर्ण का अनुमान लगा लेना ही निदर्शन का प्रयोग अनुसंधान के लिए एक आवश्यक चरण बन गया है। गुडे एवं हाट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है -

"एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है।"

इसी प्रकार पी०वी०यंग के अनुसार

''एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकर का चित्र है। जिससे कि निदर्शन लिया गया है।''

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते है।

निदर्शन के आधार-

इसके मूल आधार निम्नलिखित है-

(1) समग्र की सजातीयता-

ऊपरी पर तथ्यों या इकाइयों में बहुत सारी असमानताएं दिखाई देती है। उदाहरण स्वरूप सभी मनुष्य बाह्य रूप में एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते है परन्तु शरीर रचना की दृष्टि से उनमें बहुत सी समानताएं विद्यमान होती है। यही कारण है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है।

(2) प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना-

निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि सम्पूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हों जो मूल समग्र में हों।

(3) उचित परिशुद्धता-

कोई भी निदर्शन शत-प्रतिशत रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। प्रयास यह होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या

पर्याप्त हो, ताकि यह प्रतिनिधित्व पूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गये निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रणकर सके।

श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताएं-

निदर्शन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, यह बात निर्भर करती है- निदर्शन की उत्तमता एवं समग्र की प्रतिनिधित्वपूर्णता पर। एक श्रेष्ठ निदर्शन के निम्न लक्षण होने चाहिए -

(1) समग्र का प्रतिनिधित्व

(2) पर्याप्त आकार

(3) निष्पक्षता

(4) साधनों के अनुरूप

(5) उद्देश्यों के अनुरूप

(6) सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित

(7) व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित

(8) स्वतन्त्रता

उद्देश्यपूर्ण निदर्शन -

जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाईयों का चुनाव करता है, तो इसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहते है। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान होता है, आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता इस विधि का मुख्य आधार यह है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र की इकाईयों के बारे में जानकारी रखता है, एडोल्फ जान्सन के शब्दों में "उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से तात्पर्य इकाईयों के

समूह को इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलकर जहां तक हो सके, वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करे जो समग्र में है।

(10) सुविधापूर्ण निदर्शन -

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधानुसार किया जाता है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करने से पूर्व समग्र, धन, श्रम, इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, स्रोत सूची की उपलब्धता आदि बातों का ध्यान रखता है।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण किन्तु सुविधाजनक निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। चित्रकूटधाम मण्डल के चार जनपदों में स्थित न्यायालयों में लम्बित महिला भरण पोषण, सुरक्षा एवं उत्पीड़न के मामलों से सम्बन्धित ग्रामीण वासियों की संख्या लगभग 300 है जिनमें से 200 का चयन उद्‌देश्यपूर्ण किन्तु सुविधाजनक निदर्शन से किया गया है, इसके अन्तर्गत 60 उत्तरदाता बांदा जनपद, 50 चित्रकूट से, 45 हमीरपुर से तथा 45 महोबा जनपद से ली गयी है। बांदा जनपद से उत्तरदाता ज्यादा होने का कारण गवेषिका का बांदा शहर में निवास है। अतः वह बांदा जनपद के ग्रामों में अधिक सरलता एवं सुविधा से उत्तरदाताओं से सम्पर्क कर सकी।

अध्ययन का सन्दर्भ क्षेत्र-

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछ़डे क्षेत्र बुन्देलखण्ड के चित्रकूट धाम मण्डल के 4 जनपदों में आयोजित किया गया है। यह मण्डल जहां भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश में चौथा स्थान रखता है, वहीं पठारी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या की दृष्टि से पिछ़डा है। भारतीय नगरों की सामान्य विशेषताओं को अपने में संजोये इस मण्डल के जनपद उत्तर प्रदेश के छोटे नगरों का प्रतिनिधित्व करते है। यहां की विशेषता प्रायः देश के छोटे नगरों के समान ही है। मुख्यालय बांदा नगर में होने के कारण प्रवासिता भी है। बड़े औद्योगिक आस्थानों के न होने के कारण यह क्षेत्र प्रायः पिछ़डा हुआ ही है। बांदा जनपद एवं हमीरपुर जनपद के क्रमशः कर्वी एवं महोबा भाग को जनपद बनाए जाने

की मांग वर्षो से हो रही थी। जिसे श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हमीरपुर जनपद के महोबा खण्ड को वर्ष 1994 में महोबा जनपद घोषित करके पूर्ण किया। इसी प्रकार सुश्री मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 6 मई 1996 को बांदा जनपद का विभाजन करके छात्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम से कर्वी एवं मऊ तहसीलों को मिलाकर एक नया जनपद घोषित कर दिया। इस प्रकार बांदा एंव हमीरपुर जनपद दो दो जनपदों में विभाजित हो गए। छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम का यहां की जनता ने बहुत जोरो से विरोध किया, परिणामस्वरूप श्री कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में शाहू जी नगर का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया तथा चित्रकूट धाम मण्डल की स्थापना की घोषणा की और जिसका मुख्यालय बांदा नगर बनाया गया। जिसके अन्तर्गत बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट (कर्वी) जनपदों को सम्मिलित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के केन्द्र में चित्रकूटधाम मण्डल के उपरोक्त 4 जनपद ही है। अध्ययन का केन्द्र होने के कारण उपरोक्त जनपदों का संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) बाँदा -

यह चित्रकूटधाम मण्डल का मुख्यालय है। बामदेव ऋषि के नाम पर बना यह नगर केन नदी के तट पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4112 वर्ग किमी0 है।बांदा नगर पालिका का क्षेत्र 25 वार्डो में बंटा है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार बांदा जनपद की कुल आबादी 15,00,253 हैं जिसमें 8,06,543 पुरुष एवं 6,93710 महिलाएं है। यहां हर 1000 पुरुष पर 860 महिलाएं है। साक्षरता की दृष्टि से जनपद की कुल साक्षरता 54,84 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षारता 69,89 प्रतिशत तथा महिलासाक्षरता 37:10 प्रतिशत हैं। इसके उत्तर पूर्व में यमुना नदी तथा दक्षिण पश्चिम में केन नदी है। इसकी सीमाएं उत्तर में फतेहपुर, चित्रकूट दक्षिण में, रीवां, सतना और पन्ना, पश्चिम में छतरपुर, महोबा और हमीरपुर से मिलती है। इसका सिंचित क्षेत्र 32.6 प्रतिशत है। बांदा जनपद में 4 तहसीलें

क्रमशः बबेरू, नरैनी, बाँदा एवं अतर्रा है तथा 8 विकास खण्ड क्रमशः बडोखर, बबेरू, तिन्दवारी, जसपुरा, नरैनी, महुआ, कमासिन एवं विसण्डा है।

यह जनपद परम्परागत जनपद होते हुए भी आधुनिकता की दौड़ में शनैः शनैः विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

(2) चित्रकूट :-

भगवान श्रीराम के वनवास के कारण चित्रकूट सम्पूर्ण भारत में धार्मिक आस्था का केन्द्र है। यह अभी हाल में ही सन् 1996 में जनपद के रूप में अस्तित्व में आया जब इसे बांदा से अलग कर नया जनपद बनाया गया। यहां की जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 25,51,797 है। यह क्षेत्र कोल आदिवासियों के लिए जाना जाता है। यहां की कुल साक्षरता 46.78 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षारता 58.52 प्रतिशत है। तथा महिला साक्षरता 41.48 प्रतिशत है। इसकी सीमाएं इलाहाबाद, बांदा कौशाम्बी सतना, रीवा आदि जनपदों से मिलती है। यह अत्यधिक पठारी क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक पिछड़ा है। परन्तु वनों की अधिकता होने के कारण यहां दस्यु दलों की अधिकता है जो वर्तमान में यहां की प्रमुख समस्या बनी हुई है। हालांकि दस्यु उन्मूलन के अनेक प्रयास हुए पर वांछित सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन जनपद बन जाने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि यह जनपद अब विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा।

(3) हमीरपुर-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रवेश द्वारा पर अवस्थित हमीरपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 4095 वर्ग किमी० है। नवीनतम् जनगणना 2001 के अनुसार इस जनपद की जनसंख्या 1042374 है तथा जनसंख्या घनत्व 241 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० है। जनपद हमीरपुर में 4 तहसीलें क्रमशः हमीरपुर, मौदहा, राठ व सरीला है तथा सात विकास खण्ड है। इस

जनपद में आबाद ग्रामों की संख्या 511 है तथा नगर एवं नगर समूहों की संख्या 7 (सात) है।

जनपद का कुल सिंचित भूभाग 90249 हे० है तथा 5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस जनपद की सीमाएं जालौन, कानपुर, बांदा, महोबा आदि जनपदों से मिलती हैं यह जनपद भी बुन्देलखण्ड के अन्य जनपदों की भांति, विकास शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक पिछ़डा है।

(4) महोबा-

1994 से पहले महोबा, हमीरपुर जनपद का उपजिला था, परन्तु 1994 में तत्कालीन सरकार द्वारा इसे नवीन जनपद बना दिया गया। यह क्षेत्र आल्हा, उदल की वीरता के लिए जाना जाता है। साथ ही पान की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां का पान दूर दूर तक भेजा जाता है। महोबा जनपद की आबादी सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 9,23,626 हैं इसकी सीमाएं छतरपुर, झांसी हमीरपुर तथा बांदा जनपदों से मिलती है। यह जनपद चंदेल शासकों की कलात्मक इमारतों के लिए भी जाना जाता है। यह जनपद भी अत्यन्त पिछ़डा हुआ है। परन्तु जनपद बन जाने से संभावना है कि इस क्षेत्र का विकास तेजी से होगा।

उपरोक्त 4 जनपदों में स्थित न्यायालयों में लम्बित महिला, भरण पोषण, सुरक्षा एवं उत्पीड़न से संबंधित महिलाओं को अध्ययन का आधार बनाया गया है। चूंकि ये जनपद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से देश के अन्य जनपदों की अपेक्षा अत्यन्त पिछड़े है। अतः इन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति भी दयनीय है, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है। अतः अध्ययन की दृष्टि से उपरोक्त जनपदों का चुनाव विषय की सार्थकता की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

खण्ड (ब)

उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारियाँ

चित्र संख्या - 2.1 उत्तरदाताओं की जाति का विवरण

उपरोक्त पाई चित्र में उत्तरदाताओं की जाति का विवरण दिया गया है। तिरछी लाइनों से छायांकित सबसे बड़ा भाग सामान्य जाति की उत्तरदाताओं को प्रदर्शित करता है। जो वृत्त का 126 अंश भाग घेरे है। सीधी रेखा से छायांकित भाग जो वृत्व का 75.6 अंश घेरे हैं पिछड़ी जाति की महिलाओं को दर्शाता। वृत्त का ईटों की तरह का भाग अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की दर्शाता है तथा वृत्त का 93.6 अंश सफेद भाग मुस्लिम उत्तरदाताओं का है।

वृत्त का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्पीड़ित महिलाएं सामान्य जाति की है। मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत भी काफी अधिक है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत लगभग बराबर है। परन्तु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्पीड़न के सन्दर्भ में प्रतिशत सबसे कम है। हालांकि महिला उत्पीड़न एक सार्वभौम तथ्य है फिर भी महिला उत्पीड़न के कई पक्ष है जो महिला के परिवार की जातीय और वर्गीय पृष्ठभूमि पर निर्भर है। इस दृष्टि से चित्रकूट धाम मण्डल में सामान्य जाति की महिलाओं का प्रतिशत इस बात का द्योतक है कि महिला उत्पीड़न के सन्दर्भ में ये जातियां सामान्य नहीं है।

चूंकि चित्रकूट धाम मण्डल बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आता है और यह क्षेत्र विकास के सभी पक्षों में पिछड़ा हुआ है, यह भी यहां महिला उत्पीड़न का एक कारक बनता है। परन्तु जो सबसे प्रमुख कारक है वो है यहां के समाज का परम्परागत होना। यहां के लोग आज भी नारी को पूर्व के समाजों की भांति अबला और दासी का दर्जा देते है। हालांकि परिवर्तन रूपी लहर के कारण वस्तुस्थिति बदल रही है। सामान्य जातियों में इस मण्डल में प्रमुख क्षत्रिय और ब्राहाण ही है। चूंकि इस क्षेत्र में क्षत्रिय आज भी जमीदारी के भ्रम को पाले हुए है अतः वे आज भी महिलाओं के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित है। महोबा, बांदा एवं हमीरपुर के कुछ भागों में क्षत्रियों की प्रमुख उपजाति बगरी मोहाल पाई जाती है। जिसमें स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इनमें नारियों को आज भी अत्यन्त बंदिशों में जीना पड़ता है। ग्रेजुएट लड़की की शादी 8 पास लड़के से कर दी जाती है। इस तरह के बेमेल विवाह एवं ज्यादती के कारण असमायोजन की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही वजह इस जाति की महिलाओं के उत्पीड़न का कारण भी बनती है। ब्राहाणों में गवेषिका ने अध्ययन के दौरान अधिकांश मामले दहेज से सम्बन्धित पाए है। चूंकि इस क्षेत्र में दहेज प्रथा प्रचलित भी बहुत है। साथ ही दहेज की राशि भी कई लाखों में होती है।

पिछड़ी जातियों में हालांकि सामान्य जातियों की अपेक्षा उत्पीड़न कम है, परन्तु प्रतिशत काफी है यहां कि पिछड़ी जातियों में यादव, कुर्मी, राजपूत, कुशवाहा आदि प्रमुख है जो मुख्यतः कृषि आधारित है। जागरूकता के अभाव के कारण ये जातियां लड़कियों की शिक्षा को विशेष महत्व नहीं देती। कम उम्र में शादी करना इन जातियों में एक परम्परा सी रही हैं । जिस कारण भी लड़कियों का उत्पीड़न होता रहा है। परन्तु वर्तमान में कम उम्र से शादी करने की प्रवृत्ति में काफी बदलाव आया है। मुस्लिमों में पीड़ित महिलाओं का अधिक प्रतिशत मुस्लिम समाज में नारियों की निम्न प्रस्थिति के कारण है तलाक एवं बहुपत्नी विवाह के नियम मुस्लिम महिलाओं में उत्पीड़न अधिक एवं प्रस्थिति को नित्य बनाए हुए है। परन्तु अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिशत अन्य जाति की महिलाओं के प्रतिशत से कम होना जरूर चौकाने वाला है। इसका कारण है कि अनुसूचित जाति में महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी अधिक है। मजदूरी, कृषि श्रमिक जैसे कार्यो में अनुसूचित जाति की महिलाएं अधिक लिप्त रहती है और इस कारण उनके बाहर निकलने या पर्दे में रहने के सम्बन्ध में नियमों में शिथिलता होती है।

चित्र संख्या-2.2
उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

उपरोक्त बार या छड़ चित्र में पीडित महिलाओं की आयु का विवरण है। उत्तरदाताओं में 10 प्रतिशत महिलाएं 15-24 आयु वर्ग की है। 31.5 प्रतिशत उत्तरदाता 25-34 आयु वर्ग की, 25-44 आयु वर्ग में 51 प्रतिशत उत्तरदाता आते है जबकि 7.5 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की है।

बार चित्र के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्पीड़न 35-44 आयु वर्ग की महिलाओं का होता है। साथ ही 25-34 आयु वर्ग की महिलाओं का उत्पीड़न भी अत्यधिक होता है क्योकि ऐसी उत्पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत भी काफी अधिक है। 15-24 आयु वर्ग या 45 वर्षो से ऊपर आयु की महिलाओं का कम ही उत्पीड़न होता है।

सामान्यतः बार चित्र देखने से स्थिति यही नजर आती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सर्वाधिक महिला उत्पीड़न 25-35 आयु वर्ग की महिलाओं का होता है। यहां 35-44 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक होने का कारण यह है कि चूंकि उत्पीड़न का शिकार महिलाएं तुरन्त कानून की शरण में या न्यायालय में नहीं जा पाती । उत्पीड़न के 5 या 10 वर्षो के बाद या उत्पीड़न के चरम पर ही महिलाएं विद्रोही हो पाती है। चूंकि अध्ययन न्यायालय में लम्बित भरण-पोषण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित महिलाओं का है अतः ये महिलाएं वास्तविक रूप से बहुत पहले से या 25-30 वर्ष की आयु से ही उत्पीड़न का शिकार होती रही है।

हमारा समाज चूंकि संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित है। संयुक्त परिवारों में महिलाओं की स्थिति प्रायः निम्न ही होती है। लड़की की शादी होने के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रुप से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया जाता है। दहेज को लेकर या फिर ठीक से खाना न बना पाने के कारण या फिर पारिवारिक सदस्यों की उचित सेवा न कर पाने के कारण बहू को मानसिक रुप से उत्पीड़ित किया जाता है। फलस्वरुप महिलाएं आत्महत्या तक कर डालती है। वर्तमान में समाचारों में इस प्रकार की खबरों का होना बहुत आम बात हो गई है। मानसिक उत्पीड़न के अतिरिक्त कई परिवारों में नई नवेली बहू का शारीरिक उत्पीड़न भी होता है जिसमें परिवार के कई सदस्य हिस्सा लेते है। प्रायः पति या सास अन्य सदस्यों के साथ मिलकर महिला को शारीरिक चोट पहुंचाते है। बाल पकड़कर घसीटना, तमाचा मारना, गाली-गलौज करना, डंडे से मारना ये सभी शारीरिक उत्पीड़न के अन्तर्गत क्रियाएं है।

साधारणतया 25-35 आयु वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न के पीछे यह कारण भी है कि परिवारिक सदस्य महिला को शुरु में ही उत्पीड़ित कर उसे दबकर रहने के लिए दबाव डालते है। साथ ही दहेज भी एक कारण है जिसके अन्तर्गत यह मानसिकता होती है कि महिला को उत्पीड़ित कर मायके से और अधिक दहेज की प्राप्ति संभव है।

चित्र संख्या- 2.3
पीड़ित महिला (उत्तरदाता) एवं उसके पति की शिक्षा

उपरोक्त बहुगुणी छड़ चित्र में पीड़ित महिला तथा उसके पति की शिक्षा का विवरण दिया गया है। तिरछी रेखाओं से आच्छादित छड़ उत्तरदाता की शिक्षा को दर्शाती है तथा बिन्दुओं से आच्छादित छड़े पीड़ित महिला के पतियों की शिक्षा को दर्शाती है।

उपरोक्त चित्र के विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि शिक्षा का महिला उत्पीड़न से सहसम्बन्ध है, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है उसमें भारत जैसे विकास शील देश में महिलाओं की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है। यही कारण है कि भारत में महिला उत्पीड़न का ग्राफ तेजी से बढ़ा। हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण छेडछाड़ जैसी आपराधिक घटनाएं पुरुषो का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। परन्तु पारिवारिक उत्पीड़न या हिंसा के कारकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। चित्र में प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग आधी

उत्पीड़िन महिलाएं या तो निरक्षर है या फिर प्राइमरी तक पढ़ी है।शिक्षा व्यक्ति में तार्किकता, विश्लेषण क्षमता तथा समायोजन की क्षमता विकसित करती है। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षित होना मूलभूत आवश्यकता है। लड़कियों की चूंकि कम उम्र में शादी कर दी जाती है अतः वे अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती यही कारण है कि शेष उत्तरदात्रियां हाईस्कूल या इंटर तक ही शिक्षित है। ग्रेजुएट या उच्च्य शिक्षा प्राप्त महिला उत्तरताओं का प्रतिशत अत्यन्त कम है। शिक्षित महिलाएं परिवार में ज्यादा अच्छी तरह से समयोजन कर सकती है जिससे तनाव की स्थितियों कम होगी तथा उत्पीडन की मात्रा घटेगी। यही कारण है कि उच्च्य शिक्षा प्राप्त उन महिलाओं का प्रतिशत न्यून ही है जिनका उत्पीड़न होता है।

यही स्थिति पीड़ित महिलाओं के साथ भी हैं अधिकांश पीड़ितों के पति हाईस्कूल पास है या इन्टर तक ही शिक्षा ग्रहण किए है। जबकि उच्च्य शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों के पतियों का प्रतिशत पीड़ित महिलाओं से भी कम है। यह भी उत्पीड़न का एक कारण बनता है। ऐसी स्थिति में यदि पति कम पढ़ा है और महिला उच्च्य स्तर तक शिक्षित है तो पति के अहम को चोंट पहुंचती है, पति तथा पारिवारिक सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि महिला ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण अपने को कुछ समझाती है फलस्वरुप उसका उत्पीड़न और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा ही वाकया गवेषिका की महिला मित्र के साथ भी घटित होता है। उक्त मित्र बगरी क्षत्रिय है जिसका पति मात्र 8 पास है जबकि मित्र ग्रेजुएट है जिस कारण उस महिला मित्र का उत्पीड़न किया जाता है। ऐसा कारण उसने स्वयं गवेषिका से बताया है।

चित्र संख्या- 2.4
परिवार का स्वरूप

संयुक्त परिवार 289.08°
एकांगी परिवार 70.2°

उपरोक्त पाई चित्र में उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरुपों को दर्शाया गया हैं वृत्त का बिन्दुओं वाला बड़ा भाग संयुक्त परिवार को दर्शाता है जिसके अन्तर्गत वृत्त का 289.8 अंश भाग आता है। शेष भाग एकांगी परिवार को दर्शाता है जो वृत्त का 70.2 अंश है।

वृत्त का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि अधिकांश पीड़ित महिलाएं संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। एकांगी परिवार से सम्बन्धित उत्तरदाता लगभग नगण्य है। महिला उत्पीड़न के कारकों में परिवार का स्वरूप भी महत्वपूर्ण कारक है। संयुक्त परिवार में महिला उत्पीडन अधिक है। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधार थी। वर्तमान में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और वर्तमान में वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।आज इन प्रक्रियाओं के फलस्वरुप संयुक्त परिवार तेजी से विघटित हो रहे है। इनका स्थान एकांगी परिवार लेते जा रहे है। हालांकि प्राचीन काल में सामाजिक संगठन बनाए रखने के रूप में संयुक्त परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। परन्तु महिलाओं की निम्न एवं बदतर होती स्थिति के लिए भी जिम्मेदार संयुक्त परिवार है। प्रचीन काल से ही संयुक्त परिवार के रूप में महिलाओं का उत्पीड़न होता आ रहा है। पर्दा प्रथा, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता न होना, कठोर नियमों 'आदि ने नारी को सदा

के लिए दास बना दिया। हालांकि वर्तमान में नियमों एवं संयुक्त परिवार के स्वरूप में शिथिलता आयी है परन्तु नारी की स्थिति आज भी वैसी ही है। संयुक्त परिवार में पुरुषों के अतिरिक्त नारी का शोषण नारी के द्वारा भी होता है। एक सास, एक ननद के रूप में नारी ही नारी को उत्पीड़न कर रही है। शारीरिक उत्पीड़न के साथ-साथ मानसिक यातनाएं भी नई-नवेली बहू को दी जाती है। बात-बात में ताने मारना, कम दहेज को लेकर मायके वालों को अपमानित करना, भोजन, सदस्यों की सेवा में कमी निकालकर अपशब्द कहना आदि ऐसी घटनाएं है जो महिला को भीतर तक तोड़ देती है। फलस्वरूप चरम उत्पीड़न होने पर वह आत्महत्या को मजबूर हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं तो स्वयं परिवार के सदस्य ही मिलकर नई दुल्हन को जलाकर, फांसी लगाकर या अन्य तरीकों से मार डालते है। एक नारी अपने ही घर में असुरक्षित हो जाती है।

एकांगी परिवारों में हालाकि उत्पीड़न की दर कम है पर स्थिति पूर्णतः सुखद नहीं है। एकांगी परिवारों में महिला को ज्यादा स्वतन्त्रताएं है परन्तु यहां भी एक अन्य स्थिति उत्पन्न होने का खतरा है। संयुक्त परिवारों में उत्पीड़न होने पर परिवार के कुछ सदस्य महिला के प्रति सहानुभूति रखने के कारण उक्त महिला को बचा लेते है। परन्तु एकांगी परिवारों में महिला को बचाने बाला कोई नहीं होता फलस्वरुप ऐसे एकागी परिवार जहां महिला को उत्पीड़ित किया जाता है वहां महिला के पास उत्पीड़न सहने के अलावा और कोई रास्ता है तो वह है आत्महत्या का।

चित्र संख्या- 2.5
विवाह की अवधि का विवरण

उपरोक्त बार चित्र में उत्तरदाताओं की विवाह की अवधि को दर्शाया गया है। 17 प्रतिशत पीड़ित महिलाओं का विवाह 1-5 वर्ष पूर्व ही हुआ है। 43.5 प्रतिशत उत्तरदाता 6-10 वर्ष पूर्व विवाहित है। वे पीड़ित महिलाएं 22 प्रतिशत है जिनके विवाह 11-14 वर्ष पूर्व हो चुके है तथा 15 वर्ष से अधिक समय से विवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 17.5 है।

उक्तचित्र के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन पीडित महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। जिनकी विवाह की अवधि 6-10 वर्ष है इसके पश्चात उन महिलाओं का भी उत्पीड़न अधिक होता है जिनका विवाह 11-14 वर्ष पूर्व हुआ है। हालांकि महिला उत्पीड़न का कोई नियत वर्ष नहीं है जैसा कि चित्र से भी स्पष्ट है कि 1-5 वर्ष पूर्व विवाहित महिलाएं तथा 15 वर्ष से ऊपर विवाहित महिलाएं भी उत्पीड़न का शिकार है। परन्तु 6-15 वर्ष की विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है इसका कारण यह हो सकता है कि चूंकि विवाह के प्रारम्भिक वर्षो में नई बहु के प्रति ससुराल पक्ष के लोगों के मन भी स्नेह, प्रेम होता है जो कालांन्तर में कम होता जाता है और धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों में दुल्हन के भीतर कमजोरियां एवं कमियां दिखाई पड़ने लगती है। साथ ही यह भी हो सकता है कि बाद के वर्षो में सभी सदस्यों का वास्ताविक चरित्र सामने आ जाने के बाद समायोजन

मुश्किल होने लगता है। परन्तु यहां पर जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि उत्तरदाता वे महिलाएं है जिनके मुकदमें न्यायालय में लंबित है। इसलिए यह कह पाना काफी मुश्किल होगा कि उत्पीड़न और विवाह के वर्षो में कितना तारतम्य है। हो सकता है कि उत्पीड़न प्रारम्भिक वर्षो में ही शुरु हो गया हो परन्तु महिला ने इसके विरुद्ध आवाज अभी हाल में उठाई है। वास्तुस्थिति चाहे जो भी हो परन्तु यह सर्वविदित है कि शादी के आरम्भिक वर्षो से ही महिला को एक सेविका के रूप में रहने के लिए दबाव बनाना शुरु कर दिया जाता है। दबाव न बन पाने की स्थिति में यही उत्पीड़न का स्वरूप ले लेता है। अध्ययन में वे महिलाएं उत्तरदाता है जिन्होनें उत्पीड़न के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जबकि अधिकांश महिलाएं ऐसा साहस नहीं दिखा पाती और चुपचाप सारी उम्र मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहती रहती है।

तृतीय अध्याय

बुन्देलखण्ड में महिलाओं की स्थिति

- बुन्देलखण्ड एक परिदृश्य
- महिलाओं की सामाजिक स्थिति
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति
- महिलाओं की राजनैतिक स्थिति
- महिलाओं की सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति

अध्याय तृतीय

बुन्देलखण्ड में महिलाओं की स्थिति

बुन्देलखण्ड एक परिदृश्य-

''जनम औ निवास व्यास जी का कालपी के पास,
रचे गए जहां धर्म ग्रन्थ ज्ञान मारतंड।
भूषण और मतिराम, केशव का क्रीड़ा धाम,
तुलसी, बिहारी आदि कवि प्रकटे प्रचंड।
लक्ष्मीबाई, नाना, आल्हा, ऊदल का वीर बाना,
छत्ता का जागना है विभूति जिसकी अखंड।
परम पुनीत जम्बू दीप में भारत-खण्ड,
पुष्पखण्ड उसका है अपना बुन्देलखण्ड।''

-बेनी माधव तिवारी

भारत वर्ष विश्व की प्रगति को सर्वदा अपनी चिरंतनशील साधना द्वारा प्रकाशित करता रहा है और प्रगति का आधार स्तम्भ बना है। बुन्देलखण्ड भी भारत वर्ष का हृदय सदा से रहा है। भारत प्राण बुन्देलखण्ड अपनी वीरता, पराक्रम, शौर्य, कला, तपस्या तथा साधना के कारण विश्व विख्यात है।

भारतीय संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व के प्रकांड पंडित डा० श्री वासुदेव शरण अग्रवाल का बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में गत है :-

विन्ध्य पर्वत भारतीय वन प्रकृति का वयोवृद्ध पितामह है। कहते हैं जब हिमालय बाल रूप से सलिलावरण से बाहर आया उससे युग-युग पहले जरठ विन्ध्यांचल जन्म ले चुका था।''

बुन्देलखण्ड का वास्तविक नाम विन्ध्याइलाखंड है और उसका यह नाम विन्ध्यांचल की तराई में बसने के कारण पड़ा है संस्कृत में इला का अर्थ पृथ्वी है। ईसा से पूर्व कात्यायन, कौटिल्य तथा

कालिदास आदि ने अपने-अपने ग्रन्थों में 'दर्शाण' नाम का उल्लेख किया है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड का दर्शाण नाम दस नदियों के कारण पड़ा जो इस प्रकार है- धसान, पार्वती, सिन्ध, बेतवा, चम्बल, जमुना, नमर्दा, केन, टोस और जामनेर।

सुप्रसिद्ध इतिहासकारों ने तथ्य देकर यह प्रमाणित किया है कि बुन्देलखण्ड-हृदय झांसी से 16 मील के लगभग चिरगांव से 6-7 मील और बड़ागांव से 3-4 मील दूर बीजोर, बाघाट नाम ग्राम अब भी स्थित है। जो महाभारत काल में वाकाट नाम से पुकारा जाता था। बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम प्रथम दर्शाण व फिर जुभौति प्रदेश रहा है। इसी दर्शाण देश के वाकाटकों ने अपने शौर्य के बल पर भारत में प्रवेश करने वाली शक और हूण आदि जातियों से लोहा लिया और आर्य संस्कृति, सभ्यता तथा धर्म और गंगा-यमुना की स्वतंत्रता की रक्षा की।

ऐतिहासिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड की महिमा अधिक विशाल एवं महान रही है। यह भूमि महान ऋषियों की तपोभूमि है। नारद और सनकादि ऋषियों ने त्याग, तपस्या और साधना की धूनी यहीं रमाई है। इस प्रदेश का सौभाग्य है कि सतयुगी राम ने भी अपना वनवास काल का कुछ समय चित्रकूट में व्यतीत किया था।

आज भी कालिंजर, नरवर, ग्वालियर, झांसी और कुंडार के किले दर्शकों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और उनसे अपने अंचल में छिपाये हुए वीरों की गाथाएं कहते हैं। कालपी का व्यास टीला, दतिया के प्राचीन महल, ओरछा का चतुर्भुज जी का मंदिर और प्राचीन काल के अनेक ताल, मन्दिर एवं मनमोहक मठ आज भी दर्शकों के मन को मोह लेते हैं। आज भी बुन्देलखण्ड में पारीक्षा, सुखुवां, ढिकवां और माताटीला बांध अधिक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय है। महोबा के वीर योद्धा आल्हा-ऊदल की वीरगाथाएं आल्हाखंड के रूप में लाखों नर-नारियों को प्रेरणा एवं वीर रस प्रदान करती है। आल्हा ऊदल की लड़ाई "आल्हा" में इस प्रकार वर्णित की गयी है कि बुन्देलखण्ड के सुप्रसिद्ध आल्हा को समझने व उसका रसास्वादन प्राप्त करने के लिये अनेक व्यक्तियों ने हिन्दी सीखी है।

भारत वर्ष की प्रथम स्वाधीनता-क्रान्ति की जन्मदात्री और संचालिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की वीरता, रण कुशलता और देश प्रेम की देश और विदेश के विद्वानों ने मुक्तकंठ से सराहना की है। बुन्देलखण्ड ने भारतीचंद बुन्देला, राजामधुकर शाह और वीर छत्रसाल इसी वीर धरा की ऐसी विभूतियां है जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम का अलौकिक परिचय दिया था। पन्ना राज्य के संस्थापक महाराज छत्रसाल बुन्देला को बुन्देलखण्ड में वही मान प्राप्त है जो राजपूताने में महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र में शिवाजी को सम्मान दिया जाता है।

साहित्यिक दृष्टि से भी बुन्देलखण्ड का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। कविकुल गुरु महर्षि वाल्मीकि, भगवान, वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन, भवभूति, कृष्णदत्त मिश्र, पं० काशीनाथ जी आदि संस्कृत के कवियों का यहीं जन्म हुआ था। हिन्दी साहित्य को जगनिक, गोस्वामी तुलसीदास, कवीन्द्र केशव, बिहारी, भूषण, पद्माकर, मतिराम, चन्द्र सखी, ईसुरी राय, प्रवीण मुंशी अजमेरी, राष्ट्रकवि डा० मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, वियोगी हरि, स्व० घासीराम व्यास, घनश्यामदास पाण्डेय, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामकुमारी चौहान, सेठ, गोविन्द दास, डा० रामविलास शर्मा, डा० वृन्दावन लाल वर्मा जैसे सरस्वती के कलाकारों को प्रदान करने का श्रेय बुन्देलखण्ड को ही प्राप्त है। सफल पत्रकार स्वर्गीय मूलचन्द्र अग्रवाल, श्री आत्माराम गोविन्द खरे, रघुनाथ विनायक, धुलेकर तथा पं० भगवन्नारायण भार्गव, भूतपूर्व संचालक, पंचायत राज्य, कृष्णचन्द्र शर्मा, भूतपूर्व उपमंत्री आदि। इसी बुन्देलखण्ड के नवरत्न है।

प्रकृति ने बुन्देलखण्ड को अपने बहुत से आशीर्वादों का लाभ दिया है खनिज पैदावार में भी अभ्रक, लोहा, गेरू आदि का यहां भंडार है। जैसा इमारती पत्थर बुन्देलखण्ड में पाया जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। हीरों से लेकर लोहे और प्रस्तर तक की खाने हैं। पन्ना तो प्रसिद्ध रत्नों की खान के लिये भारत में प्रसिद्ध है। महोबा और पाली के पान, कोंच का घी और राठ का गुड़ अत्यधिक प्रसिद्ध है। चंदेरी के महीन वस्त्र, मऊ का खरुआ और तालबेहट के सरौते आदि की सब जगह सराहना की जाती है।

आधुनिक युग में राठ निवासी पं० परमानन्द क्रान्तिकारी, चन्द्रशेखर आजाद, भगवानदास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, मास्टर रुद्रनारायण तथा विश्वनाथ वैशम्पायन आदि शौर्य नक्षत्रों को सुशोभित करके बुन्देलखण्ड में अपने गौरव का परिचय दिया है। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद ने भी इसी बुन्देलखण्ड में अज्ञातवास किया था और ओरछा राज्य के अन्तर्गत सातार सरिता किनारे अपनी कुटी बनाकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बुन्देलखण्ड के क्रान्तिकारियों को संगठित किया था।

संगीत के क्षेत्र में इस वसुन्धरा ने अनेक कलाकारों को जन्म दिया है। बाबा रामदास जी, संगीत सम्राट तानसेन, गायक बैजू, आदिल खां उस्ताद आदि संगीत कलाविद् भी इस प्रदेश के लाल थे।

बुन्देलखण्ड के वातावरण में झांसी की कसक, दतिया की ठसक, बांदा की अकड़ और जालौन की पकड़ भी अपनी वास्तविकता का परिचय देती है। बुन्देलखण्ड के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है "सौ दंडी और एक बुन्देलखण्डी" जो बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है। झांसी की लक्ष्मी व्यायामशाला और चिरगांव का श्री गणेश शंकर हृदय तीर्थ जैसी उपयोगी संस्थाएं बुन्देलखण्ड के प्रतीक हैं जो राष्ट्रोत्थान और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रही है। बुन्देलखण्ड की संस्थाएं श्री वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद, हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय कालपी, बुन्देलखण्ड कवि परिषद, कवि मण्डल, दतिया, कवि परिषद मऊ, छत्रसाल स्मारक समिति पन्ना, सरस्वती सदन छतरपुर, हिन्दी साहित्य के निर्माण में तथा राष्ट्रोन्नति में अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

बुन्देलखण्ड ने भारत के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां का अतीत अत्यन्त गौरवपूर्ण है। यहां साहित्य, संगीत और कला की अनुपम लहरें प्रवाहित होती रहती हैं। इसी भूखण्ड में पग-पग पर एक विचित्र इतिहास छिपा है। यहां असंख्य दुर्गों, प्रासादों और मंदिरों के भग्नावेष अपनी मौनवाणी में बुन्देलखण्ड के गौरव एवं यश की रागिनी अलापते रहते हैं।

बुन्देलखण्ड की सभ्यता एवं संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है। यहां की कला एवं साहित्य काफी सुसज्जित है। यहां का बुन्देली समाज गौरवपूर्ण है, बुन्देलखण्ड विद्या, कला, वीरता तथा संस्कृति का

प्रमुख केन्द्र था और इस प्रदेश ने अपनी संस्कृति और साहित्य के माध्यम से सदैव ही भारत को गौरवान्वित किया है।

बुन्देलखण्ड का समाज विभिन्न जातियों का सामूहिक संगठन है। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि के सैकड़ों उपभेद हैं। डा० जी०एस० घुरिए का कथन है- ''जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, जो गंगा-यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है।'' बुन्देलखण्ड में बुन्देली जनताकी संयुक्त परिवार प्रणाली है। यहाँ प्राचीन काल से संयुक्त परिवार प्रणाली प्रख्यात और प्रचलित है।

वर्तमान समय में अलग-अलग रहने की भावना अथवा एकाकी परिवार प्रणाली का बोलबाला हो रहा है।

बुन्देलखण्ड में बुन्देली समाज तथा हिन्दू समाज में आदर्श विवाह प्रणाली आज भी प्रचलित है। इसके अन्तर्गत माता-पिता के संरक्षण में कन्या का विवाह योग्य वर चुनकर ही किया जाता है। परिवार तथा रिश्तेदारों और सगे सम्बन्धियों की उपस्थिति में विभिन्न संस्कारों द्वारा कन्यादान किया जाता है। इस प्रकार विवाह उच्च्य जातियों में होता है लेकिन एक अन्य विवाह भी निम्न जातियों में प्रचलित है इसके अन्तर्गत कन्या का मूल्य लेकर कन्या का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है जो उसका मूल्य चुकाता है बुन्देलखण्ड में प्राचीन-काल से वैवाहिक बन्धन को शुभ और पुण्य माना जाता रहा है। यह बन्धन उज्जवलता एवं पवित्रता का प्रतीक है। इस प्रदेश में वैवाहिक सूत्र में बंधने के लिये सर्वप्रथम सगाई प्रथा को अपनाना पड़ता है, प्राचीन काल में तो एक टका देकर ही सगाई कर दी जाती थी और वर पक्ष वाले कन्या को सोने चांदी के आभूषण पहनाते थे और गोद में सवा सेर मिठाई और नारियल डालते थे। तत्पश्चात विवाह के लिये लग्न मुहूर्त निकालकर लग्न पत्रिका भेजी जाती थी जिसमें तेल, मण्डप, टीका, भांवर आदि तिथियों का समय अंकित रहता था।

बुन्देलखण्ड में भाई द्वारा बहन को भात देने की प्रथा प्रचलित है। इसी के पश्चात देवी-देवता को आमंत्रित करते हुये विवाह सम्पन्न होता है। बुन्देलखण्ड के इतिहास में कई-कई अलौकिक घटनाएं

अंकित है। धर्मवीर हरदौल की मृत्यु के पश्चात उनकी बहन अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर अपने भाई से भात मांगने हरदौल की समाधि पर गई क्योंकि उनके बड़े भाई राजा जुझार सिंह पर हरदौल को विष देकर मरवा डालने का दोष लग चुका था। समाधि से आश्वासन की एक आवाज गूंजी और और बहन कुंजा विश्सास देकर अपने घर वापस चली गयी। मंडप के दिन हरदौल ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बहन कुंजा को भात दिया।

बुन्देलखण्ड की जनता अधिक धार्मिक और तीज-त्योहार, पर्व और मेलों में आस्था रखती है। और सच्चे हृदय से इनमें विश्वास करती है। बुन्देलखण्ड की यह प्रमुख विशेषता है कि यहां ऋतुओं के अनुसार पृथक-पृथक तीज, त्योहार, पर्व और मेले हैं।

(चैत्र मास) बसन्त ऋतु में गनगौर पूजन, नवदुर्गा, जवारों का मेला, श्रीराम (राम नवमी) तथा केशवदास के जन्मोत्सव, अछरू माता का मेला आदि प्रमुख त्योहार, पर्व और मेले है जिनका आनन्द जनता सच्चे हृदय से लेती है। (बैशास मास) ग्रीष्म ऋतु में अक्षय तृतीया और वर्षा ऋतु (ज्येष्ठ मास) में सावित्री व्रत, वनदेवी और वन देवता का पूजन, बरसात पूजन, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि प्रमुख त्योहार मनाये जाते हैं। आषाढ़ मास में कुन, धूसूँ, रथयात्रा, श्रावण मास में सावन तीज, नागपंचमी, श्रावण की घटाएं, भुजरियां अथवा कजलियां रक्षा बन्धन आदि त्योहार धूमधाम से मनाएं जाते हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका व्रत, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी आदि प्रमुख हैं। आश्विन मास में पितृ पक्ष, महालक्ष्मी, मामुलिया, सुअटा, दशहरा, शरद पूर्णिमा आदि त्योहार प्रमुख है। कार्तिक मास में धनतेरस, दीपावली, गोवरधन, राहस की पूने, कार्तिक स्नान आदि प्रमुख हैं। अगहन मास में संकटा चतुर्थी, ब्याह पंचमी, भैरव जयन्ती, पौष मास में मकर संक्रान्ति, माघ मास में बड़े गणेश, बसन्त पंचमी, शारदा पूजन तथा फागुन मास में शिवरात्रि, होलिकोत्सव, रंगपंचमी आदि त्योहार प्रमुख हैं।

बुन्देलखण्ड के मनुष्य मेलों और साप्ताहिक हाटों में अत्याधिक उल्लास के साथ भाग लेते है। वास्तव में मेले और हाट बुन्देली जनता का जीवन है। ऐसे मेलों और हाटों में कुछ देहाती छैला

इधर-उधर घूमते हुए दिखाई देते है। बालों में तिली का तेल डाले, कामदार बास्कट, जेव में मखमली बटुआ, हाथ में अलगोजा लिये हुए यहां-वहां विचरण करते फिरते है।

बुन्देलखण्ड की प्राचीन संस्कृति की घटा पवित्र तीर्थ स्थानों में देखने को मिलती है। ग्रामीण मनुष्यों का पहनावा रंगी हुयी घुटनों तक धोती, शरीर पर कुर्ता, पूरी बाहों की बण्डी या पगड़ी। स्त्रियों को पहनावा हिरमिजी रंग की धोती (कछोटा लगाए हुये) गले में चांदी की खंगोरिया, हुमेल, मूंगा का कंठिया, बांहों में बाजूबन्द, पैरों में पैजता आदि।

बुन्देलखण्ड के प्राचीन शासक और उनकी वंश परम्परा

बुन्देलखण्ड के शासक
गहरवार वंशी काशीश्वर (विन्ध्यराज की परम्परा)
हेमकर्ण बुन्देलखण्ड (गढ़ कुंडार राजधानी)
वीरभद्र
करनपाल
कम्मरशाह
शौनकदेव
नौनकदेव
मोहनसिंह
अभय
भूपति
अर्जुनपाल
सोहनपाल
रुद्रप्रताप (ओरछा)
भारती चन्द्र
मधुकरशाह
उदयादित्य
अमानदास
भूपतिशाह
चन्दनदास
प्रागदास
दुर्गादास
घनश्यामदास
वीरसिंह देव प्रथम
चम्पतराय
जुझार सिंह
छत्रपाल (पन्ना)
पहाड सिंह
भारतीचन्द्र
जगतराज
मान सिंह
पद्म सिंह
लुगासी
खुमान सिंह
गुमानसिंह
वीरसिंह
इन्द्रमणि
सुजान सिंह
इन्द्रमणि
यशवन्त सिंह
भगवन्त सिंह
उद्योत सिंह
पृथ्वी सिंह
सामन्तसिंह
हेट सिंह
मानसिंह
विक्रमाजीत
धर्मपाल
तेज सिंह
सुजान सिंह
हम्मीर सिंह
प्रताप सिंह
वीर सिंह देव द्वितीय

खण्ड (ब)
बुन्देलखण्ड में महिलाओं की स्थिति

प्राचीन भारतीय समाज में नारी का स्थान उच्च्य था। उस काल में नारी पूज्य थी। जैसा कि मनु ने वर्णन भी किया है "यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता" अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी को अर्द्धांगिनी माना गया है। प्राचीन भारत में अनेंक ऐसी नारियों ने जन्म लिया है। जिन पर समस्त नारी जाति और देश को गर्व है। भारत हृदय बुन्देलखण्ड की गरिमामयी एवं वीर प्रसविनी भूमि में भी ऐसी नारियों को जन्म दिया है। जिन्होंने बुन्देलखण्ड की संस्कृति की सुरक्षा करते हुए अपनी धर्म, परायणता, उजजवलता, वीरता कापरिचय देते हुए अपने प्राणों को तृणवत अपनी माता मही के चरणों में निछावर कर विश्व चमत्कृत कर दिया। बुन्देलखण्ड में नारी स्थिति की विवेचना से पूर्व यहां उक्त नारियों के संन्दर्भ में संक्षिप्त विवरण प्रासंगिक प्रतीत होता है।

रानी कुंवरि गणेश दे -

भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में बुन्देलखण्ड-प्राण ओरछा का नाम स्वर्णिम शब्दों में अंकित है ओरछा के महाराजा मधुकरशाह की पत्नी महारानी कुंवरि गणेश दे राम की अनन्य भक्ति के कारण इतिहास में अपना अलौकिक स्थान रखती है। मधुकरशाह कृष्ण के उपासक थे और रानी राम की उपासिका थी। वाद-विवाद के कारण रानी राम को ओरछा लाने के लिए अवध पहुँची और वहीं तपस्यारत हो गई। भक्त में लीन रानी ने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए सरयू में छलांग लगा दी। इसी बीच भगवान राम ने शिशु रूप धारण कर उनकी गोद को सुशोभित किया।

प्रवीणराय :-

बुन्देलखण्ड की आदर्श रमणीक, प्रसिद्ध नर्तकी, संगीतज्ञ, काव्य कला तथा छन्द शास्त्र मे निपुण प्रवीण राय आचार्य केशवदास की कृपा पात्र शिष्या थीं आचार्य केशव की काव्य कल्पना, सौन्दर्य की साक्षात प्रतिमा तथा कवि प्रिया प्रवीणराय बुन्देलखण्ड की प्रतिभा सम्पन्न अलौकिक देन है जो ओरछा

के राजा इन्द्रजीत सिंह के दरबार की अलौकिक नर्तकी, प्रेमिका के रूप में थी किन्तु वास्तव में वह आदर्श भारतीय रमणी थी। आचार्य केशव के शिष्यत्व में रहकर प्रवीणराय नायिका भेद के ज्ञान में पारंगत हो गई। प्रवीणराय का काव्यकला और छन्दशास्त्र की ज्ञाता थी जिसका लोहा कोई न ले पाता था।

लाल कुँवरि (सारन्धा)

बुन्देलखण्ड की आदर्श रमणी, अलौकिक वीरांगना, निर्भीक, स्वाभिमानी, देश, जाति, धर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाली, इतिहास की भयंकर कड़ी, मर्यादा पर सर्वस्व लुटाने वाली रानी लाल कुँअरि (सारन्धा) बुन्देलखण्ड की सर्वप्रथम आदर्श महिला है जिसने भारतीय इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित रखा है, और अपने बलिदान से भारत में बुन्देलखण्ड का गौरव पूर्ण स्थान बना लिया है। बुन्देलखण्ड केसरी छत्रसाल के पिता वीर चम्पतराय बुन्देला की रानी सारन्धा भी वीरांगना थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में मुगल बादशाह ने चम्पतराय को बागी घोषित कर दिया। चम्पतराय अन्त समय तक मुगलों की सेना का सामना करते रहे और जब वे आशक्त हो गये तो उन्होंने अपनी रानी लाल कुँअरि को अपने शरीर का अंत करने के लिये कटार मारने का आदेश किया। इस प्रकार लाल कुंअरि ने अपनी कटार से अपने पति का जीवन समाप्त किया और फिर उसी कटार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

महारानी विजय कुंअरि :-

बुन्देलखण्ड की वीरांगना महारानी विजय कुंवरि महाराजा महाबली छत्रसाल के पुत्र जगतराज की पत्नी थी। जिन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला कर रण के क्षेत्र में अटूट वीरता का परिचय दिया था। नवाब बंगस को ललकारा और रणचण्डी बनकर अपनी रणकुशलता का परिचय दिया। इस युद्ध में नवाब, बंगस के मंसूबे मिट्टी में मिल गये और वह बुरी तरह पराजित हुआ। इस प्रकार बुन्देलखण्ड की आदर्श वीर रमणी ने अपने रण कौशल का परिचय देकर बुन्देलखण्ड इतिहास को गौरवान्वित किया।

मनुबाई (रानी लक्ष्मीबाई) :-

महारानी लक्ष्मीबाई का नाम मनुबाई था। प्यार से लोग उन्हें छबीली कह कर पुकारते थे। बचपन से ही लक्ष्मीबाई को तलवार चलाने, शिकार खेलने, अश्वारोहण, किला घेरने, व्यूह बनाने आदि खेलों में रुचि थी। यही हठीली छबीली समय आने पर झांसी की विख्यात महारानी लक्ष्मीबाई हुई। 1857 की विप्लवी क्रांति में उसने रणचण्डी का रूप धारण किया इस क्रांति की लहर इतनी तीव्र गति से प्रवाहित हुई थी कि कुछ समय तक अंग्रेजी राज्य की नींव डगमगा गयी। यद्यपि इस स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण सफलता नहीं मिली, फिर भी लक्ष्मीबाई ने शौर्य और वीरता की अटूट साधना से भविष्य के लिये एक ऐसी प्रेरणा प्रदान की कि आगे लिये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसमें सैकड़ों नर नारी बलिदान के लिये सहर्ष तैयार हो गये। महारानी लक्ष्मीबाई महामानवी थी, अवतारी थी, तथा दुर्गा का साक्षात् स्वरूप थी।

वीरांगना झलकारी :-

स्वतंत्रता संग्राम की द्वितीय अमर सेनानी वीरांगना झलकारी महारानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र सहेली थी, जिसने महारानी के प्राणों की रक्षा के लिये लड़ते-लड़ते अपने जीवन का बलिदान दिया। झलकारी के पति का नाम पूरन था, वह गंगाधर राव के राज दरबारी थे। झलकारी का चेहरा बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता था। झलकारी भी रानी के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। सामाजिक होने के साथ-साथ झलकारी में वीरता के तत्वों का भी समावेश था। महारानी के नेतृत्व में उसने सफल सैनिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी, और इसी का परिणाम था कि वह व्यायाम, मलखम्ब, तीर, पटा, बनैती, बन्दूक चलाना तथा घोड़े की सवारी करना आदि कार्यों में पूर्ण रूप से निपुण बन चुकी थी। सैनिक शिक्षा में पूर्ण रूप से पारंगत होकर वीरांगना झलकारी ने 1857 की क्रांति में रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकार पूर्णरूप से सहयोग प्रदान किया था।

उक्त नारियों के विवरण से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड में नारियों का अतीत गौरवपूर्ण था जिन्होंने

बुन्देलखण्ड ही नहीं वरन् भारत वर्ष को गौरवान्वित किया। परन्तु उपरोक्त वीरांगनाएं राजघराने से संबंधित थी। आम नारी की स्थिति संपूर्ण भारत की नारियों की स्थिति से जुदा नहीं थी। यद्यपि देश आजाद हुआ परन्तु अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां प्रगति एवं विकास की गति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम रही। वर्तमान काल में देखें तो यहां महिला साक्षरता अत्यन्त कम तथा नारी की दशा अत्यन्त निम्न है। इसका कारण यहां की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक कारक है यहां परम्पराओं एवं प्रथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। फलस्वरूप विकास को बढ़ावा नहीं मिल सका। बुन्देलखण्ड में नारी स्थिति की विवेचना को निम्न खण्डों में विभाजित कर जाना जा सकता है :-

(1) सामाजिक स्थिति :-

भारत का हृदय बुन्देलखण्ड वीरों की भूमि है इस भूमि ने अनेक वीर नारियों को जन्म दिया है। उसी भूमि में आज नारी की सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है यहां इस क्षेत्र में नारी को मात्र गृहणी का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यों से उसका कोई सरोकार नहीं है। यहां नारी की सामाजिक स्थिति जातिगत आधारों पर भिन्न-भिन्न है। यहां की प्रभु जातियाों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, और राजपूत प्रमुख है। क्षत्रिय सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में फैले हुए हैं। अन्य जनपद की अपेक्षा जालौन जनपद में क्षत्रियों की नारियों की सामाजिक स्थिति तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ है। जबकि बांदा, हमीरपुर, और महोबा जनपदों में खासकर बगरी जाति के क्षत्रियों की नारियों की उम्र चहार दीवारी के भीतर पर्दे में कट जाती है। हालांकि शिक्षा का प्रभाव इन क्षेत्रों पर भी दिखलाई पड़ता है। अन्य जातियों की तुलना में बुन्देलखण्ड में ब्राह्मण जाति में नारियों की सामाजिक प्रस्थिति उच्च्व है। उन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने की छूट है यादव, कुर्मी जो यहां की प्रमुख प्रभु जातियां है। इन जातियों में भी महिलाएं बच्चों के लालन पालन और कृषि कार्यों तक सीमित है। इसी प्रकार हमीरपुर जनपद में राजपूत जाति की महिलाओं में भी कमोवेश यही स्थिति है। निम्न या अनुसूचित जाति की महिलाओं में उनकी जाति के क्रम में अन्य जातियों की अपेक्षा सामाजिक स्थिति उच्च्व है इनकों जाति

कार्यों के साथ-साथ अन्य सामाजिक कार्यों को करने की छूट है तथा महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के द्वारा लिये जाते हैं।

बुन्देलखण्ड में बुन्देली जनता की संयुक्त परिवार प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक पिता के पुत्र तथा उनके परिवार संयुक्त रूप से रहते है और पिता का शासन तथा संरक्षण होता है। वर्तमान समय में अलग-अलग रहने की भावना अथवा एकांगी परिवार प्रणाली का बोलबाला बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित होने के कारण परिवार का मुखिया पुरुष होता है। जिसका निर्णय सर्वामान्य होता है। प्रायः महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण नारियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नही होती है।

बुन्देलखण्ड में बुन्देली समाज तथा हिन्दू समाज में आदर्श विवाह प्रणाली आज भी प्रचलित है। इसके अन्तर्गत माता-पिता के संरक्षण में कन्या का विवाह योग्य वर चुनकर ही किया जाता है। परिवार तथा रिश्तेदारों और सगे सम्बन्धियों की उपस्थिति में विभिन्न संस्कारों द्वारा कन्यादान किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में प्रायः वर-वधु की सहमति आवश्यक नहीं होती। इस प्रकार का विवाह उच्च्व जातियों में होता है। एक अन्य विवाह प्रथा भी निम्न जातियों में प्रचलित है। इसके अन्तर्गत कन्या मूल्य लेकर कन्या का विवाह किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है जो उसका मूल्य चुकाता है। इस प्रकार का विवाह एक प्रकार की खरीद फरोख्त हुई जिसमें कन्या को वस्तु मानकर उसका मूल्य लिया जाता है। बुन्देलखण्ड में विवाह की एक प्रमुख विशेषता है यहां वर-वधु की सहमति आवश्यक नहीं मानी जाती है। अतः यहां प्रायः बेमेल विवाह प्रचलन में है। पूर्व में पिछड़ी और निम्न जातियों में अल्पायु में विवाह कर देने की प्रथा प्रचलित थी वर्तमान में शिक्षा का प्रचार प्रसार और जागरूकता के कारण कम आयु में विवाह कम हुये है। आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या दहेज प्रथा है जिसके कारण लड़कियों को अभिशाप माना जाने लगा है। दहेज की मोटी रकम जुटा पाने में असमर्थ पिता अपनी पुत्री को अयोग्य वर के साथ विदा कर देता है। दहेज प्रथा के कारण उच्च्व जातियों एवं घरानों में भी स्त्रियां उत्पीड़न का शिकार होती हैं।

बुन्देलखण्ड में भाई बहन के रिश्ते को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और रक्षाबन्धन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लडकियां ससुराल से मायके आकर अपने भाइयों को रखी बांधती है। बहन के रूप में यहां लड़कियों का बहुत अधिक सम्मान होता है। यहां भाई द्वारा बहन को भात देने की प्रथा प्रचलित है। इसी के पश्चात देवी-देवता को आमंत्रित करते हुए विवाह सम्पन्न होता है। इसके पीछे हरदौल और कुंजा की कहानी प्रचलित है। जिसमें मृत्यु के उपरान्त धर्मवीर हरदौल अपनी बहन कुंजा को भात देने मंडप के दिन पहुंचता है।

बुन्देलखण्ड में नारी की निम्न सामाजिक स्थिति के पीछे यहां का सामाजिक पिछड़ापन एवं कुप्रथाएं हैं। यहां शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय है विशेषकर महिला शिक्षा पूर्व में तो लड़कियों को शिक्षा दिलाना बुरा समझा जाता रहा है। यहाँ यह माना जाता रहा है कि लड़कियों को पराए घर जाना है। अतः शिक्षा दिलाना आवश्यक नहीं है। नारी की निम्न स्थिति के पीछे बहुत हद तक यहां की कुप्रथाएं भी जिम्मेदार है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा आदि ऐसी कुप्रथाएं है। जिन्होंने नारियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। पर्दा प्रथा के कारण नारियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। दहेज प्रथा के कारण नारियों का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न होता हैं बाल विवाह एवं अनमेल विवाह के फलस्वरूप अनेक स्त्रियां नरकीय जिन्दगी जीने को मजबूर होती है।

(2) आर्थिक स्थिति -

बुन्देलखण्ड क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी कृषि कार्यो तक ही सीमित है। उत्पादन मे महिलाओं का सहयोग लिया जाता है। परन्तु उपभोग के समस्त प्रतिमान पुरुष ही तय करते है। इस दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं है। महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलापों में संलिप्तता को भी जातिगत आधारों पर देखा जा सकता है। जहां उच्च जातियों विशेषकर क्षत्रियों में महिलाओं को कृषि कार्यो में या आर्थिक क्रियाकलापों से भी दूर रखा जाता है। इनमें महिलाओं से कार्य कराना हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि पिछड़ी

जातियों-यादवों, कुर्मियों एवं राजपूतों की महिलायें कृषि कार्यो में योगदान देती है। कहीं-कहीं तो निराई-गुड़ाई, कटाई का सम्पूर्ण कार्य महिलाओं के हिस्से में ही होता है। निम्न या अनुसूचित अनुजातियों की महिलाएं प्रायः मजदूरी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड में महिलाओं का उत्पादन में तो योगदान होता है, परन्तु स्त्री अपनी मर्जी से व्यय करने को स्वतन्त्र नहीं है।

वर्तमान दौर में मंहगाई बढ़ी है। जागरूकता एवं समय की मांग के अनुसार बुन्देलखण्ड में भी महिलाएं तेजी से कृषि कार्यो के इतर अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न हो रही हैं विशेषकर नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। आज जब महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के बराबर है तब बुन्देलखण्ड में भी इसका प्रभाव नजर आता हैं आज बुन्देलखण्ड में भी नारी, नौकरी व्यवसाय आदि आर्थिक क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक भागीदारी कर रही है। सेवाओं में भी जातीय कारक प्रभावी है। उच्च जातियों में जहां ब्राह्मणों, कायस्थों एवं वैश्यों की महिलाएं तेजी से घर के चहार दीवारी से निकलकर सेवाओं एवं व्यवसायों में भागीदारी कर रही है। वहीं आज भी क्षत्रिय समाज पूरी तरह रुढ़ियों में जकड़ा हुआ है। इस समाज में आज भी महिलाओं से घर के बाहर नौकरी कराना बुरा एवं प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना जाता हैं इसी प्रकार निम्न या अनुसूचित जातियों में भी आरक्षण एवं राजनीतिक चेतना के परिणामस्वरूप जागरूकता में वृद्धि हुई है और महिलाएं कार्यालयों में जाने लगी है। परन्तु पिछड़ी जातियों में संख्या के अनुपात में प्रतिशत कम है फिर भी परितर्वन तो सर्वत्र दिखलाई पड़ता है।

महिलाएं नौकरियों में विशेषकर शिक्षक पद को विशेष प्राथमिकता देती दिखलाई पड़ती है। अन्य संवर्गो की अपेक्षा बुन्देलखण्ड में अधिकांश महिलाएं शिक्षक है। हालांकि आज विभिन्न कार्यालयों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में महिलाएं दिखलाई पड़ती है जो इस बात को उजागर करता है कि इस क्षेत्र में भी महिलाएं आर्थिक क्रियाकलापों में भाग ले रही है। विद्वानों का मानना है कि महिलाओं के उत्थान

के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता अत्यन्त आवश्यक है। यह तभी संभव है जब महिलाएं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को अपनाए। आर्थिक आत्म निर्भरता से ही महिलाएं अपनी इच्छानुसार व्यय करने को स्वतन्त्र होगी। यह तभी संभव है जब समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोंच उत्पन्न हो। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है शिक्षा। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा मार्ग है जो प्रगति के समस्त मार्गो को खोलता है। इधर एक दशक से बुन्देलखण्ड में भी लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास तेज हुए है। फलस्वरूप लड़कियां पढ़लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से आज बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा सुदृढ़ हुई है। परन्तु क्षेत्र समाज, एवं देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि यहां कि महिलाएं भी पूर्ण रूप से आर्थिक आत्म निर्भर बने एवं स्वयं उत्पादन एवं उपभोग के लिए स्वतन्त्र हो सके।

(3) राजनैतिक स्थिति :-

किसी भी देश, समाज या व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति को राजनीतिक प्रभाव-कारिता, राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक सहभागिता के आधार पर समझा जा सकता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को भी इन्हीं आधारों पर समझा जा सकता है।

यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करे तो पाते है कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई, लाल कुंअरि, विजय कुंवरि आदि ऐसी नारियां थी जिन्होंने राजनीति में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया परन्तु ये उदाहरण सम्पूर्ण नारी या बुन्देलखण्ड की समस्त नारियों के प्रतिबिम्ब नहीं हो सकते। वास्तविकता तो यह है कि प्राचीन काल और वर्तमान काल में भी बुन्देलखण्ड में नारियों की राजनैतिक स्थिति लगभग शून्य है। पूर्व में नारियों को राजनीतिक क्रियाकलापों के निर्णयों से पूर्णतः विलग रखा जाता था। यही कारण है कि वर्तमान में भी इस क्षेत्र से कोई महिला विधायक या सांसद नहीं है। आज जबकि सम्पूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं राजनीति में सफलतापूर्वक कदम रख रही है। वहीं इस क्षेत्र से राजनीति में महिलाओं की भागेदारी नगण्य रही है। यदि पंचायतों को छोड़ दिया जाय तो यहां से नारी की राजनीति में भागेदारी लगभग शून्य ही है।

73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के कारण पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है परिणाम स्वरूप महिलाएं पंचायतों में चुनकर आ रही है। उनका राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। इस दृष्टि से यहां भी महिलाओं की राजनीति मे भागेदारी बढ़ी हैं बाँदा जनपद से कृष्णा पटेल, चित्रकूट से उजरिया देवी आदि का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना इसी का एक उदाहरण है। परन्तु पंचायतों में भागेदारी से महिलाओं की राजनीतिक चेतना में कितनी वृद्धि हुई है, यह प्रश्न अभी अनुत्तरीय है। 'राजनीतिक प्रभाविता भावना' वह भावना है जिसमे व्यक्ति को यह, अहसास होता है कि वह भी देश के विकास मे अपना योगदान दे सकता है। राजनीतिक प्रभाविता भावना ही राजनीतिक चेतना को जन्म देती है और राजनीतिक चेतना से ही राजनीतिक भागेदारी बढ़ती है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं में राजनीतिक प्रत्ययों के संदर्भ में रोचक तथ्य दिखलाई पड़ते है। यहां की उच्च्य जाति की महिलाओं में राजनीतिक चेतना तो दिखलाई पड़ती है परन्तु राजनीतिक सहभागिता की कमी दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं में चेतना की कमी होने के बावजूद राजनीतिक सहभागिता अधिक है। इसका कारण जातियों का राजनीतिक समाजीकरण का भिन्न होना हो सकता है।

बुन्देलखण्उ क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को राजनीतिक निर्णयों की दृष्टि से देखा जाय तो यह लगभग शून्य ही है। चूंकि बुन्देली समाज परंपरागत संयुक्त प्रणाली पर आधारित समाज है और संयुक्त परिवार की विशेषता के अनुसार परिवार के समस्त निर्णय पुरुषों या परिवार के मुखिया द्वारा ही लिये जाते है। इस दृष्टि से आज भी इस क्षेत्र में महिलाओं को अपनी मर्जी से मत डालने का भी अधिकार नहीं है। वे अपने मत का प्रयोग पति या परिवार के प्रमुख पुरुष सदस्य के आधार पर ही करती है। इसी प्रकार चुनाव लड़ने या न लड़ने का निर्णय महिला का अपना नहीं होता। प्रतिनिधि बनने के बाद भी महिला अपनी मर्जी से राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकती। वह एक कठपुतली की तरह होती है जबकि समस्त राजनीतिक क्रियाकलापों को उसके परिवारिक सदस्य ही संचालित करते है।

हालांकित महिला आन्दोलनों शिक्षा एवं संचार के प्रभाव स्वरूप आज यहां भी महिलाएं इन्दिरा गॉधी, सुषमा स्वराज, मायावती, जयललिता आदि के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, वे भी सक्रिय राजनीति से जुड़कर देश सेवा करना चाहती है, यही कारण है कि आज इस क्षेत्र में भी महिलाएं राजनीतिक संगठनों से जुड़ रही है। साथ ही राजनीति के प्रत्येक स्तर में भागेदारी के लिए तैयार है।

(4) सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति :-

बुन्देली संस्कृति का भारतीय समाज में एक विशिष्ट स्थान है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए सम्पूर्ण देश में अलग पहचान बनाए हुए है। बुन्देलखण्ड की जनता अधिक धार्मिक और

तीज त्यौहार, पर्व और मेलों में आस्था रखती है और सच्चे हृदय से इनमें विश्वास करती है। बुन्देलखण्ड की यह प्रमुख विशेषता है कि यहां ऋतुओं के अनुसार पृथक-पृथक तीज त्यौहार,पर्व और मेले हैं। पर्वो में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। सम्पूर्ण देश के तुलनात्मक दृष्टि से बुन्देलखण्ड में नारियों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति अधिक समृद्ध है। त्यौहारों में पूजा का आयोजन, मेलों में महिलाओं की संख्या तथा धार्मिक कृत्यों में नारियों की संलिप्तता यहां की नारियों की उच्च सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। यहां के प्रमुख त्यौहार, पर्व और मेले जिसमे स्त्रियां प्रमुख रूप से भाग लेती है निम्न है -

चैत्र मास, बसन्त ऋतु में गनगौर पूजन, नवदुर्गा, जवारों का मेला, राम नवमी प्रमुख है। वैशाख मास, ग्रीष्म ऋतु मे अक्षय तृतीय और वर्षा ऋतु, ज्येष्ठ मास के तीज त्यौहारों में सावित्री व्रत, वनदेवी और वन देवता का पूजन, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशमी, आषाढ़ मास में कुलधुसू, रथयात्रा आदि, श्रावण मास में सावन तीज, नाग पंचमी, श्रावण की घटाएं, मुजारियां अथवा कजलियां, रक्षाबंधन आदि धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका व्रत, गणेश, चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी आदि प्रमुख हैं । अगहन में संकटा चतुर्थी, व्याह पंचमी, भैरव जयंती आदि पौषमास में मकर संक्रान्ति, माघ मास में बड़े गणेश, बसंत पंचमी, शारदा पूजन, फाल्गुन मास में शिवरात्रि, होलिकोत्सव, रंगपंचमी आदि त्यौहार एवं पर्व प्रमुख है, जिनमें महिलाएं बढ़चढ़कर हिस्सा लेती है।

इसी प्रकार मेले और हाट बुन्देली जनता का जीवन है महिलाएं इन्हीं अवसरों पर समूह मे खरीददारी एवं मनोरंजन के लिए घर से बाहर निकलती है। मेलों और हाट में महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, सौन्दर्य प्रसाधन तथा बच्चों के खिलौने आदि खरीदती है। मेलों में बुन्देली जनता की एकता और समरसता और जीवन का आनन्द मय पक्ष परिलक्षित होता है।

धार्मिक कृत्यों में हालांकि समस्त अनुष्ठान, एवं कर्मकांड पुरुषों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं,

परन्तु महिलाएं भी पति एवं पुत्रों की रक्षा की कामना हेतु व्रतों को रखकर तथा अन्य अनुष्ठानों को पूर्णकर अपनी ममतामयी एवं पतिव्रता की छवि को प्रदर्शित करती है। बहुत से धार्मिक अनुष्ठान पति और पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण करते है। महिलाएं पुरुषों के साथ ही पुरुषों की भांति हवन यज्ञ में भी भाग लेती है। इस प्रकार क्षेत्र में महिलाओं की धार्मिक स्थिति प्रमुख तो नहीं, परन्तु उच्च अवश्य है। इसका कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति हो सकती है। इस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में चित्रकूट जहां हर अमावस्या को बड़ी तादात में पुरुष एवं स्त्रियां दर्शन हेतु जाते है। इसी प्रकार ओरछा के मन्दिर आदि प्रसिद्ध है।

यहां की महिलाएं विभिन्न मौकों पर तमाम तरह की सांसकृतिक गतिविधियां आयोजित करती रहती है। विभिन्न प्रकार के स्वांग, लड़का होने पर चंगेलिया, सोहर, नाच, गाना बजाना यहां की महिलाओं के जीवन में रंग भर देते है। साधारणतया बुन्देली समाज पुरुष प्रधान समाज हे। जहां हर क्षेत्र में पुरुषों को एकाधिकार है, परन्तु पर्व, तीज त्यौहारों में महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिलती है। जो उनकी विशिष्ट संस्कृति एवं धार्मिक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े होने के बावजूद आज विकास के पथ पर अग्रसर है। भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारकों के कारण यहां विकास का पहिया देर से घूमा जिसका परिणाम यहां के सामाजिक, आर्थिक जीवन पर पड़ा और इससे सर्वाधिक यहां की महिलाएं प्रभावित रही है। शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव एवं विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं ने यहां की महिलाओं को अन्य क्षेत्रों की महिलाओं से अलग कर दिया। परिणामतः यहां महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय होती चली गई। इसके पीछे यहां के पुरुषों को झूठा दम्भ भी रहा जिन्होंने महिलाओं के बाहर निकलने पर परिवार की इज्जत जाने के बहाने बनाकर महिलाओं को हमेशा गुलाम की भांति रखा। आज जबकि परिवर्तन की बयार सर्वत्र बह रही है तो भी यहां पर कई ऐसे समूह आज भी है जो अपनी पुरानी परिपाटी को बचाने के नाम पर आज भी महिलाओं को घर से बाहर

नहीं निकलने देना चाहते, फलतः ये समूह आज भी अन्य समूहों से काफी पीछे पिछड़े हुए है। क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि बिना महिला के विकास के कोई भी राष्ट्र, समाज या समूह प्रगति नहीं कर सकता है। सम्भवतः यह तथ्य अब इस क्षेत्र के निवासियों को समझ में आने लगा है। इसी कारण आज इस क्षेत्र में भी महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ चलने का दावा कर रही है। आज इस क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। राजनीतिक क्षेत्र मे भी महिलाएं आगे आयी है। अब वे निःसंकोच राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रही है। आर्थिक क्षेत्र में यहां की महिलाएं कृषि से लेकर अन्य क्षेत्रों मे भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही हैं सांस्कृतिक या धार्मिक कृत्यों में तो वे सदैव से आगे रही है।

इस प्रकार यहां की महिलाओं में ये परिवर्तन एक सुखद भविष्य का आभास कराते है। जब यहां की महिलाएं भी शिक्षित, सबल, आत्मनिर्भर हो जायेगी।

चतुर्थ अध्याय

महिला मुक्ति आन्दोलन

- भारत में नारी मुक्ति आन्दोलन
- समानता की खोज
- पुरुष-स्त्री सम्बन्ध
- व्यक्ति के रूप में स्त्रियों की पहचान
- समाज सुधार आन्दोलन
- स्त्रियां एवं स्वैच्छिक संगठन

अध्याय-4

महिला मुक्ति आंदोलन

बीसवीं शताब्दी को 'महिला जागरण युग' के नाम से संबोधित किया गया है। चतुर्दिक महिला संगठनों द्वारा आंदोलन किए जा रहे है। उनकी योगो की मुख्यतः दो दिशाऐं रही है। आर्थिक स्वतंत्रता एवं परिवार में सुरक्षित स्थिति। 1975 का वर्ष नारी जागरण को समर्पित था जिसे 'अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में संबोधन मिला। उस वर्ष विशेष रूप से परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण सम्बन्धी योजनाऐ चलायी गयी। किन्तु स्त्रियों की दशा पूर्ववत् असुरक्षित बनी हुई है, विशेषतः विकासशील देशो में जहां की स्त्रियों को अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताओं एवं नियोग्यताओं का शिकार होना पड़ता है। स्त्रियों कों संविधान प्रदत्त सामाजिक अधिकारों का लाभ मिला है भारत तथा अन्य लगभग सभी देशो में जिसके फलस्वरूप उनमे प्रस्थित अर्जन के बारे में जागरूकता आयी। इसके कारण एक ओर वे अधिकार पाकर अधिकार के साथ जुड़े उत्तरदायित्व से भटक गयी, दूसरी ओर परम्परागत श्रेष्टता की भावना के आघात लगने से पुरुष का अहम् नारी की इस प्रगति को एकाएक पचा नहीं पाया। इसलिए दूसरी लड़ाई अभी शेष है वह है सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय को दूर करने की लड़ाई।

नवजागरण आन्दोलन की भांति 'नारी मुक्ति आन्दोलन' का जन्म भी पश्चिमी देशो में हुआ। वहॉ इसका प्रस्फुटव वासनात्मक शोषण की अधिकता से उत्पन्न सामाजिक विकृतियों के विरूद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। पश्चिमी नारियों की सामाजिक दशा भी अत्यंत शोचनीय रही। वहां वह प्रेयसी तथा पत्नी पहले बाद में माँ रही है। इस प्रकार उसका अस्तित्व वासना तृप्ति के साधन तक सिमट कर रह गया था। इसलिए वहां कृत्रिम विधियों में सौन्दर्य-साधना और सौन्दर्य प्रसाधनों का तकनीकि ढंग से खूब विस्तार हुआ, इतना कि स्त्री का अपने ही शरीर पर जैसे अधिकार समाप्त हो गया था। देह साधना, ओर देह भोग के इस अतिरेक के फलस्वरुप आई सामाजिक विकृतियों के प्रति विद्रोह के

रुप में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मान्यता के लिए वहां नारी मुक्ति आन्दोलन ने जन्म लिया।

क्रांति की प्रेरणा श्रोत सीमोन द बूआ की वहुचर्चित एवं विवादास्पद पुस्तक 'द सेकेण्ड' सैक्स बनी जिसने बड़े-बड़े विचारको को भी इस दिशा में चिन्तन करने को बाध्य किया इसी प्रकार की दूसरी पुस्तक बेट्टी फाइडन की 'द फेमिनिन मिस्टिक' थी। जिसमें दिखलाया गया था कि किस प्रकार समाज के पुरूष वर्चस्व ने मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण स्त्रियों को काम पूर्ति का साधन बनने के लिए बाध्य किया है पत्नी, गृहणी तथा माँ की स्वानुभूतियों के आधार पर फाइडन ने स्त्रियों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है। उसने प्रश्नावली के माध्यम से स्त्रियों की अस्मिता से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से उनकी व्यवस्था को जानने का प्रयास किया तथा महिला स्वातंत्र्य आंदोलन की अग्रणी संस्था ''नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बुमेन'' की 1966 में स्थापना की बाद में अनेक महिला संगठनो ने इसकी सहायता की 26 अगस्त 1970 को अमरीकी स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त होने की पचांसवी वर्ष गॉठ के अवसर पर अमेरिका के अनेक नगरो में स्त्रियों के प्रदर्शन हुए। 16 से 80 तक की आयु वर्ग की स्त्रियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। उनके नारे थे-'हमे आजाद करो.........हमें पुरूषों के बराबर अधिकार दो............हमारे साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का व्यवहार बन्द करो..............पुरूषो के बराबर नौकरियां और समान काम के लिए समान वेतन है...........हम अपने शरीर पर अपना अधिकार चाहती है.............माँ बनने, गर्भ न रखने या गर्भपात कराने की हमे स्वंतत्रता होनी चाहिए........ ....लैगिंक भेदभाव बन्द करो............स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आदि। उन्होंने प्रसाधान सामग्रियों तथा भीतरी वस्त्रों का बहिष्कार किया, होलियां जलायी।

महिला आन्दोलन के द्वितीय चरण में केट मिलेट लिखित 'सेक्सुअल पालिटिक्स' तथा जर्मन ग्रीअर लिखित 'फीमेल युनिक' आदि पुस्तकें आयी। मिलेट की पुस्तक में पुरूष प्रधान समाज के विरोध में यौन क्रांति का आह्वान मिलता है। तो मुक्त सेक्स तथा लेस्वियन की वकालत। ग्रीअर की पुस्तक क्रांति की उद्घोषिका है। उसका उदघोष था, हमें क्रांति लानी है, कोई सुधारवादी आन्दोलन नहीं चलाना है। इन पुस्तकों ने जहॉ एक ओर नारी जागृति में सराहनीय योगदान किया वही इनकी

अतिवादिता ने पुरूष विरोधी संगठनों को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप 'सोसायटी फार कंटिग अप मैन' जैसी संस्थाएं उत्पन्न हुई। ऐसे ही संगठनों न केट मिलेट को नारी स्वातंत्र्य आन्दोलन की माओत्सेतुंग की संज्ञा से विभूषित किया, और शुरू हो गया स्त्री पुरुषों के बीच शीत युद्ध, मानों क्रान्ति की गंगा में शैवाल उत्पन्न हो गए हो। एक और आन्दोलनकारी स्त्रियों ने फ्रायड़, टायगर, लारेंस तथा नार्मन मेलर साहित्य की आलोचना शुरू की तो दूसरी ओर टायगर, मेलर ने आन्दोलनकारियों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। टाइगर ने नारी मुक्ति आन्दोलन को ''पार्नोग्राफी पर आधारित कल्पना की संज्ञा दी।

समय समय पर अनेक पुस्तकों के प्रकाशन से स्त्रियों की प्रस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। ''न्यू पोर्तगीज लैटर्स'' नामक पुस्तक की लेखिका त्रयो ने पुर्तगाल में स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार सुसन ब्राउन, मिलर ने 'अगेन्सर आवर बिल' नामक पुस्तिका में बलात्कार के इतिवृत्तात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला है। इस चुनौती के प्रत्युत्तर सदृश भी कुछ पुस्तकें आयी। मैराबले मार्गन की पुस्तक 'दी टोटल वोमेन' स्वानुभूति पर आधारित है। ठीक उसी तरह बेद्दीफाइडन की पुस्तक ''द फेमिनिक मिस्टिक', श्रीमती मार्गन महिला मुक्ति का विरोध नहीं करतीं किन्तु वे यह भी कहती है कि स्त्रियों को अपनी प्रस्थिति का ज्ञान होना चाहिए तथा सुखी दाम्पत्य जीवन पति-पत्नि के परस्पर व्यवहार पर निर्भर करता है।

इस प्रकार के अन्दोलन से उत्पन्न जागृति के कुछ व्यवहारिक परिणाम सामने आए। स्त्री पुरूष सम्बन्धों में थोड़ा परिवर्तन नज़र आता है स्वीडन में तो पिता की नई भूमिका से सम्बन्धित अधिनियम भी पारित हुए, जिनके अन्तर्गत पति-पत्नि दोनों प्रसवकालीन अवकाश का लाभ ले सकते है। दोनों कुल सात माह का सवेतनिक अवकाश ले सकते है किन्तु व्यवहारिक स्तर पर केवल 2% पतियो ने ही ऐसी छुट्टियों का उपयोग किया, ऐसा सर्वक्षणों से ज्ञात होता है। साथ ही इस संबंध में प्रकाशित नवीनतम पुस्तको में प्रेम की पुर्नवापसी पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार प्रतिरोधात्मक आन्दोलन का स्वरूप लेता जा रहा हैं। डोरोथी तेनोव तथा हेट फील्ड ने अपने अनुसंधान में प्रेम के लिए 'लियरेंस' शब्द का प्रयोग किया है अर्थात् वहीं रोमियों जूलियट, हीर -रांझा वाला पुराना रोमानी प्रेम, वैसे ही

लक्षण और परिणाम यानि प्रेम मरा नहीं जिंदा है। सेक्स की अति से लौटकर लोग फिर इधर ही आएगे।

भारत में नारी मुक्ति आन्दोलन :-

भारत तथा अन्य देशो में पुरूष प्रधान समाज ने स्त्रियों को एक वस्तु मानकर उनके साथ व्यवहार किया। लेकिन पुरूषों और स्त्रियों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विभेदों का सामान्य प्रतिमान नहीं हैं। भारत में यौन आधारित चेतना की उत्पत्ति मध्यम वर्गा के प्रादुर्भाव और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्ष गुजर जाने के बाद और अनेक महिला संगठनों द्वारा चलाए गए महिला उत्थान के बहुत से आन्दोलन के बावजूद पुरूषतंत्र बहुत सुदृढ़ है। यौन नैतिकताओं का जाति और वर्ग समूहों पर प्रत्यक्ष रुप से प्रभाव है। परिवार में स्त्री अपने सास, ससुर यहां तक कि अपने पति द्वारा दलित की तरह समझी जाती है। स्त्रियों की स्थिति, ग्रहण लगने वाली स्थिति है यह बात उन सब जातियों और वंशों के परिवारों की स्त्रियों के बारे में सही है जिन पर आज सामन्तवाद का प्रभाव है या जिनकी जीवन प्रणाली और मूल्य सामन्ती है। गॉवो में नव घनाढ्य लोगों ने स्त्रियों पर उच्च्य शिक्षा ग्रहण करने, प्रवसन और नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा रखे है। सही बात तो यह है कि पुरुषो और उनके द्वारा निर्मित वातावरण ने स्त्रियों को पराधीन बना दिया है। भारत में नारी मुक्ति आंदोलन का प्रारंभ नवजागरण काल में ही हो गया था। जिसके उन्नायक राजाराम मोहन राय तथा अन्य सुधारक थे। भारत में नारी मुक्ति आंदोलन को हम समानता की खोज, पुरूष स्त्री संबंध तथा व्यक्ति के रुप में स्त्री की पहचान में महिला संगठनों की भूमिका, सामाजिक आन्दोलन की भूमिका के रूप में विश्लेषित कर सकते है।

समानता की खोज :-

स्त्री द्वारा पुरुष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिक तथ्य बन चुकी है। इस मांग के कारण महिला आन्दोलन नारी वर्गीय कार्यक्रमों और संगठनों का जन्म हुआ है। नारीवाद की उत्पत्ति संपूर्ण संसार में सामाजिक संरचना के रूप में हुई है। पुरूष और स्त्री में असमनाताएं और स्त्रियों के

प्रति भेदभाव आदि की कठिनाइयां सदियों से चली आ रही समस्याएं है। वहुत लम्बे समय तक स्त्रियां घरों की चारदीवारी के भीतर रही हैं पुरुषों पर वे पूर्ण रूप से निर्भर थी। शिक्षित महिलाओं ने घर से बाहर रोजगार करने की आवश्यकता महसूस की। विगत कुछ वर्षो से माध्यमवर्गीय महिलाओं ने कीमतों में निरन्तर बढ़ोत्तरी के प्रश्न को उठाया है और भारत के विभिन्न शहरों में कीमत वृद्धि विरोधी आन्दोलन शुरू किए है। घर के भीतर भी स्त्रियों ने पुरूषों के साथ समानता की मांग की है। जो वस्तुएँ पुरूषों को प्राप्त होती है उनकी मांग स्त्रियों ने भी की है। पुरुषों के साथ स्त्रियों की समानता प्राप्त करने की मांग पुरुषों के निरंकुश अधिपत्य की अवधारणा का द्योतक है।

स्त्रियों को अपने उत्थान के लिए एक स्वतंत्र मार्ग अपनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। स्त्रियां वर्तमान में इस कठोर पितृसन्तात्मक समाज में समानता प्राप्त करना चाहती है। परिवर्तन के लिए वे सही उपाय अपनाना चाहती है जो पुरूष सदियों से स्वयं के लिए अपनाते रहे है। मुख्य प्रश्न यह है, कि स्त्रियां पुरूषो के पद चिन्हों पर क्यों चलना चाहती है ? हमारा अनुभव यह है कि कामकाजी स्त्रियां अपने आप पर स्वतंत्र रुप से व्यय करने के स्थान पर अपनी आय सास और पति को देती है। इसी से पता चलता है कि पितृसान्तात्मक मानकों की जड़ बहुत गहरी है। आज स्त्रियों के लिए पुरुषों के सम्मान परिस्थिति और समाज के सब सदस्यों के समान सम्मानित जीवन प्राप्त करने के लिए महिला संगठनों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञों ने कीमत वृद्धि, दहेज, बलात्कार और शोषण इत्यादि के मुद्दों को उठाया है। स्त्रियों ने पुलिस और ऐसी ही अन्य सेवाओं में अपने हिस्से की मांग की है। महिला संगठनो ने विशेषकर शहरी क्षेत्रों में यौन समानता के लिए चेतना की भावना उत्पन्न की है।

सन् 1960 और 1970 के दशकों में महिलाओं की इन बड़ी समस्याओं के परिणामस्वरूप अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष दिवस, स्त्रियों के बारे में सभाएं, गोष्ठियां और अध्ययन हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित किए गए है। इन संगठनों और समितियों ने भारत के संविधान में प्रदत्त स्त्री और पुरूष की समानता के प्रावधान के बारे में प्रचार किया है। भारत सरकार में 1971 में स्त्रियों की प्रस्थित

के बारे में एक समिति नियुक्ति की थी। समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की रिपोर्ट का सर्वत्र स्वागत किया गया। स्त्रियों के अध्ययन का एक अखिल भारतीय संगठन है। दिल्ली, बम्वई, और अन्य नगरों के बलात्कार, दहेज मृत्यु और स्त्री हत्या के विरूद्ध प्रदर्शन जुलूस और हड़ताल एक आम बात बन गई है। उच्च्य जागृत वर्ग के जमींदार साहूकार पुलिस कर्मी, सहकारी कार्यकर्ता और कुख्यात समाज विरोधी तत्व प्रायः बलात्कार करते है। शहरों में शहरी मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च्य जाति के आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों में दहेज एक प्रकार से लड़के का मोल तोल करने का रिवाज बन चुका है। दहेज मृत्यु, हत्या और धन खसोटने के कारण लड़कियों के माता पिता और स्वयं लड़कियों को बेइज्जती और अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ता है।

आन्द्रे बेतेई ने कृषक परिवारो में स्त्री की स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए है बेतेई का प्रश्न है- "उन परिवारो के स्त्री के बारे में हमारा क्या मत है जिनमें पुरूष खेतो पर काम करते है परन्तु परिवार के रिवाज के अनुसार स्त्रियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है ?" उच्च्य जातियों के परिवारों में ऐसा पाया जाता है, यहां तक कि मध्यम और निम्न जाति के कुछ परिवार जो आर्थिक दृष्टि से बेहतर हो गए है, उन्होने इस मानक को इस उद्देश्य से अपनाया है ताकि ग्रामीण समुदाय में उनकी सामाजिक परिस्थिति उच्च्य हो सके। लेकिन इसका यह अर्थ नही है कि ऐसी महिलाओं को अनेक परिवारों में बराबरी का दर्जा दे दिया गया है।

पुरुष स्त्री संबध :-

क्या पुरुषों से स्वतंत्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति हो सकती है ? वैचारिक दृष्टि से हो सकती है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से नहीं। मीनाक्षी मुखर्जी ने ठीक ही कहा है कि "एक पुरूष की अपेक्षा एक स्त्री के लिए सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है।" सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वयं और अन्य लोगों के द्वारा पुरुषो के साथ एक पुत्री, एक पत्नी और एक मां के रुप में की जाती है। 19 वीं शताब्दी में यूरोप में स्त्रियों में यह बात सत्य थी। आज चीन में स्त्रियों को लगभग पुरुषों के समान स्थान प्राप्त है। चेयर मैन माओ ने कहां था- "जिस दिन चीन में सब स्त्रियां अपने

पैरो पर खड़ी हो जाएगी, वह दिन, चीन की क्रांति की सफलता का दिन होगा। समय परिवर्तित हो गया है, आज स्त्री और पुरुष समान है जो कुछ पुरुष साथी कर सकते है, महिला साथी भी वह कार्य कर सकती है'' चीनी समाज में स्त्रियों के निम्न स्थान को उच्च्य करने के प्रयास में सामन्ती तरीकों पर तीखा प्रहार किया गया और पुरानी आस्थाओं को तिरस्कृत किया गया आज चीन में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हैं।

स्त्रियों के पुरुष और सामाजिक संरचना के साथ बन्धन को पूंजीवाद का लक्षण माना गया हैं ऐसे बन्धनों से स्त्रियों की मुक्ति को समाजवाद की विशेषता कहा जाता है। स्त्रियों के लिए रोजगार उनकी समस्याओं को हल करने का रामबाण समाधान नही है। समाज के निम्न वर्गो में स्त्रियां अनेक आर्थिक कार्यो में रत है। और वे पुरुषों के शिकंजो में जकड़ी हुई है। आधुनिक भारत में स्त्रियों की दुर्दशा समझने के लिए उनको शिक्षित-अशिक्षित, धनी-निर्धन और ग्रामीण बनाम शहरी वर्ग में बॉटने से उपयुक्त समझ नही मिलेगी। वास्तव में स्त्रियों को पुरुषों से अलग रखकर समझा नही जा सकता। केवल परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नही है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमे स्त्रियों के साथ अनुदार रुप में व्यवहार किया गया है। लेओन ट्रोट्रस्की ने कहा था-''पुरुषोचित अहंवाद की कोई सीमा नही है। संसार को समझने के लिए हमें इसको स्त्रियों के चक्षुओं से देखना चाहिए।''

आज स्त्रियों के अध्ययनो से स्त्रियों की प्रस्थिति, उनके निम्नीकरण, सामाजिक प्रथाओं में स्त्रियों की भूमिका, समुदाय और परम्परा पर बल नही दिया जाता बल्कि स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की आर्थिक और कानूनी प्रस्थिति और राजनैतिक भागीदारी आदि अध्ययनों पर अधिक बल दिया जाने लगा है। मनोवृत्तियों, भूमिकाओं और प्रस्थितियों के बजाय अब स्त्रियों के आधीनीकरण के कारणों, कार्य सहभागिता, आन्दोलनों में स्त्रियों से संबंधित प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे है। आयु और यौन केवल मात्र जैविकीय प्रघटनाए नही है, वे सामाजिक और सांस्कृतिक परक भी है। कुछ समाजों में इन्हें पुरस्कारों और विशेषाधिकारों के वितरण का आधार माना जाता है। स्त्रियों की स्थितियों का अध्ययन करने में 'परानुभूति' का होना आवश्यक है। स्त्रियों की समस्याओं की वैज्ञानिक समझ के लिए 'भूमि का ग्रहण'

का उपाय अर्थात स्वयं को स्त्रियों की स्थिति में रखना, न कि उनके लिए मात्र हमदर्दी प्रकट करना आवश्यक है। परिवार में कार्यरत पराश्रित महिलाएं बच्चे और वृद्ध व्यक्ति सक्रिय और कमाऊ पुरुष सदस्यों के विरुद्ध मोटेतौर पर एक समान श्रेणी है। भारत में जहां परिवारिक बन्धनों, सामूहिक उत्तरदायित्व और बंधुता संबधों के लिए, भावात्मक बन्धनो के लिए काफी चिन्ता रहती है, वहाँ ऐसी स्थिति है।

व्यक्ति के रूप में स्त्रियों की पहचान-

परिवार में स्त्री की पहचान उसकी भूमिका से परिभाषित की जाती है। उसकी पहचान एक पुत्री, पुत्रवधू, माता, सास, पत्नी आदि के रूप में की जाती है न कि एक व्यक्ति के रूप में। परिवार के बाहर मित्र, सम्बन्धी और अन्य स्वतंत्र सम्पर्क नही है। उसके अन्य मित्र, सम्बन्धी और अन्य सम्पर्क वही है जो परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से उसे मिले है। इन सम्बन्धों के लिए उसकी स्वतंत्र पसंद का कोई प्रश्न नही है। इसलिए परिवार में स्त्री की प्रस्थिति अधीनस्थ प्रस्थिति है। स्त्रियों की पहचान के कई अंश है, जो उसके परिवार की जातीय और वर्गीय पृष्ठभूमि पर निर्भर है।

क्या स्त्री एक व्यक्ति है ? न चाहते हुए भी स्त्री अपने पति की इच्छाओं के सामने झुकती है। स्त्री को ''यौन न्याय'' या पुरूष के साथ समानता प्राप्त नही है। जब स्त्री ने अपने आपको एक पदक्ति के रूप में पहचान प्रकट की है, उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ''जबरन यौन सम्बन्ध'' या ''वैवाहिक अधिकारों का पुनः स्थापन'' बहुत हद तक स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा है। दहेज उत्पीड़न और दुल्हन-जलाना स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा का रूप ही है। संयुक्त परिवार और अनुलोम विवाह के कारण हिन्दुओं मे लड़के का मूल्य बढ़ गया है और इसीलिए 'दहेज' बड़ी समस्या बन गया है।

संविधान में समानता और धर्म, प्रजाति, जाति और यौन पर आधारित भेद-भाव के विरूद्ध जो भी कहा गया है उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद विवाह, सम्पति के उत्तराधिकार, तलाक, दहेज और बलात्कार आदि में अनेक कानून पारित किए है। भारत में सामाजिक

विधान अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए है। दहेज अधिनियम और बलात्कार कानून पिछले कुछ वर्षो से अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर बहुत चर्चित रहे है। बलात्कार की घटनाएं निरन्तर हो रही है। गरीब और दलित स्त्रियाँ विशेषकर इसका शिकार होती है। दहेज उत्पीड़न और यातनाऐं घर की बहू को जलाना और यातनाओं के कारण आत्म हत्यायें निरन्तर हो रही है। शहरों कस्बो में दहेज उत्पीड़न अधिक है और इस घटना की शिकार उच्च्य जातियों, मध्य और निम्न वर्ग के परिवारों की महिलाऐं है। अनुलोम विवाह की प्रथा उच्च्य और उच्च्य मध्य जातियों और वर्ग समूहो में गहरी जड़ जमाए हुए है। अपनी लड़कियों के लिए उच्चतर परिवार के लड़के ढूँढ़ने की एक अप्रयास प्रतियोगिता अभिभावकों में उत्पन्न हो गई है। ऐसे लड़के की शैक्षणिक योग्यता और सफेद-पोश नौकरी के सन्दर्भ में प्रस्थित उच्च्य होनी चाहिए। राष्ट्रीय हित में स्त्रियों के अत्यधिक योगदान के बावजूद उनका शोषण किया जाता है। स्त्रियों का शोषण और दमन इसलिए होता है क्योंकि वे प्रायः असंगठित क्षेत्रो में कार्य करती है। तकनीकि विकास का महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवार के संसाधनो और अपने रोजगार के अन्य भागों पर उनका अब नियन्त्रण कम है। घरेलू कार्यो में पुरूष स्त्रियों पर कम निर्भर हो गए है। इसलिए पुरुष और स्त्री के मध्य अन्तर और बढ़ गया है। जबकि नारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आन्दोलनकारी इस अन्तर को कम करने के लिए सतत् प्रयास करते रहे है।

समाज सुधार आन्दोलन :-

वैदिक काल की स्त्रियों की उन्नत अवस्था से लेकर निरंतर होता जा रहा पतन जब स्वार्थ, अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा पर पहुँच गया तब इसके विरूद्ध आवाज उठना भी स्वाभाविक है। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय समाज एक प्रकार के परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा एवं अनेक प्रभुत्व सम्पन्न व चिन्तनशील लोग स्त्रियों की निम्न स्थित से चिंतित रहने लगे एवं उन्होने उसे ऊँचा उठाने में विशेष प्रयास किया यद्यपि इस प्रयास में अंग्रेज सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ था। 1813 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने यह आदेश दिया था कि वह भारत में सभी वर्गो में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार करे, यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस दिशा में कोई प्रयास नही किए।

सर्वप्रथम राजा राममोहन ने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1828 में राजा राममोहनराय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की एवं इस समाज ने सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया एवं इसी के परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर इसे रोकना पड़ा। राममोहन राय ने बाल विवाह के विरुद्ध व स्त्री शिक्षा के प्रसार के पक्ष में भी आन्दोलन प्रारम्भ किया था और सुधार आन्दोलन की नींव रख दी उन्होने जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि विवाह के विधवा पुनर्विवाह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, स्मृति में भी दबावपूर्ण वैधव्य की अनुमति नही है। जब सतीप्रथा जैसे अमानवीय रिवाज के विरुद्ध कानून बना तो राजा राममोहन राय पूर्णतः पूरी शक्ति के साथ सरकार के साथ रहे और राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से सतीप्रथा की समप्ति हुई।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर :-

राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए स्त्री सम्बन्धी कार्यो के विद्यासागर अनुगामी थे। विधवा समस्या से संबंधित कार्य को विद्यासागर ने आगे बढ़ाया, उन्होने राजा राममोहन राय की कार्य पद्धति अपनाई और स्वयं इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया। जनता में विद्यासागर के कार्यो से जागृति उत्पन्न हुई। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यासागर विशेष सक्रिय थे। स्त्री शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रचार उसका स्पष्टतः प्रमाण था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्त्री स्नातिका चन्द्रमुखी बसु बैथ्यून महाविद्यालय की छात्रा थी। उन्होनें विधवा विवाह के समर्थन में दिए गए आवेदन-पत्र पर 21,000 हस्ताक्षर कराए। विधवा पुनर्विवाह में उनकी पुस्तकों का मराठी और गुजराती में अनुवाद हुआ था। उनके आंकड़े एकत्रित करने की पद्धति अन्य समाज सुधारकों ने अपनाई। सन् 1891 में अपने 'संजीवनी' नामक मासिक पत्रिका में एक से अधिक विवाह करने वाले पुरूषो की सूची प्रकाशित की थी। इस प्रकार के प्रयत्नों से समाज में जागृति बढ़ी।

बहराम जी मलबारी :-

बहराम जी मलबारी का नाम बाल-विवाह की समस्या को सुलझाने के प्रयत्नों से जुड़ा हुआ है।

बाल विवाह के कारण प्रायः बाल विधवाओं की समस्या पैदा होती है। इस प्रकार बाल-विवाह तथा विधवा के प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए है। वहराम जी मलवारी का नाम बाल विवाह, विधवा-विवाह तथा सहमति आयु कानून के साथ जुड़ा हुआ है। उनके सक्रिय प्रयासों का जीता जागता प्रतीक वम्वई की सेवा सदन नामक संस्था है जो स्त्रियों की विविध समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है।

महादेव गोविन्द रानाडे :-

रानाडे के कार्यो की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि समाज सुधार तथा स्त्रियों की प्रगति के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रभाव से वह पूर्णतः परिचित थे। प्रारम्भिक काल में 'युवा बंगाल' आंदोलन अंग्रेजी राज्य का अंधानुकरण कर रहा था किन्तु रानाडे न तो पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण के ही पक्षपाती थे और न ही पुनरुद्धार वादियों की भांति भारत के भूतकाल की पुर्नः स्थापना के ही पक्षपाती थे। उन्होने इन दोनों प्रवाहों का समन्वय करके नई दृष्टि् प्रदान की। समाज सुधार आंदोलन में उनकी दृढ़ मान्यता थी कि यदि समाज सुधार व्यवस्थित रूप से करना हो, उसमें गतिशीलता लानी हो तो राष्ट्र व्यापी संगठन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का संगठन देश में बिखरी हुई सामाजिक सुधार की गतिविधियों को एक धागे में पिरो सकेगा। रानाडे के मंतब्य में उनकी पैनी दृष्टि का दर्शन होता है। सामाजिक समस्याओं को हल करने का जो प्रयत्न अब तक स्थानीय स्तर पर होता था, उसे उन्होने राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होने सुधार आंदोलन को असांप्रदायिक रूप दिया। रानाडे के समाज सुधार कार्यो की समीक्षा करते समय शायद उनके द्वारा स्थापित कोई स्त्री शिक्षा संस्था दिखाई न भी पड़े या निजी जीवन में पुनर्विवाह करते समय विधवा विवाह करने की निडरता के दर्शन न हो फिर भी सामाजिक सुधार के इतिहास में इसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। समाज सुधार आंदोलन उस समय एसी अवस्था में था कि राष्ट्रव्यापी संस्था की स्थापना आंदोलन की प्रगति के लिए अनिवार्य थी। महादेव गोविन्द रानाडे ने इस कमी को पूरा करके समाज सेवा कार्य को आगे बढ़ाया।

महर्षि घोड़े केशव कर्वे :-

समाज सुधारको तथा स्त्री प्रगति आंदोलन के अग्रणियों में महर्षि कर्वे का विशिष्ट स्थान है। कर्वे का कार्यकाल 19 वीं शताब्दी से आरम्भ होकर 20 वीं शताब्दी के मध्य तक फैला हुआ है। अन्य सुधारकों के समक्ष उनका स्थान अद्वितीय है। भारतीय नारी के उत्कर्ष के विविध क्षेत्रों में घोड़े केशव कर्वे का स्थान अमर है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि विधवा स्त्री की ओर तत्कालीन समाज की तिरस्कार पूर्ण दृष्टि में परिवर्तन लाने का श्रेय श्री कर्वे को ही देना चाहिए। उस जमाने में बड़े-बड़े नगरों में पुनर्विवाह का समर्थन सामाजिक पाप माना जाता था। आज तो छोटे से छोटे गॉव में दंड के भय से मुक्त वातावरण में विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया जाता है यह सामाजिक परिवर्तन लाने में कर्वे का योगदान अमूल्य है। प्रश्न चाहे स्त्रियों के कार्य क्षेत्र का हो या मतभेदों के बावजूद विशिष्ट पाठ्यक्रम का कर्वे ने स्त्रियों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और इस कार्य के लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कर्वे अपना परिचय एक धनी व्यक्ति के रूप में देते है। उनके जीवन का प्रधान स्वर था नारी की प्रगति। मानव मुक्ति और प्रगति के बदले हुए चरण को ऐसे कर्मनिष्ठ और कर्मठ व्यक्ति ही मंजिल की ओर ले जा सकते है। उनके निरक्षर ग्रामीणों के समक्ष समाचार पत्र पढ़ाने से समाज सुधार का श्री गणेश हुआ। कर्तव्य की विनम्र शुरूवात की पूर्णाहुति एक ऐसे महिला महाविद्यालय के रूप में हुई जिसने हजारो नारियों के अज्ञान को दूर किया।

स्वामी विवेकानन्द :-

पुनरुद्धार वादियों में स्वामी विवेकानन्द का स्थान विशिष्ट है। विवेकानन्द शिक्षा पद्धति के घनिष्ठ सम्पर्क में आये। एक समय तो ऐसा आया कि वह नास्तिक हो गये थे। इस अद्वितीय प्रतिभाशाली वेदांती ने समाज सुधार एवं स्त्री उत्थान के प्रति तनिक भी उदासीनता नही बरती, बल्कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द ही सबसें प्रभावशाली थे। शिष्य ने अपने गुरू की स्मृति को चिरंजीवी रखने हेतु तथा अपनी गुरू भक्ति को अंजलि के रूप में रामकृष्ण के नाम की अनेक संस्थायें स्थापित की। स्वामी जी को अपने गुरू से दो सिद्धान्तो की सीख मिली थी। एक थी विचारों

और कार्यो की स्वतंत्रता तथा दूसरी मानवत्व के प्रति सहानुभूति विवेकानन्द ने सामाजिक सेवा पर गरीब बल दिया, एक स्थान पर उन्होने कहा है, जिन्होने प्रजा के धन से शिक्षा प्राप्त की है और लाखों व्यक्तियों को क्षुधा से मरते देखा हो फिर उनके हृदय प्रजा की व्यथा से द्रवित न होते हों, वे सब देशद्रोही है।''

विवेकानन्द की दृष्टि में भारत में मुख्य दो बुराइयाँ थी- एक स्त्रियों का भारतीय समाज में पराधीन होना तथा दूसरी हिन्दू समाज में असमानता को जन्म देने वाली तथा लीकतंत्र के सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाली जाति व्यवस्था। नारी उद्धार के बारे में स्वामी विवेकानन्द के योगदान का मूल्यांकन करते समय हमारा ध्यान, विवेकानन्द के नारी के प्रति प्राचीन आदर-भावना को पुनः स्थापित करने के प्रयास की ओर सहज ही जाता है। उन्होने स्त्रियों की पराधीनता के ऐतिहासिक कारणों का अन्वेषण किया। समग्र राष्ट्र को हो नही वरन् विश्व के उत्थान में शिक्षित भारतीय नारी अपना निश्चित योगदान दे सकेगी, ऐसी उनकी दृढ मान्यता थी। अन्य धार्मिक सुधारकों की तुलना में विवेकानन्द का स्थान इस दृष्टि से विशिष्ट है कि अन्य सुधारक धार्मिक सुधार के एक अंग या विभाग की दृष्टि से देखते थे। जबकि स्वामी जी ने इस कार्य को प्राथमिकता दी। उनकी ऐसी धारणा थी कि अन्य देशो की पंक्ति में अपना स्थान लेने के लिए स्त्रियों की उन्नति आवश्यक है। ईसाई मिशनरी धर्माचार के लिए सामाजिक सेवा संस्थान के उपयोग का तथा असली सफलता का आभास स्वामी जी को अवश्य हुआ और इन्ही कारणों से प्रेरित होकर विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करने वालों में स्वामी विवेकानन्द सर्वप्रथम थे यह कहना सत्य से परे न होगा।

स्वामी दयानंद सरस्वती :-

हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले, दूसरे पुनरूद्धार वादी जिनका स्रण किया जा सकता है वे है स्वामी दयानन्द सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने निजी प्रयासों से तथा मुख्यतः आर्य समाज की विविध संस्थाओं के माध्यम से स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया तथा विवाह की न्यूनतम आयु बढ़वाने का प्रयास किया। आर्य समाज ने पश्चिम के अंधे अनुकरण के प्रवाह को

रोकने के लिए प्रयास किया किन्तु उनकी राष्ट्रीयता में धर्म का सम्मिश्रण था। वेद धर्म अटल है इस मान्यता के आधार पर उन्होनें वर्णो को स्वीकार किया। विशुद्ध उदारवादियों की स्त्री समानता के चित्र की तुलना में दयानंद और आर्य समाज द्वारा स्त्री समानता स्त्री स्वातन्त्र की मांग का आधार समानता नही वरन् वेदकालीन समाज में व्याप्त स्वतंत्रता वर्तमान नारी को मिलना चाहिए ही था। उनका प्रयास सीमित होते हुए भी स्त्रियों की उत्थान गाथा में दयानन्द का नाम आदर से स्मरण किया जायेगा।

श्रीमती एनी बीसेण्ट :-

भारतीय नारी की स्थिति सुधारने में थियोसिफिकल विचार धारा की आद्य स्थापक एनीबीसेण्ट का योगदान अविस्मरणीय है। 19 वीं शताब्दी के सब सुधारक तथा कार्यकर्ता पुरूष थे। प्रथम स्त्री सुधारक के रूप में एनीबीसेण्ट इतिहास के रंग मंच पर आई। अभी तक अधिकांश विदेशी विचारक तथा कार्यकर्ता भारतीय समाज व्यवस्था को या तो कृपा दृष्टि से देखते थे या आलोचनात्मक रूप अपनाते थे। एनी बीसेण्ट एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला थी जिन्होंने भारत के गौरवमय अतीत की प्रशंसा की और साथ-साथ घोषणा की कि भारत के समान संस्कारों में समृद्ध दूसरा देश कोई नहीं है। राष्ट्रीयता आत्म सम्मान संस्कारों में समृद्ध दूसरा देश कोई नही है। राष्ट्रीय आत्म सम्मान को जागृत करने में एनी बीसेण्ट का योगदान अभूतपूर्व था तत्कालीन भारत में प्रचलित सब संस्थाओं पर एनीबीसेन्ट ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। भारत के अतीत के संस्कारों की उन्होनें प्रशंसा की है। भारत के स्वतंत्र तथा कल्याणकारी नव सृजन में जिन अनेक विभूतियों ने अपना सर्वस्व वलिदान किया है उनमें एनीबीसेण्ट का योगदान उल्लेखनीय है। थियोसिफिकल सोसाइटी के माध्यम से एनी बीसेण्ट ने भौतिक तथा बौद्धिक अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया। यह महिला होने के नाते स्त्रियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा करने में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारत के अतीत की प्रशंसा के जोश में वह असामजिक रिवाजों को भी प्रोत्साहन दे देती थी। भारतीय प्रण में दी पश्चिम अंधा अनुकण न करें इस हेतु (भारत) के गौरवशाली अतीत की भूरि-भूरि प्रशंसा करने की प्रवृत्ति रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है।

मुस्लिम सुधारक :-

हिन्दू समाज तथा हिन्दू नारी पर अंग्रेजी शासन तथा संस्कार के प्रभाव की चर्चा की जा चुकी है। मुस्लिम समाज पर विदेशी शासन का क्या विशेष प्रभाव पड़ा इसकी चर्चा यहां करेगें। मुस्लिम स्त्री का स्थान भी समाज में नीचा ही रहा है। उनके कानून में एक यह विशेषता दिखाई पड़ती है कि मुस्लिम नारी को कानून से ही उत्तराधिकार प्राप्त है। तलाक धर्म-मान्य होने पर भी व्यावहारिक क्षेत्र में यह निष्प्रभावी था। पर्दे तथा बहु-पत्नी की प्रथा ने मुस्लिम नारी की स्थिति और बिगाड़ दी। मुस्लिम स्त्री की पिछड़ी हुई हालत का एक कारण था उनका विदेशी हुकूमत के प्रति द्वेष तथा पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता की ओर झुकाव में विलंब मुस्लिमों को अंग्रेजी की महत्व तथा उपयोगिता को समझाने में सैयद अहमद को काफी समय लग गया और यही वजह थी कि स्त्रियों की उन्नति का प्रश्न देर से सामने आया। इस पृष्ठ भूमि में मुस्लिम नारी की प्रगति के विरुद्ध कुछ शिक्षित नेताओं के प्रयासों की चर्चा करेंगे। स्त्रियों के सुधार का बीडा सर सैयद अहमद खान ने उठाया, उन्होने स्त्री शिक्षा के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए किन्तु उनके मतानुसार शिक्षा का क्षेत्र एवं स्थान तो घर ही होना चाहिए, स्कूल नही। बदरूद्दीन तैयब क्षेत्र जी ने पर्दे की प्रथा खत्म करने की हिदायत की। सैयद इमाम ने जनाने मदरसे स्थापित करने में मदद की तथा इस पर जोर दिया कि जब तक स्त्रियों की प्रगति नही होगी तब तक भारत की जनता अन्य देशों की जनता के समकक्ष नही हो सकेगी। श्री हैदरी स्त्री शिक्षा में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। उन्होने सच ही कहा है कि एक स्त्री की शिक्षा सारे परिवार के मानस और नैतिक जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकती है।

मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा के प्रयास जरूर लागू हुए किन्तु यह काम अन्य क्षेत्रो की तुलना में बिलंब से शुरू किया गया। जब तक स्त्रियों को आजादी नहीं मिलेगी या अधिकारों का उपभोग करने के लिए उनमें आत्म विश्वास पैदा नही किया जाएगा तब एक तलाक या विरासत के अधिकारों का मूल्य कोरे कागज से अधिक नही है। इन सबसे आवश्यक है कि समाज के दृष्टिकोण के परिवर्तन मुस्लिम समाज में कट्टरपंथियों को इस दिशा में अधिक ध्यान देना होगा साथ ही स्त्रियों के प्रति उदार बनना पडेगा।

राजाराम मोहन राय के प्रयासों से लेकर अनेक समाज सुधारकों द्वारा स्त्री प्रगति के क्षेत्र में दिए गए योगदान के संदर्भ में कुछ प्रयास वेदकालीन समाज की पुर्नस्थापना में तथा कुछ प्रयास उदारवाद के समानता के सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से कार्यान्वित करने के लिए किए गए। उदारवादी समाज सुधारको ने जब भूतकाल के उदाहरणों का आश्रय लिया तब उनका मुख्य उद्देश्य समानता स्थापित करना ही था। इन दोनों प्रवाहो ने स्त्रियों की उन्नति के लिए एक बौद्धिक चेतना पैदा की। इन प्रवाहों के कारण जब उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्रियां निर्मयतापूर्वक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम बनी। प्रत्येक समाज सुधारक के अथक प्रयत्न ने संघर्ष को तीव्र बनाया तथा कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के उत्थान की दिशा में प्रयास शुरू किया। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर विद्याओं के पुनर्विवाह के प्रथम प्रचारक थे। दयानंद सरस्वती ने वेदकाल की स्वतंत्र समाज रचना स्थापित करने का काम शुरू किया और शिक्षा के सत्र में विशेष लक्ष्य से पाठ्यक्रम का ढॉचा तैयार किया। प्रजा में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का श्रेय श्रीमती एनी बीसेन्ट का है। जबकि स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों की समानता की तथा उन्हे सम्माननीय स्थान दिलाने की जोरदार हिम्मत की तथा संस्थाए स्थापित करके उनके माध्यम से इस दिशा में काम करने का प्रयास किया।

वेदकालीन समाज से लेकर 18 वीं सदी के अंत तक स्त्रियों के प्रति काफी परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को अलग व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा। नारी के कार्यो में भले ही मतभेद हो किंतु समाज में स्त्री उच्च स्थान की अधिकारिणी है। ऐसी विचारधारा 19 वीं सदी के परिवर्तनों की विशेषता है। समाज सुधारकों ने प्रथम प्रहार समाज की दोहरी नीति पर किया। तत्पश्चात् स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की कितनी संस्थाओं का ध्येय मात्र स्त्री विकास न होकर समस्त जनकल्याण था। किन्तु नारियों को समस्याओं को प्राथमिकता एवं प्रधानता दी गई। संक्षेप में कहे तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने की मानसिक भूमिका की पूर्ण तैयारी हो चुकी थी और कितनी ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास शुरू हो गए थे। विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि समाज सुधारकों तथा पुनरूद्धारवादियों का ध्यान केवल उच्च कोटि की नारियों की ओर ही केन्द्रित हुआ

था पिछड़ी जातियों की स्त्रियों की समस्या तथा निम्नवर्ग की नारियों के प्रश्न तो हुआ तक नही गया था। इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि अधिकांश समाज सुधार तथा पुँनरूद्धारवादी समाज के उच्च वर्ग स्तर से ही आए थे। इन दोनों समूहो का ध्यान केवल कुछ सामाजिक बुराइयों के प्रति आर्कषित हुआ, आर्थिक प्रगति या अर्थिक स्वावंलबन पर बहुत जोर नही दिया गया।

स्त्रियां एवं स्वैच्छिक संगठन :-

सामाजिक सुधार के लिए जीवोत्सर्ग करने वाले प्रतिभाशाली समाज सुधारको के कार्य के कारण, अंग्रेजी शासन के सम्पर्क से अर्थिक और सामाजिक परिस्थित में बुनियादी परिवर्तन तथा राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा स्वाभिमान पैदा होने के कारण, भारतीय नारी बीसवीं सदी में अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठी और समाज में अपना स्थान ऊँचा उठाने के लिए विविध सामाजिक संगठनों की स्थापना की। स्त्री वर्ग में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ता गया और बाहय गतिविधियों में उसकी रूचि बढ़ने लगी वैसे-वैसे स्त्रियों में आर्थिक सामाजिक तथा कानूनी बंधन काटने की इच्छा तीव्र होती चली गई। पिछले चालीस पचास वर्षो में स्त्री संगठनों का काफी विस्तार होता जा रहा है। भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नारी संगठन तो प्रायः बीसवीं सदी के शुरु में अस्तित्व में आ गए थे। अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले दो उल्लेखनीय संगठन Womens Indian Assocation जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास में था तथा 'नेशनल काउंसिल आफ विमेन' महत्वपूर्ण कही जा सकती है। सन् 1927 में स्थापित अखिल भारतीय महिला परिषद (All India women conference) कार्य की दृष्टि से तथा वर्ग प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उपरोक्त दोनो संगठनों से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के सभी नारी संगठनों का विश्लेषण तो प्रायः असम्भव है पर कुछ प्रमुख संगठनो की समायोजन करना अवश्यक प्रतीत होता है।

अखिल हिन्दू महिला परिषद :-

सन् 1926 में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को मैथ्यून कॉलेज के पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया। उस प्रसंग पर स्त्रियों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा था "आपने राजनीतिक

क्षेत्र में अपने अधिकारों की मांग दृढ़ता से की है', माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपने अधिकारों का दावा दृढ़ता पूर्वक क्यों नही करती ? पुरूषो के बनाए हुए पाठयक्रम को कब तक बर्दाश्त करती रहेगी ? कब तक पुरुषो द्वारा खींची गई रूप-रेखा के दायरे में घिरी रहेगी ? पुरुषों द्वारा तैयार परीक्षा की रूपरेखा से कब तक नियंत्रित होती रहेगी ? आपके शैक्षणिक माप के निर्माण में स्त्रियों की कोई आवाज ही न हो, ऐसी परिस्थिति वे कब तक सहन करती रहेंगी ? स्त्रियों का सहयोग आवश्यक है। स्त्रियों को एक स्वर में अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करनी चाहिएं तथा उन पर तब तक बल देना चाहिए जब तक उन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो''

शिक्षा अधिकार के संकेत का लाभ उठाकर मद्रास की महिला कार्यकर्ता श्री हुड्डी कोयरे ने 'स्त्री धर्म' नामक मासिक पत्रिका में दो लेख प्रकाशित किए। दूसरी ओर मार्ग रेट कर्जोस ने स्त्रियों को संबोधित करते हुए पत्रलिखा जिसमें स्थानीय समितियाँ बनाने का प्रस्ताव रखा। आगे चलकर 'आखिल भारतीय समिति' की रचना हुई जिसने शिक्षा के प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किए। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप 1927 में 'अखिल हिंदू महिला परिषद' का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य स्त्री-शिक्षा घोषित किया गया। एक दो प्रस्ताव के अतिरिक्त शेष 26 प्रस्ताव स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित थे। दो वर्ष बाद 1929 में परिषद के तीसरे अधिवेशन में परिषद ने अपने क्षेत्र को विस्तृत करने का निर्णय लिया तथा स्त्री शिक्षा के साथ-साथ समाज सुधार की समस्या को भी समावेश किया। 1932 में भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रस्ताव पारित करके यह घोषणा की कि महिला परिषद किसी भी राजनीतिक पक्ष की मदद नहीं करेगी। किन्तु ऐसे राजनीतिक प्रश्नों पर जिसके साथ स्त्रियों के मताधिकार का प्रश्न शामिल होगा, परिषद को विचार विमर्श करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस प्रकार केवल स्त्री-शिक्षा का अपना ध्येय घोषित करने वाली स्त्री संस्था का दायरा धीरे-धीरे सामाजिक राजनीतिक तथा अन्तराष्ट्रीय समस्याओं की सीमा तक पहुँच गया।

1961 के अधिवेशन के वार्षिक विवरण में परिषद के निम्नलिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख है।

1. ''सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत निष्ठा तथा समान अधिकार एवं अवसर सबको उपलब्ध हो सके'' ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित समाज रचना का प्रयास करना चाहिए।
2. ''प्रत्येक मानव को काम करने का अधिकार है'' इसकी तथा प्रत्येक मानव की अल्पतम आवश्यकताएं पूर्ण हों, आवश्यकताओं की आपूर्ति का आधार जन्म या जाति न होकर नियोजित सामाजिक वितरण होना चाहिए।
3. प्रत्येक नागरिक अपने संपूर्ण नागरिक अधिकारों का उपभोग कर सके ऐसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
4. अलगाव या विभाजन उत्पन्न करने वाले प्रवाहों को विरोध तथा राष्ट्र को एक सूत्र में बॉधने का प्रयास होना चाहिए।
5. स्त्रियों तथा बालकों की चहुमुखी प्रगति के लिए प्रयास करना तथा भारत के संविधान में वर्णित मूलअधिकारों का महिलाए वास्तव में उपयोग कर सके इसके लिए सब प्रकार की सहायता देनी चाहिए।
6. उन सब व्यक्तियों तथा संगठनो को सहयोग देना जो संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शान्ति के सिद्धांतो के अनुरूप कार्य करती है।

परिषद के उद्देश्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानव स्त्रियों की समस्या गौण बन गई है और राजनीतिक तथा शांति के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण बन गए है कि परिषद का ध्यान उधर अधिक केन्द्रित होता जा रहा है।

परिषद का कार्य :-

महिला परिषद का मुख्य ध्येय स्त्रियों के लिए मानव अधिकार प्राप्ति तथा उसे ठोस रूप देने के प्रयासों से संबंधित है। इस कारण वह प्रचार संगठन का रूप ले लेती है अतः जनमत तैयार करना ही उसका मुख्य ध्येय बन जाता है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक काल में जब स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे तब परिषद के वार्षिक अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित किए जाते

थे। स्त्री शिक्षा के अनेक पहलू, स्त्री शिक्षिकाओं की मांगें, बाल विवाह का विरोध, विवाह विच्छेद का समर्थन तथा दहेज जैसी अमानुषी प्रथा के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। प्रगतिशील कानून पारित करने के लिए परिषद ने कई बार मांग रखी थी। स्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र में भी सुविधा प्राप्त हो ऐसा वातारावरण उत्पन्न करने की मांग की थी। मध्य वर्ग की आर्थिक उलझनों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता था।

मजदूर वर्ग की स्त्रियों को जिस गंदगी और भीड़ में काम करना पड़ता है उसकी आलोचना परिषद ने की थी। स्त्रियों को प्रस्तूति अवकाश तथा शिशु गृहों की सुविधाएं दिलाने के लिए माहौल तैयार करने का प्रयत्न किया गया। वेश्या व्यवसाय, स्त्रियों तथा बालकों का अवांछनीय शोषण, देवदासी जैसी प्रथाओं का परिषद ने विरोध किया। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों के मताधिकार की मांग परिषद पहले से करती आई है। स्त्रियों को उच्च्य राजकीय पद मिलना चाहिए, इस पर परिषद ने बल दिया इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन बालकों के योग्य एवं संतुलित विकास जैसे प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में शामिल किया अखिल भारतीय हिन्दू महिला परिषद सारे भारत में फैली हुई है तथा सब स्त्री संगठनों का एक मुख्य संगठन बनाने के इरादे से उसकी अनेक शाखाए प्रत्येक राज्य में खोली गई। स्त्रियों की उन्नति के विविध कार्यक्रम इन शाखाओं के माध्यम से चलाए जाते है। परिषद ने गृह विज्ञान के प्रचार के लिए लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की शिशु स्वास्थ्य रक्षा परिषद द्वारा संचालित 'स्किपों फंड' बालकों को दूध देने की व्यवस्था करता है। गॉवों में बीमारी की चिकित्सा तथा बच्चों की डाक्टरी जॉच की व्यवस्था करता है। अपने विचारो के प्रचार के लिए परिषद द्वारा रोशनी नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है इन विविध प्रकृतियों के माध्यम से परिषद स्त्री-उन्नति के लिए कार्य कर रही है।

महिलाओं के उत्थान हेतु भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए त्रिस्तरीय 'प्रथक न्यायिक व्यवस्था' कायम कराने के प्रयास कर रहा है। इससे न केवल उत्पीडित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा वरन् इनके लिए जिला स्तर और पंचायत स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर स्थानीय न्याय दिलानें का प्रयास किया जा रहा है।

''राष्ट्रीय महिला आयोग'' भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 है। संशोधन कराकर बलात्कार को कानून के कठोर करने का प्रयास भी कर रहा है। महिला उत्पीड़न की धारा 498 (ए) का दुरुपयोग हो रहा है अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता है महिला राष्ट्रीय नीति की घोषण की मांग की जा रही है।

अन्य स्त्री संगठन :-

स्त्री संगठनों में विभिन्न राज्यों में लगभग 80 महिला एवं जन संगठन है। इनके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के रूप में भी स्त्री संगठन हैं, जिनमें मुख्यतः 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वीमेन्स' (सी०पी०आई०) 'ऑल इण्डिया पीपुल्स वीमेन्स एसोशिऐशन' (सी०पी०सी०एम०एल०) 'महिला दक्षता समिति' (जनता दल) 'जनवादी महिला समिति' (सी०पी०एम०) आदि मुख्य हैं। कार्य की कसौटी से स्त्री संगठनों के चार प्रकार हमारे सामने दिखलाई पड़ते है।

(1) प्रथम प्रकार में कितनी ही स्त्री संस्थाए स्त्रियों को अनेक क्षेत्रो में प्रशिक्षण देकर उन्हे आर्थिक रूप से अपने पैरो पर खड़ा करने का प्रयास करती है या उनमें संस्कार भरने का प्रयास करती है। ऐसे संगठनो में महिलाओं को सिलाई, बुनाई, बेंत के काम इत्यादि की शिक्षा दी जाती है, जो आगे चलकर उनके जीविकोपार्जन का साधन बनती है। बहुत से ऐसे संगठनों में अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा की शिक्षा दी जाती है ताकि जो महिलाए बचपन में शिक्षा से वंचित रह गई हो उन्हे शिक्षित होने का अवसर एवं सुविधा मिल सके।

(2) दूसरे प्रकार का स्त्री संगठन स्त्रियों के मनोरंजनार्थ होते है उनकी गतिविधियों में नृत्य, नाट्य गरवा इत्यादि का समावेश होता है। पर्यटन भी इनके कार्यक्रम का एक अंग होता है।

(3) तीसरे प्रकार के संगठन स्त्रियों को रोजी रोटी दिलवाने का प्रयास करते है। अधिकांश मध्यवर्गीय महिलाएं व्यवसाय के लिए घर के बाहर नहीं निकल सकतीं फिर भी आर्थिक अभाव से मुक्ति पाने के लिए कोई व्यवसाय अपनाना अनिवार्य सा होता जाता है। जैसा कि पापड़-अचार बनाना, कागज की थैलिया बनाना इत्यादि। कितनी ही स्त्री संस्थाएं अविवाहित

पुरुष स्त्री या विविाहित किंतु काम-धंधा एवं नौकरी के लिए घर से बाहर निकलने वाले पति-पत्नी के लिए स्वच्छ पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करती है।

(4) चौथ प्रकार की स्त्री संस्थाएं कठिनाई में पड़ी हुई नारियों को सहारा देने का प्रयास करती है फिर भले ही वह परित्यक्ता हो, विधवा हो, कुँआरी माता हो, गलत रास्ते पर मटकी हुई युवती हों या भारत और पाकिस्तान विभाजन से त्रस्त निराश्रित स्त्री या ऐसी स्त्री जैसे समाज किसी वहाने आश्रय न दे रहा हो तथा उसे स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा हो। ऐसी स्त्रियों को राहत, आधार, आश्रय तथा आराम देने के निमिन्त संगठन विभिन्न योजनाएं बनाते है तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं।

इस प्रकार सामाजिक स्थिति जैसे-जैसे बदलती जाती है, वैसे-वैसे नारी संगठनो की मांग भी बढ़ती जाती है और स्त्री संस्थाओं के स्वरूप और कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन आता जाता है। ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं उपेक्षित न हो जाय इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विस्तारों में स्त्री संस्थाए शुरू की गई। ग्रामसेविका जैसी महिला कार्यकर्ता ग्रामीण अंचल में कार्य कर सके इस दृष्टि से कई संस्थाए महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। भारत सरकार के ग्राम समुदाय की सामूहिक योजना के अंतर्गत ग्रामीण नारी के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है 'सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड' भी स्त्री संगठनों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। शहरी महिलाओं के लिए उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जाती है जो माध्यम वर्गीय महिलाओं को घर मं आर्थिक मदद पहुँचाते है। ग्रामीण क्षेत्रों में 'बोर्ड उद्योग केन्द्रो' की स्थापना की जाती है जो माहिला मंडल इत्यादि स्थापित करके ग्रामीण नारी को राहत देने का प्रयास करते है। 'कस्तूरबा गॉधी राष्ट्रीय स्मारक समिति' की स्थापना की गई। महात्मा गॉधी की सहमति से उक्त समिति ने निश्चय किया कि धन का उपयोग ग्रामीण जनता विशेषकर स्त्री-उत्थान के लिए किया जायेगा। जिसमें स्त्री स्वाथ्य तथा स्त्री शिक्षा का समावेश किया गया है।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अधिकांश महिला संस्थाऐं स्त्रियों के सांस्कतिक एवं मनोरंजन पहलुओं पर ही ध्यान देती है। कई महिला संस्थाएं स्त्रियों को सामाजिक तथा आर्थिक

यातनाओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास करती है किन्तु विषय की गंभीरता एवं तीव्रता की तुलना में सस्थाए बहुत कम है। यह कहना अनुचित न होगा कि स्त्री संस्थाएं स्त्रियों की पिछड़ी दशा का मापदंड है। इन सब त्रुटियों के बावजूद स्त्री सस्थाओं ने जो जागृति पैदा करने का महान कार्य किया है, वह स्मरणीय है। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा समाज में उनका विशिष्ट स्थान बनाने में ये संस्थाएं स्त्रियों के अधिकार प्राप्ति का माध्यम बन गई है, यह भारत के इतिहास की अविस्मरणीय घटना है। स्त्रियों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में, शिक्षा के बंद द्वार खोलने में तथा मनोरंजन के साधनों को जुटाने में इन संस्थाओं और संगठनों का योगदान साधारण नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग की 1994-95 की वार्षिक रिर्पोट भाग 4 महिला स्वैच्छिक संगठनों की संगठनात्मक सहायता का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार महिला और बाल विकास के क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के संवर्द्धन, विकास और सहायता की दृष्टि से इन स्वैच्छिक संगठनो को अपने केन्द्रीय कार्यालयों के रख रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, संगठनों को उनके व्यवसायिक और केन्द्रीय कार्यालयों के हाउस कीपिंग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए तथा आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए 50% सहायता अनुदान दिया जाता है। किसी संगठन को दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपए है और यह अनुदान अधिक से अधिक 15 वर्षो के लिए दिया जाता है। स्वैच्छिक संगठनो को अपने केन्द्रीय कार्यालयों के अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1994-95 के लिए 0.20 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया। फरवरी 1995 तक 60 स्वैच्छिक संगठनो को 0. 15 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। महिला और बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनो को सहायता के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार ने महिला और बाल कल्याण विकास से संबंधित गतिविधियों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और उनकी भागीदारी को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में तथा इस पर बल देने के लिए

स्वीकार किया है। सामाजिक समस्याओं और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। सरकार ने बच्चों और महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत सी योजनाऐं तैयार की है किन्तु ऐसे बहुत से अछूते क्षेत्र जो किसी मौजूदा योजना के अंतर्गत नही आते और जिनमें स्वैच्छिक संगठनो ने रुचि दिखाई है। लेकिन इन गतिविधियों के लिए सहायता देना संभव नही हो सका है क्योंकि ये गतिविधियां किसी नियमित योजना के अंतर्गत नही होती है। वर्ष 1994-95 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 0.20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो वर्तमान में और अधिक कर दी गई है। इसी सन्दर्भ में 'राष्ट्रीय महिला कोष' की स्थापना भी हो चुकी है। 'राष्ट्रीय महिला कोष' से लगभग 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

संस्थाओं एवं संठगनों के कार्यो तथा महिला आंदोलनों के परिणाम स्वरूप समाज में स्त्री-पद में तथा उनके योगदान में क्रांतिकारी पविर्तन हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से नारी के जीवन में बहुत चमत्कारी परिणाम शायद दिखाई न पड़ें किन्तु इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि स्त्रियों के स्थान एवं स्थिति के संबंध में समाज की विचारधारा में निश्चय ही परिवर्तन हुआ है। नये जमाने की नारी बीते युग की नारी की तरह न तो अब नर्क की खान रही है, न संतानोत्पत्ति का यंत्र और न ही पुरुष को नैतिक मार्ग से च्युत करने वाला प्रलोभन। आज की भारतीय नारी समाज के लिए उपयोगी, मानवीय भावनाओं से भरपूर एवं पुरुष के समकक्ष हो। ऐसी भावना आज समाज में विकसित होती जा रही है। इस प्रकार उपरोक्त परिवर्तनो के संदर्भ में नारी मुक्ति आंदोलन निःसंदेह परिवर्तन लाने में सफल रहे है। परन्तु नारी की वास्तविक मुक्ति के लिए आंदोलन को सतत् एवं और अधिक तीव्र होने की आवशकता है जिससे नारी को सही मायने में एक मानव का दर्जा मिले तथा उसे सही अर्थो में पुरुष के समकक्ष माना जाय।

पंचम अध्याय

महिला उत्पीड़न के विविध स्वरूप

- पारिवारिक हिंसा
- यौन शोषण या उत्पीड़न
- बलात्कार, अपहरण, हत्या
- विधवाओं के प्रति हिंसा
- सामाजिक हिंसा
- हिंसा की प्रेरणास्रोत

अध्याय-5

महिला उत्पीड़न के विविध स्वरूप

जे०एस० मिल ने अपनी किताब 'दि सबजेक्शन आफ विमेन' में इतिहास के कई उदाहरण देते हुए तर्क दिया है कि महिलाएं घर से इतर क्षेत्र में भी कार्य करने योग्ग है और पुरूषो से काम क्षमतावान नही, तो फिर प्रश्न यह उठता है कि महिलाओं का उत्पीड़न इस पुरूष प्रधान समाज द्वारा क्यों किया जाता है? बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं से महिलाओं को शारीरिक कष्ट तो मिलता ही है साथ ही ताउम्र कचोटता है मानसिक संत्रास इसके लिए हमारा समाज तो दोषी है ही साथ ही लचर कानून व्यवस्था भी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी है। आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में नैतिकता का पतन हुआ है। कामुकता की संस्कृति पैर पसार रही है। रिश्तो की मर्यादाए खत्म हो रही है। आज महिलाओं की विभिन्न समस्याओं में सबसे ज्वलंत समस्या उनके विरूद्ध की जाने वाली हिंसा या उत्पीड़न है। यह एक ऐसी स्थिति है, जो न केवल अनैतिक है बल्कि प्रत्येक सभ्य समाज के लिए चिन्ता और शर्म का विषय है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि तथाकथित सभ्यता के विकास के साथ-साथ यह समस्या तीवृतर और वीभत्स होती जा रही है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की विभीषिका को निम्न आकड़ों से समझा जा सकता है।

क्राइम इन इंडिया 2000 की रिपोर्ट-

देश में साल दर बढ़ रही बलात्कार, छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएं

	1998	1999	2000
बलात्कार	15468	32311	8858
छेड़छाड़	15151	30959	8054
यौन उत्पीड़न	16496	32940	11024

वर्ष 2000 में देशभर में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कुल 1,41,373, मामले दर्ज हुए। अर्थात 1 घंटे में 16 महिलाए ऐसे जधन्य दुष्कर्म झेलने को मजबूर है। प्रतिदिन दिन 10 महिलाओं को गंभीर छेड़छाड़ सहनी पड़ती है। प्रतिदिन यौन उत्पीड़न के 30 से अधिक मामले दंर्ज, 2000 में खरीद फरोख्त के 9515 मामले दर्ज हुए। प्रतिदिन 20 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ जाती है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्पूर्ण भारत की समस्या है। फिर है शहर हो या ग्राम कही भी महिलाएं सुरक्षित नही हैं फिर भी शहरों में बलात्कार जैसी घटनाए ज्यादां हो रही है। सम्पूर्ण भारत में बलात्कार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह बात क्राइम इन इंडिया 2000 की बलात्कार के सम्बन्ध में रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाती है।

आंकड़ो से स्पष्ट है कि जब प्रदेशों की राजधानियां ही सुरक्षित नही है तो देश के बांकी भागों का क्या हाल होगा। इस रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण नोट यह है कि मात्र 60 प्रतिशत मामले ही दर्ज हो पाते है, 100 में से 4 बलात्कारियों को ही दंड मिलता है। 100 में से 3 बलात्कारी पारिवारिक सदस्य होते है। 1/3 पीड़ित महिलाओं की उम्र 16 वर्ष से कम होती है।

उपरोक्त स्थिति वर्तमान का चित्र है महिलाओं के विरूद्धहिंसा की समस्या कोई नई नही है। भारतीय समाज में महिलांए एक लम्बे काल से अवमानना (Humiliation), यातना और शोषण का शिकार रही है, आज शनैःशनैः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभाव शाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजो और समाज में प्रचलित प्रतिमानो ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी पनप रहे है। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार है। उनको पीटा जाना है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, या उनकी हत्या कर दी जाती है। निम्न स्तर का होना महिला जीवन में महिला अत्याचार को बढ़ाने का

तथ्य सभी राज्यों में दृष्टिगोचर होता है। लिंग निर्धारण सुविधा शहरी क्षेत्रो में गर्भावस्था में उपलब्ध होती है, यह महिला हिंसा का आधुनिक तरीका है। शहरी क्षेत्र में महिला हिंसा के परिवारिक हिंसा का मुख्य कारण पति-पत्नी की एकान्तिका (Privacy) का अभाव है। स्त्रियों का परिवार के प्रति बफादार होना, स्वयं चुप्पी ज्ञान का अभाव आदि कारण भी स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा के अप्रत्यक्ष कारण कहे जा सकते है। स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने हेतु सभी राज्यों में संवैधानिक सुरक्षा, वैधिक अधिकार, वैधानिक, अभिकरण, न्यायालय पुनर्वास केन्द्र आदि द्वारा प्रयास किये जाते रहे है। महिला स्वयं के विरूद्ध अत्माचार पर इन स्थानों में जाना उचित नही समझती अतः महिलाओं में जागरूकता लाना आवश्यक है। एम०एम० लावानिया ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को निम्न रूप में वर्गीकृत किया है।

1. पारिवारिक हिंसा जैसे पत्नी को पीटना, विधवा वृद्ध महिला अत्याचार आदि ।
2. दहेज हत्यांए, (Dowery violence) जैसे वधु दहन
3. लैंगिक हिंसा (Sexual Assault) जैसे-वेश्यावृत्ति, लैंगिक अत्याचार, देह व्यापार आदि।
4. हिंसात्मक अपराध जैसे :- अपहरण, हत्या, लूटपाट
5. सामाजिक हिंसा (Social Assault) जैसे-भ्रूण हत्या, महिला के साथ छेड़छाड़ आदि इसी प्रकार

राम आहूजा ने भी महिला के विरूद्ध हिंसा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न है-

(1) आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या

(2) घरेलू हिंसा जैसे दहेज सबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुरव्यवहार, विधवाओं और वृद्धह महिलाओं के साथ दुरव्यवहार

(3) सामाजिक हिंसा जैसे- पत्नी, पुत्रवधू को मादा भ्रूण (Female Foeticicle) की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधू को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना।

पारिवारिक हिंसा :- अधिकतर महिलाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतियों द्वारा प्रताडित की जाती हैं। इन्हे शारीरिक यातनाएं दी जाती है। पुलिस अन्वेषण में यह तथ्य सामने आता है कि ज्यादातर महिलाएं पति द्वारा पीटी जाती हैं, उनके साथ गाली-गलौच किया जाता हैं इन मामलों में परिवार के सदस्यों, पडोसियों, मित्रों द्वारा पति-पत्नी का निजी घरेलू मामला मानते हुए ऑख बन्द कर ली जाती है। पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूप निम्न हैं-

(1) शारीरिक उत्पीड़न :- परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों या नातेदारों द्वारा महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाना शारीरिक उत्पीड़न है निम्नक्रियाओं द्वारा महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाई जाती है -

(1) तमाचे मारना, लात मारना,

(2) दीवार से सर टकराना

(3) बाल पकड़कर सर टकराना

(4) लाठी, डंडो से पीटना

(5) चाकू, खंजर एवं अन्य धारदार वस्तुओं से प्रहार

उपरोक्त क्रियाओं से महिला को आघात, फैक्चर, चोटें, रक्त स्रव, गर्भपात व विकलांगता आती है।

4. पत्नी को पीटना :- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विवाह के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि पति जिसके लिए यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे पीटता है। एक स्त्री के लिए उसी आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती थी, एक छिन्न-भिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है। हिंसा कभी-कभी नशे के कारण भी हो सकती है परन्तु हमेशा नही। भारतीय संस्कृति में हम बिरले ही पत्नी द्वारा पीटने के मामले की शिकायत करने की बात सुनते है। वह मौन रहकर अपमान सहती है और उसे अपना भाग्य

मानती है। यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो नही कर सकती क्योकि उसे डर होता है कि उसके अपने माता-पिता भी विवाह के बाद उसे अपने घर में स्थाई रूप से रखने को मना कर देगे।

पत्नी के पीटने के संबंध में महत्वपूर्ण विशेषताए राम आहूजा के स्वतः पहचाने हुए प्रकरणो के आनुभाविक अध्ययन ने इंगत की है वे है –

(1) पत्नियां जो 25 वर्ष की आयु से कम होती है, उनके उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है।

(2) उन पत्नियों को जो अपने पति से पांच वर्ष से अधिक छोटी होती है, अपने पति द्वारा पीटे जाने का खतरा अधिक रहता है।

(3) कम आय वाले परिवारों की महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है, यद्यपि परिवार की आय से उत्पीड़न को जोड़ना अधिक कठिन है।

(4) परिवार के आकार और उसकी रचना का पत्नी के पीटने से कोई परस्पर संबंध नही होता।

(5) साधारणतया पतियों के पीटने के कारण पत्नियों को कोई गहरी चोट नही लगती।

(6) पत्नी को पीटने के महत्वपूर्ण कारण है-यौन संबंधी असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति का गर्वित अहम् या हीनभावना, पति का वियक्कण होना, ईर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कार्यरता।

(7) पीटने वाले के बचपन में हिंसा की विपदग्रस्तता पत्नी के पीटने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

(8) यद्यपि उन पत्नियों का जिनके पति शराबी होते है, उत्त्पीड़न का अनुपात अधिक है परन्तु, यह देखा गया है कि अधिकांश पति अपनी पत्नियों को नशें की हालत में न पीट करउस समय पीटते है जब वे होश-हवास में होते है।

वैवाहिक बलात्कार :-

वैवाहिक बलात्कार या 'मराइटल रेप' से आशय पत्नी की इच्छा न होते हुए भी पत्नी के साथ जबर्दस्ती यौन संबंध स्थापित करना है। इससे महिला के अन्दर असुरक्षा का भाव जन्म ले लेता है जिससे उसमें घबराहट और स्वयं की नकारात्मक छवि उत्पन्न हो जाती है।

दहेज उत्पीड़न :- दहेज न पाने, कम पाने के कारण अथवा पत्नी की मृत्यू के पश्चात् पुन विवाह करके पुनः दहेज की लालच में बधुओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जिसमें विशेष रूप से बहु को जलाने की घटना आये दिन समाचार पत्रो में प्रकाशित होती रहती है। बहुधा महिलाओं की जलने से मौत हो जाती है, किन्तु यदि वह बच जाती है तो उसका शेष जीवन नर्क के समान हो जाता है इसके अतिरिक्ति दहेज न पाने के कारण बहु को मारना, पीटना, कमरे में बंद रखना, भूखा रखना आदि तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है।

(2) मानसिक उत्पीड़न :- दहेज को लेकर या ठीक ढंग से भोजन न बना पाने के कारण या फिर परिवार के सदस्यों की सही सेवा न कर पाने आदि कारणों से पारिवारिक सदस्य महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है। बहुधा दहेज न मिल पाने या कम पाने के कारण भी महिला को परिवार के अधिकांश सदस्य मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है जिसमें महिला के मानसिक स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है। महिला में विकृतियां जन्म लेने लगती है। फलस्वरूप कभी-कभी तो महिलाएं आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। मानसिक उत्पीड़न में निम्न तरीको से महिला को उत्पीड़ित किया जाता है।

(1) अपमानजनक गाली - गलौज करना

(2) ताने मारना,

(3) उपेक्षा करना,

(4) नीचा दिखाना, बेवजह बात का बतंगड़ बनाना

(5) प्रत्येक चीज में कमी निकालना

(6) महिला से बोलचाल बन्द कर देना

(7) महिला के मायके वालों को कोसना

(8) प्रत्येक मौके पर अपमान करना आदि।

(3) पारिवारिक सदस्यों द्वारा यौन शोषण-

क्राइम इन इंण्डिया की 2000 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 में से 3 बलात्कारी पारिवारिक सदस्य होते है, ये तो दर्ज मामले है जबकि ऐसे मामलों को दबा ही दिया जाता है क्योकि इससे परिवार की बदनामी होने का डर रहता है। पारिवारिक सदस्यो द्वारा महिला का यौन शोषण यदा कदा होता रहता है। इसमें ज्यादातर महिला की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसके साथ अत्याचार किया जाता है। रिश्ते की आड़ में पारिवारिक सदस्य महिला को उत्पीड़न सहने के लिए मजबूर करते है। कभी-कभी तो बृद्ध ससुर द्वारा पुत्री समान बहु के साथ यौन शोषण की घटनाएं भी समाचार पत्रो में देखने को मिलती है इसके अतिरिक्त, देवर, जेठ द्वारा उत्पीड़न की घटनाए अधिक देखने में आयी है।

दहेज हत्या :- विवाह के समय दुल्हन को पारम्परिक रिवाज के अनुसार दहेज देना सभी जाति, धर्म व क्षेत्र में प्रचलित है। मानव समाज से मानव सम्बन्धों में व्यापारीकरण एवं आर्थिक तत्वों का महत्व बढ़ता जा रहा है इससे समाज में दहेज रूपी दानव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। दहेज ज्यादा से ज्यादा मांगने के लिए दहेज हत्यायें की जाती है। कुछ पत्नियां उत्पीड़न से तंग आकर आत्म हत्या तक कर लेती है। कुछ को पति द्वारा दहेज के लिए अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है ताकि वह दूसरी शादी कर और दहेज प्राप्त कर सके। दहेज हत्या प्रायः दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इन हत्यायों में ज्यादातर प्रकरण घर के अन्दर के भाग में होते है। अतः यह कठिन होता है कि उसका कोई चश्मदीद गवाह हो इसे आकस्मिक घटना बताया जाता है। उसे हत्या करार देना कठिन कार्य होता है। इन मामलों में जो महिलांए जीवित रहती है वे अपने पति के विरूद्ध पुलिस को बयान नही देती यह बयान मृतक महिला द्वारा बफादारी के विपरीत माना जाता है। महिला अपने पिता के परिवार की शर्मिन्दगी के कारण भी बयान नही देती। कुछ सामाजिक समस्याएं यथा विवाह विच्छेद, स्वयं के प्रति शर्म आदि कारण भी इन हत्याओं की गुत्थी नही सुलझने देती।

यद्यपि दहेज निषेधाज्ञा कानून 1961 (डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961) ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है, परन्तु वास्तव में कानून केवल यही स्वीकार करता हैकि समस्या विद्यमान है वास्तविक रूप में यह कभी सुनने में नहीं आता कि किसी पति या उसके परिवार पर दहेज लेने के आग्रह को लेकर कोई मुकदमा चलाया गया हो। यदि कुछ हुआ हो तो यह कि गत वर्षो में दहेज की मांग और उसके साथ-साथ दहेज को लेकर हत्यांए बढ़ी है। यदि एक सन्तुलित अनुमान लगाया जाये तो भारत में दहेज न देने अथवा पूरा नही देने के कारण प्रतिवर्ष हत्याओं की संख्या लगभग 5,000 मानी जा सकती है। भारत सरकार की 2000 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में हर 90 मिनट में एक दहेज से संबंधित हत्या होती है तथा एक दिन में 16 व एक वर्ष में लगभग 6000 (द हिन्दुस्तान टाइम्स, मई 18, 2001 अधिकांश दहेज हत्यांए पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों की मिली भगत से होती है, इसलिए अदालते प्रमाण के अभाव में दंडित न कर पाने को स्वीकार करती है। कभी-कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी कठोर हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते है।

दहेज हत्याओं की महत्वपूर्ण विशेषताए राम आहूजा के अपने आनुभाविक अध्ययन के अनुसार है-

(1) मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्नवर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है।

(2) लगभग 70% पीड़ित 21-24 आयु समूह की होती है, अर्थात केवल शरीरिक रूप से ही नही, अपितु सामाजिक एवं भावात्मक रूप से भी परिवक्व होती है।

(1) यह समस्या निम्न जाति की समस्या की अपेक्षा उच्च जाति की अधिक है।

(2) वास्तविक हत्या से पहले युवा वधु को कई प्रकार से सताया एवं अपमानित किया जाता है जो कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यस्थित संरूप को दर्शाता है।

(5) दहेज हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक कारक अपराधी पर वातावरण का दवाब या सामाजिक तनाव है जो उसके परिवार के आन्तरिक और बाहय कारणों से उत्पन्न होते है, अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, प्रबल प्रकृति, और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है।

(6) लड़की के शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए की गई उसकी हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नही होता है।

(7) पारिवार की रचना नव वधु के जलाने में निर्णायक भूमिका अदा करता है।

यौन शोषण या उत्पीड़न :- महिला कहीं भी सुरक्षित नही है, बाजार हो, सड़क हो, स्कूल हो, कार्यालयों या अपना स्वयं का घर हर जगह कुछ आंखे उन्हे सदैव धूरती रहती है। भीड़ में धक्का मुक्की के बहाने, शारीरिक सम्पर्क, गन्दी फिरकेबांजी, अश्लील बाते प्रत्येक भारतीय औरत के लिए आम बात है। इस कम्यूटर युग में तो महिलाओं के यौन शोषण के नए-नए तरीके ईजाद कर लिए गये है फोन पर अश्लील बाते, नेट पर पोर्नोग्राफी, मोबाइल पर अश्लील एस0एम0एस0 भेजना आज के आधुनिक तरीके है। बुद्धिसत्व गौतम बनाम कुमारी शुभाचक्रवर्ती, ए0आई0आर0 1996 एस0सी0 922 के मामले में एक शिक्षक द्वारा अपनी ही शिष्या का यौन उत्पीड़न किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ बुमेन स्टडीज में 100 लड़कियों के सर्वे से निम्न तथ्य प्राप्त हुए।

- 98% लड़किया यौन उत्पीड़न को डेली मील (रोज का भोजन) का हिस्सा मान चुकी है।
- सिर्फ एक लड़की ने शिकायत दर्ज की जिस पर ध्यान नहीं दिया गया।
- लड़कियों को कई बार अपनों की नजर भी अजीब लगती है।
- उच्चतम न्यायलय ने सन् 1992 में विशाखा बनाम राजस्थान तथा उड़ीसा सरकार से संबधित फैसलों मे यौन उत्पीड़न में निम्नांकित कृत्यों को सम्मिलित किया है -

(क) शारीरिक सम्पर्क अथवा एसे सम्पर्क का प्रयास

(ख) यौन सम्पर्क का प्रस्ताव अथवा अनुरोध

(ग) अश्लील टिप्पणियां एवं संकेत

(घ) कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन

(ङ) अन्य अशोभनीय अथवा अश्लील आचरण

हम मानते है कि इन दिनों महिलाएं कार्यक्षेत्र में भी आगे आयी है। वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगीं हैं। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। लेकिन महिलाओं को अपने कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न अधिक सहना पड़ता है। महिलाएं विभिन्न कंपनियों में कार्य करती है जहां बॉस से लेकर सहकर्मी तक उसका यौन उत्पीड़न करते है। विभिन्न संगठनों और महिलाओं पर साक्षी (दिल्ली की एक गैर सरकारी संगठन) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से निम्न तथ्य प्रकाश में आए -

- 80% महिला कर्मियों का कहना है कि भारतीय दफ्तरों में यौन उत्पीड़न होता है।
- 49% ने इस उत्पीड़न को भुगता है।
- 41% ने इसे नहीं भुगता और न ही ऐसी किसी महिला को जानती है, जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है।

58% ने सुप्रीम कोर्ट के 1997 के यौन उत्पीड़न फैसले (विशाखा फैसला) के बारे में नहीं सुना है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्थिति अत्यन्त भयावह है। प्रश्न उठता है कि आखिर कम्पनियों में क्या है ? यौन उत्पीड़न-

- प्रबंधक का अपनी कर्मचारी से 'डेट' की बात करना यौन उत्पीड़न है।
- नेट की पोर्नोग्राफी महिला सहयोगी को दिखाना यौन उत्पीड़न है।
- महिला कर्मचारियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में पुरुष कर्मियों का अकेले में बात करना यौन उत्पीड़न है।
- एक्जीक्यूटिव का अपनी सचिव से आते-जाते बार-बार टकराना भी है यौन उत्पीड़न।

- महिला सहयोगियों को गन्दे मेल भेजना यौन उत्पीड़न है।
- महिला कर्मचारी को स्वीट हार्ट कहना यौन उत्पीड़न है।
- महिला सहयोगी को सप्ताहंत साथ बिताने को कहना भी यौन उत्पीड़न है।
- पुरुष एवं महिलाओं के लिये एक ही शौचालय भी यौन उत्पीड़न है।

कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ने से न्याय पालिका ने उसमें हस्तक्षेप कर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिये कतिपय दिशा-निर्देश जारी किये।

- जहां कामकाजी महिलाएं हैं वहां के नियोक्ताओं एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें, उन्हें रोकने के उपाय करें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की कार्यवाही करें।
- कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों से जन साधारण को अवगत कराया जाय।
- यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न के लिये अभियोजित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाय कि पीड़ित महिला एवं मामले में साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को तंग एवं परेशान न किया जाय।
- यदि किसी कार्य स्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।
- कामकाजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न सम्बन्धी परिवादों (शिकायतों) की सुनवाई के लिये शिकायत समितियों का गठन किया जाय।
- यौन उत्पीड़न निवारण विषयक साहित्य तैयार किया जाय तथ इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाय।

- किसी कामकाजी महिला के साथ बाहरी व्यक्तियों यौन उत्पीड़न किये जाने पर ऐसी महिला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाय।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारें कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित विधियां बनाएं।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के परिणामस्वरूप कुछ कंपनियों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बना रखी है। ज्यादातर कंपनियों में ऐसी नीति नहीं है।

बलात्कार-

एक महिला के लिये बलात्कार से ज्यादा वीभत्स एहसास और कुछ नहीं हो सकता। विपरीत इसके भारत में प्रत्येक 40 मिनट में एक महिला बलात्कार की शिकार हो जाती है। बहुधा महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। परन्तु जो बच जाती है, उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। समाज ऐसी औरतों को गिरी नजरों से देखता है जबकि यह उसी समाज की देन होता है। बदनामी के डर से महिलाएं चुपचाप अपराध सहने को मजबूर रहती है। जिससे अपराधियों का हौसला और मजबूत होता है। जो महिलाएं न्याय की आस से न्यायालय या कानून का दरवाजा खटखटाती है वहां भी उन्हें न्यायालय द्वारा न्याय नहीं मिल पाता। पहले तो पुलिस ही तरह-तरह से उक्त महिला को प्रताड़ित करती है। इसके पश्चात न्यायालय में वकीलों द्वारा ऐसे सवाल किये जाते है जिनका जवाब देना महिला के लिये मुश्किल होता है। फलस्वरूप कानूनी पेंचीदीगियों के कारण आरोपी आजाद घूमते रहते है। परन्तु इन सबसे कष्टकारी होता है महिला का अपने परिवार समूह के लोगों के द्वारा उपेक्षा करना। एक ऐसा अपराध जिसमें महिला का कोई योगदान नहीं होता उसकी सजा वह महिला शेष जिन्दगी भोगती रहती है। बजाय सहानुभूति के हमार समाज बलात्कार की शिकार महिला के चरित्र पर ही कीचड़ उछालने लगता है। उसे चरित्रहीन करार देकर उसकी पीड़ा का और

बढ़ा देता है। फलस्वरूप महिलाएं बलात्कार के बाद मर जाना ही उचित समझती है और समाज प्रतिवर्ष न जाने कितनी ऐसी महिलाओं की हत्या कर देता है।

यद्यपि बलात्कार की समस्या सभी देशों में गंभीर मानी जाती है फिर भी इसकी दर में ह्रास की जगह बढ़ोत्तरी ही हुई है। हमारे देश में 1996 और 1998 के बीच हुए बलात्कार के मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है। कि प्रत्येक चार घंटों में सात बलात्कार होते हैं, या प्रतिवर्ष 15000 मामले होते है (क्राइम इन इण्डिया, 1998:157) केन्द्रीय सरकार द्वारा ''महिलाओं के विरुद्ध अपराध'' पर प्रस्तुत की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 40 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है इसका अर्थ हुआ कि एक महीने में 1275 तथा एक वर्ष में 15300 बलात्का होते है। आयु के हिसाब से बलात्कार के शिकार की प्रतिशतता 16 से 30 वर्ष के आयु-समूह में सर्वाधिक है (56 प्रतिशत), जबकि 10 वर्ष से कम आयु के शिकार लगभग 4.2 प्रतिशत है, 10 और 16 वर्ष के बीच आयु के शिकार लगभग 22.8 प्रतिशत है, तीस वर्ष से ऊपर के शिकार 17 प्रतिशत है। (क्राइम इन इण्डिया, 1998:159)। गरीब लड़कियां ही बलात्कार की शिकार नहीं होती अपितु मध्यम वर्ग की कर्मचारियों के साथ भी मालिकों द्वारा लैंगिक अपमान किया जाता है। जेल में कैद महिलाओं के साथ अधीक्षकों द्वारा बलात्कार किया जाता है, अपराध संदिग्ध महिलाओं के पुलिस अधिकारियों द्वारा, महिला मरीजों के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा, और रोजाना वेतनभोगी महिलाओं के साथ ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा बलात्कार किया जाता है। यहां तक कि बहरी और गूंगी, पागल और अंधी भिखारिनों को भी नहीं छोड़ा जाता। निम्न मध्यम श्रेणी से आयी हुई महिलाएं जो कि अपने परिवारों का प्रमुख रूप से भरण पोषण करती है, लैगिंक दुर्व्यवहार को खामोशी से और बिना विरोध किये सहन करती है। यदि वे विरोध करती है तो उन्हें सामाजिक कलंक और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें पाप की पीड़ा और व्यक्तित्व के रोग भयंकर रूप से सताते हैं।

राम आहूजा के बलात्कार की शिकार महिलाओं के आनुभाविक अध्ययन से महिलाओं के

विरुद्ध किये गये अपराधों की निम्नांकित महत्वपूर्ण विशेषताओं की उद्घाटित किया है-

(1) बलात्कार सदैव पूर्णतया अपरिचित व्यक्तियों में नहीं होते।

(2) प्रत्येक 10 में से 9 बलात्कार परिस्थिति से संबंधित होते हैं।

(3) लगभग 3/5 बलात्कार (58%) एकल बलात्कार होते हैं। जिसमें एक अपराधी होता है।

(4) 1/5 (21%) द्वय बलात्कार होते है। (यानी एक महिला के साथ दो आदमी बलात्कार करते हैं)।

(5) 1/5 (21.1%) सामूहिक बलात्कार होते हैं।

(6) प्रत्येक 10 बलात्कारों में 9 में किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा या क्रूरता नहीं होती यानी अनेक मामलों में महिला को वश में करने के लिये प्रलोभन एवं मौखिक दबाव काम में लिये जाते हैं।

(7) तीन चौथाई से कुछ कम बलात्कार (70%) उत्पीड़ितों या उत्पीड़ित करने वालो के घरों में होते हैं और लगभग 1/4 गैर रिहाइशी भवनों में होते हैं।

(8) उत्पीड़ितों की सबसे ऊँची दर 15-20 वर्ष के आयु समूह में होती है, जबकि अधिकांशतया अपराधी 23-30 के आयु समूह के होते हैं। इस प्रकार शिकार चुनने में युवावस्था को विशेष महत्व दिया जाता है।

अपहरण करना व भगाकर ले जाना :-

एक नाबालिग (18 वर्ष से कम लड़की और 16 वर्ष से कम आयु का लड़का) को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को 'अपहरण' कहते हैं। 'भगा ले जाने' का अर्थ है कि एक महिला को इस उद्देश्य से जबरदस्ती कपटपूर्वक या धोखेबाजी से ले जाना कि उसे बहकाकर उसे साथ अवैध मैथुन किया जाय या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाये। अपहरण में उत्पीड़त की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु भगा ले जान में उत्पीड़ित की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करवा देती है।

1992 से 1998 के आंकड़ों पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि हमारे देश में एक दिन में लगभग 42 लड़कियों/स्त्रियों का अपहरण किया जाता है या उन्हें भगाकर ले जाया जाता है। लगभग

15000 महिलाओं को 1 वर्ष में भगाया जाता है। भारत में भगाकर ले जाने की मात्रा प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 2.0 है। (क्राइम इन इण्डिया : 1998, 158) भारत सरकार की एक और रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 33 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है अथवा एक दिन में 43 व एक वर्ष में 15,617 केस होत हैं। प्रति वर्ष भगाये जाने वाले/अपहरण किये जाने वालों की कुल संख्या 86.5% महिलाएं और 13.5% पुरुष होते हैं।

अपहरण/भगा ले जाने की महत्वपूर्ण विशेषताएं राम आहूजा के आनुभाविक अध्ययन के अनुसार निम्न है :-

(1) अविवाहित लड़कियों के भगा ले जाने के शिकार बनने की संभावना विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है।

(2) भगा ले जाने वाले व उनके शिकार अधिकांश प्रकरणों में एक दूसरे से परिचित होते हैं।

(3) भगा ले जाने वाले और उसके शिकार प्रायः प्रारम्भिक सम्पर्क सार्वजनिक स्थानों के बजाय उनके घरों और पड़ोस में होता है।

(4) अधिकांशतया, भगा ले जाने में एक ही व्यक्ति लिप्त होता है। इस प्रकार अपराधी की ओर से धमकी या उत्पीड़क की ओर से विरोध भगा ले जाने के प्रकरणों में अधिक आम नहीं है।

(5) भगा ले जाने के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मैथुन/सैक्स और विवाह होते है। आर्थिक उद्देश्यों से भगा ले जाने वालो की कुल संख्या मुश्किल से 1/10 होती है।

(6) 80% से अधिक मामलो में भगा ले जाने के पश्चात लैंगिक आक्रमण होता है।

(7) माता-पिता का नियंत्रण और परिवार में स्नेहपूर्ण सम्बन्धों का आभाव भगा ले जाने वाले और पीड़ित के संपर्को तथा लड़की के (पीड़ित के) किसी परिचित व्यक्ति (जिसे बाद में दवाब में आकर भगा ले जाने वाला कहा जाता है) के साथ घर से भाग जाने के निर्णायक कारण होते है।

हत्या :-

महिलाओं की हत्या हालांकि दहेज के रूप में आम प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारणों से महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। इनमें ज्यादातर हत्याएं अवैध सम्बन्धों को लेकर होती है। विवाह पूर्व सम्बन्ध या विवाहोत्तर सम्बन्ध महिला की हत्या का कारण बनते है। परिवारों में छोटे-छोटे झगड़े आम बात है। परन्तु कभी-कभी इन झगड़ो में क्रोध में आकर पुरूष द्वारा महिला की हत्या तक कर दी जाती है। प्रायः इस तरह की हत्याएं कम ही प्रकाश में आती है। और ज्यादातर आवेश में आकर ही की जाती है परन्तु कभी- कभी नियोजित ढग से भी परिवार के सदस्यों के द्वारा महिला की हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे कारण उक्त महिला से छुटकारा पाना होता है जो पारिवारिक सदस्यों की आकांक्षाओं पर खरी नही उतर रही होती है। इधर कुछ रोचक मामले भी प्रकाश में आए हैं। कुछ पतियों ने या पारिवारिक सदस्यों ने महिला की लम्बी बीमारी के चलते इलाज खर्च बचाने हेतु भी बीमार महिला की हत्या की हैं इसी तरह कुछ मामलों मे बीमा की रकम हड़पने के उद्‌देश्य से भी पत्नियों की हत्याएं कर दी जाती है। लेकिन इस तरह के मामले विरले ही होते है। बहुधा हत्या के पीछे मुख्य कारण अवैध सम्बन्ध ही होते हैं। ऐसे मामलात में पति द्वारा पत्नी की हत्या, पत्नी द्वारा पति की रखैल या प्रेमिका की हत्या का मामला भी प्रकाश में आया है, मधुमिता हत्याकाण्ढ जिसमें एक कद्‌दावार नेता की पत्नी अपने पति की प्रेमिका की हत्या करा देती है। आज आधुनिक होती जिन्दगी में महिलाएं भी पीछे नहीं है। दया, ममता, करुणा की पूरानी छबि से निकलकर आज महिलाएं भी आधुनिक होती जा रही है। फलस्वरूप उनकी भी कई तरह की समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता हो जाती हैं इस तरह के माहौल में उनकी हत्याएं भी आम होती जा रही है।

व्रिधवाओं के विरुद्ध हिंसा :-

हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर अभी तक विधवा शब्द एक गाली की तरह प्रयुक्त होता आ रहा हैं। विधवा होना अपने आप में एक अपराध है। हमारा भारतीय समाज में शायद इसी सिद्धान्त

को अपनाएं हुए है। हालांकि स्थिति में परिवर्तन हैं प्राचीन काल में जहां विधवा को देखना भी सुहागिनों के लिए अपराध था, वहीं आज विधवाएं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रही है। परन्तु विधवा महिला में विधवा का कंलक तो लग ही जाता है। सब विधवाएं एक प्रकार की समस्याओं का सामना करती। एक विधवा ऐसी हो सकती है जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षो में ही विधवा हो गई हो, या वह ऐसी हो सकती है जो 5 से 10 वर्ष के पश्चात विधवा हुई हो और उसके एक या दो बच्चे पालने के लिए हो, या ऐसी हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक हो। यद्यपि इन तीनों श्रेणियों की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक, और भावात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पहली और तीसरी श्रेणियों की विधवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि दूसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने बच्चो के लिए पिता की भूमिका भी अदा करनी पड़ती है।

पहली दो श्रेणियों की विधवाओं को जैविक समंजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इन दो किस्मों की विधवाओं का अपने पति के परिवार में इतना आदर-सत्कार नहीं होता जितना कि तीसरी किस्म का। वास्तव में जहां एक ओर परिवार के सदस्य विधवाओं की पहली दो श्रेणियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वहां दूसरी ओर तीसरी श्रेणी की विधवा अपने पुत्र के परिवार में मूल व्यक्ति हो जाती है। क्योंकि उसको अपने पुत्र के बच्चों की देख-रेख का और काम पर जाने वाली पुत्रवधू की अनुपस्थिति में खाना पकाने का दायित्व सौंप दिया जाता है। विधवाओं की तीनों श्रेणियों की आत्मछबि और स्वाभिमान भी भिन्न होते है। एक विधवा की आर्थिक निर्भरता उसके स्वाभिमान और उसकी पहचान की भावना के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करा देती है। परिवार की भूमिकाओं में उनके सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निम्न दर्जा प्रदान किए जाने से उनका स्वाभिमान कम होता है। विधवा होने का कलंक ही अपने आपमें एक स्त्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसका सम्मान अपनी ही दृष्टि में कम हो जाता है।

यदि हम सब प्रकार की विधवाओं को ले तो हम कह सकते हैं कि विधवाओं के विरुद्ध हिंसा में पीटना, भावनात्मक उपेक्षा/यातना, गाली-गलौज कना, लैगिंग दुर्व्यवहार, सम्पत्ति में वैध हिस्से से बंचन और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सम्मिलित है। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं -

(1) युवा विधवाओं को अधेड़ विधवाओं की अपेक्षा अधिक अपमानित और तंग किया जाता है और उनका शोषण और उत्पीड़न भी अधिक होता है।

(2) साधारणतया, विधवाओं को अपने पति के व्यापार, हिसाब-किताब, सर्टिफिकेट, बीमें की पालिसियों और प्रतिभूतियों के बारे में नगण्य के बराबर जानकारी होती है और वे अपने पविार (प्रजनन के) के बेईमान सदस्यों की धोखेबाजी के षड्यन्त्रों की आसानी से शिकार हो जाती है। और वे (सदस्य) इस प्रकार उनकी विरासत में मिली सम्पत्ति और जीवन बीमा के फायदों को हड़पने का प्रयास करते हैं।

(3) हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशतया पति के परिवार के सदस्य होते हैं।

(4) उत्पीड़न के तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शक्ति, संपत्ति और कामवासना है। सम्पत्ति मध्यमवर्ग की विधवाओं के उत्पीडन का निर्णायक कारक होता है, कामवासना निम्न वर्ग की विधवाओं के और शक्ति मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग दानों की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारक होती है।

(5) यद्यपि सास की सत्तावादी व्यक्तित्व और पति के भाई-बहनों का असमंजन विधवा के उत्पीड़न में महत्वपूर्ण कारक होते है, फिर भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक विधवा की निष्क्रिय कायरता होता है।

(6) आयु, शिक्षा और वर्ग का विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध दिखाई देता है, परन्तु परिवार की रचना और उसके आकार से उसका कोई परस्पर संबंध नहीं होता।

सामाजिक हिंसा-

ये महिला अपराध भ्रूण हत्या के रूप में अधिक होते हैं। भारत में समाज पितृ-प्रधान है, समाज के सभी दृष्टिकोण से पुरुष को प्रधान माना गया है अतः प्रत्येक परिवार में, समाज में लड़के का जन्म उत्तम व लड़की का जन्म श्राप माना जाता है। इस प्रवृत्ति में वैज्ञानिक तकनीकि में बढ़ोत्तरी की है। गर्भ में शिशु परीक्षण कर गर्भस्थ महिला की हत्या की जा रही है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में महिला के विरुद्ध हिंसा के रूप में लड़की को जन्म देते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इधर यह प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों में भी देखने में आयी है। इसके पीछे मुख्य कारणों में, उच्च दहेज, पुरुष प्रधान समाज, स्त्री की घटती प्रस्थिति आदि मुख्य है। अत्यधिक दहेज प्रचलन के कारण माता-पिता कन्या को जन्म देना ही नहीं चाहते इस कारण आजकल भ्रूण परीक्षण का प्रचलन बढ़ा है। हालांकि भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है। परन्तु इसकी दर में कमी के बजाय बढ़ोत्तरी ही हो रही है। आरक्षित पिछड़े परिवारों में भ्रूण हत्या का प्रचलन बढ़ा है जो यह दर्शाता है कि कन्या का जन्म कोई भी नहीं चाहता है। इस कारण कई बार यह देखने में आया कि लड़की के बीमार होने पर उसका उचित इलाज नहीं कराया जाता। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। यह भी एक प्रकार की हत्या है। इस सबके पीछे स्त्री की निम्न प्रस्थिति है। विडम्बना तो इस बात की है कि स्वयं नारी ही कन्या को जन्म देने में खुशी नहीं महसूस करती। भ्रूण परीक्षण के लिए महिलाएं स्वयं भी उत्सुक दिखलाई पड़ती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक अन्य वर्गीकरण और किया गया है जो निम्न प्रकार है -

1. वह हिंसा जो धन अभिमुख होती है।
2. वह हिंसा जो सत्ता प्राप्त करना चाहती है।
3. वह हिंसा जिसका उद्देश्य भोग-विलास हो।
4. अपराधकर्ता की विकृति के कारण हिंसा।
5. तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हिंसा।
6. पीड़ा प्रेरित हिंसा।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न सार्वकालिक और सर्वत्र रहा है, हिंसा की प्रकृति जरूर भिन्न-भिन्न हो सकती है। राम अहूजा महिलाओं की इस स्थिति के लिए उनमें चेतना की कमी का कारण मानते है। वे महिलाओं में चेतना से सम्बन्धित तथ्यों को पेश करते है। जो इस प्रकार है -

सामाजिक अधिकारों की चेतना :-

(1) महिलाओं को विवाह सम्बन्धी कानूनों की जानकारी बहुत कम है। सर्वेक्षण में केवल 10 में से 1 महिला को ही अपना जीवन साथ के चुनाव के अधिकार की जानकारी थी। 50 में से 1 से भी कम को तलाक के अधिकार का ज्ञान था, 10 में से 1 से भी कम को तलाक के बाद गुजारे भत्ते के अधिकार का ज्ञान था, 5 में से 1 से कम को विधवा पुनर्विवाह अधिकार का और 5 में से 1 से कम को दहेज कानून का ज्ञान था। कुल 10 में से 1 महिला को ही विवाह कानून की कुछ जानकारी थी।

(2) महिलाओं के विषय में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। महत्वहीन विषयों पर ही सलाह ली जाती है।

(3) महिलाओं की परिवार में स्थिति कुण्ठाग्रस्त न होकर जीवन अनुभवों के बीच संतोष की है।

(4) लगभग 2/3 महिलाएं अपने वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन से संतुष्ट थी।

आर्थिक अधिकारों की चेतना -

(1) बहुत कम महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में से भाग लेने के अधिकार का ज्ञान था। पति की सम्पत्ति में से अपने भाग के अधिकार का ज्ञान 80% महिलाओं को है।

(2) 1/3 महिलाओं को ही अपने पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है। 0.5% को पिता की सम्पत्ति से उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

(3) गांव में 10 में से 1 महिला ही कामकाजी है तथा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है।

(4) कामकाजी महिलाओं में 10 में से 9 अपनी आमदनी से असन्तुष्ट होती है। यह असंतुष्ट कार्य के विचार से न होकर कार्य की दशाओं से है।

(5) महिलाओं अपनी आय को अपनी इच्छा से व्यय करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है।

राजनैतिक अधिकारों की चेतना -

(1) 20% महिलाओं को ही राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान है।

(2) मताधिकार प्राप्त महिलाओं में से 3/4 ही उसका प्रयोग करती है। जो कि घूमने के उद्देश्य से जाती है।

(3) महिलाओं का मत देने का व्यवहार न तो राजनैतिक गतिशीलता से और न ही राजनीतिक समाजीकरण से जुड़ा होता है। बल्कि अपने पति के राजनैतिक विश्वास और अभिरुचि से जुड़ा होता है।

(4) आम तौर पर महिलाएं किसी भी राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्य नहीं होती कुछ समर्थक अवश्य होती है।

महिलाओं में इन अधिकार चेतनाओं की कमी के कारण आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। इसके फलस्वरूप वे शोषण को चुपचाप सहने को विवश हैं महिलाओं में अधिकार चेतना में प्रमुख बाधाएं- अशिक्षा, गृह कार्य में व्यस्तता, घरेलू बन्धन, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता आदि है। हालांकि वर्तमान में महिलाओं में अधिक चेतना बढ़ी है। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत दिखलाई पड़ती है। परन्तु अभी भी उनमें आत्म विश्वास की कमी है।

हिंसा के शिकार :-

यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी प्रकरणों को एक साथ लें तो हम पाएगे कि हिंसा की साधारणतया शिकार वे महिलाएं होती हैं -

(1) जो असहाय और अवसादग्रस्त होती है, जिनकी आत्म छबि खराब होती है, जो आत्म व अवमूल्यन से ग्रसित होती है, या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गयी हिंसा के फलस्वरूप

भावात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है, या वे जो परार्थवादी विवशता से ग्रस्त हैं।

(2) जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारों में होती है जिन्हें समाजशास्त्रीय शब्दावली में 'सामान्य परिवार' नहीं कहा जा सकता। सामान्य परिवार वे है जो संरचनात्मक रूप से पूर्ण होते हैं। (दोनों माता-पिता जीवित है और साथ-साथ रह रहे हैं) आर्थिक रूप से निश्चित ही (सदस्यों की मूल और पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं) प्रकार्यात्मक रूप से उपयुक्त है (वे बिरले ही लड़ते है) और नैतिक रूप से नैष्ठिक है।

(3) जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर-वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है। जिसके कारण उन्हें व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(4) जिनके पति/ससुराल वालों का विकृत व्यक्तित्व है।

(5) जिनके पति बहुधा मदिरापान करते है।

हिंसा के अपराधकर्ता -

महिलाओं के अपराधकर्ता वे है -

(1) जो अवसादग्रस्त होते है, जिनमें हीन भावना होती है और आत्म सम्मान कम होता है।

(2) जिन्हें व्यक्तित्व के दोष होते है और जो मनोरोगी होते हैं।

(3) जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभाओं का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है।

(4) जिनकी प्रकृति में मालिकानाप, शक्कीपन और प्रबलता है।

(5) जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं।

(6) जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे।

(7) जो बहुधा मदिरापान करते है।

उपरोक्त हिंसा के शिकार और अपराधकर्ताओं की विशेषताओं के प्रकाश में यदि देखा जाय तो जो सबसे प्रमुख विशेषता है शिकार और अपराधकर्ताओं का अवसादग्रस्त, हीन भावना से ग्रसित

होना प्रमुख है। आज की भागम-भाग जिन्दगी में तनाव बढ़ते ही जा रहे है। जीवन की चुनौतियों का सामना करते-करते मनुष्य थक सा जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति में तनाव उपजता हैं असफलता मिलने से व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और आत्मविश्वास खत्म सा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हिंसा करने और सहने के लिए उपयुक्त होते है। यही कारण है कि आज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की दर में बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

हिंसा के प्रेरणास्रोत-

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को तीन कारकों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है :-

(1) स्थितियां जिनके कारण हिंसापूर्ण व्यवहार होता है।

(2) पीड़ितों की विशेषताएं।

(3) उत्पीड़ित करने वाले की विशेषताएं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के चार कारण पहचाने जा सकते है -

(अ) पीड़ित द्वारा भड़काना।

(ब) नशा।

(स) महिलाओं के प्रति शत्रुता की भावना।

(द) परिस्थितिवश प्रेरणा।

(अ) पीड़ित द्वारा भड़काना -

कभी-कभी हिंसा का शिकार महिला अपने व्यवहार से जो कई बार अनजाने में होता है, अपने स्वयं के उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पीड़ित महिला अपराधी के हिंसापूर्ण व्यवहार को उत्पन्न करती है या प्रेरित करती है। उस (महिला) के कार्य शिकारी को हमलावर में परिवर्तित कर देते है और वह अपने अपराधिक इरादों को उसको लक्ष्य बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि केवल कुछ ही हमलावर शर्म या चिन्ता की भावनाओं से ग्रसित दिखई देते है।

अधिकांश में किसी भी प्रकार की भावात्मक घबराहट नहीं थी और न ही वह भावना थी जिसे मनोवैज्ञानिक 'अशान्त पुरुषत्व' की समस्या कहते है, इसके बजाय पत्नी को पीटने वाले अपनी पत्नियों पर दोषारोपण करते है कि वे पीछे से बुराई करती है, उन व्यक्तियों से बात करती है जिन्हें वे पसंद नही करते, उनकी बहनों या माता-पिता या भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, रिश्तेदारों से अभद्र तरीके से बोलती है, किसी व्यक्ति के साथ अवैध सम्बन्ध रखती हे, अपने सास-ससुर का कहना नहीं मानती है, उन्हें अपने झगड़ालूनपन या दोषारोपण से गुस्सा दिलाती है, या अनेक मामलों में अत्यधिक हस्ताक्षेप करती है। बलात्कार करने वाले, पीड़ितों के व्यवहार को लैगिंक सम्बन्धों के लिए खुला निमंत्रण बतलाते है। ऐसा संकेत बतलाया कि यदि वह (व्यक्ति) आग्रह करता रहेगा तो वह (महिला) प्राप्य हो जायेगी। यह मालूम करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित का अभिप्राय वास्तव में इस प्रकार के व्यवहार को आमन्त्रित करना था या नहीं या यह केवल उत्पीड़ित करने वाले का अपना ही अर्थ/अनुभूति थी, जिसके कारण उसने उसका (स्त्री) शोषण किया। इसको यदि 'आचरण का कार्य' नहीं कहा जाये तो 'अनाचरण का कार्य' तो कहा ही जा सकता है। इस प्रकार 'निष्क्रिय' पीड़ित महिला उस सीमा तक हिंसापूर्ण कार्य के होने में योगदान देती हैं जितनी कि 'सक्रिय' पीड़ित महिला। हत्या के प्रकरणों में कई हमलावरों में बताया की हत्या की स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब बहस और कहा-सुनी में पीड़ितों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिन्होंने उन्हें उन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। भगाए जाने के आरोपियों ने भी बताया कि पीड़ितों ने उनके साथ भाग जाने और विवाह करने की इच्छापूर्ण सहमति दी थी, परन्तु जब माता-पिता की शिकायत पर वे गिरफ्तार कर लिए गये तो 'पीड़ित' महिला ने अपने माता-पिता द्वारा बाध्य किये जाने पर उन पर भगा ले जाने का अरोप लगा दिया।

(ब) नशा -

अक्सर ही यह सुक्ति देखने को मिल जाती है कि नशा ही सारी बुराइयों की जड़ है। नशे में व्यक्ति अपने होशो हवास खो बैठता है.और कई तरह के अनैच्छिक कार्य कर डालता है। महिला हिंसा

के भी कुछ प्रकरण उस समय होते है। जब आक्रामक नशे में और अत्युत्तेजक एवं लड़ाई करने की मनोदशा में होते है और उनको यह समझ में नहीं आता कि उनके कार्यों के क्या परिणाम होंगे। बलात्कार के अधिकार मामलों में बलात्कारी नशे की हालत में होते है। उस समय वे अपना आत्मसंयम खो चुके होते है और उनके आक्रामक स्वप्नचित कामवासना के प्रगाढ़रूप से आपस में मिल गए होते है जो बाद में अनुत्तरदायी कार्यों का रूप धारण कर लेते है। मदिरा से सम्बन्धित यौन अपराध समय, स्थान और परिस्थितियों को अविवेचित उपेक्षा का उदाहरण देते है।

इसी प्रकार पत्नी को पीटने के कुछ प्रकरणों में भी यह बात समाने आयी है कि कुछ पति शराब के नशे में पत्नी को पीटना शुरु कर देते है। इसका कारण नशे की हालत में व्यक्ति का विवेक शून्य होना होता है। कहीं-कहीं तो देखने में आया कि स्वयं शराब ही पत्नी को पिटने का कारण बन जाती है। पत्नियां पतियों को शराब न पीने को कहती है। प्रत्युत्तर में पति कई तरह के बहाने बनाता है। परन्तु ज्यादा बात बढ़ने पर मार-पीट शुरु हो जाती है। इसी प्रकार हत्या के मामले में भी शराब या नशे की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। नशे में व्यक्ति वह कार्य कर बैठता है जिसे कि वह सामान्य स्थिति में नहीं कर पाता। इसी प्रकार छेड़छाड़ की घटनाएं भी नशे के दरम्यान अधिक होती है। नशे में व्यक्ति, फिरकेबाजी और अश्लील शब्दावलियां ज्यादा प्रयुक्त करता है। शराब व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं को उभारकर उसे अनैतिक कार्यों को करने के लिए उकसाती है।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जब हम हिंसा और शराबीपन में परस्पर सम्बन्ध बनाते है तो हम रक्त में शराब के स्तरों के माप के स्थान पर केवल शराब के उपयोग की सूचना पर ही निर्भर रहते है। वास्तव में रक्त और शराब का गाढ़ापन (Blood Alcohal Concentration-BAC) पीटने को शराब के प्रभाव से सम्बद्ध करने का आधार होना चहिए। यदि BAC अधिक होगा तो व्यक्ति को दूसरों को शारीरिक चोट पहुंचाने की क्षमता कम हो जाएगी। फिर भी हम मानते है कि BAC का स्तर इतना होना चाहिए कि अपराधी इस सीमा तक ही अपने पर नियंत्रण खोए कि वह अपने कार्यो के

परिणामों के बारे में न सोच पाए। वह केवल इसी मनोदशा में हिंसात्मक होता है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या शराब हिंसापूर्ण व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से भड़काती है या वह मुख्य रूप से पूर्व से ही विद्यमान आक्रमणशील प्रवृत्तियों की अन्तर्वाधा को समाप्त करने का काम करती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि कुछ हिंसा के अपराधकर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करने से पहले साहस जुटाने के लिए शराब पीते है।

(स) महिलाओं के प्रति विद्वेष -

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रतिवेदन मामलों में कुछ ऐसे है जिनमें आक्रमणकारी किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं होते और वे उनके विरुद्ध बड़ी क्रूरता से विद्वेषपूर्ण कार्य करने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनमें से कुछ में महिलाओं के प्रति घृणा और द्वेष की भावनाएं इतनी गहराई से भरी हुई थी कि उनके हिंसपूर्ण कार्य का मूल उद्देश्य पीड़ित महिला को अपमानित करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता है। यदि परिस्थिति ही केवल प्रेरणा का कारक होती तो यह समझा कठिन हो जाता कि जब अधिकांश अपराधी सामान्य व्यक्ति समझें जाते हैं तो वे हिंसक कार्य करने को क्यों बाध्य हो जाते हैं ? कदाचित ऐसे प्रकरणों से पीड़ित को अपमानित करने से जो खुशी की अनुभूति होती है उसे प्राप्त करने की इच्छा उनमें अधिक प्रबल थी।

(द) परिस्थितिवश प्रेरणा -

इस श्रेणी में उन प्रकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है जहां अपराध न तो पीड़ित के व्यवहार के कारण किया जाता है और न ही अपराधी के मनोरोगात्मक व्यक्तित्व के कारण, अपितु आकस्मिक कारकों के कारण, जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते है जिनके परिणामस्वरूप हिंसा होती है। उदाहरणार्थ- एक पत्नी के पीटने के प्रकरण में हो सकता है कि पैसे के मामलों में झगड़ा या पति के माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार के कारण झगड़ा पति को पतनी पर आक्रमण करने के लिए भड़का

दे या बलात्कार के प्रकरण में एक आदमी अकस्मात उसके पड़ोस के गांव की एक परिचित स्त्री से मिलता है और बातचीत आरम्भ कर देता है और अन्ततः उससे अपनी बात मनवाना चाहता है या एक पुरुष मालिक एक स्त्री कर्मचारी को अपने दफ्तर/कारखाने में शाम ढले अकेले पाकर उसका फायदा उठाता है या एक युवा लड़की अपने पिता के घर से भाग जाती है और एक ट्रक में चढ़ जाना स्वीकार कर लेती है और ट्रक ड्राइवर स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार कर लेता है इन सब प्रकरणों में अपराधियों ने हिंसापूर्ण कार्यो की योजना नहीं बनाई थी परन्तु जब उन्हें परिस्थिति सहायक या उकसाने वाली लगी तो उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया। इन हिंसात्मक कार्यो के अतिरिक्त ये अपराधी बिचलित व्यवहार का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे।

व्यक्तित्व की विशेषताएं -

हिंसा प्रवृत्त व्यक्तित्व की पहचान करने वाली विशेषताएं- अत्यधिक शक्की, वासनामय, प्रभावी, विवेकहीन, आसानी से भावात्मक रूप से अशांत, ईर्ष्यालु, स्वत्वात्मक और बेंइसाफ। जो विशेषताएं प्रारम्भिक जीवन में विकसित हो जाती है, वे वयस्कता में एक व्यक्ति के आक्रमणशील व्यवहार को प्रभावित करती है। आक्रमाक को बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार और बचपन में हिंसा के प्रभाव में आने को उसके हिंसात्मक व्यवहार का अध्ययन करते समय परीक्षण अवश्य करना चाहिए। उदाहरणार्थ कुछ पत्नियों को पीटने वाले प्रकरणों में उनके बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के प्रारम्भिक वर्षो के अनुभव यह बतलाते हैं कि उन्होंने सभी भावात्मक रूप से दुखद संकेतों के जवाब दोषपूर्ण एवं हिसात्मक व्यवहार से देना सीखा। दुःखी पारिवारिक जीवन, जिसमें शारीरिक निर्दयता या भयंकर भावात्मक तिरस्कार रहा हो, अधिकांश आक्रामकों के प्रकरण में यह नियम बन जाता है। कुछ वयस्क आक्रामकों ने अपने बचपन/किशोरावस्था में अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होता है, जिनमें उन्होंने सदैव माता-पिता को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए सुना और छोटे से छोटे बहाने पर उनके पिता द्वारा उनकी (बच्चों की) पिटाई हुई। अक्सर उनके पिता शराब के नशे में धुत घर

लौटते और सारे घर में चिल्लाते हुए और चीजों को तोड़ते हुए घूमते रहते। एक हिंसापूर्ण घर में पलने के परिणामस्वरूप व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से व्यवहार हिंसापूर्ण हो जाता है और ये व्यक्ति वयस्क जीवन में आक्रमक हो जाते है। हिंसात्मक पुरुषों और बच्चों पर किए गये अनुभाविक अध्ययनों मे भी इस प्रकार का पारस्परिक संबंध बतलाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते है कि आक्रामकों की बड़ी संख्या बाल दुर्व्यवहार और पारिवारिक हिंसा की शिकार होती है और बच्चे के रूप में यदि कोई हिंसा से प्रभावित होता है तो साधारणतया उसकी वयस्कावस्था में हिंसात्मक हो जाने की संभावना बढ़ जाती है।

उपरोक्त विवेचना से महिला हिंसा या उत्पीड़न के विविध स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है। वर्तमान में महिला हिंसा एक प्रकार का सामाजिक प्रदूषण है। जो सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर सकता है। इसके लिए महिला की निम्न स्थिति जिम्मेदार है। प्रश्न यह है कि समाज में महिला की स्थिति निम्न क्यों है? उसके उत्तर में कहा जा सकता है कि महिलाओं पर समाज द्वारा अरोपित स्व लादा गया है। महिलाएं क्या पहनें? कैसे व्यवहार करें? यह सब महिला निश्चित नहीं करती बल्कि हमारा समय तय करता है। अतः निश्चित है कि महिलाओं को सामाजानुरूप बनना पड़ेगा। आज 21वीं सदी में हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं कायदे से आधुनिक जीवन में महिला हिंसा की घटनाएं कम से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि आधुनिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन पर बल देते है। आधुनिक व्यवस्था में कानून के शासन पर भी जोर रहता है और लोगों से आशा की जाती है कि वे कानूनों का पालन स्वतः प्रेरणा से करेगे। फिर भी क्या कारण है कि यदि सामंती व्यवस्था में स्त्री अपने को असुरक्षित पाती थी तो वह आज ज्यादा असुरक्षित नजर आती है? इसका एक कारण तो यह है कि आधुनिक सभ्यता यौन ऊर्जा के विमुक्तीकरण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। अभी तक की सारी संस्कृतियां यौनिकता के दमन पर आधारित रही है। सेक्स को एक "टैबू" माना जाता है। स्त्री-पुरुष संबंध सहज नहीं थे। आधुनिकता ने इस वर्जनशीलता को तोड़ा है। लेकिन यह तोड़-फोड़ किसी स्वस्थ वातावरण में नहीं हुई है। फलस्वरूप जो घटना यौन क्रान्ति के रूप में सामने

आनी चाहिए थी, उसने कुछ-कुछ यौन अराजकता का स्वरूप ले लिया इसके परिणामस्वरूप स्त्री को भी अपने व्यक्तित्व को प्रस्थिति करने का अवकाश मिला, लेकिन उस परिणाम से नहीं जिस परिणाम में अपने व्यक्तित्व को प्रस्थापित करने का अवकाश मिला, लेकिन उस परिणाम में नहीं जिस परिणाम में पुरुष आक्रामकता को बढ़ावा मिला। सभ्यता का विकास ही दुर्भाग्यवश, इस दिशा में हुआ कि पुरुष आक्रमकता का संयमन होने के बजाय उसकी अभिव्यक्ति के अवसर बढ़ते जाए। राज सत्ता, सम्पत्ति और सामाजिक शक्ति पर उसका कब्जा लगभग एकाधिकारवादी रहा है। लेकिन सामंती युग में सामाजिक संगठन का स्वरूप इस कदर अनुशासनबद्ध था और धार्मिक नैतिकता का बंधन इतना मजबूत था कि बलात्कार की संस्कृति व्यापक नहीं हो सकती थी। उसके कुछ सूक्ष्म रूप जरूर थे, लेकिन आज जिसे 'बलात्कार' कहा जाता है वह कमजोर वर्गो की महिलाओं के साथ शक्तिशाली वर्गो के पुरुषों के उच्छृंखल व्यवहार तक सीमित था और यह भी बहुत विस्तृत नहीं था। लेकिन आधुनिकता के साथ आयी सफलताओं ने पुरुषों के एक बड़े वर्ग को शक्तिशाली बनाया है, जिससे उनकी आक्रामकता में वृद्धि हुई है। उनके दिमाग में यह बात घर करने लगी कि वे ताकत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं या जो ताकतवार है, उसे कुछ भी पाने का अधिकार है। चूंकि बड़े इसी संस्कृति में जीते है, इसीलिए किशोरो और नवयुवकों को भी मनमानी करने की प्रेरणा मिलती रहती है।

इस स्थिति को और अधिक विषम विषय तथा, भयानक बनाने की जिम्मेदारी आधुनिक व्यावसायिक संस्कृति पर है। आधुनिकता के विकास का संबंध एक ओर तो लोकतंत्र और तर्क सम्मतता से है, तो दूसरी ओर पूंजीवाद और बाजार की अर्थव्यवस्था से। इस अर्थव्यवस्था का आधार नयी-नयी वस्तुओं के लिए मांग पैदा करना है। यह मांग वसतुपरक विवरण देकर भी पैदा की जा सकती है, लेकिन विज्ञापन कला के पंडितों ने इसके लिए जो आसान कुंजी खोज निकाली, वह है औरत के जिस्म की नुमाइश। विज्ञापनदाता यह मानते प्रतीत होते है कि औरत का जिस्म दिखाकर कुछ भी बेचा जा सकता हैं यह विश्वास जब टी0वी0 और सिनेमा के विज्ञापनों में बदलता है, तो कामुकता का एक विस्फोट पैदा होता है, जिसकी आंधी से सारे मानव मूल्य उड़ते हुए नजर आते है। स्त्री को पहले भी

निर्वसन किया जाता है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर और एकदम जन साधारण की आंखों के सामने आज की व्यवसायिक संस्कृति में किया जा रहा है। पहले यह एक अपमूल्य था तो आज एक सर्वस्वीकार्य मूल्य बन गया है। इसके फलस्वरूप सेक्स का अदर्शीकरण होता है, उसकी मांग बढ़ती है और उसकी सनसनी इस संस्कृति में जीने वाले व्यक्तियों के स्नायुतंत्र में लगातार बनी रहती है। बलात्कार, छेड़छाड़, यौन अपराध इसी कामुक संस्कृति का नश्तर है। महिला हिंसा या उत्पीड़न के पीछे कारण कुछ और गहरे है यानि सामाजिक मनोविज्ञान में। यह मनोविज्ञान अनुशासन पर नहीं, आज्ञाकारिता पर आधारित है। अनुशासन के पीछे तर्क होता है, नियम-कानून होता है, लोकतांत्रिक चेतना होती है। अनुशासन भंग करने का अधिकार न वरिष्ठ को है न कनिष्ठ को। लेकिन आज्ञाकारिता एक रुग्ण मूल्य है। यह एक प्रकार का अलोकतांत्रिक आरोपण है। लेकिन हमारी लगभग पूरी संस्कृति आज्ञाकारिता पर ही आधारित है। परिवार के भीतर पुरुष की आज्ञा चलती है तो औद्योगिक, व्यवसायिक एवं संस्कृति-सामाजिक संस्थानों में वरिष्ठों की, जो प्रायः पुरुष ही होते है। इस तरह स्त्रियों में शुरु से ही शासित होने के संस्कार डाले जाते है। जिसका प्रतिफलन यह होता है कि उत्पीड़न उनमें सहज अनुवर्तित्व की उम्मीद करता है। परिवार के भीतर परिवेश में होने वाले ज्यादातर उत्पीड़न इसीलिए प्रकट नहीं हो पाते या होते भी है तो छिपा दिए जाते है। उत्पीड़न के प्रति इस लज्जालु नजरिए से भावी उत्पीडिकों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन जो चीज उत्पीड़न की विभीष्विका को सबसे ज्यादा बढ़ा रही है, वह है पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सम्पूर्ण विच्छिन्नता। ग्रामीण जीवन एक सुसंगठित इकाई होता था, जिसमें हर कोई हर किसी को जानता था तथा आपसी रिश्ते पूर्व निर्धारित होते थे। संयुक्त परिवार का ढांचा सुंगुफित जीवन की गारंटी था। परिवार के भीतर प्रेम एवं श्रद्धा के मूल्य होते थें लेकिन कस्बाई एवं शहरी जीवन गुमानियत पर आधारित है। शहर जितना बड़ा होगा, उसके बाशिंदे एक-दूसरे से उतने ही विच्छन्न होंगे। नतीजन उनके बीच किसी प्रकार का मानवीय संपर्क नहीं बचता। दूसरी ओर शहरी संस्कृति में या आधुनिक शहरी संस्कृति में कामुकता को उत्तेजित करने वाले अवसर ज्यादा होते है। अखबार ही नहीं, टी०बी०, सिनेमा और विज्ञापनों के बोर्ड भी हर व्यक्ति

को लगातार याद दिलाते रहते है कि मुख्यतः एक यौन प्राणी है। ऐसे वातावरण मे स्त्री को आखेट की वस्तु के रूप में देखना सहज हो जाता है, यह सामाजिक विच्छिन्नता जब ग्रामीण जीवन के दायरे में प्रवेश करती है, जहां सामंती मूल्य ज्यादा ताकतवर होते है, उन स्त्रियों का जीवन ज्यादा असुरक्षित हो जाता है, जिन्हें अपनी जीविका के लिए घर से बाहर निकलता होता है।

वर्तमान में जो दहेज हत्या, बलात्कार और अन्य तरीके से महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े है इसकी मुख्य वजह यह है कि पुरुषों का पिछले 50 साल से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और यहां तक कि मीडिया पर जबरदस्त नियंत्रण है। इनमें महिलाओं की भागेदारी लगभग नगण्य रही हैं इसके कारण महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में पूरी तरह उपेक्षित और शोषित है। आज समाज में अराजकता का माहौल कायम हो चुका है। गरीब और अमीर में फर्क बढ़ा है। समाजवाद की अवधारणा खत्म सी हो चुकी है और पूंजीवाद चारों ओर हावी हो रहा है। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नतीजन नौजवान कुंठित है और वे अपनी कुंठा महिलाओं पर निकाल रहे है। महिलाओं के साथ बलात्कार तथा यौन शौषण की घटनाएं इसी कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

शहरीकरण ने भी महिलाओं के वजूद को कम किया है। पहले महिलाओं का ग्राम्य जीवन काफी संतुलित हुआ करता था, वह कुटीर उद्योगों में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करती थी। लेकिन पूंजवादी व्यवस्था में कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, इसलिए महिलाएं मुख्य धारा या उत्पादक वर्ग से अलग-थलग पड़ गयीं। बाजारवादी व्यव्स्था ने महिला को उपभोग की वस्तु बना दिया है। ऐसे में महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दबाव काफी बढ़ गया है और वे भारतीय महिलाओं को अपने उत्पाद पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके शरीर की नुमाइस कराई जा रही है और उन्हें 'आइटम' कें रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी पुरुषवादी बर्चस्व ने महिला को 'कठपुतली' बना दिया है। जब महिलाओं को मुख्यधारा से काट दिया जाएगा, तो दहेज के नाम पर हत्याएं तो होगी ही, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार हैं। आज

भी अदिवासी समुदायों में दहेज प्रथा नहीं है, साथ ही महिलाओं पर अत्याचार भी इस वर्ग में नगण्य है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है। भारत में दहेज हत्या और यौन शोषण को रोकने के लिए कई कानून और धाराएं है, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। क्योंकि सभी सम्बन्धित संस्थाओं में पुरुषों का वर्चस्व है। कुछेक मामलों को छोडकर ज्यादातर मामलों में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त शक्तिशाली लोगों का हाथ होता है। इसीलिए पुलिस का रवैया दोषियों के प्रति उदासीन बना रहा हैं। अधिकतर मामलों में पीड़ित महिला के परिवार पर पुलिस एवं प्रशासन का दबाव रहता है कि मामला दर्ज न कराए। यदि मामला दर्ज हो जाता है, तो लड़की और उसके परिजन तरह-तरह के लांछन और सामाजिक परिहास का शिकार होते है। पुरुषवादी पुलिस व्यवस्था महिलाओं का बार-बार मानसिक शोषण करती है। कई बार तो प्रथम दृष्टया यह बताने की कोशिश की जाती है कि मामला दर्ज कराने वाली लड़की का चरित्र ही दुरुस्त नहीं है ऐसे में पीड़ित महिला को लगता है कि थाने में जाकर उसने गलती की।

समाज, पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका भी कम दोषी नहीं है। देश मे न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इस व्यवस्था में आम आदमी के लिए न्याय पाना कठिन हो गया है। यौन शोषण की शिकार या बलात्कार महिलाओं के लिए न्याय पाना और भी कठिन है। बलात्कार के मामले पॉच-छह साल तक अदालत में लम्बित रहते है। इस दौरान पीड़ित पक्ष पर इतने सामाजिक दबाव रहते है कि वह स्वयं चाहती है कि मामला खत्म कर दिया जाय। जहां तक अदालती फैसलों का सवाल है तो हमारे यहां 3 से 5 फीसदी अपराधियों को ही सजा मिलती हैं कुछ लोगों का मानना है कि यदि अदालती कार्यवाही की गति तेज हो और कठोर सजा दी जाय, तो महिलाओं पर अत्याचार कम होंगे, लेकिन ये धाराणाएं थोथी है। अमरीका में अदालती कार्यवाही तेजी से निपटती है इसके बावजूद भी वहां 6 से 7 घंटे में एक महिला यौन शोषण का शिक़ार होती है। यानि सिर्फ अदालती कार्यवाही से भी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मामलों में रोगी के इलाज के बजाय रोग का उन्मूलन करने का प्रयास होना चाहिए। इसमें मीडिया की भूमिका अहम् हो सकती है, लेकिन मीडिया बलात्कार जैसे जघन्य

अपराध को सनसनी खेज खबर के रूप में प्रस्तुत करता है। मीडिया तो प्रतिदिन ऐसी खबरों की तलाश में रहता है, जिसे लोग चटखारे लेकर पढ़े और देखें। बाजार वाद के इस युग में मीडिया से नैतिक दायित्व निभाने की उम्मीद करना बेकार है।

प्रकृति ने पुरुष को सन्तानोत्पत्ति की शक्ति सृष्टि जैसे शुभ काम को चलाने के लिए दी है। कुंठाग्रस्त यह पुरुष समाज की उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, यह शर्मनाक बात है। महिलाओं के खिलाफ जो प्रवृत्तियों आज सर उठा रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए एक लंबे 'कार्यक्रम' की आवश्यकता है, जो लोकतंत्र के हर स्तम्भ के भीतर महिलाओं के पक्ष में हो जब तक लोक पूरे लोकतंत्र बनने के बजाय, केवल उच्च्य व कुलनी पुरुषों का तंत्र बना रहेगा, तब तक उनकी राजनीति और अर्थनीति का आधुनिकीकरण ऊपरी प्रयास ही रहेगा। अवमूल्यन होते समाज में समय रहते महिलाओं के प्रति नजरिया बदलनने की बेहद जरूरत है।

षष्ठम् अध्याय

तथ्यों का विश्लेषण

- उत्पीड़न के विविध स्वरूप
- शारीरिक हिंसा के स्वरूप
- मानसिक हिंसा के कारण एवं स्वरूप
- यौन उत्पीड़कों का विवरण एवं कारण
- उत्पीड़न से सम्बन्धित पुलिस एवं न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका
- नारी जागरूकता का योगदान

अध्याय-षष्ठम्

उत्पीड़न के विविध स्वरूपों का विश्लेषण

अध्याय-5 में महिला उत्पीड़न के विविध स्वरूपों के संदर्भ में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत अध्याय में किया गया जा रहा है। अध्ययन में सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण किया गया। इसके उपरान्त तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन के साथ-साथ सारिणियों के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण किया गया है -

प्रस्तुत दण्ड आरेख सं० 6.1 उत्पीड़न की शिकार ऐसी महिलाओं से सम्बन्धित है जिनके भरण-पोषण एवं सुरक्षा, उत्पीड़न के मामले न्यायालय में लम्बित है। प्रस्तुत दण्ड आरेख में उक्त महिलाओं के उत्पीड़न के विविध स्वरूपों का विवरण दिया गया है। प्रस्तुत दण्ड आरेख 200 महिला उत्तरदात्रियों द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित है। उत्पीड़न के स्वरूपों को शारीरिक, मानसिक, यौन एवं सभी वर्गो में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त दण्ड आरेख पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट है कि

सभी उत्तरदात्रियों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है। 40% पीड़ित महिलाएं ऐसी भी जो यौन उत्पीड़न का शिकार है। जबकि 20% उत्तरदात्रियों उपरोक्त सभी प्रकार के उत्पीड़नों की शिकार है।

उपरोक्त दण्ड आरेख का विश्लेषण करनें से स्पष्ट है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किसी काल में भी कम नहीं हुआ। देश आजाद हुआ शिक्षा का प्रसार हुआ, विकास के साथ-साथ मानवाधिकारों जैसे मुद्दो पर बहस होने लगी परन्तु महिलाओं की स्थिति जस की तस है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नही है। खासकर महिला के जो अपने होते है यानि उसका अपना ही परिवार, वह वहां सर्वाधिक असुरक्षित है। सभी उत्तरदात्रियों ने यह स्वीकार किया कि उनका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है। पति द्वारा पीटा जाना आज एक आम बात है। दहेज, खाना ठीक से न बना पाना, बच्चों की देखभाल, परिवारिक सदस्य की सेवा आदि को लेकर स्त्रियाँ आए दिन पिटती रहती है। पति के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों भी कई बार पीड़ित महिला पर हाथ उठा देते है। शोधकर्ता ने पाया कि दहेज उत्पीड़न का शिकार उत्तरदात्रियों ने परिवार के अधिकांश सदस्यों के विरूद्ध मामलों को दर्ज कराया है। शारीरिक उत्पीड़न में महिलाओं ने स्वीकार किया है कि कभी-कभी गंभीर चोटें भी आ जाती है। इसी तरह सभी उत्तरदात्रियों ने यह भी स्वीकार किया, कि उनका मानसिक उत्पीड़न भी होता रहा है। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम महिलाओं को मानसिक रूप से ही प्रताड़ित किया जाता है। नवविवाहित को दहेज के लिए बराबर उलाहने और ताने मारे जाते है छोटी-छोटी बातों पर कमियां निकाली जाती है, मायके वालों पर दोषारोपण एवं महिला के अहं पर ठेस पहुंचाकर नवविवाहिता का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। 40% उत्तरदात्रियों ने माना कि उनका यौन उत्पीड़न भी हुआ है। यौन उत्पीड़न में यहां प्रमुख रूप से आशय पति द्वारा पत्नी के बिना उसकी मर्जी के यौन सम्बन्ध स्थापित करने से है। जिसे 'वैवाहिक बलात्कार' की भी संज्ञा दी जाती है। कभी-कभी पत्नी की इच्छा न होने पर पति जबरन मार-पीटकर पत्नी के साथ सहवास करता है। ऐसे में पत्नी को बलात्कार की

शिकार महिला की तरह महसूस होता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तों की आड़ में परिवार के अन्य पूरूष सदस्य महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते है। ऐसे मामले प्रायः परिवार की इज्जत और लोक लाज के भय से कम ही प्रकाश में आते है। उत्तरदात्रियों ने भी ऐसे हादसों से इंकार किया है, परन्तु ऐसा अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाता है कि ससुर ने अपनी बहू या जेठ या फिर देवर ने अपनी भाभी से दुष्कर्म किया। जबकि 20% उत्तरदात्रियों वे भी है जो यह मानती है कि उनका, शारीरिक, मानसिक और यौन सभी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है। ये वे महिलाएं है जो सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाएं परिवार के भीतर ही सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार होती है।

मुकदमा एवं उत्पीड़न की अवधि
सारिणी सं0 6.1

मुकदमा की अवधि			उत्पीड़न की अवधि		
अवधि	सं0	प्रतिशत	अवधि	सं0	प्रतिशत
1 वर्ष से	97	48.5	1 वर्ष से	03	1.5
2 वर्ष से	46	23.0	2 वर्ष से	30	15
3 वर्ष से	21	10.5	3 वर्ष से	37	18.5
4 वर्ष से	17	8.5	4 वर्ष से	49	24.5
5 वर्ष से अधिक	19	9.5	5 वर्ष से अधिक	81	40.5
योग	200	100		200	100

उपरोक्त सारिणी संख्या 6.1 में उत्पीड़ित महिलाओं को उत्पीड़न की अवधि एवं उत्पीड़न के फलस्वरूप उनके द्वारा उत्पीड़कों के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की अवधि का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उत्पीड़न एवं मुकदमें की अवधियों को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तथा 5 वर्ष या इससे अधिक वर्षो के क्रम में रखा गया है। 1.5% उत्तरदात्रियों का उत्पीड़न 1 वर्ष से हो रहा था, 15% उत्तरदात्रियों का उत्पीड़न 2 वर्ष से, 18.5% का 3 वर्ष से, 24.5% का 4 वर्ष से जबकि 40.5% उत्तरदात्रियों का उत्पीड़न विगत 5 वर्ष या इससे अधिक समय से हो रहा है। जबकि मुकदमा करने के मामले में 48.5% उत्पीड़ितों ने मात्र 1 वर्ष पहले मुकदमा दर्ज कराया, 23% ने 2 वर्ष पहले, 10.5% ने 3 वर्ष पहले 8.5% ने 4 वर्ष पहले जबकि 9.5% ऐसी उत्तरदात्रियाँ है जो 5 वर्ष या इससे भी अधिक वर्षो से उत्पीड़न के विरूद्ध मुकदमा लड़ रही है।

सारिणी के विहंगावलोकन से स्पष्ट है कि उत्पीड़न की अवधि एवं मुकदमा पंजीकृत कराने की अवधियों में पर्याप्त अंतर है। हालांकि विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न प्रारम्भिक वर्षो से ही शुरू हो जाता है। परन्तु साधारण मारपीट गाली-गलौज एवं उपेक्षा में महिलाएं 'उत्पीड़न' की श्रेणी में ही रखती

है किन्तु वे इसे रोज के भोजन के तौर पर लेती है। परन्तु जब उत्पीड़न की मात्रा एवं तीव्रता चरम सीमा पर पहुँचती है तभी वे इसके विरूद्ध आवाज उठाती हैं। यही कारण है कि कई वर्षो से उत्पीड़न होने के बावजूद वे इसे 2 या 3 वर्षो से शुरू हुआ मानती है हालांकि उन उत्तरदात्रियों की संख्या काफी है जो 3 वर्षो या इससे भी अधिक सालों से इस प्रकार के उत्पीड़न को सहन करती आ रही है। परन्तु जब उत्पीड़न के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने की अवधि का विश्लेषण किया गया तो यह देखने में आया कि उन उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है जो विगत 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले से उत्पीड़न के विरूद्ध मुकदमा लड़ रही है। ऐसी उत्तरदात्रियों का प्रतिशत न्यूनतम ही है जो 4 या 5 वर्षो से उत्पीड़िन के विरुद्ध मुकदमा लड़ रही है। जबकि ऐसा नही होना चाहिए था। जब 4 या 5 वर्षो से उत्पीड़न झेल रही उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक है तब 4 या 5 वर्षो मुकदमा दायर करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत भी होना चाहिए था। इसका आशय यह है कि महिलाएं उत्पीड़न कई वर्षो से झेल रही होती है, परन्तु वे इसके विरूद्ध आवाज नही उठाती है। इसका कारण यह है कि प्रारम्भिक वर्षो में विवाहित महिलाएं इसे चुपचाप मर्दो का अधिकार या अपने जीवन की नियति मानकर सहती रहती है साथ ही मायके वालों एवं अन्य नातेदारों द्वारा समझाने बुझाने पर वे उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाती है। परन्तु जब उत्पीड़न की मात्रा एवं तीव्रता दोनों ही बढ़ जाती है या जब यह उत्पीड़न असहनीय हो जाता है तब महिला उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाने के बारे में सोचती है। उस पर भी वह तभी कोर्ट या पुलिस तक जाती है जब उसके साथ मायके वाले या नातेदारों में कोई मजबूती के साथ उसका साथ देता है।

गवेषिका ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि उत्तरदात्रियाँ जिन्होने अधिकांशयता अपने पति के विरूद्ध मुकदमा किया हुआ था, अभी भी अंतर्मन से मुकदमा लड़ने के विरूद्ध थी। परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, जबकि कई उत्तरदात्रियां अभी भी वापस जाने को तैयार दिखी। जबकि ज्यादातर वे है जिन्हें अभी भी किसी प्रकार के समझौते की आशा नहीं है। बहुत कम उत्तरदात्रियों ऐसी थी जो न्याय की आस लिए है अर्थात जो उत्पीड़को या दोषियों को पूरे मन से दण्ड दिलाने की पक्षधर थी।

सारिणी संख्या - 6.2

पति द्वारा शारीरिक हिंसा के स्वरूपों का विवरण

हिंसा का स्वरूप	थप्पड़ मारना		छड़ी से पीटना		वस्तु फेंककर मारना		दीवार से सर टकराना		गुपतांगों पर चोट		संभोग के दौरान मारपीट करना		सभी		योग	
आयु	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
15-24	4	20	1	5	2	10	1	5	-	-	2	10	10	50	20	10
25-34	21	33.33	7	11.11	6	9.52	6	9.52	5	7.93	12	19.04	6	9.52	63	31.5
35-44	30	29.41	9	8.82	42	41.17	11	10.78	4	3.92	1	0.98	5	4.9	102	51
45 +	12	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.3	1	6.66	15	7.5
TOTAL	67	33.5	17	8.5	50	25	18	9	9	4.5	17	8.05	22	11	200	-

सारिणी संख्या 6.2 में पति द्वारा शारीरिक हिंसा के स्वरूपों का उत्तरदात्रियों की आयु के आधार पर पद विवरण दिया गया है। उत्तरदात्रियों की आयु को 15-24, 25-34, 35-44 तथा 45 से ऊपर के वर्गो में रखा गया है। शारीरिक हिंसा के स्वरूपों को थप्पड़ मारना, छड़ी से पीटना, वस्तु फेंककर मारना, दीवार से सिर टकराना, गुप्तांगो पर चोटें करना, संभोग के दौरान मारपीट करना तथा अन्य की श्रेणियो में रखा गया है। 10% उत्तरदात्रियां 15-24 आयु वर्ग की है, 31.5% 25-34% 35-44% तथा शेष 7.5 उत्तरदात्रियां 45 वर्ष से ऊपर आयु की है। शारीरिक हिंसा के रूप में 33.5% उत्तरदात्रियां थप्पड़ों से मारी जाती है, 8.5% को उनके पति छड़ी से पीटते है, 25% उत्तरदात्रियों को उनके पति कोई वस्तु फेंककर मारते है। 9% के पति पत्नियों के सर दीवार से टकराते है, 4.5% उत्तरदात्रियों के पति गुप्तांगो पर चोट करते है। 8.5% के पति संभोग के दौरान मारपीट करते है। जबकि 11% उत्तरदात्रियों अन्य प्रकार से शारीरिक हिंसा की शिकार होती है।,

सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शारीरिक हिंसा के स्वरूपों में आयु का भी प्रभाव पड़ता है। नवविवाहित अर्थात् 15-24 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों में से आधी सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा की शिकार है। उन्हे थप्पड़ों से भी मारा जाता है, छड़ी या लाठी डंडे से भी पीटा जाता है। दीवार से सर भी टकराया जाता है आदि।आदि इसका कारण है कि नवविवाहिता को अधिक दहेज लाने के लिए वर्षो से ही उत्पीड़ित किया जाने लगता है इस क्रम में उसका अधिक से अधिक उत्पीड़न किया जाता है। ताकि वह मायके वालो से कहकर और अधिक दहेज ला सके या फिर कम दहेज लाने की वजह से उस पर सारा गुस्सा निकाला जाता है। इसके साथ ही एक अन्य कारण यह हो सकता है कि अलग परिवेश की होने के कारण उसे नए वातावरण से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी मुश्किल होती है। अतः उससे छोटी-मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है फलस्वरूप उसे कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है साथ ही मर्दो की यह मानसिकता होती है कि औरत को शुरू से ही दबाकर रखने पर वह शेष जिन्दगी पति के अनुकूल चलेगीं। इस कारण उसका प्रारम्भिक वर्षो से ही उत्पीड़न शुरू हो जाता है। 25-34 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों मे एक तिहाई थप्पड़ों से पीटी जाती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पत्नी के

थप्पड़ों से पीटना एक आम घटना है थोड़ी सी गलती होने पर थप्पड़ मार देना पति अपना अधिकार समझता है। इस आयु वर्ग की कुछ उत्तरदात्रियां छड़ी द्वारा पीटी जाती है और कुछ ही को वस्तुऐं फेंककर पीटा जाता है। अक्सर महिलाएं तनाव या पति द्वारा नशा किए जाने के दौरान पीटी जाती है इस दौरान पति के पास जो भी चीजे होती है उन्हे उठाकर पत्नी पर प्रहार करता है। क्योकि इस हालत में वह चोट की गंभीरता का अनुमान नही लगा पाता है। इस आयु वर्ग की कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनके गुप्तांगो पर चोट की गई और कुछ को पीड़ित या जलील करने के लिए उसके स्त्रीत्व पर हमला किया गया इसीलिए कुछ पति ऐसे भी होते है जो मारपीट के दौरान महिला के गुप्तांगो पर प्रहार करते है। इसी प्रकार कुछ मर्द ऐसे भी होते है जो संभोग के दौरान स्त्री के साथ मारपीट करते है या महिला को नोचते खसोटते है इससे उनको आत्मिक शांति मिलती है। ऐसे पुरूष विकृत मानसिकता वाले होते है।

35-44 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों में अधिकांश को वस्तु फेंककर चोटिल किया गया। 45 से ऊपर आयु वाली उत्तरदात्रियों में अधिकांश थप्पड़ द्वारा पीटी जाती है जबकि शेष संभोग के दौरान मारी पीटी जाती है इसका कारण यह है कि इस उम्र में महिला संभोग के प्रति अरुचि दर्शाती है। जबकि पति उस पर संभोग के लिए दवाब डालता है और इस कारण प्रायः वह मारपीटकर बैठता है।

सारिणी संख्या - 6.3

जातिगत विवरण

शारीरिक हिंसा का स्वरूप	थप्पड़ मारना		छड़ी से पीटना		वस्तु फेंककर मारना		दीवार से सिर टकराना		गुप्तांगों पर चोट		संभोग के दौरान मारपीट करना		सभी प्रकार से		योग	
जाति	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	27	38.57	8	11.42	11	15.7	4	5.7	5	7.14	5	7.14	10	14.28	70	35
पिछड़ी	21	50	3	7.14	2	4.78	8	19.04	-	-	2	4.67	6	14.28	42	21
अनु०जाति	9	25	5	13.88	12	33.33	3	8.33	1	2.77	3	8.33	3	8.33	36	18
मुस्लिम	10	19.23	1	1.92	25	48.07	3	5.76	3	5.76	7	13.46	3	5.76	52	26
योग	67	33.5	17	8.5	50	25	18	9	9	4.5	17	8.5	22	11	200	100

प्रस्तुत सारिणी सं0 6.3 में शारीरिक हिंसा के स्वरूपों का उत्तरदात्रियों की जाति के आधार पर विवरण दिया गया है। शारीरिक हिंसा के स्वरूपों को पूर्व सारणी की ही भांति थप्पड़ मारना, छड़ी से पीटना आदि श्रेणियों में रखा गया है 35% उत्तरदात्रिया सवर्ण जाति की है 21% उत्तरदात्रियां पिछड़ी जाति से, 18% अनु0 जाति से तथा शेष 26% उत्तरदात्रियां मुस्लिम है। पूर्व सारिणी की भांति, 33.5.% उत्तरदात्रियों को उनके पति थप्पड़ों से पीटते है। 8.5% से, 25% के पति वस्तु फेंककर मारते है, 9.1% के पति पत्नियों का सिर दीवार से दे मारते, 4.5% उत्तरदात्रियों के पति गुप्तांगो पर चोट करते है, 8.5% उत्तरदात्रियां संभोग के दौरान मारपीट का शिकार होती है तथा शेष 11% सभी प्रकार से शारीरिक हिंसा की शिकार है।

सारिणी पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट है कि उत्पीड़न में जातिगत कारक बहुत ज्यादा प्रभाव नही डालता। महिला उत्पीड़न आज विश्वव्यापी समस्या है, जो आदिकाल से चली आ रही है महिलाएं प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म में उत्पीड़ित होती रही है। जहॅा तक शारीरिक हिंसा के स्वरूपों की बात है, पत्नी को थप्पड़ मारना सामान्य बात है, छोटी- छोटी बातों पर पति पत्नी पर हाथ उठा देता है। इसीलिए प्रत्येक जाति की अधिकांश उत्तरदात्रियाँ पतियों द्वारा थप्पड़ों से पीटी जाती है। सवर्ण जाति की उत्तरदात्रियों में कुछ के पति छड़ी से पीटते है, कुछ के वस्तु फेंककर मारते है, कुछ ऐसी भी है जिनके पति उत्तरदात्रियों के सिर दीवार में दे मारते है। इसी तरह कुछ वस्तु पति उत्तरदात्रियों के गुप्तांगो पर भी प्रहार करते है। साथ ही कुछ के पति संभागो के दौरान भी मारपीट करते है, तथा कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी भी है जिनको हर प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है। इस प्रकार यह देखने में आता है कि सर्वण जाति की उत्तरदात्रियां सभी प्रकार के उत्पीड़न की शिकार होती है।

जहाँ तक पिछड़ी जाति की उत्तरदात्रियों का प्रश्न है तो थप्पड़ मारने के अतिरिक्त सर्वाधिक उत्तरदात्रियों के पति उनके सिर दीवार पर दे मारते है। हालांकि इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया जा सकता, परन्तु यह हो सकता है कि पिछड़ी जाति के युवाओं में अज्ञानता अधिक होने के कारण संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। जिससे इस प्रकार की चोटों के गंभीर परिणामों से वे अनजान

हो सकते है। परन्तु यह आश्चर्य है कि किसी भी पिछड़ी जाति की उत्तरदात्री ने यह नहीं स्वीकारा कि उनके पति द्वारा गुप्तांगों पर प्रहार किया जाता है।

अनुसूचित जाति और मुस्लिम दोनों जातियों की उत्तरदात्रियों के वस्तु फेककर पीटा जाता है। यह देखने में आता है कि अनु०जाति और मुस्लिम दोनों ही जातियों में महिलायें सर्वाधिक श्रम का कार्य करती है। साथ ही दोनों जातियों में महिलाओं को वहुत बुरी तरह से भी पीटा जाता है। उसके वस्तुओं को फेककर मारना भी सम्मिलित है। इसका कारण यह हो सकता है कि इन जातियों में महिलायें मारपीट के दौरान शान्त न रहकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। फलस्वरूप उनका उत्पीड़न और अधिक होता है। इसके अतिरिक्त अनु०जाति और मुस्लिम महिलाओं में भी कुछ उत्तरदात्रियां ऐसी है तथा कुछ ऐसी है जिनके साथ संभोग के दौरान मारपीट होती है। तथा कुछ ऐसी भी है। जिनको प्रत्येक प्रकार की चोटें पहुंचायी जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे जाति कोई भी हो प्रत्येक जाति में महिलाओं को थप्पड़ों द्वारा मारा जाता है। दीवारों पर पत्नियों के सिर दे मारे जाते है। छड़ी या डंडों से भी मारा पीटा जाता है। शारीरिक हिंसा के स्वरूपों में जाति का कारक अधिक प्रभावी नहीं है।

सारिणी संख्या - 6.4
शिक्षागत विवरण

शारीरिक हिंसा का स्वरूप	थप्पड़ मारना		छड़ी से पीटना		वस्तु फेंककर मारना		दीवार से सिर टकराना		गुप्तांगों पर चोट		संभोग के दौरान मारपीट करना		सभी प्रकार से		योग	
शिक्षा	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	13	30.23	10	23.25	5	11.62	7	16.27	2	4.65	1	2.32	5	11.62	43	21.5
प्राईमरी	21	39.6	3	5.66	9	16.9	4	7.54	3	5.66	7	13.2	6	11.32	53	26.5
हाई स्कूल	6	17.14	2	5.71	14	40	2	5.71	3	8.57	4	11.42	4	11.4	35	17.5
इण्टर	16	39.02	1	2.43	13	31.7	3	7.31	1	2.43	3	7.37	4	9.75	41	20.5
ग्रेजुएट या अन्य	11	39.2	1	3.57	9	32.14	2	7.14	-	-	2	7.14	3	10.7	28	14
योग	67	33.5	17	8.5	50	25	18	9	9	4.5	17	8.5	22	11	200	100

उपरोक्त सारिणी 6.4 में शारीरिक हिंसा के स्वरूपों का उत्तरदात्रियों की शिक्षा के आधार पर विवरण दिया गया है। शिक्षा को अशिक्षित प्राईमरी, हाईस्कूल इण्टर तथा ग्रेजुएट या अन्य की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 21.5% उत्तरदात्रियां अशिक्षित है, 26.5% इण्टर पास है जबकि शेष 14% उत्तरदात्रियों ग्रेजुएट पर अन्य डिग्रियां प्राप्त कर चुकी है। शारीरिक हिंसा के स्वरूपों को पूर्व सारिणी की भाँति थप्पड़, मारना, छड़ी से पीटना, वस्तु फेंककर मारना आदि श्रेणियों में रखा गया है।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के व्यवहार को पशुओं से उच्चतर बनाती है। शिक्षा मनुष्य में विश्लेषण क्षमता का विकास करती है। शिक्षित व्यक्ति अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता है। अशिक्षा भी स्त्रियों के लम्बे समय से चले आ रहे शोषण और उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण रही है। महिलाएं शिक्षा की कमी के कारण ही चुपचाप अन्याय और शोषण सहती आ रही है। निश्चय ही वर्तमान में स्त्री शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु वास्तविकता यह है कि शिक्षित महिलाओं के उत्पीड़न में फिर भी किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है। सारिणी से स्पष्ट है कि मात्र 21.5% उत्पीड़न महिलाएं ही अशिक्षित है। शेष ने किसी न किसी स्तर तक शिक्षा ग्रहण की है। जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि थप्पड़ खाना महिलाएं रोज का खाना मानती है। छोटी-छोटी बातों पर स्त्रियां अपने पति से पिटती रहती है यही कारण है कि शिक्षित या अशिक्षित उत्तरदात्रियों डडों या छड़ी से अधिक पीटी जाती है। अशिक्षित उत्तरदात्रियों में लगभग एक चौथाई ऐसी है जो छड़ी या डडों से पति से पिटती है। जबकि प्राइमरी, हाईस्कूल, इण्टर तथा ग्रेजुएट या अधिक शिक्षित उत्तरदात्रियों में छड़ी से पिटने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत न्यून ही है। इसका का कारण यह हो सकता है कि शिक्षित उत्तरदात्रियां महिलाएं अपने विवेक से गंभीर परिस्थितियों को नहीं आने देती या फिर स्वंय भी ऐसी परिस्थिति ही नही उत्पन्न करती है कि उन्हे लाठी डडों से पीटा जाए। परन्तु वस्तु फेंककर पिटने के मामले में आश्चर्यजनक रूप से इंटर तथा ग्रेजुएट या उच्च शिक्षित उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक है। इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण न होकर परिस्थितिजन्य कारण हो सकते है। दीवार से सर

टकराने के मामलों में भी अशिक्षित उत्तरदात्रियां की विवेकशीलता उत्तरदायी हो सकती है। गुप्तांगो पर चोट के मामले मे भी ग्रेजुएट या अधिक शिक्षित कोई उत्तरदात्री में कुछ प्रतिशत ऐसी है जिनके पति गुप्तांगो पर प्रहार करते है। संभोग के दौरान मारपीट में शिक्षा का कारक विपरीत प्रभाव दर्शाता है। अधिक शिक्षित उत्तरदात्रियां संभोग के दौरान अधिक मारपीट का शिकार होती है। ऐसा सारिणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है। इसका कारण शिक्षित महिलाओं का यौन संबधों को अस्वीकार करना हो सकता है। इस प्रकार देखा जाय तो शिक्षा का कारक शारीरिक हिंसा के स्वरूपों पर प्रभाव डालता है। चाहे ये प्रभाव सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक।

सारिणी संख्या 6.5

मानसिक उत्पीड़न का कारण

कारण	सं०	प्रतिशत
दहेज	112	56
खाना न बना पाना	43	21.5
परिवार के सदस्यों की सही सेवा न कर पाना	35	17.5
किसी भी बात को लेकर	10	05
योग	200	100

उपरोक्त सारिणी संख्या 6.5 में उत्तरदात्रियों के मानसिक उत्पीड़न के कारणों का विवरण दिया गया है। कारणों में दहेज, खाना न बना पाना, परिवार के सदस्यों की सही देखभाल न करना, या फिर किसी भी बात को लेकर, वर्गो में रखा गया है। 56 प्रतिशत उत्तरदात्रियों दहेज को लेकर मानसिक उत्पीड़ित होती है, 17.5 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की सही सेवा न कर पाने के कारण 21.5% खाना न बना पाने के कारण, तथा शेष 5% किसी भी बात को लेकर उत्पीड़ित की जाती है।

पारिवारिक हिंसा के स्वरूपों में चाहे शारीरिक उत्पीड़न हो या मानसिक प्रत्येक के पीछे सबसे बड़ा कारण दहेज होता है। यह तथ्य उपरोक्त सारिणी पर दृष्टि डालने से ही स्पष्ट है। जिससे आधे से अधिक उत्तरदात्रियों ने मानसिक उत्पीड़न का कारण दहेज बताया। आज दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या बन गयी है। दहेज को लेकर न जाने कितनी बहुएँ प्रतिदिन जला दी जाती है या फिर स्वयं आत्म हत्या कर लेती है। दहेज हत्या से पूर्व भी नवविवाहिता को अनेक प्रकार से प्रताड़ित

किया जाता है जिसमें मारपीट से लेकर उसका मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। दहेज को लेकर नवविवाहितों का विभिन्न तरीकों से शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। जिसमें बात-बात पर महिला के कार्यो में हस्तक्षेप करना, प्रत्येक कार्य में कमी निकालना, उसके माता-पिता या मायके वालों पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करना आदि। इस प्रकार 21.5% उत्तरदात्रियों ने अपने मानसिक उत्पीड़न का कारण खाना न बना पाने को बताया। वर्तमान में दहेज के बाद महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख कारण खाना पकाना है। ससुराल वालों की रुचियों एवं पसंद का खाना न बना पाने के कारण महिला को अनेक ताने सुनने पड़ते है। जैसे कि इसके मॉ-बाप ने कुछ नहीं सिखाया, इसी तरह की अन्य टिप्पणियां भी की जाती है। चूंकि शादी के उपरान्त लड़की एक भिन्न परिवेश में प्रवेश करती है अतः वह वहां के सदस्यों की पसंद, नापंसद एवं रुचियों से अनभिज्ञ होती है। अतः उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। परन्तु ससुराल पक्ष के लोग नवविवाहिता को इन्हीं बातों को लेकर तरह-तरह के उलाहने दिए जाते है। यही कारण है कि कभी उत्तरदात्रियों ने मानसिक उत्पीड़न का कारण परिवार के सदस्यो की सही सेवा न कर पाना बताया। चूकि परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें भिन्न-भिन्न होती है। नवविवाहित से उन सभी को पूरा करने की उम्मीदें की जाती है, जिन्हे पूरा करने में त्रुटियां स्वाभाविक है। इन्ही त्रुटियों को आधार बनाकर उक्त महिला का उत्पीड़न प्रारम्भ हो जाता है। न्यून प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का भी है, जिनका कहना है कि उनका मानसिक उत्पीड़न किसी भी बात को लेकर होने लगता है। ऐसा देखा गया है कि किसी-किसी परिवार में किसी महिला के प्रति सभी पारिवारिक सदस्यों की एक विपरीत राय कायम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी बात को लेकर उस महिला को परेशान किया जाता है।

सारिणी संख्या - 6.6
मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों का विवरण

(अ) आयुगत विवरण

स्वरूप	गाली का प्रयोग		घर से बाहर निकालना		मायके में छोड़ने की धमकी		बातचीत बन्द करना		खर्च देने से इंकार		बच्चों पर क्रोधित होना		व्यंग करना		फटकार		योग	
आयु	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
15-24	-	-	-	-	6	30	8	40	-	-	-	-	4	20	2	10	20	10
25-34	17	26.98	13	20.63	22	34.92	4	6.34	3	4.76	3	4.76	-	-	1	1.58	63	31.5
35-44	8	7.84	17	16.66	-	-	-	-	35	.34.31	42	41.17	-	-	-	-	102	51
45 +	3	20	3	20	-	-	5	33.33	4	26.66	-	-	-	-	-	-	15	7.5
TOTAL	28	14	33	65	28	14	17	85	42	21	45	22.5	4	2	3	1.5	200	100

उपरोक्त सारिणी संख्या 6.6 में मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों का आयुगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। आयु को क्रमशः 15-24, 25-34, 35-44 तथा 45 से ऊपर के वर्गो में वर्गीकृत किया गया है। जबकि मानसिक उतीपड़न के स्वरूपों में, गाली का प्रयोग, घर से बाहर निकालना, मायके में छोड़ने की धमकी, बातचीत बन्द करना, खर्च देने से इंकार करना, बच्चों पर क्रोधित होना, व्यंग कसना तथा फटकार सम्मिलित है। 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियां 15-20 आयु वर्ग की है, 31.5 प्रतिशत, 25-34 आयु वर्ग की 51 प्रतिशत, 25-44 तथा शेष 7.5 प्रतिशत 45 से ऊपर के आयु वर्ग से सम्बन्धित है। मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों के संदर्भ में पाया गया कि 14 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया है कि उनके साथ अक्सर गाली-गलौज की जाती है, 16.5 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें किसी बात पर घर से निकाल दिया जाता है या इसकी धमकी दी जाती है। 14 प्रतिशत को मायके में छोड़ने की धमकी दी जाती है, 8.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने कहा कि अक्सर उनसे घर के अन्य सदस्य बातचीत बन्द कर देते है, 21 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को अक्सर खर्च देने से इंकार कर दिया जाता है, 22.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की गुस्सा उनके बच्चों पर क्रोधित होकर निकाली जाती है, 03 प्रतिशत उत्तरदात्रियों पर व्यंग बाणों का प्रहार किया जाता है, जबकि शेष 1.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी है जिन्हे अक्सर फटकार मिलती है।

पारिवारिक हिंसा या उत्पीड़न मानसिक उत्पीड़न से ही शुरू होता है। प्रारम्भ में महिला को मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके लिये अपशब्दों का प्रयोग, उपेक्षित करना, बातचीत बन्द करना तथा महिला को घर से निकालने या छोड़ देने की धमकी आदि दी जाती है। मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों में उत्तरदात्रियों की आयु का प्रभाव सारिणी से स्पष्ट परिलक्षित होता है।

15-20 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों को मायके में छोड़ने की धमकी, बातचीत बन्द करना, व्यंग कसना तथा फटकार जैसे स्वरूपों से सामना करना पड़ता है। उनके साथ गाली-गलौच का कम प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि नवविवाहिता में नयी बहू का आकर्षण होना उन्हें

गाली-गलौच से बचाता है, उन्हें दहेज या अन्य बातों को लेकर व्यंग तथा फटकार का सामना करना पड़ता है चूंकि इस उम्र की महिलाओं के प्रायः बच्चे नहीं होते। अतः बच्चों पर क्रोधित होने के विकल्प पर इस आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों ने उत्तर नहीं दिया। जबकि 25-34 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियां सुसराल की परिस्थितियों से परिचित हो जाती है, का प्रत्येक प्रकार से मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इस आयु वर्ग की महिलाओं को सर्वाधिक गालियां सुननी पड़ती है। साथ ही मायके में छोड़ने की धमकियां भी दी जाती है। या फिर उन्हें समय-समय पर छोड़ भी दिया जाता है। उनका चूंकि इस उम्र की महिलाओं के बच्चे भी होते हैं अतः महिला को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उसके बच्चों को डांटा या मारा पीटा भी जाता है। खर्च मांगने पर उसे खर्च नहीं दिया जाता, ये सब तरीके महिला को मानसिक रूप से तोड़ने के लिये प्रयुक्त किये जाते है। 35-44 आयु वर्ग या अधेड़ उम्र की महिलाओं को प्रमुख रूप से र्ख आदि न देकर प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि इस उम्र की महिलाओं पर अन्य प्रकार के तरीकों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह इस उम्र तक इन सबकी आदी हो चुकी होती है। अतः उसके खर्च न देकर तथा उसके बच्चों से उपेक्षित व्यवहार करके उसे प्रताड़ित किया जाता है। 45 वर्ष से ऊपर आयु या वृद्ध महिलाओं को प्रायः अकेली छोड़ दिया जाता है, उसके साथ बातचीत बन्द करके, उसके खर्च अर्थात इलाज आदि न कराकर उसे मरने के लिये छोड़ दिया जाता है। चूंकि इस उम्र की महिलाओं को मायके में भी नहीं छोड़ा जा सकता है तथा उसे व्यंग या फटकार की आदत हो चुकी होती है। अतः ऐसी महिलाओं की प्रायः देखभाल बन्द कर दी जाती है।

सारिणी संख्या - 6.7

मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों का विवरण

(ब) जातिगत विवरण

स्वरूप -	गाली का प्रयोग		घर से बाहर निकलना		मायके में छोड़ने की धमकी		बातचीत बन्द करना		खर्च देने से इंकार		बच्चों पर क्रोधित होना		व्यंग करना		फटकार		योग	
जाति	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	2	2.85	1	1.42	15	21.42	13	18.57	12	17.14	22	31.42	4	5.71	1	1.42	70	35
पिछड़ी	4	9.42	5	11.9	4	9.52	3	7.14	14	40.47	10	23.8	-	-	2	4.76	42	21
अनु0जाति	12	33.33	19	52.77	5	13.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	18
मुस्लिम	10	19.23	8	15.38	4	7.69	1	1.92	16	30.76	13	25	-	-	-	-	52	26
योग	28	14	33	16.5	28	14	17	8.5	42	21	45	22.5	4	2	3	1.5	200	100

उपरोक्त सारिणी संख्या 6.7 में मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों का जातिगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदात्रियों की जाति को सवर्ण, पिछड़ी, अनु० जाति तथा मुस्लिम वर्गों में रखा गया है जिसके अन्तर्गत 35% उत्तरदात्रियां सवर्ण है, 21 प्रतिशत पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित हैं 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है। जबकि शेष 26 प्रतिशत उत्तरदात्रियां मुसलमान है। मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों में उत्तरदात्रियों का प्रतिशत यथावत् है।

सारिणी पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट है कि महिला उत्पीड़न या पारिवारिक हिंसा के मामले में जाति का कारक प्रभावी है। हालांकि महिला उत्पीड़न या पारिवारिक हिंसा आज सर्वव्यापी घटना है या यूं कहिए कि हर वर्ग जाति एवं सम्प्रदाय के परिवारों में बहुएं पीटी जाती है, जलायी जाती है। परन्तु कुछ ऐसे कारक है जिनके कारण हिंसा के स्वरूपों में परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। उसी प्रकार व्यक्ति के अन्दर उसके जातिगत गुण भी विद्यमान होते है। यही कारण है कि सारिणी में यह बात स्पष्ट है कि गाली-गलौच का प्रयोग तथा घर से निकालने की घटनाएं पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम उत्तरदात्रियों के साथ ज्यादा है। अनुसूचित जाति की एक तिहाई महिलाओं के साथ गाली-गलौच होती रही है तथा आधी औरतों को घर से बाहर निकाल दिया गया। चूंकि अनुसूचित जाति तथा वर्तमान में अत्यन्त पिछड़ी जातियों एवं मुस्लिम समुदायों में बाहरी तौर पर भी महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। इन जातियों में महिलाओं को उत्पादक के रूप में ज्यादा तजरीह दी जाती है। अनु० जाति की महिलाएं श्रमिक तथा मजदूरी जैसे कार्यों में लिप्त रहती है। अतः घर से बाहर उनका कार्य क्षेत्र रहता है। फलस्वरूप वे भी पारिवारिक झगड़ों में प्रत्युत्तर देती रहती है। इस प्रकार इन महिलाओं के साथ गाली-गलौच एक आम बात है। सवर्ण जाति में बाहरी तौर पर परिवार यह दिखाने की कोशिश करते है कि उनके परिवार या जाति में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। अतः इन परिवारों में गाली-गलौच तथा घर से निकालने जैसी क्रियाएं न करके अन्य तरीकों से जैसे खर्च न देकर, व्यंग कसकर तथा बच्चों पर क्रोधित होकर मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इसी तरह से चूंकि आज

पिछड़ी जाति की कुछ जातियां, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से इतनी सबल है कि वे सवर्णों से भी आगे है। इनके भी यही प्रकृति दिखलाई पड़ती है। अतः इन जातियों की उत्तरदात्रियों में भी उन उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक 40 प्रतिशत है जिन्होंने बताया कि उन्हें खर्च नहीं दिया जाता था। मुस्लिम जाति में स्थिति थोड़ी अलग है चूंकि इस्लामी कानूनों में जवानी तलाक की व्यवस्था है। अतः सभी मुस्लिम महिलाओं का इस बात का सदैव डर रहता है कि कहीं उनको तलाक न दे दिया जाये। इसी बात को लेकर उनका सर्वाधिक मानसिक उत्पीड़न होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें भी घर से निकालने की धमकी मिलती रहती है या निकाल दिया जाता है। कुछ उत्तरदात्रियों ने खर्च न देने की बात बताई तो कुछ ने बताया कि उनका गुस्सा उनके बच्चों पर उतारा जाता है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के संदर्भ में यह रोचक तथ्य है, कि किसी भी अनुसूचित जाति की उत्तरदात्री ने खर्च देने से इंकार, बच्चों पर क्रोधित होने, बातचीत बन्द करना तथा व्यंग करना जैसे स्वरूपों पर उत्तर नहीं दिया। इसका कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं का कामकाजी होना हो सकता है क्योंकि अनुसूचित जाति की महिलाएं स्वयं कमाती हैं।

सारिणी संख्या - 6.8
शिक्षागत विवरण

स्वरूप	गाली का प्रयोग		घर से बाहर निकलना		मायके में छोड़ने की धमकी		बातचीत बन्द करना		खर्च देने से इंकार		बच्चों पर क्रोधित होना		व्यंग करना		फटकार		योग	
शिक्षा	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	14	32.55	12	27.9	2	4.65	-	-	13	30.23	1	2.32	-	-	1	2.32	43	21.5
प्राईमरी	10	18.86	8	15.09	2	3.77	-	-	7	13.2	26	49.05	-	-	-	-	53	26.5
हाईस्कूल	3	8.57	8	22.85	8	22.85	3	8.57	9	25.71	4	11.42	-	-	-	-	35	17.5
इण्टर	1	2.43	3	7.31	7	17.07	4	9.75	13	31.7	9	21.95	2	4.87	2	4.67	41	20.5
ग्रेजुएट या अन्य	-	-	2	7.14	9	32.14	10	35.71	-	-	5	17.85	2	7.14	-	-	28	14
योग	28	14	33	16.5	28	14	17	8.5	42	21	45	22.5	4	2	3	1.5	200	100

उपरोक्त सारिणी संख्या 6.8 में मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों का शिक्षागत विवरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदात्रियों की शिक्षा के स्तर को क्रमशः अशिक्षित, प्राईमरी, हाईस्कूल, इण्टर तथा ग्रेजुएशन तथा अन्य वर्गों में रखा गया है। जिसके अन्तर्गत 21.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अशिक्षित है, 26.5 प्रतिशत प्राईमरी स्तर तक शिक्षा ग्रहण किये हुए है। 17.5 प्रतिशत हाईस्कूल पास है 20.5 प्रतिशत इण्टर किये हुए है। शेष 14 प्रतिशत ग्रेजुएशन या अन्य कोर्स किये है। मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों में पूर्व सारिणी की भांति 14 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के साथ गाली-गलौच की जाती है। 16.5 प्रतिशत के घर से निकालने की धमकी दी गयी। 14 प्रतिशत को मायके में छोड़ आने की धमकी दी गयी या छोड़ आया गया। 8.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के साथ अन्य सदस्यों ने बातचीत बन्द कर दी। 21 प्रतिशत को खर्च देने से इंकार कर दिया गया। 22.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के बच्चों को परेशान किया गया, 2 प्रतिशत को व्यंग तथा शेष 1.5 प्रतिशत को प्रतिदिन फटकार सहनी पड़ती है।

जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि महिलाएं उत्पीड़न या पारिवारिक हिंसा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। कहीं-कहीं शिक्षा उत्पीड़न के रोकने या कम करने में सहायक है तो कहीं-कहीं उत्पीड़न का कारण भी बनती है। प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से शिक्षा का मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों से स्पष्ट सह सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है। जैसे कि अशिक्षित से शिक्षित के क्रम में उत्तरदात्रियों के साथ गाली-गलौच कम होता दिखलाई पड़ता है। अशिक्षित उत्तरदात्रियों में लगभग एक तिहाई उत्तरदात्रियों को गालियां खानी पड़ती है। जबकि प्राईमरी में यह प्रतिशत कम हुआ है। ग्रेजुएट या अन्य डिग्री प्राप्त उत्तरदात्रियों में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ गाली-गलौच होती है। इसका कारण उत्तरदात्रियों की शिक्षा हो सकती है। चूंकि शिक्षा मनुष्य को परिस्थितियों से समायोजन करना सिखलाती है अतः उच्च्व शिक्षित या शिक्षित महिलाएं विवाद या तनाव की स्थिति में विवेक से काम लेती हुई, स्थिति को नियंत्रित कर लेती है। इसीलिए शिक्षित महिलाओं में उनका प्रतिशत ज्यादा है जिनके साथ बातचीत बन्द कर दी जाती है। अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी उत्तरदात्रियों में ऐसी उत्तरदात्रियों का प्रतिशत ज्यादा है जिनके साथ गाली-गलौच की जाती है या फिर जिनको घर से बाहर निकालने या मायके में छोड़ने की धमकी दी जाती है। साथ ऐसी महिलाओं को खर्च देने भी मना कर

दिया जाता है। तथा उनके बच्चों को भी मारा-पीटा जाता है। इसका कारण इन महिलाओं का अनपढ़ या कम शिक्षित होना हो सकता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति विवेक का उचित प्रयोग नहीं कर पाता, वह परिस्थितियों से समायोजन की बजाय परिस्थितियों में ही फंस जाता है। गवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान एक उत्पीड़ित महिला (अशिक्षित को एक सदस्य से लड़ते हुये पाया, जिसमें उक्त महिला भी कभी-कभी अप शब्दों का प्रयोग कर रही थी और ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी पत्नियां, पति के गुस्से को और अधिक तीव्र कर देती है। फलस्वरूप स्थिति मारपीट तक पहुंच जाती है। जबकि शिक्षित महिलाएं तनाव या विवाद की स्थिति में शांत रहकर स्थिति को संभालती है। जिससे मामले आगे नहीं बढ़ पाते वहीं अनपढ़ महिलाएं तर्क-वितर्क करती रहती है तथा लगातार उकसाने वाले वाक्यों का प्रयोग करती रहती हैं, अतः बात सामान्य तर्क-वितर्क से होती हुई गाली-गलौच और मारपीट पर समाप्त होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानसिक उत्पीड़न के स्वरूपों पर शिक्षा कर प्रभाव पड़ता है।

चित्र संख्या 6.2

यौन उत्पीड़कों का विवरण

पति द्वारा	-	52-65%	-	254 अंश
पारिवारिक सदस्यों द्वारा	-	12-15%	-	54 अंश
नातेदारों द्वारा	-	12-15%	-	54 अंश
उन लोगों द्वारा	-	04-05%	-	18 अंश

प्रस्तुत पाई चित्र संख्या 6.2 में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। 80 उत्तरदात्रियों के यौन उत्पीड़कों का विवरण तिरछी रेखाओं से आच्छादित 254 अंश कोण घेरे हुए वृत्त का सर्वाधिक बड़ा भाग पति द्वारा यौन उत्पीड़न को दर्शाता है। बिन्दुओं द्वारा आच्छादित 54 अंश कोण घेरे हुए भाग द्वारा परिवार के सदस्यों के द्वारा यौन उत्पीड़न को दर्शाया गया है। वह भाग जो 54 अंश कोण घेरे है, वह नातेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न को प्रदर्शित करता है तथा सबसे छोटा खण्ड 18 अंश कोण घेरे हुए है अन्य लोगों द्वारा उत्पीड़न को दर्शाता है।

पाई चित्र की समग्र विवेचना से स्पष्ट है कि सर्वाधिक या आधे से अधिक प्रतिशत उन उत्तरदात्रियों का है जिनका यौन उत्पीड़न उनके पतियों द्वारा होता है। पति द्वारा उत्पीड़न के लिये वर्तमान में एक नई शब्दावली प्रयोग होने लगी है 'वैवाहिक बलात्कार' जैसा कि बलात्कार से आशय जबरन, बिना मर्जी के महिला के साथ यौन सम्पर्क स्थापित की घटनाएं होती है। लेकिन लोक लाज के भय से वे इसका विरोध नहीं कर पाती। पत्नी द्वारा संभोग के लिए बिना स्त्री की मर्जी के तैयार करना, संभोग के पूर्व या दौरान मारपीट करना ये सभी पति द्वारा यौन उत्पीड़न के स्वरूपों के अन्तर्गत आते है। अक्सर यह देखा गया है कि यौन संतुष्टियों के संदर्भ में पत्नी की इच्छा, अनिच्छा तथा संतुष्टि, असंतुष्टि कोई मायने नहीं रखती यह सब पति की इच्छाओं और संतुष्टि पर निर्भर करता है। यह भी एक प्रकार का यौन उत्पीड़न है।

वर्तमान में समाचार पत्रों एवं मीडिया में इस तरह की खबरे आम है कि महिला के साथ उसके जेठ, ससुर, देवर या अन्य रिश्तेदारों ने जबरदस्ती की या बलात्कार किया। परिवार के भीतर इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। परन्तु परिवार की प्रतिष्ठा बचाये रखने की वजह से इन खबरों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है। आज महिलाओं का यौन उत्पीड़न उसके अपने घर में अधिक होता है। जहां कि वह सर्वाधिक सुरक्षित मानी जाती है। शायद यही कारण है कि यौन उत्पीड़न झेलने वाली उत्तरदात्रियों ने पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य नातेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बात स्वीकार की है। इनके अतिरिक्त कुछ उत्तरदात्रियां ऐसी भी है जिन्होंने बताया कि उनका यौन उत्पीड़न अन्य लोगों ने किया इन अन्य लोगों की पहचान नहीं बताई गयी परन्तु ऐसा आभास हुआ कि इन लोगों में वे लोग थे, जिनके उस सम्बन्धित परिवार से अच्छे सम्बन्ध थे। साथ ही यह संभावना भी दिखाई दी है कि इन महिलाओं के यौन उत्पीड़न में पारिवारिक सदस्यों का भी कोई सहयोग हो सकता है। वैसे इस प्रकार की उत्पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत अत्यन्त न्यून ही है।

सारिणी संख्या- 6.9

पति द्वारा यौन उत्पीड़न का कारण

कारण	संख्या	प्रतिशत
विवाह-पूर्व के सम्बन्ध	12	23.09
विवाहेत्तर सम्बन्ध	21	40.38
यौन संतुष्टि	19	36.53
योग	52	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.9 में पति द्वारा यौन उत्पीड़न के कारकों का विवरण दिया गया है। जैसा कि पूर्व के पाई चित्र में स्पष्ट है कि 52 उत्तरदात्रियों ने पति द्वारा यौन उत्पीड़न की बात स्वीकारी है। यहां प्रस्तुत सारिणी में इन्ही 52 उत्तरदात्रियों के उत्तरों के आधार पर उत्पीड़न के कारणों का विवरण दिया गया है। पति द्वारा यौन उत्पीड़न के कारणों में 23.9% उत्तरदात्रियों ने विवाह पूर्व के सम्बन्धों को कारण माना है। 40.38% ने उत्पीड़न के पीछे विवाहेत्तर सम्बन्धों को कारण बताया जबकि शेष 36.53% का कहना है कि इसके पीछे प्रमुख कारण यौन संतुष्टि थी।

वर्तमान में पारिवारिक और व्यक्तिगत विघटन के लिए विवाह पूर्व या विवाहेत्तर सम्बन्ध काफी हद तक जिम्मेदार है। प्रायः यह देखा गया है। कि पति द्वारा पत्नी के चरित्र को लेकर अनेक लांछन लगाए जाते है तथा मारपीट की जाती है। पति-पत्नी को अपनी सम्पत्ति मानता है तथा उसमें सीता और सावित्री की छवि देखता है। वह अपने गुणों को न देखकर पत्नी से आशा करता है कि वह उसके अतिरिक्त किसी और को देखे भी न। फलस्वरूप उसके मन में पत्नी के लिए सदैव शंका घर किए रहती है। उससे कौन मिलने आता है, या वह किससे मिलती है, तथा किससे बात करती है, इन सब पर पति की पैनी दृष्टि रहती है। विवाह के बाद इन्ही सम्बन्धों का लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़े भी होते

रहते है। झगड़ों के अतिरिक्त यह शंका पतियों को कुंठित भी कर देती है फलस्वरूप वह पत्नी का उत्पीड़न प्रारम्भ कर देता है। जिसमें यौन उत्पीड़न भी है। जिसमें यौन सम्बन्ध बनाना, संभोग के दौरान मारना पीटना, नोचना,खसोटना सभी शामिल है। शायद यही कारण है कि पति द्वारा यौन उत्पीड़ित उत्तरदाकत्रयों में सर्वाधिक प्रतिशत उन उत्तरदात्रियों का है जिन्होने पति द्वारा यौन उत्पीड़न की वजह ही विवाहेत्तर सम्बन्धों को बताया।

विवाहेत्तर सम्बन्धों के अतिरिक्त विवाह पूर्व के सम्बन्ध भी तनाव और झगड़े की जड़ होते है। सुहागरात से ही पति-पत्नी से उसके अतीत के बारे मे जानकारियां एकत्र करना शुरू कर देता है। वह तरह-तरह से पत्नी से उसके पूर्व सम्बन्धों के बारे में पूँछता है तथा जानकारी प्राप्त करता है। कुछ सम्बन्धों पर शंकाग्रस्त हो जाता है तथा इसी बात को लेकर पति-पत्नी के मध्य तनाव की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। जो यौन उत्पीड़न का कारण भी बनती है। इसके अतिरिक्त पति द्वारा यौन उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण यौन संतुष्टि भी है। जिसको लेकर पति, पत्नी का यौन उत्पीड़न करता है। बहुधा यौन संतुष्टि को लेकर कुछ मर्द औरतों को मारते-पीटते भी है। कुछ व्यक्तियों में कुछ यौन विकृतियां पाई जाती है। जिस कारण वे पत्नियों से संतुष्ट नहीं हो पाते फलस्वरूप वे महिला के साथ अमानवीय तरीके से पेश आते है। जिसमें वे जबरन यौन सम्बन्ध, अप्राकृतिक यौन सम्वन्ध बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते है इसीलिए पति द्वारा यौन उत्पीड़ित महिलाओं में यौन संतुष्टि को लेकर उत्पीड़ित उत्तरदात्रियों का प्रतिशत भी काफी है।

सारिणी संख्या 6.10

पति के अतिरिक्त लोगों द्वारा हिंसा की शिकार महिलाएं

उत्तरदात्रियां	संख्या	प्रतिशत
वे महिलाएं जिन्होंने अन्य के विरुद्ध हिंसा की रिपोर्ट लिखाई	110	100
प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति		
सास/ससुर	54	49.09
ननद/जेठानी/देवर/जेठ	42	38.18
पड़ोसी	04	3.64
अन्य रिश्तेदार	10	9.09

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.10 में पति के अतिरिक्त अन्य लोगों के द्वारा हिंसा की शिकार उत्तरदात्रियों का विवरण है। कुल 200 उत्तरदात्रियों में 110 महिलाओं ने भी अन्य लोगों के विरुद्ध भी हिंसा की रिपोर्ट लिखवाई जिनमें से 49.09 प्रतिशत ने सास-ससुर के खिलाफ, 38.18 ने ननद/देवरानी/जेठ/जेठानी के विरुद्ध, 3.64 प्रतिशत ने पड़ोसियों के खिलाफ तथा शेष 9.09 प्रतिशत ने अन्य नातेदारों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है।

पारिवारिक हिंसा के उत्पीड़कों में केवल पति ही उत्पीड़न में भाग नहीं लेते हैं प्रायः परिवार में अन्य सदस्यों, पड़ोसियों तथा अन्य नातेदारों द्वारा भी महिला को उत्पीड़ित किया जाता है। सास-ससुर तथा नव विवाहित की पीढ़ी में कई वर्षो का अंतर होता है। अतः विचारों में भिन्नता स्वाभाविक है। सास-ससुर द्वारा बहुओं का उत्पीड़न अक्सर सुनने में आता है इस उत्पीड़न को प्रायः

सास-बहू के झगड़े की संज्ञा भी दी जाती है। शायद यही कारण है कि अन्य लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने वाली उत्तरदात्रियों में आधी ने सास-ससुर को प्रमुख उत्पीड़क माना है। सास-ससुर के अतिरिक्त अन्य सदस्यों में ननद/जेठानी, देवर तथा जेठ आदि व्यक्तियों द्वारा भी उत्पीड़न की बातें प्रकाश में आती है। ननद जो अपने को घर का महत्वपूर्ण सदस्य मानती है जब यह देखती है कि उसका भाई किसी अन्य को ज्यादा महत्व देता है तो उनमें ईर्ष्या की भावना घर कर जाती है। इस प्रकार जेठानी को अपने अधिकारों में कमी होती दिखलाई पड़ती है। फलस्वरूप ये सभी सदस्य येन-केन-प्रकारेण नवविवाहिता को उत्पीड़ित करने के उपायों को तलाशते नज़र आते है। शायद यही कारण है कि सास-ससुर के बाद उत्तरदात्रियों ने इन सदस्यों को सबसे प्रमुख उत्पीड़क माना है। इन सबके अतिरिक्त कुछ परिवार ऐसे भी होते है जहां उनके पड़ोसियों तथा अन्य नातेदार भी महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान देते है। परन्तु इन परिवारों का प्रतिशत कम ही होता है। अतः इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत भी कम है।

चित्र संख्या- 6.3

58% उत्तरदात्रियों के ससुराल के कई सदस्य नशे का सेवन करते है

उत्पीड़न में नशे का योगदान

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.3 में उत्पीड़न में नशे के प्रभाव को दर्शाया गया हैं उत्पीड़न में नशे के प्रभाव को, बहुत अधिक, काफी, बहुत कम तथा विल्कुल नही के क्रम में दर्शाया गया है। 63% उत्तरदात्रियों का मानना है कि उत्पीड़न में नशे का योगदान बहुत अधिक है। 19% का मानना है कि नशे का प्रभाव काफी है। जबकि 15% मानती है कि उत्पीड़न में नशा बहुत कम प्रभाव होता है शेष 03% उत्तरदात्रियां ऐसी भी है जो ये मानती है कि उत्पीड़न में नशे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कहते है कि नशा सारी बुराइयों की जड़ है। नशे के कारण खुशहाल घर भी बर्बाद हो जाते है। प्रस्तुत दण्ड आरोख से यह तथ्य स्पष्ट है कि नशे के सेवन से व्यक्ति के सोंचने की शक्ति प्रभावित होती है उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। यही कारण है कि अधिकांश उत्तरदात्रियां यह मानती है कि उनके उत्पीड़न में नशे का योगदान बहुत अधिक है। प्रायः यह देखा गया है कि अक्सर नशे की हालत में घर लौटने पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता है। यह झगड़ा मारपीट तक पहुँच जाता है। इसी दौरान महिला का कई गम्भीर चोटें भी आ जाती है नशे के कारण व्यक्ति में उत्तेजना अधिक आ जाती है और पति पत्नी के शरीर पर प्रहार कर बैठता है। 19 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी भी हैं जो ये मानती है। कि उनके उत्पीड़न में नशे का काफी प्रभाव हैं अर्थात उनका उत्पीड़न तो होता है परन्तु सदैव नशे के कारण नहीं होता है। बल्कि नशे के दौरान उत्पीड़न जरूर होता है, गवेषिका को इन उत्तरदात्रियों ने बतलया कि गाली-गलौज, मारपीट तो अन्य मौके पर होती रहती है परन्तु नशे के दौरान यह गाली-गलौज और मारपीट अधिक हो जाती है। इसी प्रकार 15% उत्तरदात्रियों का मानना है कि उनके उत्पीड़न में नशे का बहुत कम योगदान है। ये उत्तरदात्रियां वे हैं, जिनके परिवार के सदस्य या पति नशे का सेवन तो करते हैं परन्तु नशे की हालत में ही मारपीट नहीं शुरु करते, बल्कि पूर्व की भांति अन्य मुद्दों पर उत्पीड़न करते है। जबकि 13% उत्तरदात्रियां ऐसी भी है जो ये मानती है कि उनके उत्पीड़न में नशे का कोई लेना-देना नहीं है। ये वे उत्तरदात्रियां है जिनके पति या पारिवारिक सदस्य नशा करने के बाद हंगामा करने के आदी नहीं है। जबकि अन्य मौके पर उनका उत्पीड़न पूर्ववत् ही रहता है।

इस प्रकार स्पष्ट हे कि नशा उत्पीड़न में काफी हद तक सहायक हैं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि पति सामान्यतः महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते परन्तु शराब या अन्य नशा करने के पश्चात उनके व्यवहार में पर्याप्त तब्दीली आ जाती है और वे पत्नी के साथ गाली-गलौज तथा मारपीट शुरु कर देते है। इसका कारण यह है कि नशे के दौरान व्यक्ति का संकोच और विवेक दोनों ही लुप्त हो जाते है। वह वहीं काम जो विना नशे के नहीं कर सकता, वे काम वह नशा करके बड़ी सहजता से कर सकता है। गवेषिका को एक उत्तरदात्री ने बताया कि सामान्यतः उसके पति में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है परन्तु शराब पीने के बाद वह उसको लहु-लुहान तक कर देता है।

चित्र संख्या- 6.4
पति के दुर्व्यसन

प्रस्तुत पाई चित्र 6.4 में उत्पीड़ित महिलाओं के पति के दुर्व्यसन की जानकारी दी गई है काले भाग से छायांकित बड़ा भाग शराब को दर्शाता है। बिन्दुओं से आच्छादित भाग जुए की आदत को दर्शाता है। धन-निशान से आच्छादित भाग-परस्त्रीगमन को दर्शाता है तथा काला भाग सभी दुर्व्यसनों को प्रदिर्शत करता है। जबकि सफेद भाग ऐसे पतियों का है जिनके अंदर कोई दुर्व्यसन नहीं है।

पारिवारिक हिंसा या महिला उत्पीडत्रन में दुर्व्यसनों का गहरा संबंध है। उत्पीड़न के विविध स्वरूप तथा प्रस्तावना खण्ड नामक अध्यायों में उत्पीड़न में नशे की भूमिका का विस्तार यसे वर्णन किया जा चुका है। यही तथा प्रस्तुत पाई चित्र के विलेषण से भी स्पष्ट है कि वृत्त का सर्वाधिक बड़ा भाग ऐसे पतियों को दर्शाता है जो शराब के आदी है। चूंकि शराब क्रोध एवं उत्तेजना को बढ़ाने वाला द्रव्य व्यसन है अतः शराब पीकर अक्सर पति-पत्नी के साथ मारपीट करते है। नशे की हालत में व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को भी तूल दे देता है। कई उत्तरदात्रियों के पतियों में जुएं की आदत है। जैसा कि

कहा भी जाता है कि जुएं से बड़ा से बड़ा घर भी बर्बाद हो जाता है। जुए की लत के कारण परिवार में नित्य झगड़े होते रहते है। पत्नी द्वारा जुआं न खेलने के लिए कहने पर पति द्वारा मारपीट भी कर दी जाती है। जुए में पैसे हार जाने के बाद पति-पत्नी से और अधिक पैसा की मांग करता है या जेवर आदि देने को कहता है न देने पर गाली-गलौज एवं मारपीट तक होने लगती है। परस्त्रीगमन भी पारिवारिक हिंसा में योगदान देता है ऐसा पाई चित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं चाहेगा कि उसका जीवन-साथी उसके साथ बेवफाई करे। स्त्री का भी अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के पास जाने से नाराज होना स्वाभाविक है। उसके विरोध करने पर तनाव और उत्पीड़न बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते है जिनके अन्दर जुआं, शराब, परस्त्रीगमन सभी दुगुर्ण मौजूद होते है। ऐसे घरों में निश्चित तौर पर सभी कुछ सामान्य नहीं रह सकता है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां सब चुपचाप सहन नहीं कर सकती है उनका विरोध करना ही उनके उत्पीड़न की सबसे बड़ी वजह बनती है।

कुछ प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियां भी है जिनके पति में उपरोक्त कोई दुर्व्यसन नहीं फिर भी उनका उत्पीड़न हुआ या वे पारिवारिक हिंसा की शिकार हुई। इसके पीछे दहेज या कोई अन्य कारण हो सकता है। लेकिन उपरोक्त पाई चित्र से स्पष्ट है कि पारिवारिक हिंसा का महिला उत्पीड़न का पति के दुर्व्यसनों से सह सम्बन्ध है।

सारिणी संख्या- 6.11
पति की प्रकृति

प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
झगडालू प्रवृत्ति	87	43.5
शंकालू	44	22.00
मिलनसार	33	16.5
दुष्ट	14	7
दयालु	22	11
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.11 में उत्तरदात्रियों के पति की प्रकृति का विवरण दिया गया। प्रकृति को झगडालू, शंकालू, मिलनसार, दुष्ट एवं दयालु वर्गो में रखा गया है। 43.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने अपने पति को झगडालू प्रवृत्ति को बताया। 22 प्रतिशत ने शंकालू प्रकृति, 16.5 प्रतिशत ने मिलनसार बताया। 7 प्रतिशत ने दुष्ट प्रकृति का, शेष 11 प्रतिशत ने दयालु प्रकृति का बतलाया।

व्यक्ति की प्रकृति का उसके व्यवहार से गहरा सम्बन्ध है। या व्यक्ति प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। इस दृष्टि से पारिवारिक हिंसा का सबसे प्रमुख कारण, स्त्री के पति की प्रकृति बहुत कुछ पारिवारिक हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि प्रकृति ही का सबसे प्रमुख तत्व नहीं है। जैसा कि सारिणी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति मिलनसार है, तो कुछ के पति दयालु प्रकृति के भी है फिर भी उन महिलाओं का उनके पतियों द्वारा उत्पीड़न हुआ। इसका कारण व्यक्ति की प्रकृति का परिस्थितियों के अनुसार बदलना हो सकता है। क्योंकि

एक मनुष्य बाहर बहुत अधिक मिलनसार एवं प्रिय बोलने वाला व्यक्ति हो परन्तु घर के भीतर उसका व्यवहार एकदम उलटा हो। फिर भी मनुष्य की प्रकृति का उसके व्यवहार पर प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। यह तथ्य सारिणी के आंकड़ों में स्पष्ट हैं अधिकांश, उत्तरदात्रियों ने अपने पति को झगडालू प्रकृति का बताया। झगडालू प्रकृति होने के कारण वे छोटी-छोटी बातों पर भी झगड़ा करना शुरु कर देते है। झगड़े के दौरान ही मारपीट की स्थिति भी बन जाती है। यूँ कहा जाए कि इस प्रकृति के मनुष्य झगड़ा करने के बहाने ढूंढते रहते है। गलतियां स्वाभाविक है परन्तु कुछ लोग गलतियों को अपराध मानकर सजा देने पर उतारू हो जाते है। इस प्रकृति के व्यक्ति इसी श्रेणी में आते है। शंका भी तनाव और झगड़े की जड़ होती है। शंका से बुरी बीमारी कोई दूसरी नहीं मानी जाती है। अक्सर पतियों को पत्नी के चरित्र को लेकर शंका रहती है। वह किससे बात करती है किससे मिलती है इन सब पर वह पैनी नज़र रखता है और व्यर्थ की बातों पर शंक कर बैठता है। फलस्वरूप वह पत्नी का तरह-तरह से उत्पीड़न करने लगता है। शायद यही कारण है कि उत्पीड़ित उत्तरदात्रियों में से काफी ने पति को शंकालु प्रकृति का बतलाया है। न्यून प्रतिशत उन उत्तरदात्रियों का भी है जिन्होंने अपने पति को दुष्ट श्रेणी में रखा है। दुष्ट श्रेणी रखने के कारण उनका मनवीय व्यवहार हो सकता है। कुछ लोग वास्तव में मानव होते हुए भी पशुवत व्यवहार करते है। ये लोग ही दुष्ट की श्रेणी में आते है ये वे महिलाएं है जिनका उनके पतियों ने अत्यधिक उत्पीड़न किया। उत्पीड़न के दौरान मारपीट, गाली-गलौज इत्यादि नित्य प्रतिदिन की क्रिया रही है। मारपीट के दौरान कुछ लोग सामान्य मारपीट से हटकर लाठी डण्डे लातें घूसों की प्रयोग करते है। इससे कभी-कभी महिलाओं को गम्भीर चोटें आ जाती है। परन्तु वह इसकी परवाह नहीं करते इसी कारण ये उत्तरदात्रियों ने उनको दुष्ट की श्रेणी में रखा है।

चित्र संख्या- 6.5

उत्पीड़न में सहयोगी कारक

प्रस्तुत रेखा चित्र संख्या 6.5 में उत्पीड़न में सहयोगी कारकों का विवरण दिया गया हैं सहयोगी कारकों में प्रमुख अशिक्षा, आयु का अधिक अंतर तथा कम उम्र में शादी को रखा गया है। सर्वाधिक 42 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने अशिक्षा को सहयोगी कारक माना है, 38.5 प्रतिशत ने आयु के अधिक अंतर को उत्पीड़न का प्रमुख कारण बताया जबकि शेष 19.5 प्रतिशत शेष को मानना है कि कम उम्र में शादी होने के कारण उत्पीड़न होते है।

पारिवारिक हिंसा में सामान्यतः दहेज सबसे प्रमुख कारक है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी शिक्षा, विवाह की आयु आदि कुछ ऐसे तत्व है जो महिला को उत्पीड़न में सहयोगी हो सकते है। आज स्त्री शिक्षा पर सम्बन्धित व्यय एवं जोर दिया जा रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ गैर सरकारी तथा नारी संगठनों के प्रमुख प्रयासों ने स्त्री वर्ग को अधिक से अधिक साक्षर बनाया है। इसके पीछे प्रमुख कारण उनके ऊपर होने वाला अत्याचार, उत्पीड़न एवं शोषण ही है। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है।

व्यक्ति में आत्म विश्वास की वृद्धि करती है। शिक्षित व्यक्ति शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध अवाज उठा सकता है। शायद यही कारण है कि सम्बन्धित उत्तरदात्रियों ने अशिक्षा को उत्पीड़न का सहयोगी कारक माना है। अशिक्षा के कारण ही वे चुपचाप शोषण एवं उत्पीड़न सहने को मजबूर है। शिक्षा के अतिरिक्त आयु का अंतर ही वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अधिकांश दहेज, खानदान एवं धन के लालच में बेमेल विवाह कर दिए जाते है। जिसमें वर-वधू की आयु में वहुत अधिक अंतर होता है। ऐसे वैवाहिक रिश्ते प्रायः असफल रहते है। इसका कारण आयु के स्तर से दृष्टिकोणों में अंतर है। एक 14 वर्ष की लड़की की रुचियां एक 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति से कैसे समान हो सकती है। फलस्वरूप दोनों के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगता है जो बाद में उत्पीड़न का रूप ले लेता है। इसी प्रकार कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने कम उम्र में शादी को भी उत्पीड़न का कारण माना है। कम उम्र में शादी वैसे भी शारीरिक विकास की दृष्टि से गलत हैं इसके अतिरिक्त कम उम्र में शादी होने से वर-वधू में आवश्यक परिपक्वता नहीं आ पाती, तथा खेलने कूदने की उम्र में ही उन पर तमाम जिम्मेदारियां आ जाती है। फलतः उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। जिससे दोनों के मध्य सामंजस्य की जगह तनाव उत्पन्न होने लगता है। ये छोटे-छोटे तनाव भी उत्पीड़न का कारण बनने लगते है।

सारिणी संख्या- 6.12

उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा

प्रेरणा मिली	संख्या	प्रतिशत
मायके वालों ने	74	37
नातेदारों ने	43	21.5
महिला अधिकारों से सम्बन्धित	52	26
कानूनों की जानकारी ने		
महिला आन्दोलनों या संगठनों ने	21	10.5
रेडियो/टी0वी0 ने	10	05
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.12 में उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा से सम्बन्धित है। उत्पीड़न या हिंसा के विरुद्ध आवाज की प्रेरणा स्रोतों में मायके वालों को, नातेदारों को महिला अधि ाकारों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी को, महिला आन्दोलनों या संगठनों को तथा रेडियो/टी0वी0 को रखा गया है। प्रेरणा के सम्बन्ध में उत्तरदात्रियों से जब पूंछा गया तो पाया गया कि 37 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने मायके वालों की प्रेरणा से उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठायी, 21.5 प्रतिशत ने नातेदारों की प्रेरणा से 26 प्रतिशत ने महिला अधिकारों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारियों के परिणामस्वरूप उत्पीड़न के विरुद्ध मोर्चा खोला जबकि 5 प्रतिशत को रेडियों तथा टी0वी0 ने उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।

नारी को अबला समझा जाता है जबकि वो काली और चण्डी का रूप भी समझी जाती है। एक रूप में उस पर अनेक जुल्मों-सितम होते है तो दूसरे रूप में वह दुष्टों की संहारक है। आज नारी का

अबला रूप तो विद्यमान है परन्तु उसका काली और चण्डी का रूप एक कल्पना मात्र है। उसमें तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध ही आवाज उठा सके। इसके लिए भी उसे किसी सहारा या प्रेरणा की आवश्यकता होती है। महिलाओं में इतनी सहनशीलता होती है कि वे चुपचाप जुल्म वरदाश्त करती रहती है। उत्पीड़न के विरुद्ध जो भी महिलाएं न्यायालय या पुलिस की शरण में जाती है उसके पीछे उन्हें प्रेरित करने वाला कोई न कोई अवश्य होता है। अधिकांशतः इस प्रकार के प्रकरण में अत्यधिक उत्पीड़न होने पर महिला के मायके वालों द्वारा उत्पीड़ित को न्याय के लिए न्यायालय जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। शायद यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा के रूप में मायके वालों का नाम लिया। मायके वालों के अतिरिक्त भी अन्य नातेदार जब महिला के साथ हो रहे अत्याचारों को देखते है तो उत्पीड़िता के साथ सहानुभूति रखते हुए उसका साथ देने को तैयार हो जाते है। इसीलिए काफी उत्तरदात्रियों ने नातेदारों का भी सहयोग स्वीकार किया। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक संवैधानिक उपाय किये गये है उनको अनेक तरह के अधिकार दिए गये हैं अभी तक इन उपायों एवं अधिकारों की जानकारी महिलाओं को नहीं होती थी, परन्तु शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ने तथा संचार माध्यमों की उपलब्धता के कारण आज महिलाएं इन अधिकारों से परिचित होने लगी है। जिसकी वजह से अब वे उत्पीड़न चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। वे भी न्याय की हकदार है इस भावना ने भी महिलाओं का उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित किया है। ये अधिकार और उपाय महिला संगठनों एवं आन्दोलनों के परिणामस्वरूप लागू हुए। आज भी नारी मुक्ति के लिए अनेक संगठन तथा आन्दोलन हो रहे हैं इस प्रकार की गतिविधियों से भी स्त्रियों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई तथा वे अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया कि संचार माध्यमों ने जागरूकता बढ़ाने में महती भूमिका अदा की है। आज टी०वी० तथा रेडियो में प्रसारित कार्यक्रमों में शक्ति स्वरूपा नारी को दिखाया जाता है, जो पुरुषों से किसी मायने मे कम नहीं है शायद यही कारण है कि अल्प प्रतिशत उन उत्तरदात्रियों का भी है जिन्होंने यह स्वीकार किया कि रेडियो/टी०वी० की वजह से वे न्यायालय की शरण में गई।

चित्र संख्या- 6.6

उत्पीड़न से सम्बन्धित मामले मे पुलिस की भूमिका

भूमिका	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छी	22	11
संतोषजनक	62	31
संदिग्ध	84	42
खराब	32	16
योग	200	100

उपरोक्त पाई चित्र संख्या 6.6 उत्पीड़न के मामलों में पुलिस की भूमिका से सम्वन्धित है। वृत्त का सवसे वडा भाग जो + चिन्ह से आच्छाति भाग है खराब भूमिका को दर्शाता है। बिन्दुओं से आच्छादित भाग संतोषजनक भूमिका को तथा शेष तिरछी रेखाओं से आच्छादित भाग बहुत अच्छी भूमिका को दर्शाता है।

भारत में पुलिस की छवि कभी स्वच्छ नहीं रही हैं अधिकांश मामले में उसकी भूमिका सदैव संदिग्ध रहती है। पुलिस की कार्यशैली ने उसकी छवि को धूमिल कर दिया है। आज स्थिति है कि दोषी को पुलिस सम्मान देती है तो निर्दोषों को जबरन सताती है। जो व्यक्ति शिकायत करने जाता है दोष सबसे पहले उसी के ऊपर मढ़ दिया जाता है। पैसा या घूस देकर दोषी को निर्दोष तथा निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है। स्थिति यह हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति पुलिस से बचना चाहता है। पारिवारिक हिंसा या उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में भी पुलिस पैसा लेकर या अन्य दबावों में महज खानापूरी कर देती है तथा दोषियों को उचित सजा नहीं मिलती या बिल्कुल सजा नहीं होती है। शायद यही कारण है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियों ने अपने मामलों में पुलिस की भूमिका को संदिग्ध माना है। क्योंकि पैसा लेकर पुलिस द्वारा साक्ष्य हटाने या निर्दोषों पर आरोपों को मढ़ने के किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते है। महिला उत्पीड़न के मामलों में भी पुलिस उत्पीड़िता की अपेक्षा, उत्पीड़िकों को ज्यादा सहानुभूति दिखाती है क्योंकि उत्पीड़कों द्वारा उन्हें मोटी रकम दे दी जाती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुछ उत्तरदात्रियों ने तो पुलिस की भूमिका को बहुत खराब बताया है। क्योंकि कई बार रिपोर्ट लिखाये जाने पर पुलिस द्वारा इस तरह के सवाल जवाब किए जाते है। कि उत्पीड़तों का मनोबल ही टूट जाता है। परन्तु जैसा कि कहा जाता है कि सभी अंगुलियां समान नहीं होती है। इसी प्रकार सभी पुलिस वाले भ्रष्ट और घूसखोर नहीं होते हैं बहुत से पुलिस वाले कर्मठ तथा अत्यन्त ईमानदार भी होते है। जिसके कारण वास्तविक अपराधी सलाखों के पीछे होता है। महिला उत्पीड़न के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस की भूमिका रहती है। शायद यही कारण है कि कुछ उत्तरदात्रियों ने इस मामले में

पुलिस की भूमिका को बहुत अच्छी बताया है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कि पुलिस वाले पूरी ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें और ऐसा भी नहीं होता कि वे पूरी तरह अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लें। बहुत सारे मामलों में पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी न हो, परन्तु संतोषजनक रहती है। शायद यही कारण है कि काफी उत्तरदात्रियों ने अपने मामलों में पुलिस की भूमिका को संतोषजनक माना है। यद्यपि वर्तमान में पुलिस मे भर्ती होने वाले नवयुवकों में जोश और उत्साह अधिक दिखलाई पड़ता है तथा वे पुरानी व्यवस्था से हटकर कुछ करते हुए दिखलाई पड़ते है।

चित्र संख्या-6.7

वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्टि

वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता

प्रस्तुत दण्ड 6.7 दण्ड आरेखों में उत्तरदात्रियों से वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्टि तथा वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता सम्बन्धी विचार जाने गए है। संतुष्टि का हां तथा नहीं के माध्यम से जाना गया है तथा कानूनों की पर्याप्तता की पर्याप्त है तथा अपर्याप्त है, के द्वारा जानने की कोशिश की गई है। इस प्रकार पाया गया कि मात्र 22 प्रतिशत उत्तरदात्रियों वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट है। जबकि शेष 78 प्रतिशत असंतुष्ट है। इसी प्रकार कानूनों की पर्याप्तता के संदर्भ में 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियां वर्तमान कानूनों को पर्याप्त मानती है जबकि शेष 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियों वर्तमान कानूनों को अपर्याप्त मानती है।

जहां तक न्यायिक प्रक्रिया की संतुष्टि का प्रश्न है तो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि व्यक्ति का मुकदमा उसकी जवानी में शुरु होता है और फैसला उसके मरने के बाद होता है। व्यक्ति न्यायालयों के चक्कर लगाते-लगाते बूढ़ा हो जाता है या एक बार कोर्ट का मुंह देखना पड़ा तो सब कुछ बिक जाता है। इस प्रकार की कहावतें हमारे यहां कि न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति को दर्शाती है। तारीख पर तारीख पड़ने से व्यक्ति होत्साहित होने के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी सहता है। इन्हीं सब कारणों से अधिकांश उत्तरदात्रियां वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से असंतुष्ट दिखती है। कुछ उत्तरदात्रियों जो वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट है वे अच्छे वकील तथा पर्याप्त धन खर्च करने के परिणामस्वरूप न्याय पाने में सफल हो सकती है।

इसी प्रकार वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता सम्बन्धी प्रश्न में भी अधिकांश उत्तरदात्रियां वर्तमान कानूनों की अपर्याप्त मानती है। इसका कारण है कि अपराध की गम्भीरता के अनुसार हमारे यहां दण्ड की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा की मांग की जा रही है। शायद यह मांग भी जायज है। क्योंकि बलात्कार के पश्चात हमारे समाज में एक स्त्री की मौत ही हो जाती है।

इसी प्रकार अश्लीलता एवं छेड़छाड़ के मामलों में भी अधिक कठोर कानून नहीं बनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। साथ ही अपराधियों को संदेह का लाभ देकर अक्सर बरी कर दिया जाता है। शायद यही कारण है कि अधिकांश उत्तरदात्रियां वर्तमान कानूनों को अपर्याप्त मानती है। कुछ उत्तरदात्रियां जो कानूनों को पर्याप्त मानती है उनका तर्क है कि कानून तो पर्याप्त है परन्तु उनका परिपालन उचित तरीके से नहीं होता है जिस कारण अपराधी को उचित दण्ड नहीं मिल पाता है।

सारिणी संख्या- 6.13

न्यायिक प्रक्रिया में सहयोगी पक्ष

सहयोगी पक्ष	संख्या	प्रतिशत
माता-पिता	84	42
भाई-बहन	62	31
ससुराल पक्ष के कुछ लोग	02	01
अन्य नातेदार	42	21
कोई नहीं	10	05
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.13 में उत्तरदात्रियों का न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्तियों का विवरण दिया गया है। 42% उत्तरदात्रियों ने बाताया कि उनका न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग उनके माता-पिता कर रहे है। 31% का कहना है कि उनके भाई-बहिन सहयोग कर रहे है। मात्र 1% उत्तरदात्रियों का सहयोग ससुराल पक्ष के कुछ लोग कर रहे है। 21% का सहयोग अन्य नातेदार कर रहे है। जबकि 5% ऐसी भी है जिनका कोई सहयोग नही कर रहा है।

ससुराल में उत्पीड़ित होने के पश्चात महिला का सहयोग करने वाले उसके मायके या अन्य करीबी नातेदार ही होते है। प्रायः पारिवारिक हिंसा में समाज महिला को ही दोषी ठहराता हैं, अतः उसके पक्ष में खुलकर आने वाले बहुत कम लोग ही होते है। लेकिन मां-बाप के लिए पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नही होता है। चूंकि उनकी पुत्री के साथ भावानाएं जुड़ी होती है अतः वे अपनी पुत्री की पीड़ा को सहन नही कर पाते है और पुत्री को न्याय दिलाने के लिए उसकी हर संभव मदद करते है। चूंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति का उसके मां-बाप के सिवा कोई भी अपना सगा नहीं होता है। शायद

यही कारण है कि लगभग आधी उत्तरदात्रियों का न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग उसके अपने माता-पिता कर रहे है। जैसा कि पूर्व की सारिणी से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदात्रियों को हिंसा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए उसके मायके वालों ने ही प्रेरित किया है। अतः मायके वाले विशेषकर माता-पिता ही महिला का वास्ताविक सहयोग करते है और कोई अन्य आवश्यक मदद कर नहीं पाता है। क्योकि न्यायिक प्रक्रिया मे भाग-दौड़ के साथ-साथ अत्यधिक श्रम, समय एवं धन भी व्यय होता है और आज की स्वार्थी दुनिया में कोई भी इतना परोपकारी नही होता कि किसी की तन-मन धन से मदद करे। वैसे माता-पिता के अतिरिक्त अन्य करीबियों में भाई-बहन का रिश्ता भी भावानात्मक होता है, एक भाई अपनी बहिन की रक्षा के लिए राखी बंधवाता है अतः भाई का फर्ज भी है कि वह अपनी बहिन की हर दुखद घड़ी मे साथ दे। यही कारण है कि काफी उत्तरदात्रियों का न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग उसके अपने भाई-बहिन भी कर रहे है। उपरोक्त रिश्तों के अतिरिक्त व्यक्ति के अन्य करीबी नातेदार भी होते है जो बुरे समय में काम आते है। ऐसे मामलो में कई नातेदारों की उत्पीड़ित के साथ सहानुभूति हो सकती है। यही कारण है कि कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों का सहयोग उनके अन्य नातेदार भी कर रहे है।

यह स्त्री की विडंबना है कि ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ उसके साथ नही है। माना कि ससुराल के लिए वह बाहरी सदस्य है परन्तु एक स्त्री के लिए ससूराल ही अपना घर होता है। वह अपना सारा जीवन ससुराल के सदस्यों की सेवा में ही गुजार देती है परन्तु कोई भी व्यक्ति उसकी पीड़ा को नही समझता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मात्र 1 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी है जिनके सहयोग के लिए ससुराल पक्ष का कोई सम्बन्धी है। इसी तरह 5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी भी है जिनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसी महिलाओं के या तो माता-पिता की मृत्यु हो चुकी होती है या ऐसी महिलाओं के मायके वाले मात्र विवाह करना ही अपना फर्ज समझते है। इसके उपरान्त लड़की के साथ होने वाले अत्याचारों से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता है।

सारिणी संख्या- 6.14

न्यायालय में मामला लम्बित होने पश्चात सभी उत्तरदात्रियां पति से अलग रह रही है

उत्पीड़ित महिला का अधिवास	संख्या	प्रतिशत
ससुराल से अलग दूसरी जगह	03	1.5
मायके में	137	68.5
अन्य रिश्तेदारों के पास	60	30
योग	200	100
बच्चों का अधिवास		
उत्पीड़ित महिला के साथ	169	84.5
पति के साथ	31	15.5
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.14 में न्यायालय में लंबित मामला के सन्दर्भ में जानकारियां दी गयी है न्यायालय में मामला लम्बित होने के पश्चात 1.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ससुराल में ही दूसरी जगह पति से अलग रह रही है। 68.5 प्रतिशत अपने मायके में रहकर मुकदमा लड़ रही है। जबकि 30 प्रतिशत अन्य करीबी रिश्तेदारों के यहां रह रही है। इसी प्रकार मामला न्यायालय में लम्बित होने के पश्चात 84.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के बच्चे महिला के साथ ही रह रहे है जबकि शेष 15.5 प्रतिशत के बच्चे उनके पति के साथ रह रहे है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री का अंतिम घर उसकी ससुराल होती है, कितने भी कष्ट आएं, कितनी भी मुश्किलें आए परन्तु स्त्री अपनी ससुराल को नहीं त्यागती। परन्तु जब पारिवारिक हिंसा के फलस्वरूप महिला का उत्पीड़न चरम पर पहुंच जाता है, तो उसके समक्ष दो ही विकल्प रह

जाते है कि या तो वह चुपचाप उत्पीड़न सहती रहे या फिर ससुराल का हमेशा के लिए त्याग कर दें क्योंकि कुछ दिन मायके पर रहने पर जब पुनः स्त्री ससुराल लौटती है तो उसका उत्पीड़न और अधिक किया जाने लगता है। फिर यदि उत्पीड़ित न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो ससुराल मे तो वह कदापि नहीं रह सकती, यदि वह रहना भी चाहे तो उसे निकाल दिया जाता हैं इस प्रकार स्त्री के लिए एक ही जगह सुरक्षित रह जाती है उसका मायका, जहां रहकर वह अदालती कार्यवाही कर सकती है। शायद यही कारण है कि अधिकांश महिलाओं का मामला न्यायालय में होने के पश्चात वह अपने मायकों में रह रही है। मायके में जिन महिलाओं को शरण नहीं मिलती वे अपने अन्य करीबी रिश्तेदारों के यहां रहने लगती है। जैसा कि पूर्व सारिणियों से स्पष्ट होता है कि कई उत्पीड़ित महिलाओं का सहयोग उनके कई रिश्तेदार कर रहे है, शायद इसीलिए कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियां अपने करीबी रिश्तेदारों के यहां रहकर मुकदमा लड़ रही है। न्यायालय में मामला जाने के बाद स्त्री का ससुराल पक्ष में ही कहीं और जगह रहना भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां भी ससुराल पक्ष के लोग उसको परेशान कर सकते है। यही कारण है कि मात्र कुछ उत्तरदात्रियां ही मुकदमें के बाद ससुराल पक्ष में ही अन्य जगह रह रही है।

बच्चों के सन्दर्भ में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में बच्चों पर पति और पत्नी दोनों का अधिकार होता है परन्तु चूंकि मॉ का अपने बच्चों से अधिक भावनात्मक रिश्ता होता है तथा बच्चे भी मां के पास ज्यादा सहज महसूस करते है इसीलिए अधिकांश उत्तरदात्रियों के बच्चे अपनी मां के पास ही रहते है परन्तु जब बच्चे बड़े हो जाते है तो वह अपने पिता के घर को ही अपना घर जानते है। यही कारण है कि कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों के बच्चे अपने पिता के पास रह रहे है।

उत्तरदात्रियों की दृष्टि में पति का दर्जा

चित्र संख्या- 6.8

प्रस्तुत दण्ड आरेख सं0-6.8 में उत्तरदात्रियों के मन में पति का दर्जा या स्थान से सम्बन्धित विवरण दिया गया है। पति के दर्जे को पति परमेश्वर, मित्र एवं समान दर्जो में विभक्त किया गया हैं 48 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पति को परमेश्वर मानती है। 17 प्रतिशत मित्र मानती है। जबकि 35 प्रतिशत पति को अपने समान ही दर्जा देती है।

दण्ड चित्र के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभी भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन संस्कृति के संस्कारों का समादेश है। पति द्वारा उत्पीड़ित उत्तरदात्रियों में लगभग आधी उत्तरदात्रियों द्वारा अब भी पति को परमेश्वर का दर्जा देना अविश्वसनीय है। किन्तु इसका कारण इन उत्तरदात्रियों का 'हिन्दू' होना हो सकता है। चूंकि उत्तरदात्रियों में 75 प्रतिशत हिन्दू है। क्योंकि हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था में पति का स्थान ईश्वर के समतुल्य माना जाता है। पति चाहे कितना भी पतित हो, पत्नी के साथ

कैसा भी व्यवहार करता है, परन्तु पत्नी के लिए सदैव देवता समान होता है। ऐसी ही विवाह वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, कि पतिव्रता सती स्त्री के लिए पति सदैव देवता ही होता है। स्त्री को इसी प्रकार के संस्कार उसके परिवार से ही मिलते है, अतः वह इतना उत्पीड़न सहने के उपरान्त भी पति को परमेश्वर ही मानती है। 17 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पति को जीवन-साथी का दर्जा देती है ये उत्तरदात्रियां मुस्लिम या आधुनिक सोच वाली हो सकती है। आज स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। वे किसी भी रुप में पुरुषों से पीछे नहीं है। विवाह उपरान्त जितनी जिम्मेदारियां पत्नी की पति के प्रति होती है उतनी ही पति की पत्नी के प्रति भी होती है। वे एक दूसरे के सुख-दुःख के साथी होते है शायद यही कारण है कि इन उत्तरदात्रियों ने पति को जीवन-साथी का दर्जा दिया है। 35 प्रतिशत ने पति को अपने समान दर्जा दिया है जैसा कि प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी पत्नी को पति की अर्द्धांगिनी माना गया है। इस प्रकार पत्नी की स्थिति पति के समान ही हुई शायद इसीलिए वर्तमान में भी पत्नी के समान अधिकारों की मांग की जा रही है। पत्नी किसी भी मायने में पति से कम नहीं है 'स्त्री पुरुष समानता' के लिए ही यह सदी जानी जा रही है। ऐसे में स्त्रियों के दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन आया है। आज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी पुरुष के समकक्ष खड़ी है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है। ऐसे में स्त्रियों का पुरुषों के समान दर्जा देना स्वाभाविक है।

महिलाओं का दर्जा

सारिणी संख्या-6.15

मायके में	संख्या	प्रतिशत
उच्च है	52	26
निम्न है	148	74
योग	200	100
ससुराल में		
उच्च है	12	6
निम्न है	188	94
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.15 में परिवार में महिलाओं के दर्जे को दर्शाया गया है। महिलाओं के दर्जे को उच्च और निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है उत्तरदात्रियों से उनके मायके एवं ससुराल दोनों परिवारों में महिलाओं के दर्जे को जाना गया है 26 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के मायके में महिलाओं का दर्जा उच्च है। तथा 74 प्रतिशत के मायके में महिलाओं का दर्जा निम्न हैं जबकि ससुराल पक्ष में मात्र 6 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं का दर्जा उच्च है जबकि शेष 94 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं का दर्जा निम्न है।

महिलाओं के दर्जे के सम्बन्ध में कोई निश्चित पैमाना नहीं है जिसके आधार पर महिलाओं का दर्जा उच्च या निम्न कहा गया है परन्तु, परिवार में उत्पीड़न की दर, अधिकार एवं प्रस्थिति के आधार पर यह आंकलन लगाया जा सकता है कि अमुक परिवार में महिलाओं का दर्जा उच्च या निम्न है। सारिणी के विश्लेषण से यह तथ्य और सुदृढ़ होता है कि वर्तमान में शिक्षा, जागरूकता बढ़ने के

बावजूद महिलाओं का दर्जा निम्न ही है। आज महिलाएं अधिक से अधिक शिक्षित हो रही है तथा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ राजनीति में भी महिलाओं की पर्याप्त सहभागिता बढ़ी है इन सबके बावजूद परिवार, आफिस या अन्य जगहों में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता। परिवार में उसे मात्र, सेविका माना जाता है, कार्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में उसकी क्षमताओं पर संदेह किया जाता है। सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदात्रियों के ससुराल पक्ष में महिलाओं की स्थिति निम्न है। शायद इसका कारण उत्तरदात्रियों का ससुराल में होने वाला उत्पीड़न है। स्पष्ट है कि जहां पर महिलाओं का उत्पीड़न होगा वहां पर महिलाओं का दर्जा उच्च नहीं होगा। लेकिन यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्पीड़ित महिलाओं में से भी अधिकांश ने अपने मायके में महिलाओं का दर्जा निम्न बताया। इससे स्पष्ट है कि महिलाएं मायके या ससुराल कहीं भी सम्मानित नहीं है। कहीं-कहीं तो स्थिति और भी जटिल है जहां कुछ परिवारों में जहां महिलाओं को अत्यधिक अधिकार प्राप्त है। जैसा कि गवेषिका ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि उस परिवार में उत्पीड़ित महिला की सास भी मुखिया थी। ससुर एवं उसके बेटे उसके इशारे पर ही चलते थे। परन्तु उस उत्पीड़ित महिला का उस परिवार में अन्य उत्तरदात्रियों की अपेक्षा अधिक उत्पीड़न हुआ। उत्पीड़ित महिला की सास, अपने पति, पुत्र एवं बेटियों को उत्तरदात्री के उत्पीड़न हेतु प्रेरित करती थी। यह भी एक प्रकार की स्थिति है। अतः उत्पीड़न से महिलाओं के दर्जे का सम्बन्ध तो है परन्तु स्थिति कहीं-कहीं विपरीत असर भी डालती है।

दहेज प्रथा के प्रति विचार

चित्र संख्या- 6.9

उपरोक्त दण्ड चित्र में उत्तरदात्रियों के दहेज प्रथा के सन्दर्भ में विचार जाने गए है और पाया कि 3 प्रतिशत उत्तरदात्रियां इस कुप्रथा के पक्ष में है, 81.5 प्रतिशत इसके विपक्ष में है। शेष 15.5. प्रतिशत न तो पक्ष में है और न ही विपक्ष में।

दहेज प्रथा का पारिवारिक हिंसा से गहरा सम्बन्ध में है। इसीलिए पारिवारिक हिंसा की शिकार उत्तरदात्रियों से इस कुप्रथा के सम्बन्ध में विचार जाने गए है। वस्तुतः परिवारिक हिंसा के मूल में दहेज प्रथा ही है। अधिक से अधिक या कम दहेज लाने के कारण नवविवाहित को तरह-तरह से इतना अधिक प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। जबकि बहुत सी बहुए स्वयं पारिवारिक सदस्यों द्वारा जला दी जाती है या फिर मार दी जाती है। चूंकि उत्तरदात्रियों ने इस कष्ट को भोगा है। शायद इसीलिए अधिकांश उत्तरदात्रियों ने इसकी विपक्ष में राय प्रकट की है यद्यपि भी आजकल सभी लोग दहेज प्रथा की बुराइयों से परिचित है।

पारिवारिक हिंसा के पीछे दहेज एक प्रमुख कारण है लेकिन एक मात्र कारक नहीं है। ससुराल पक्ष के सदस्यों की प्रकृति विवाहिता, के मायके एवं ससुराल की संस्कृतियों में भिन्नता, पति का शंकालु एवं ईर्ष्यालु स्वभाव का होना, पारिवारिक सदस्यों का नशे का आदी होना, ससुराल पक्ष की निम्न आर्थिक स्थिति, नवविवाहिता का पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य न बिठा पाना आदि अनेक ऐसे कारण है जो पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी हो सकते है। गवेषिका ने अध्ययन के दौरान पाया कि कुछ उत्तरदात्रियों के उत्पीड़न के पीछे कोई विरोधी कारण नहीं थे। शायद यही कारण है कि कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने दहेज के पक्ष में भी राय प्रकट की है। हालांकि इनका प्रतिशत अत्यन्त न्यून है। यह इसलिए भी हो सकता है कि ये उत्तरदात्रियां अपने पुत्रों की शादी में दहेज लेना चाहती हो या फिर पुत्रियों को दहेज देने में समर्थ हो। कारण चाहे जो भी हो परन्तु ऐसी उत्तरदात्रियों का अल्प प्रतिशत यह दर्शाता है कि दहेज प्रथा के दुष्परिणामों से अधिकांश लोग अवगत है। इसलिए कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने पक्ष या विपक्ष में मत प्रकट न कर तटस्थ विचार दिए है। क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कोई भी सत्य उत्तर नहीं देता है। एक व्यक्ति जब अपनी पुत्री को दहेज देता है तो दहेज को एक बुराई के रूप में देखता है परन्तु जब अपने पुत्र की शादी करता है तो अधिक से अधिक दहेज की मांग करता है और जब ऐसे ही दहेज चाहने वालों से दहेज के प्रति विचार जाने जाते है तो सुधारवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए दहेज के खिलाफ विचार रखते है।

वर/वधु के चयन का दृष्टिकोण

सारिणी संख्या 6.16

वर के लिए वधू	संख्या	प्रतिशत
सर्वगुण सम्पन्न : दहेज मुक्त	115	57.5
संस्कारवान, शिक्षित, दहेजयुक्त	37	18.5
कैसी भी हो, किन्तु दहेज युक्त	21	10.5
नौकरी पेशायुक्त	27	13.5
योग	200	100
पुत्री के लिए वर		
दहेज रहित, नौकरी वाला	94	47
दहेजयुक्त नौकरी वाला	76	38
कैसा भी किन्तु दहेज रहित	12	6
पढ़ा लिखा, संस्कारवान	18	09
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.16 में उत्तरदात्रियों से उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए वर-वधू के चयन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पुत्र के लिए वधू की पंसद में 57.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने सर्वगुण सम्पन्न दहेजमुक्त वधू को प्राथमिकता दी है। 18.5 प्रतिशत ने संस्कारवान, शिक्षित दहेजयुक्त वधू की चाह की है, 10.5 प्रतिशत ने कैसी भी किन्तु दहेजयुक्त वधू को प्राथमिकता दी जबकि 13.5 उत्तरदात्रियां अपने पुत्रों के लिए नौकरी शुदा वधू चाहती है। इसी प्रकार पुत्रियों के लिए वर की पंसदों में 47 प्रतिशत उत्तरदात्रियां दहेज रहित नौकरी वाला वर चाहती है। 38 प्रतिशत दहेज युक्त

नौकरी शुदा 6 प्रतिशत विना दहेज के अपनी पुत्री की शादी करना चाहती है। जवकि 9 प्रतिशत ऐसी भी है जो पुत्री के लिए पढ़ा लिखा, संस्कारवान वर चाहती है।

सारिणी का विश्लेषण है कि वर्तमान में दहेज एक प्रमुख मुद्दा है। पुत्र के लिए वधू या पुत्री के लिए वर चयन में दहेज की एक प्रमुख भूमिका होती है। आश्चर्यजनक यह है कि आज समाज में शिक्षा एवं जारूकता बढ़ने के साथ-साथ दहेज की समस्या भी बढ़ती जा रही है। पहले वर-वधू समाज परिवार में संस्कारों एवं व्यक्तिगत गुणों को प्राथमिकता दी जाती थी परन्तु आज समृद्ध घरानो में भी दहेज को प्रथम वरीयता दी जाती है। शायद इसका कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ की बढ़ती महत्ता हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद आज भी गुणों को महत्ता दी जाती है। इसीलिए आधी से अधिक उत्तरदात्रियां अपने पुत्र के लिए सर्वगुण सम्पन्न वधू बिना दहेज के चाहती है। क्योकि यह सत्य है कि सर्वगुण सम्पन्न वधू स्वंय मे एक तरह का दहेज हैं। इसके अतिरिक्त भी सर्वगुण सम्पन्न वधू घर को स्वर्ग बना देती है। आज गुणों में शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। शायद यही कारण है कि काफी उत्तरदात्रियों ने संस्कारवान शिक्षित बहू की चाह पाल रखी है साथ ही दहेज भी लेना चाहती है। कुछ उत्तरदात्रियां तो ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ दहेज को प्राथमिकता देती है। इसका कारण शायद उनकी आर्थिक स्थिति का निम्न होना या कम जागरूक होना हो सकता है। कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियां नौकरी पेशा वधू चाहती है। इसका कारण वर्तमान समय मे बढ़ती मंहगाई एवं खर्चे हो सकते है। जहां एक की कमाई से घर चलाना मुश्किल होता है। नौकरी पेशा लड़की स्वंय में एक खाजाना है अतः ऐसी वधुओं की लाालसा प्रत्येक परिवार को रहती है।

जहां तक पुत्रियों के लिए वर का प्रश्न है तो नौकरी सभी को पंसद है। प्रत्येक अभिभावक अपनी पुत्री के लिए नौकरी वालो वर की तलाश में रहते है। नौकरी शुदा वर मिलने से यह माना जाता है कि उनकी पुत्री धन-धान्य से सुखी रहेगी। क्योकि नौकरी में व्यापार, कृषि की तरह लाभ-हानि की आशंका कम होती है। परन्तु नौकरीशुदा वर मिलना आज अत्यन्त मुश्किल है क्योंकि ऐसे लड़को से

शादी करने में बहुत अधिक दहेज देना पड़ता है। इसीलिए अधिकांश लोग कम दहेज या विना दहेज के नौकरी शुदा वर चाहते है। परन्तु जो लोग दहेज देने में सक्षम है वे नौकरी शुदा वर के लिए वॉच्छित दहेज देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। इसलिए काफी प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसे वरो हेतु दहेज भी दे सकती है। चूंकि आज दहेज की रकम दिनोदिन वढ़ती जा रही है और बहुत से लोग ऐसी स्थिति में जो इस खर्च को उठाने में विल्कुल सक्षम नही है अपनी पुत्रियों के लिए प्रायः बिना दहेज वाले वरो की तलाश में रहते है। चाहे वर कैसा भी हो जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्तमान में शिक्षा का महत्व बढ़ा है अतः कुछ उत्तरदात्रियां अपनी पुत्रियों हेतु पढ़ा लिखा, संस्कारवान वर चाहती है।

नारी जागरूकता में योगदान

चित्र संख्या 6.10

उपरोक्त दण्ड चित्रों मे उत्तरदात्रियों से नारी जागरूकता में नारी संगठनों तथा संचार माध्यमों के योगदान की जानकारी दी गई है। योगदान को अत्याधिक, आर्थिक, अति अन्य तथा बिल्कुल नहीं जैसे- मापको द्वारा जानने की कोशिश की गयी है नारी संगठनों के योगदान के संदर्भ में 18% उत्तरदात्रियां नारी जागरूकता बढ़ाने में नारी संगठनों का योगदान अत्याधिक मानती है। 36 प्रतिशत काफी अधिक योगदान जानती है, 30 प्रतिशत अतिअल्प तथा 16 प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियां भी है

जो बिल्कुल योगदान नहीं मानती है। इसी तरह संचार माध्यमों के योगदान के संदर्भ में 42 प्रतिशत उत्तरदात्रियां संचार माध्यमों का योगदान मानती है, 30 प्रतिशत बहुत कम योगदान मानती है जबकि शेष 8 प्रतिशत उत्तरदात्रियां संचार माध्यमों का नारी जागरूकता बढ़ाने में कोई संबंध नहीं मानती है।

आज का युग वैश्वीकरण का युग है जो नवीन (नारी, दलित आदि) सामाजिक आन्दोलनों तथा संचारीकरण की प्रक्रिया से जनित हैं इस युग में नारी जागरूकता भी बढ़ी है। 60 से 70 के दशक 'महिला मुक्ति आन्दोलनों' के लिए जाने जाते है। इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप नारी को एक पहचान मिली, इस पहचान का सर्व व्यापीकरण किया संचार माध्यमों ने। अतः निःसन्देह नारी जागरूकता लाने में 'नारी संगठनों' एवं संचार माध्यमों के योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु इनका कितना योगदान है, प्रस्तुत दण्ड चित्रों के विश्लेषण से स्पष्ट है।

नारी संगठनों एवं संचार माध्यमों के योगदान का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि नारी संगठनों की तुलना में संचार-माध्यमों ने नारी जागरूकता बढ़ाने मे ज्यादा योगदान दिया है इसका प्रमुख कारण संचारीकरण की प्रक्रिया है जबकि नारी संगठनों के कार्य क्षेत्र का व्यापक न होना हो सकता है। दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच गए है। अब गॉव-गॉव में टेलीविजन,रेडियों, समाचार पत्र पहुंचने लगे है। इनके द्वारा देश, विदेश की जानकारियों के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है, जिससें समाज का यह आधा वर्ग, अपनी पहचान पाने को उत्सुक दिखने लगा है। इसी प्रकार नारी संगठनों ने भी अपने स्तर पर गॉव-गॉव में नुक्कड़ नाटकों, संगोष्ठियों, सेमिनारों तथा अन्य तरीको से नारी जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। शायद इसीलिए अधिकांश उत्तरदात्रियों ने इनके योगदान को स्वीकारा है, चाहे वह बहुत ज्यादा हो या कम। परन्तु न्यून प्रतिशत में कुछ ऐसी उत्तरदात्रियां भी है, जो इनके योगदान को नगण्य मानती है। इसका कारण, इनके पास संचार साधनों की अनुपलब्धता तथा नारी संगठनों के कार्यक्रमों में संलिप्तता न होना हो सकता हैं।

सारिणी संख्या 6.11
महिला संगठनों द्वारा संपर्क की स्थिति

प्रस्तुत पाई चित्र संख्या 6.11 में उत्तरदात्रियों से महिला संगठनों के सम्पर्क की स्थिति को दर्शाया गया है। बड़ी तिरछी रेखाओं से आच्छादित भाग यह दर्शाता है कि पारिवारिक हिंसा के संदर्भ में उनसे किसी महिला संगठन ने सम्पर्क नहीं किया और पतली लाइनों से आच्छादित भाग संपर्क को दर्शाता हैं।

पारिवारिक हिंसा, महिला उत्पीड़न के खिलाफ कई सामाजिक संगठन कार्य कर रहे है। इनमें नारी संगठन आगे है, ये संगठन जागरूकता फैलाने के साथ-साथ महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा, अत्याचार को दुनिया के सामने लाने के साथ-साथ पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का कार्य भी करते है। परन्तु पाई चित्र से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदात्रियों से किसी भी महिला संगठन से उनके उत्पीड़न के संदर्भ में सम्पर्क नही किया है। इसका कारण यह हो सकता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ तथा ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र है चूंकि अधिकांश संगठनों के मुख्यालय महानगरों या

नगरों में होते है तथा संगठन के कार्यकर्ता भी नगरों तक ही सीमित रहते है अतः दूर-दराज तथा ग्रामीण इंलाको में होने वाली घटनाओं की पहुंच इनसे दूर रहती है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी है जो ऐसे ही पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्य कर रहे है उनकी क्रियाओं के केन्द्र ग्रामीण इलाके ही रहते है। फलस्वरूप कुछ उत्तरदात्रियों से इन महिला संगठन वालों ने भी संपर्क किया है तथा हिंसा के विरूद्ध लड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। साथ ही अदालती कार्यवाही में उनका सहयोग भी कर रहे है। शायद इसी कारण कुछ उत्तरदात्रियों ने बताया कि उनसे महिला संगठनों ने संपर्क किया है।

सारिणी संख्या 6.17

क्या नारी शिक्षा, व्यवसाय एवं राजनीति में भागीदारी से नारी उत्पीड़न कम होगा?

	संख्या	प्रतिशत
हाँ	76	38
नहीं	124	82
योग	200	100

क्या महिलाओं के सांसद/विधायक बनने से नारियों को अधिकार मिलेगा?

	संख्या	प्रतिशत
हाँ	39	19.5
नहीं	98	49.00
अनभिज्ञ	63	31.5
योग	200	100

प्रस्तुत सारिणी संख्या 6.16 उत्तरदात्रियों के उपरोक्त विषयों पर विचार जाने गए है। जब उत्तरदात्रियों से यह पूछा गया कि क्या नारी शिक्षा, व्यवसाय एवं राजनीति में भागीदारी से नारी उत्पीड़न कम होगा ? इसके उत्तर में 38 प्रतिशत का जवाब था कि कम होगा जबकि 62 प्रतिशत का मानना था कि कम नही होगा, इसका कारण है कि उत्तरदात्रियां अपने परिदृश्य में यह देख रही है कि महिलाओं में शिक्षा के प्रसार, आर्थिक क्रियाओ में बढ़ता योगदान तथा राजनीति में बढ़ती भागीदारी के बावजूद भी उत्पीड़न कम होने की जगह बढ़ा है। उच्च शिक्षित तथा आत्मनिर्भर महिलाएं भी परिवार के अन्दर उसी प्रकार सताई जा रही है जितना कि एक अशिक्षित महिला ग्रामीण परिवारों में सताई

जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इस तथ्य को नकारा नही जा सकता है कि शिक्षा के प्रसार एवं आत्मनिर्भर बनने से महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है तथा वे उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठा सकती है।

इसी प्रकार जब उत्तरदात्रियों से यह पूछा गया कि क्या महिलाओं के सांसद, विधायक बनने से नारियों को अधिकार मिलेगे तो इसके उत्तर में 19.5% ने कहा कि मिलेगे, जबकि 49% ने कहा कि नही मिलेगे तथा शेष 31.5% इसके बारे में अनाभिज्ञ है। अधिकांश महिलाओं का कहना कि अधिकार नही मिलेगे या इन्हें इसके बारे में पता नही है इसका कारण यह है कि संसद या विधानसभा में भी पुरुष वर्ग का ही वर्चस्व रहता है। इसलिए पुरुष वहां भी महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर महिलाओं का साथ नहीं देते है। उदाहरणार्थ पुरुषों के असहयोग के कारण ही अभी तक महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया है। अतः यह कहना मुश्किल है कि महिलाओं के सांसद या विधायक बनने से महिलाओ को अधिकार मिलेगे था उनमे बढ़ोत्तरी होगी। यदि महिलाएं संसद या विधान सभा में पहुॅचेगी तो वहां महिलाओं की बात रखने वाला कोई तो होगा। अतः यह आशा बनी रहेगी कि कभी न कभी तो महिलाओं के हित में कानून बनेगें ही। यही सोंकचर कुछ प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने सकारात्मक उत्तर दिया है।

सप्तम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय सप्तम्

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन ''पारिवारिक हिंसा का समाजशास्त्री अध्ययन'' चित्रकूटधाम मण्डल के चारों जनपदों में आयोजित किया गया। अध्ययन को छह अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना, द्वितीय अध्याय में पद्धतिशास्त्र, तृतीय अध्याय बुन्देलखण्ड में महिला स्थिति से सम्बन्धित है, चतुर्थ में 'महिला मुक्ति आन्दोलन', पंचम अध्याय में उत्पीड़न के विविध स्वरूप से सम्बन्धित है। जबकि छठे और अंतिम अध्याय में तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना खंड में इतिहास के विभिन्न कालों से लेकर वर्तमान तक महिला स्थिति एवं उत्पीड़न की विस्तृत विवेचना की गई है। परिवार नामक इकाई स्त्री एवं पुरुष दोनों से मिलकर बनती है। भारतीय व्यवस्था के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति एक लम्बे समय से विवाद का विषय रही है। स्त्रियों से सम्बन्धित विवाद का कारण यह नहीं है कि भारत में स्त्रियों को जैविकीय अथवा मानसिक रूप से दोषपूर्ण माना जाता है बल्कि इसका प्रमुख कारण यहां की पवित्रता सम्बन्धी संकीर्ण विचारधारा है। भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति तथा उससे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करने से पूर्व इतिहास के पृष्ठों पर स्त्रियों का कैसा चित्र अंकित है, यह जानना अति आवश्यक है।

वैदिक समाज में नारी के अस्तित्व एवं योगदान से गृहस्थाश्रम को आदर्श रूप प्राप्त होता था। तद्‌युगीन गृह का अस्तित्व नारी के अस्तित्व में ही निहित माना जाता था। वेदयुगीन नारी समाज में पूज्य थी। इस काल में नारियों ने समस्त अधिकारों का पूर्णता के साथ उपभोग किया। धर्मशास्त्र काल में स्त्रियां 'गृह लक्ष्मी' से 'याचिका' के रूप में दिखाई देने लगी। जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं का प्रतीक बन गई। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधीन निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थीं। इस युग में यह विश्वास दिलाया गया कि पति ही स्त्री के लिए देवता है और विवाह ही उसके जीवन

का एक मात्र संस्कार है। मनुस्मृति में यहां तक कह दिया गया कि स्त्री कभी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में जितना पतन हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। पहले की अपेक्षा वे निरन्तर पतनोन्मुख थी। इस युग में स्मृतिकारों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा है। इस काल में स्त्रियों के लिए 'धार्मिक संस्कार' बन्द हो गया, अतः धर्म की दृष्टि से वे शूद्रवत हो गई। स्त्रियों के विवाह की उम्र 8-10 वर्ष मान ली गई।

मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा। ब्रिटिश काल या अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किए गए लेकिन सरकार की ओर से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के कोई व्यवहारिक प्रयत्न नहीं किए गये। सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारों की मांग करने उनके प्रति व्यवहार में और नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था।

निःसन्देह भारत में आज़ादी के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है। पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, और जातीय गतिशीलता के कारण स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अविश्वसनीय परिवर्तन हुए है। शिक्षा के प्रसार तथा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए है। इसमें स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता कम होने लगी है। संचार के साधनों, समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में वृद्धि होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आरम्भ कर दिया है। संयुक्त परिवारों के विघटन होने से स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। परन्तु यह आज़ादी के बाद महिला स्थिति का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में निरन्तर वृद्धि से सम्बन्धित है। सरकारी आंकड़ों और समाचार पत्रों पर नज़र डालने से स्पष्ट होता है कि आज स्वतन्त्रता के 50 सालों के बाद महिला पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हो गई है। हर दो घंटे में बलात्कार, सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं से छेड़छाड़, तथा पारिवारिक हिंसा में हो रही

वृद्धि वर्तमान में महिला स्थिति का सही चित्र, प्रस्तुत करती है। स्पष्ट है कि इतिहास के किसी भी काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक नहीं रही है। महिलाओं पर सदैव से शोषण और अत्याचार होते रहे है। भले ही उसका स्वरूप भिन्न रहा है लेकिन गत वर्षो में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ।

नारी की वर्तमान स्थिति के लिए आधुनिक प्रक्रियायें भी कम जिम्मेदार नही है आज हमारे जीवन का हर पहलू, हर संगठन, प्रत्येक संस्था और सम्पूर्ण संस्कृति एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यक्तिवादी दृष्टिकोंण उसमें तत्जनिक व्यक्तिगत तनाव वर्तमान समय में सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रहे है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हो रही है। समाज में होने वाले परिवर्तन की तीव्रता के कारण व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन का रूप ले लेते है। यही सामाजिक विघटन ही प्रत्येक प्रकार की हिंसा के पीछे प्रमुख कारक है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी सामाजिक हिंसा का ही एक रूप है।

द्वितीय अध्याय पद्धति शस्त्र है - जो दो भागों में विभक्त है खण्ड़ (क) अध्ययन पद्धति से संबधित है तथा खण्ड (ख) में उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं। हालांकि नारी उत्पीड़न से संबधित अध्ययनों की प्रचुरता रही है। परन्तु नारी की सर्वदा स्थिति एक समान नहीं है। इस दृष्टि से अत्यंत पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के चित्रकूटधाम मंडल की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए वहाँ इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है। आज पारिवारिक हिंसा एक सामाजिक समस्या के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इससे पीड़ित होकर अनेक महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती है तो कुछ स्वेच्छा से परिवार का त्याग कर देती है। इस भयावह स्थिति के प्रमुख कारण क्या है ? तथा पारिवारिक हिंसा का महिला पर क्या प्रभाव पड़ता है ? इसे जानने का प्रयास प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। इस दृष्टि से अध्ययन का महत्व बढ़ जाता है। अध्ययन को लक्ष्य केन्द्रित रखने के

लिए इसके कुछ उद्देश्य बनाए गए तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की उपकल्पानाएं बनायी गयी।

अध्ययन को सफल बनाने हेतु कुछ अनुसंधान प्रविधियों का सहारा लिया गया। जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत अध्ययन में निरीक्षण के लिए चित्रकूटधाम मण्डल के चार जनपदों में स्थित न्यायालयों में लंबित महिला भरण-पोषण सुरक्षा एवं उत्पीड़न से संवंधित मामलों में जिसकी संख्या लगभग 300 है को चुना गया। इसमें से 200 परिवारिक उत्पीड़ित और विवादित महिलाओं का निरीक्षण अर्द्धसहयोगी विधि से किया गया है। सूचनाओं के संकलन हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार का सहारा लिया गया है। साक्षात्कार के दौरान अनुसूची के माध्यम से सूचनाएं संग्रहीत की गई 74 प्रश्नों की अनुसूची में सभी प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार रखा गया जिससे महिलाओं के उत्पीड़न की प्रकृति उनके विचार एवं मनोवृत्तियों को जाना जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदात्रियों का चयन उद्देश्यपूर्ण किंतु सुविधाजनक निर्दशन विधि द्वारा किया गया। चित्रकूटधाम मण्डल के चार जनपदों में स्थित न्यायालयों में लंबित महिला भरण-पोषण सुरक्षा एवं उत्पीड़न के मामलों से संबधित ग्रामीण वादियों की संख्या लगभग 300 है। जिनमें से 200 का चयन उद्देश्यपूर्ण किंतु सुविाधाजनक निदर्शन में किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के चित्रकूटधाम मण्डल के 4 जनपदों में आयोजित किया गया। यह मण्डल जहां भौगेलिक दृष्टि से प्रदेश में चौथा स्थान रखता है। यह पठारी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या की दृष्टि से पिछड़ा है। यहां का मुख्यालय बांदा है। केन नदी के तट पर अवस्थित बांदा का क्षेत्रफल 4112 वर्ग कि० मी० तथा कुल आबादी 15,00253 है। यहां की कुल साक्षरता 54.8 प्रतिशत है। चित्रकूटधाम कर्वी जनपद की कुल आबादी 25,51,757 है तथा साक्षरता 46.781 है।

हमीरपुर जनपद का कुल क्षेत्रफल 4095 वर्ग कि0मी0 तथा जनसंख्या 104274 है। 1994 में निर्मित जनपद महोवा की कुल जनसंख्या 9,23,626 है।

अध्याय 2 के खण्ड (ख) में उत्तरदात्रियों की सामान्य जानकारियाँ प्रस्तुत की गई जिनमें निम्न जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं-

1- 35 प्रतिशत उत्तरदात्रियां सामान्य जाति की 21 प्रतिशत पिछड़ी 18 प्रतिशत अनु0 जाति 26 प्रतिशत मुस्लिम है।

2- 15 से 24 आयु वर्ग की 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियां है। 25 से 34 की 31.5 प्रतिशत 35 से 44 की 51 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां 45 वर्ष से ऊपर की आयु की है।

3- 21.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अशिक्षित 26.5 प्रतिशत प्राइमरी स्नातक, 17.5 प्रतिशत हाईस्कूल 20.5 प्रतिशत इण्टर तथा 14 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ग्रेजुएट या अन्य डिग्री लिए हुए हैं।

4- 80.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां संयुक्त परिवार की है।

5- 17 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के विवाह को 1-5 वर्ष हो चुके है, 43.5 प्रतिशत को 6-10 वर्ष, 22 प्रतिशत को 11-14 वर्ष तथा 17.5 प्रतिशत 15 से ऊपर विवाहित हुए हो चुके हैं।

अध्याय-3 बुन्देलखण्ड में महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में है। बुन्देलखण्ड भारत वर्ष का हृदय है। भारत प्राण बुन्देलखण्ड अपनी वीरता पराक्रम, शौर्य कला तपस्चर्या तथा साधना के कारण विश्वविख्यात है। बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम दशार्ण रहा है। वैदिककाल में यह देश जहां बुन्देलखण्ड है ''ऊसर पुनीत'' कहा गया। जिसमे तुंगारण्य से लेकर कालिंजर एवं दशार्ण देश सम्मलित है। इसका वास्तविक नाम विन्ध्या इलाखण्ड है और यह नाम विन्धायाचल की तराई में बसने के कारण पड़ा है। भारतवर्ष का प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जन्मदात्री और संचालिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता, रण कुशलता और देश प्रेम की देश और विदेश के विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा

की है। यहाँ के भारती चंद बुंदेला, राजा मधुकर शाह और वीर छत्रशाल इसी वीर धरा की ऐसी विभूतियां है जिन्होने अपनी वीरता शौर्य और पराक्रम का अलौकिक परिचय दिया था। साहित्यक दृष्टि से भी बुन्देलखण्ड का स्थान सर्वोपरि है। बाल्मीकि, भवभूत, कृष्ण द्वैपायन, कृष्णदत्त मिश्र, पं० काशीनाथ जगनिक, गोस्वामी तुलसीदास, केशव, वियोगी राष्ट्रीय कवि मैथलीशरण गुप्त भूषण पद्‌माकर भतिराम सुभद्रा कुमारी चौहान, डा० रामविलास शर्मा आचार्य घनश्यामदास पाण्डेय जैसे सरस्वती के पुत्रों को प्रदान करने का श्रेय बुन्देलखण्ड को है। साहित्य की तरह प्रकृति ने भी बुन्देलखण्ड को अपने बहुत से आर्शीवादों का लाभ दिया है। रस क्षेत्र मे अभ्रक, गेरू, हीरा आदि का भंडार हैं। पन्ना रत्नों की खान है। महोबा और पाली के पान कोंच का घी राठ का गुड़ अत्यधिक प्रसिद्ध है। संगीत के क्षेत्र में भी इस वसुन्धरा ने अनेक कलाकारों को जन्म दिया है बाबा रामदास जी संगीत सम्राट तानसेन गायक बैजू, आदिल खां उस्ताद आदि संगीत कलाविद भी इसी प्रदेश के थे। बुन्देलखण्ड की सभ्यता तथा संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहां की कला साहित्य काफी सम्पन्न है। यहां का बुंदेली समाज गौरवपूर्ण है। यहां की जनता अधिक धार्मिक और तीज त्यौहारों पर्व और मेलों में आस्था रखती है। यहां ऋतुओं के अनुसार प्रथक-प्रथक-तीज त्यौहार पर्व और मेले हैं।

बुंदेलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिले आते हैं। इसमें दोनों प्रदेशों के लगभग 25 जिले आर्तें है। जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 161,704 है तथा कुल क्षेत्रफल लगभग 68889 वर्ग कि० मी० है। यहां की प्रमुख नदियों में धसान, वेतवा, केन, चम्बल, जमुना तथा नर्मदा है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने के बावजूद भी यह क्षेत्र विकास के पथ पर पिछड़ा हुआ है।

भारत-हृदय बुदेलखण्ड की गरिमयी एवं वीर प्रसविनी भूमि ने भी ऐसी नारियों को जन्म दिया है जिन्होंने ने बुदेंलखण्ड की संस्कृति की सुरक्षा करते हुए अपने धर्म-परायण, उज्जवलता वीरता का

परिचय देते हुए अपने प्राणों को तृणवत् अपनी माता मही के चरणों में न्यौछावर कर विश्व को चमत्कृत कर दिया।

रानी कुँवर गणेश प्रवीणराय, लाल कुँअर (सारन्धा) महारानी विजय कुँअर लक्ष्मीबाई (मनु) वीरांगना झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं थीं जिन्होनें इस वीर भूमि को ही नहीं वरन् अपनी वीरता एवं त्याग से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया।

ऐसी वीरांगनाओं को जन्म देने वाली भूमि में नारी की स्थिति वर्तमान में अत्यन्त निम्न है। यहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति जातिगत आधारों पर भिन्न-भिन्न है। अन्य जातियों की तुलना में इस क्षेत्र में ब्राह्मण जातियों की नारियों की प्रस्थिति उच्च्व है। उन्हें सामाजिक कार्यो में भाग लेने की छूट है। अन्य जातियों में क्षत्रिय यादव राजपूत तथा कुर्मी आदि प्रभु जातियों में महिलाएं मात्र चाहरदीवारी तक ही सीमित है। बुंदेलखण्ड में बुंदेली जनता की संयुक्त परिवार प्रणाली है। इस प्रणाली में घर का मुखिया पुरुष होता है। यहां आज भी आदमी आर्दश विवाह प्रणाल्ी प्रचलित है। इसके अन्तर्गत माता-पिता के संरक्षण में कन्या का विवाहयोग्य वर चुना जाता है।विवाह में दहेज के अत्यधिक प्रचलन के कारण यहां कन्या को अभिशाप माना जाने लगा है। यहां भाई–बहन के रिश्ते को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा भी यहां प्रचलित है।

बुंदेलखंड क्षेत्र क कृषि प्रधान है। यहां महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की शिक्षा कृषि कार्यो तक ही सीमित है। उत्पादन में महिलाओं का सहयोग लिया जाता है परन्तु उपभोग के समस्त प्रतिभान पुरुष ही तय करते है। उच्च्व जातियों जैसे-ब्राह्मण क्षत्रिय में महिलाओं द्वारा घर के बाहर कार्य नहीं कराया जाता, परन्तु पिछड़ी एवं अनु० जातियों में महिलाएं घर के बाहर भी कार्य करती हैं। जागरूकता बढ़ने तथा समय को ध्यान में रखते हुए यहां भी महिलाएं घर के बाहर नौकरी, व्यापार आदि व्यवसायों में संग्लन हो रही हैं।

बुदेलखंड में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति लगभग शून्य है। यहाँ पर महिलाओं की राजनितिक सहभागिता चुनावों में मत देने तक ही सीमित है। चुनाव में मत देने की इच्छा भी पुरुषों पर निर्भर करती है। परन्तु वर्तमान में पंचायतों में महिला आरक्षण के चलते यहां भी महिलाएं पंचायतों में चुनकर आ रहीं है। जिससे महिलाओं की राजनितिक चेतना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति की बात है, बुदेली संस्कृति का भारतीय समाज में एक विशिष्ट स्थान है। त्यौहारों में पूजा का आयोजन, मेलों में महिलाओं की सहभागिता तथा धार्मिक कार्यो में नारियों की संलिप्तता यहां की नारियों की उच्च्य सांकृतिक स्थिति को दर्शाती है। यहां की नारियां व्रत एवं त्यौहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि धार्मिक कार्यो में अनुष्ठान एवं कर्मकांड पुरुषों द्वारा ही पूर्ण किए जाते है परन्तु स्त्रियां भी अनुष्ठानों एवं कर्मकांडो में भाग ले सकती हैं।

अध्याय-4 ''महिलामुक्ति आदोलन'' से संबंधित है। बीसवीं शताब्दी को महिला जागरण युग के नाम से संबोधित किया गया है। चतुर्दिक महिला संगठनों द्वारा आंदोलन हुए। उनके योगदानों की मुख्यतः दो दिशाएं रही है, आर्थिक स्वतन्त्रता एवं परिवार में सुरक्षित स्थिति। 1975 का वर्ष नारी जागरण को समर्पित था जिसे अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में संबोधन मिला। इसी तरह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 'नारी मुक्ति आन्दोलन' का जन्म पश्चिमी देशों में हुआ। वहां इसका प्रस्फुटण वासनात्मक शोषण की अधिकता से उत्पन्न सामाजिक विकृतियों के विरुध्द प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। क्रांति की प्रेरणा स्त्रोत 'सीमोन द बूआ' की बहुचर्चित एवं विवादास्पद पुस्तक ''द सेकेण्ड सेक्स' बनी जिसने बड़े-बड़े विचारकों को भी इस दिशा में चिन्तन करने को बाध्य किया। इसी प्रकार की दूसरी पुस्तक बेट्टी फ्राइडन की 'द फेमिनिन मिस्टिक' थी। जिसमें दिखलाया गया था कि किस प्रकार समाज के पुरुष वर्चस्व ने मनोवैज्ञानिक दवाब के कारण स्त्रियों को काम पूर्ति का साधन बनने के लिए बाध्य किया। महिला आन्दोलन ने द्वितीय चरण में केट मिलेट लिखित

'सेक्सुअल पालिटक्स' तथा जर्मन ग्रीअर लिखित 'फीमेल युनिक' आदि पुस्तकें आयीं। मिलेट की पुस्तक में पुरुष प्रधान समाज के विरोध में यौन क्रांति का आह्वान मिलता है। साथ ही मुक्त सेक्स तथा ले स्वियन की वकालत। ग्रीअर की पुस्तक क्रांति की उदघोषिका है। इन पुस्तकों ने जहाँ एक ओर नारी जागृति में सराहनीय योगदान किया वहीं इनकी अतिवादिता ने पुरुष विरोधी संगठनो को जन्म दिया। जिसके फलस्वरूप सोसायटी 'फार कटिंग अप मैन'' जैसी संस्थाएं उत्पन्न हुईं। इन संस्थाओं ने महिला आन्दोलन को तीव्रता प्रदान की।

भारत में सर्वप्रथम राजा रायमोहन राय ने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1828 में राजा राममोहनराय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की एवं इस समाज ने पहले सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया एवं इसी के परिणामस्वरुप अंग्रेज सरकार को 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर इसे रोकना पड़ा। राममोहन राय ने बाल विवाह के विरुद्ध व स्त्री शिक्षा के प्रसार के पक्ष में भी आन्दोलन प्रारम्भ किया था। राजा राममोहनराय द्वारा शुरू किए गए स्त्री सम्बन्धी कार्यो के विद्यासागर अनुगामी थे। विधवा समस्या से संबधित कार्य को विद्यासागर ने आगे बढ़ाया उन्होंने राममोहन राय की कार्य पद्धति अपनाई और स्वयं इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया। बहराम जी मलबारी का नाम भी बाल-विवाह की समस्या को सुलझाने के प्रयत्नों से जुड़ा हुआ है। महादेव गोविन्द रानाडे के कार्यो की समीक्षा करने से भी यह स्पष्ट होता है कि समाज सुधार तथा स्त्रियों की प्रगति के क्षेत्र में भारत महिला मुक्ति आन्दोलन में स्वामी विवेकानन्द एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन जागृति अभियान एवं सुधार कार्यक्रमों का विशेष स्थान है। आप दोनों ने ही स्त्री शिक्षा एवं समानता पर अत्यधिक बल दिया एवं उनके उत्थान हेतु संस्थाओं की स्थापना की। महिला मुक्ति आंदोलन में मुस्लिम सुधारकों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा अधिक दयनीय थी। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा तलाक प्रथा ने मुस्लिम महिलाओं को अत्यंत

निम्न स्थिति में पहुँचा दिया। मुस्लिम सुधारकों ने इन कुरीतियों को दूर करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए। अगर सुधारकों के योगदानों की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट होता है कि राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के उत्थान की दिशा में प्रयास शुरू किए। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर विधवाओं के पुर्नविवाह के प्रथम प्रचारक थे। दयानन्द सरस्वती ने वेदकाल की स्वतंत्र-समाज-रचना स्थापित करने का काम शुरू किया। प्रजा में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है। जबकि विवेकानन्द ने स्त्रियों में समानता तथा उन्हें सम्मानीय स्थान दिलाने की जोरदार वकालत एवं कार्य किया।

भारत में महिला मुक्ति आन्दोलन में स्त्री एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। पिछले चालीस पचास वर्षो में स्त्री संगठनों का काफी विस्तार होता जा रहा है। भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नारी संगठन कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले दो उल्लेखनीय संगठन 'वोमेन इण्डियन एसोसिएशन' तथा 'आल वोमेन कान्फ्रेन्स' का योगदान सराहनीय है। वर्तमान में देश में लगभग ४० महिला एवं जन संगठन स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। इस प्रकार सामाजिक स्थिति जैसे-जैसे बदलती जा रही है वैसे-वैसे नारी संगठनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इन सगठनों ने एवं समाज सुधार आन्दोलनों ने नारी अस्मिता एवं स्थिति का पुर्नभाषित करने की दिशा मे महत्वपूर्ण योगदान दिए।

अध्याय-पंचम महिला उत्पीड़न के विविध स्वरुपों की विवेचना प्रस्तुत करता है। आज आधुनिकता की आधी दौड़ में नैतिकता का पतन हुआ है। कामुकता की संस्कृति पैर पसार रही है। रिश्तों की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। वर्तमान में महिलाओं की विभिन्न समस्याओं में सबसे ज्वलंत समस्या उनके विरुद्ध की जाने वाली हिंसा या उत्पीड़न है। यह एक ऐसी स्थिति है जो न केवल अनैतिक है बल्कि प्रत्येक सभ्य समाज के लिए चिन्ता और शर्म का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न के विविध स्वरुपों में पारिवारिक हिंसा प्रमुख है। अधिकांश महिलाएं परिवार में अपने पतियों

द्वारा पीटी जाती है। पारिवारिक हिंसा के अन्तर्गत महिला का शारीरिक उत्पीड़न होता है, जिसमें उसे तमाचे मारना, लात,-घूसों से मारना, दीवार से सिर टकराना, बाल पकड़कर घसीटना, लाठी डंडो से पीटना, चाकू खंजर एवं अन्य धारदार वस्तुओं से प्रहार तक किया जाता है। फलस्वरूप महिला को आघात, फैक्चर, चोटें, रक्त स्राव, गर्भपात व विकलांगता की स्थिति भी आ जाती है।

पति द्वारा पीटे जाने के अतिरिक्त महिला की इच्छा न होते हुए भी उसके साथ जबर्दस्ती यौन संबंध पति द्वारा बनाना भी एक प्रकार का उत्पीड़न है। दहेज उत्पीड़न के रूप में दहेज न पाने या कम पाने के कारण अथवा पत्नी की मत्यु के पश्चात पुनः विवाह करके पुनः दहेज की लालच में बहुओं के शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जिसमे विशेष रूप से बहु को जलाने की घटना आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। बहुधा महिलाओं की जलने से मौत हो जाती है, किन्तु यदि वह बच जाती है उसका शेष जीवन नर्क के समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त दहेज न पाने के कारण बहु को मारना पीटना, कमरे में बन्द रखना भूखा रखना आदि तरीको से प्रताड़ित किया जाता है। दहेज को लेकर या अन्य कारणों से महिला का मानसिक उत्पीड़न भी होता है। जिसके अन्तर्गत महिला के साथ गाली-गलौज, ताने मारना, उपेक्षा करना, नीचा दिखाना, बेवजह बात का बतंगड़ बनाना, प्रत्येक कार्य में कमी निकालना, बोलचाल बन्द करके महिला को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। इन सबके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों पड़ोसियों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा महिला के यौन शोषण की घटनाएं भी प्रकाश में आयी हैं। जिसमें ससुर, देवर तथा जेठ द्वारा महिला के साथ दुर्व्यहार होने करने की घटनाएं प्रमुख हैं।

एक महिला के लिए बलात्कार से ज्यादा वीभत्स एहसास और कुछ नहीं हो सकता। विपरीत इसके भारत में प्रत्येक 40 मिनट में एक महिला बलात्कार की शिकार हो जाती है। बहुधा महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। परन्तु जो बच जाती है उनका जीवन नर्क से भी बदतर

हो जाता है। समाज ऐसी औरतों को गिरी नजर से देखता है जबकि यह उसी समाज की देन होती है। बदनामी के डर से महिलाएं चुपचाप उत्पीड़न सहने को मजबूर है। इधर आजकल लड़कियों के अपहरण एवं भगा ले जाने की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हुआ है। एक नाबालिक को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को अपहरण कहते है। भगा ले जाने का अर्थ है कि एक महिला को इस उद्देश्य से जबरदस्ती या धोखेबाजी से ले जाने या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाये। अपहरण में उत्पीड़ित की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु भगा ले जाने में उत्पीड़ित की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करवा देती है।

दहेज हत्या के इधर महिलाओं की हत्या के इधर कुछ रोचक मामले प्रकाश में आए हैं। जिसके अन्तर्गत पारिवारिक सदस्यों ने या पतियों ने महिला की लम्बी बीमारी के चलते इलाज खर्च बचाने हेतु बीमार महिला की हत्या कर दी। इसी तरह कुछ मामलों में बीमा की रकम हड़पने के उद्देश्य से भी पत्नियों की हत्यायें कर दी जाती हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं कम ही होती है। बहुधा हत्या के पीछे मुख्य कारण अवैध सम्बन्ध होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी एक प्रकार हैं, भारतीय सामाज में विधवा होना ही अपने आप में अपराध है। विधवाओं की उपेक्षा के अतिरिक्त विधवा को पीटना, भावनात्मक उपेक्षा, यातना, गाली-गलौज लैंगिक दुर्व्यहार संपत्ति में वैध हिस्से से वंचन और उनके बच्चों के साथ दर्व्यहार सम्मिलित हैं। इसी प्रकार वृद्ध महिलाओं को परिवार में बोझ माना जाता है। उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार के साथ-साथ उसकी बीमारी आदि का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। आजकल सामाजिक हिंसा के रूप में भ्रूण हत्या का प्रचलन बढ़ा है। पुरुष प्रधान समय के कारण परिवार में लड़के का जन्म उत्तम तथा लड़की का जन्म एक शाप माना जाना है। इस प्रवृति में वैज्ञानिक तकनीक ने बढ़ोत्तरी की है। गर्भ में शिशु का परीक्षण कर गर्भस्थ महिला शिशु की हत्या

की रही है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में महिला के विरुद्ध हिंसा के रूप में लड़की का जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती हैं। इसके पीछे मुख्य कारणों में उच्च्य दहेज, पुरुष प्रधान समाज, स्त्री की घटती प्रस्थिति आदि मुख्य है।

अध्याय-6 में अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं या आंकड़ों का विश्लेषण चित्रों तथा सारणियों के माध्यम से किया गया है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य निम्न है -

1- अध्ययन के दौरान पाया गया कि सभी उत्तरदात्रियों का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हुआ तथा 40 प्रतिशत का यौन उत्पीड़न हुआ जबकि 20 प्रतिशत का सभी प्रकार से उत्पीड़न हुआ।

(चित्र सं० 6.1)

2- जब उत्तरदात्रियों से उनके उत्पीड़न की अवधि एवं मुकदमें की अवधि के वारे जानकारी प्राप्त की गई तो पाया गया कि अधिकांश उत्तरदात्रियों का उत्पीड़न 4 या 5 वर्षो से अधिक समय से हो रहा है जबकि अधिकांश उत्तरदात्रियों ने 1 या 2 वर्षों से ही रिपोर्ट दर्ज कराई है।

(सारणी सं० 6.1)

3- पति द्वारा शारीरिक हिंसा के स्वरुपों का जब आयुगत विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि सभी आयु वर्गो की उत्तरदात्रियौं थप्पड़ों से पीटी जाती हैं। जबकि 35-44 आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों को अधिकांशतः वस्तु फेंककर पीटा जाता है।

(सारणी सं० 6.2)

4- इसी प्रकार पति द्वारा शारीरिक हिंसा स्वरुपों के जातिगत विश्लेषण में पिछड़ी एवं सवर्ण जाति की महिलाएं सर्वाधिक थप्पड़ों से पिटती हैं, जबकि अनु० जाति तथा मुस्लिम महिलाओं पर वस्तुओं का प्रहार अधिक होता है। (सारणी सं० 6.3)

5- शिक्षा के क्रम में देखने पर पाया गया कि अशिक्षित या कम शिक्षित महिलाओं को शिक्षितों की तुलना में ज्यादा शारीरिक चोटे पंहुचायी जाती है। (सारणी सं० 6.4)

6- अध्ययन से स्पष्ट है कि मानसिक उत्पीड़न का सर्वप्रमुख कारण दहेज है।

(सारणी संख्या सं0-6.5)

7- कम आयु की महिलाओं की अपेक्षा अधिक आयु की महिलाओं के साथ गाली-गलौज का प्रयोग अधिक होता है। (सारणी संख्या सं0-6.6)

8- सवर्ण एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं की अपेक्षा अनु0 जाति एवं मुस्लिम महिलाओं के साथ गाली-गलौज अधिक की जाती है। (सारणी संख्या सं0-6.7)

9- शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के साथ अधिक अभद्रता पूर्ण व्यवहार होता है। (सारणी संख्या सं0-6.8)

10- विवाहित महिलाओं का यौन उत्पीड़न उनके पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सर्वाधिक होता है। (चित्र संख्या सं0-6.2)

11- पति द्वारा यौन उत्पीड़न का प्रमुख कारण विवाह पूर्व एवं विवाहेत्तर संबंध है।

(सारणी संख्या सं0-6.9)

12- पति के अतिाक्ति विवाहित महिलाएं सर्वाधिक सास-ससुर द्वारा सतायी जाती है।

(सारणी संख्या सं0-6.10)

13- अधिकांश उत्तरदात्रियों का मानना है कि उत्पीड़न में नशें का अत्यधिक योगदान है।

(चित्र सं0 6.3)

14- पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं के पतियों में सर्वप्रमुख दुर्व्यसन शराब है।

(चित्र सं0 6.4)

15- परिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं के पति झगड़ालू प्रवृति के है।

(सारणी संख्या सं0-6.11)

16- अधिकांश विवाहित महिलाओं का मानना है कि उनके उत्पीड़न में शिक्षित न होना सहयोगी कारक है। (चित्र सं० 6.5)

17- उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा अधिकांश महिलाओं को उनके मायके वालों या नातेदारों ने दी। (सारणी संख्या सं०-6.12)

18- अधिकांश उत्तरदात्रियों ने उत्पीड़न में वर्तमान न्यायिक पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया। (चित्र सं० 6.6)

18- अधिकांश उत्पीड़ित महिलाओं ने वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से असंतुष्टि दर्शायी, साथ ही वर्तमान कानूनों को अपर्याप्त बताया । (चित्र सं० 6.7)

19- पीड़ित महिलाओं की न्यायिक प्रक्रिया में सहयोगी पक्षों में माता-पिता या भाई-बहिन ही है। (सारणी सं० 6.13)

20- पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं में सर्वाधिक मायके में रह रही है जबकि उनके बच्चे उनके साथ ही है। (सारणी सं० 6.14)

21- अधिकांश महिलायें हिंसा की शिकार होने के पश्चात भी पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं। (चित्र स० 6.8)

22- पीड़ित महिलाओं के मायके या ससुराल दोनों पक्षों में ही स्त्रियों का दर्जा निम्न है। (सारणी सं० 6.15)

23- पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाएं दहेज प्रथा के विपक्ष में मत जाहिर करती है। (चित्र स० 6.9)

24- उत्पीड़न के बावजूद महिलाएं पुत्र के लिए दहेज युक्त बहु तथा पुत्री के लिए सुयोग्य वर चाहती है। (सारणी स० 6.16)

25- उत्तरदात्रियों नारी जागरूकता में 'नारी संगठनों' तथा 'संचार माध्यमों' का योगदान सर्वाधिक मानती है। (चित्र सं० 6.10)

26- पारिवारिक हिंसा या उत्पीड़न के पश्चात अधिकांश पीड़ितों से किसी महिला संगठन से संपर्क नहीं किया। (चित्र सं० 6.11)

27- पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं का मानना है कि नारी की शिक्षा व्यवसाय राजनीति में भागीदारी या महिलाओं के सांसद, विधायक बनने से उत्पीड़न में विशेष कमी नही होगी। (सारणी सं० 6.17)

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य केन्द्रित रखा गया है। इस दृष्टि से निम्न तथ्य अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करते है -

1- पारिवारिक हिंसा में महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न अत्यधिक होता है।

2- उत्पीड़न के प्रमुख कारकों में दहेज, अशिक्षा, पारिवारिक सदस्यों की सही देखभाल न कर पाना आदि है।

3- पारिवारिक हिंसा में पति के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्य भी भाग लेते हैं।

4- पारिवारिक हिंसा में पति की भूमिका नकारात्मक या प्रायः तटस्थ ही रहती है।

5- ससुराल पक्ष के नातेदार पारिवारिक हिंसा को बढ़ावा देते है जबकि मायके पक्ष के नातेदार उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में उत्पीड़िता का साथ देते हैं।

6- संचार माध्यमों एवं नारी जागृति आन्दोलनों ने नारी चेतना में वृद्धि की है। फलस्वरुप उत्पीड़ित महिलाएं उत्पीड़न के विरुद्ध खड़ी हो सकी।

उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन की कुछ उपकल्पनाएं भी निर्मित की गई थीं। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उपकल्पनाओं का सत्यापन किया गया -

1- सारणी सं० 6.4, 6.8 तथा चित्र सं० 2.3 से प्रथम उपकल्पना सत्य होती है कि महिलाओं के अत्याचार के विविध स्वरुपों अनाचार, दुराचार एवं अत्याचार को प्रभावित करने में शिक्षा एवं आर्थिक दशाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2- सारणी सं० 6.10 द्वितीय उपकल्पना को सत्य करती है कि परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका महिला उत्पीड़न में सकारात्मक होती है।

3- सारणी सं० 6.9 तृतीय उपकल्पना को पुष्ट करती है कि विवाहेत्तर यौन संवंधों के कारण महिला उत्पीड़न की मात्रा में वृद्धि होती है।

4- सारणी सं० 6.5 एवं चित्र सं० 6.9 चतुर्थ उपकल्पना को पुष्ट करते हैं कि दहेज महिला उत्पीड़न को बढ़ाने में सहायक है।

5- उत्पीड़नों के कारकों का विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ कि परम्परागत विवाह का महिला उत्पीड़न पर कोई प्रभाव नही पड़ा।

6- सारणी सं० 6.10 से छठी उपकल्पना सत्य होती है कि महिला उत्पीड़न पर परिवार एवं नातेदारी सम्बन्धों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

7- चित्र सं० 6.10 एवं सारणी सं० 6.12 सातवीं उपकल्पना को पुष्ट करती है कि महिला आन्दोलन, संचार माध्यमों का आधुनिकीकरण सुविधाएं महिला उत्पीड़न रोकने में सहायक है।

परिशिष्ट

REFERENCES

Akerker, Supriya (1995) ; Theory and Practice of Women's Movement in India. A Discourse Analysis. Economic and political weekly. April 29.

Anveshi Team (1993) : Rethinking Gender Relation redifining politics - Nellore village Women against Arrack,. Ecomomic and Political weekly, January 16-23.

Agnes, Flavia (1990) : Violence in the Family : 'Wife beating' in Rehana Ghadially (ed), op cit.

Davis, Kingslay, Human Society.

Davis, Nira Yuva (1997) : ^Women Citizenship and Difference', Feminist review, no. 57, autumn.

Dev. Mahendra (1997) ; 'Growth, Employment, Poverty and Human Development.'

Ehrenreich, Barbara (1997) : 'When Government gets mean', the nation november.

Ghadially, Rehana (ed) (1990) : Women in India Society : A reader , Sage Publications.

Goode, William, J, and Paul K. Hatt, 'Methods in Social Research'.

Jejcebhoy, Shireen (1997) : 'Wife beating in rural India: A Husband's Right?' Evidence from survey data, Economic and Political weekly Vol 33 No 15 april 11-17 pp 855-62.

Krishnaraj Maithreyi (ed) (1991) : 'Women and Violence' - A country report: A study sponsored by UNESCO, Research Centre for Women's studies, SNDT Women's University Bombay.

Lundberg, F and Fernham, MF, 'Modern Women the last sex'.

Madhurima (1996) ; Violence against Women : Dynamics of Conjugal Relations, Gyan Publishing House, New Delhi.

Makin, H.L. In Defance of women

Mead, Marget, Male and Female

Nagaraj, R (1997) ; 'What has Happened since 1991 ? Assessment of India's Economic Reforms', Economic and Political Weekly November 8.

Rajaraman, Indira (1983) : 'Economics of bride price and Dowry', Economic and Political weekly. Vol XVIII No. 1-2 Jaunary.

Sangari, Kumkum (1995) : Politics of Diversity Religious Communities and Multiple Patriarchies, Economic and Political Weekly December 30.

Schumpeter, Joseph (1942) : Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row. New York.

Sundararaman, Sudha (1996) : Literacy Campaigns Lessons for Women's Movement. Economics and Political weekly may 18.

Tharu, Susie (1996) : 'The impossible Subject Caste and the Gendered body', Economic and Political weely June 1.

Magzines and News Papers -

- Manorama, Mitra Publication, Allahabad
- Meri Saheli, Mumbai
- Grih Shobha, Calcutta
- Dainik Jagran, Kanpur
- Dainik Amar Ujala, Kanpur
- Dainik Aaj, Kanpur

पारिवारिक हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(चित्रकूटधाम मण्डल की उत्पीड़ित महिलाओं के विशेष सम्बन्ध में)

साक्षात्कार अनुसूची

गोपनीय

शोध निदेशक
डॉ० एस०एस० गुप्ता (दादू)
रीडर समाजशास्त्र
पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा

शोधार्थिनी
कु० प्रतिभा पाण्डेय
पुत्री श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय
पूर्वी कटरा, बाँदा (उ०प्र०)

उत्पीड़ित महिला का साक्षात्कार

1. उत्पीड़ित महिला का नाम ....
2. उम्र :...............................3. धर्म :.............................. 4. जातिः..........................
5. जन्म स्थान : ....6. ससुराल : ....7. शिक्षा :................
8. विवाह की अवधि - (1) 0-5 वर्ष (2) 5-10 वर्ष (3) 10-15 वर्ष (4) इससे अधिक
9. आपके पिता का व्यवसाय : ....
10. आपके पति या ससुराल पक्ष का व्यवसाय :...
11. आपके मायके में परिवार का स्वरूप - संयुक्त/एंकाकी
12. आपके मायके में सदस्यों की संख्या :..
13. आपकी ससुराल में परिवार का स्वरूप - संयुक्त/एंकाकी
14. आपकी ससुराल में सदस्यों की संख्या :...
15. आपके मायके में शिक्षितों की संख्या :...
16. आपके ससुराल में शिक्षितों की संख्या :...
17. पति की शिक्षा :..
18. आपका मायका है- (1) उच्च वर्गीय (2) मध्यम वर्गीय (3) निम्न वर्गीय
19. आपकी ससुराल है- (1) उच्च वर्गीय (2) मध्यम वर्गीय (3) निम्न वर्गीय

20. आपके मायके और ससुराल में कौन आर्थिक रूप से समृद्ध है।

(1) मायका (2) ससुराल (3) दोनों वरावर है।

21. आपके कितने बच्चे है- लड़के - लड़किया

22. न्यायालय में आपका मामला कैसा है-

(क) भरण पोषण सम्बन्धी (ख) सुरक्षा एवं उत्पीड़न से सम्वन्धित

23. आपका मुकदमा कितने वर्षो से न्यायालय में लम्वित है-

(क) 1 वर्ष से (ख) 2 वर्ष से (3) 3 वर्ष से (4) 4 वर्ष से

24. आपके उत्पीड़न की अवधि -

(क) 1 वर्ष से (ख) 2 वर्ष से (3) 3 वर्ष से (4) 4 वर्ष से

25. न्यायालय में मामला लम्बित होने के पश्चात क्या आप पति से अगल रहती हैं। हां/नही

26. यदि अलग-अलग रह रही है तो कहॉ-

(क) ससुराल में दूसरी जगह (ख) मायके में (ग) अन्य किसी रिश्तेदार के पास

27. यदि अलग-अलग रह रही है। तो बच्चे किसके पास है-

(1) आपके पास (2) पति के पास

28. क्या आप वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट है। हॉ/नही

29. क्या आप नारी के अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों को पर्याप्त मानती है। हॉ/नही

30. उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में आप पुलिस की भूमिका को मानती है।

(1) बहुत अच्छी (2) सन्तोषजनक (3) संदिग्ध (4) खराब

31. न्यायिक या पुलिस प्रक्रिया में आपका कौन सहयोग कर रहा है।

(1) माता पिता (2) भाई बहिन (3) अन्य नातेदार (4) कोई नहीं

32. भरण पोषण का मामला न्यायालय में लम्बित होने के दौरान आपका भरण-पोषण कौन कर रहा है। (1) माता पिता (2) भाई बहिन (3) अन्य नातेदार (4) कोई नही

33. पति के खिलाफ मामला न्यायालय में लम्बित होने के कारण लोगों की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। (1) लोग ताने देते है। (2) कुछ लोग सही सलाह देते है।

(3) कुछ लोग आर्थिक मदद भी करते हैं। (4) लोग तटस्थ रहते है।

34. आपका किस प्रकार का उत्पीड़न हुआ ?

(1) शारीरिक उत्पीड़न (2) मानसिक उत्पीड़न (3) यौन उत्पीड़न (4) उपरोक्त सभी

35. शारीरिक उत्पीड़न में कौन-कौन सदस्य भाग लेते है।

(1) पति (2) जेठ/देवर (3) सास,ससुर,ननद (4) सभी

36. मानसिक उत्पीड़न किन लोगों द्वारा होता है।

(1) पति (2) जेठ/देवर (3) सास,ससुर,ननद (4) सभी

37. क्या आपका पति आपके साथ जबरन यौन सम्बन्ध स्थापित करता है ? हॉ/नही

38. शारीरिक उत्पीड़न का स्वरूप क्या है।

(1) साधारण मारपीट (2) लाठी ड़ंडे से (3) जलाया जाना (4) सभी

39. मानसिक उत्पीड़न का कारण था।

(1) दहेज (2) खाना सही न बना पाने के कारण

(3) परिवार के सदस्यों की सही सेवा न कर पाने के कारण(4) किसी भी बात को लेकर

40. यौन उत्पीड़न किन विषयों को लेकर होता है।

(1) विवाह पूर्व के सम्बन्धों को लेकर (2) विवाहेत्तर सम्बन्धों को लेकर

(3) यौन सन्तुष्टि को लेकर

41. उत्पीड़न के सम्बन्ध में आपके मायके के सदस्यों का आपके प्रति दृष्टिकोण -

(1) सकारात्मक (2) नकारात्मक (3) तटस्थ

42. उत्पीड़न के विरूद्व आवाज उठाने को आपको किसने प्रेरित किया ।

(1) मायके वालों ने (2) ससुराल पक्ष के अन्य नातेदार या पड़ोसियों ने

(3) महिला अधिकारों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी ने

(4) महिला अन्दोलनों या रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम ने।

43. नारी संगठनों को आप कितना प्रभावकारी मानती है।

(1) बहुत ज्यादा (2) काफी (3) बहुत कम (4) बिल्कुल नहीं

44. विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे- रेडियों, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं ने नारी जागरूकता में कितना योगदान दिया है।

(1) बहुत अधिक (2) काफी (3) बहुत कम (4) बिल्कुल नहीं

45. क्या आपके उत्पीड़न में आपका कम या बिल्कुल शिक्षित न होना सहयोगी रहा है। हाँ/नहीं

46. क्या आपकी और आपके पति के मध्य आयु का अधिक अन्तर भी आप लोगों के मध्य विरोध का कारण बना । हॉ/नही

47. कम उम्र में शादी से आपका उत्पीड़न अधिक हुआ क्या आप इससे सहमत है। हॉ/नही

48. क्या आपने किसी नारी आन्दोलन के बारे में सुना है। हॉ/नही

49. क्या आपने या किसी महिला संगठन ने आपसे सम्पर्क किया। हॉ/नही

50. 8 मार्च का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्या आप जानती है। हॉ/नही

51. आज नारी शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति सभी में बराबर की भागेदारी कर रही है। क्या इससे नारी उत्पीड़न कम होगा। हॉ/नही

52. महिलाओं के सांसद या विधायक बनने से क्या नारियों को अधिकार मिलेंगे। हॉ/नही

53. क्या आप अपने लड़के या लड़की से समान व्यवहार करती है। हॉ/नही

54. क्या आप अपनी लड़की को कम से कम स्नातक तक पढ़ायेगी। हॉ/नही

55. आप अपनी पुत्री का विवाह कितनी आयु में कर देगी।

(1) 10-15 वर्ष (2) 15-20 वर्ष (3) 20-25 वर्ष (4) 25-30 वर्ष

56. क्या आप अब भी पति और लड़के से सम्बन्धित वृतो को रखती है। हॉ/नही

57. क्या आप इस विचार धारा से सहमत है कि पति कैसा भी हो पत्नी को सीता या सावित्री जैसी होनी चाहिये। हॉ/नही

58. आपका पति - (1) झगड़ालू प्रवृत्ति का है।(2) शंकालू है (3) मिलनसार है। (4) दुष्ट है। (5) अच्छा है।

59. आपके पति में कौन-कौन से दुर्व्यसन है।

(1) शराब (2) जुआं (3) परस्त्री गमन (4) सभी

60. आपके मायके में महिलाओं का दर्जा। उच्च है / निम्न है

61. आपकी ससुराल मे महिलाओं का दर्जा । उच्च है/ निम्न है

62. क्या आप अर्न्तजातीय विवाह को उचित मानती है। हॉ/नही

63. क्या आपके पति व आपकी समाजिक प्रस्थिति एक सी है। हॉ/नही

64. आप अपने कार्यो मे पिता की सलाह उचित मानती है या अनुचित मानती है।

65. आपके पति जब आपके कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हो तो आप ।

(1) झगड़ा करती है (2) सामान्य रहती है (3) दुखी हो जाती है (4)वोलचाल वन्द कर देती है।

66. आप पति को दर्जा देती है। (1) पति परमेश्वर का (2) मित्र का (3) समान

67. क्या आपकी ससुराल के कई सदस्य नशे का सेवन करते है। हॉ/नही

68. आप अपने पुत्र के लिये पत्नी चाहेगीं।

(1) सर्वगुण सम्पन्न तथा दहेज मुक्त (2) केवल संस्कारवान पढ़ी लिखी

(3) कैसी भी हो किन्तु दहेज युक्त (4) नौकरी पेशा

69. आप अपनी पुत्री के लिये वर चाहेगीं।

(1) दहेज रहित नौकरी पेशा (2) दहेज युक्त नौकरी पेशा

(3) कैसी भी हो किन्तु दहेज रहित (4) केवल पढ़ा लिखा संस्कारवान दहेज रहित

70. आप अपनी पुत्री के लिये कैसा घराना चाहेगीं।

(1) अपने से सम्पन्न (2) अपने समान (3) अपने से निम्न

71. आप अपने पुत्र के लिये चाहेगी । (1) अपने से ऊंचा घरबार (2) अपने बराबर का घर

(3) अपने से निम्न घरबार

72. आप उत्पीड़न में नशे का कितना योगदान मानती हैं ?

(1) बहुत अधिक (2) काफी (3) बहुत कम (4) बिल्कुल नहीं

73. यदि परिवार आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो क्या पारिवारिक हिंसा में कमी आयेगी। हॉ/नहीं

74. क्या आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। हॉ/नहीं

बुन्देलखण्ड का स्वरूप चित्र

जिला	क्षेत्रफल वर्ग मील	जन संख्या
झाँसी एवं ललितपुर	३७९७ (१००६२ वर्ग किमी.)	१०८७४७६ १३०७,२७६
जालौन	१७६३ (४५६८ ,,	६६३१६८ ८१२९०६
हमीरपुर	२७७६ (७१८८ ,,	७६४४४६ ६८८२४०
बांदा	२९५० (७६४१ ,,	९५३७५१ ११८२९४९
ग्वालियर	२०१६	६५७८७६
भिण्ड	१७१९	६४११६९
मुरैना	४५१२	७८३३४८
शिवपुरी	३९३४	५५७९५४
गुना	४२४०	५९५८२५
दतिया	७८६	२००४६७
पन्ना	२५४६	३३१२५८
छतरपुर	३३३०	५८७३७३
टीकमगढ़	१९३४	४५५६६२
विदिशा	२८१९	४८९२१३
जबलपुर	३९०९	१२७३८२५
सेवनी	३३६२	५२३७४१
सागर	३९५०	७९६५४७
दमोह	२८१५	४३८३४३
नरसिंहपुर	१९८३	४१२४०६
छिंदवाड़ा	४५७६	७८५५३५
मंडला	५१२०	६८४५०३
बालाघाट	३५६०	८०६७०२
रायसेन	३२७८	४११४२६
होशंगाबाद	३८५१	६१८२९३
बैतूल	३८९१	५६०४१२
२६	७९३१७ वर्ग मील	१६१११७०४

संभावित बुन्देलखण्ड का स्वरूप चित्र

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	जन संख्या
झाँसी – ललितपुर	१०,०६२	१३,०७,२७६
जालौन	४,५६८	८,१२,९०६
बाँदा	७,६४१	११,८२,९४९
हमीरपुर	७,१८८	९,८८,२४०
५	२९४५९	४२,९१,३७४
छतरपुर	८,७५८	७,१२,२९६
दतिया	२,०२७	२,५५,३१९
टीकमगढ़	५,०३४	५,६८,८७७
पन्ना	७,०३१	४,२८,१३१
दमोह	७,३२१	५,७३,२०१
सागर	१०,२५९	१०,६२,१२७
६	४०,४३०	३५,९९,९४१
११	६९,८८९	७८,९१,३१५

बुन्देलखण्ड का अंक चित्र

क्र० सं०	विषय	अंक
१	जन संख्या	७८,९१,३१५
२	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	६९ ८८९
३	जिले	११ (ग्यारह)
४	जोतों की चकबन्दी	० (शून्य)
५	भूमि संरक्षण	७
६	गाँवों में बिजली	४
७	नल कूप	९
८	बारहमासी (सिंचाई साधन) (प्रतिशत)	१
९	उर्वरों की खपत	६
१०	गेहूँ की उपज (कि० प्रति हैक्टेयर्स) (एक है० = २·४७ एकड़)	५८८
११	पढ़े लिखे किसान (प्रतिशत)	५·५

हर पांच में से एक विवाहित महिला घरेलू हिंसा की शिकार

उप्र में शौहर अपनी पत्नियों पर मेहरबान, पंजाब में घरेलू हिंसा में इजाफा

सुहेल हामिद

नई दिल्ली। देश में महिलाएं अब सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं रही हैं। देश की हर पांच विवाहित महिला में से कम से कम एक महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। उत्तर भारत में देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले घरेलू हिंसा में ज्यादा इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 20 फीसदी महिलाओं को जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा के लिए ज्यादातर औरतों के पति व पति के सगे-संबंधी जिम्मेदार होते हैं।

उत्तर भारत में वर्ष 2002 में जहां 8679 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगले वर्ष इन मामलों की संख्या 9934 तक जा पहुंची। हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल व जम्मू-कश्मीर में घरेलू हिंसा में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। उप्र में शौहर अपनी बीवियों पर कुछ मेहरबान नजर आते हैं। कम से कम सरकारी आकड़े तो यही दर्शाते हैं। सरकारी आकंडों पर यकीन किया जाए तो राज्य में पिछले वर्षों महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2002 में राज्य में घरेलू हिंसा के 5679 मामले दर्ज किए गए। जबकि ठीक अगले वर्ष इनकी संख्या घटकर 2626 यानि आधी से भी कम रह गई।

पंजाब में घरेलू हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है। सन् 2001 में 563 मामले, अगले साल 944 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2003 में यह आंकड़ा 987 तक जा पहुंचा। जम्मू-कश्मीर की भी लगभग यही स्थिति है। वर्ष 2002 में जहां 54 मामले दर्ज किए गए थे वहीं 2003 में 71 घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ रही है। यहां 2002 के मुकाबले घरेलू हिंसा के मामलों में करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में घरेलू हिंसा में कुछ कमी दर्ज की गई है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। पूर्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक को 8 मार्च 2002 को लोकसभा में पेश किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय समिति ने विधेयक की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। पर 13वीं लोकसभा भंग हो जाने की वजह से विधेयक खत्म हो गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री कांति सिंह का कहना है कि सरकार ने स्थाई समिति की सिफारिशों और महिला संगठनों के विचारों के आधार पर विधेयक के उपबंधों की जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कई बैठकें भी आयोजित की गई हैं। जल्द ही विधेयक को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

अमर उजाला — 26/03/05

प्रतिनिधि। प्रयाग

महिला हिंसा के विरुद्ध 'समान' का बिगुल

महिलाओं को उनका हक मिले, दहेज महिलाओं के लिए अभिशाप

अमर उजाला प्रतिनिधि

बांदा। बुंदेलखंड में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध जागरुकता का बिगुल बजा रही संस्था 'सशक्त महिला आंदोलन' (समान) ने दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि हर एक घर में महिला हिंसा बंद होनी चाहिए। ताकि महिलाएं देवी नहीं तो मानवाधिकार का हक पा सकें।

स्थानीय बलखंडी नाका स्थित मैरिज हाल में शुरु हुए जिला स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्यामकली ने कहा कि दहेज पहले भी चलता था और अब भी चल रहा है।

फर्क इतना है कि इसका स्वरुप बदल गया है। पहले दहेज अपनी मर्जी से दिया जाता था। अब दहेज के लिए हमारी बेटियों की हत्याएं की जा रही हैं। इसे रोकना होगा।

महोबा से आई संगठन की कोआर्डिनेटर कल्पना खरे ने कहा कि इन दिनों महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है। उसे रोकने के लिए हर एक महिला को जागरुकता लानी पड़ेगी। इसमें महिलाओं की भागीदारी मुख्य होगी। ग्रामोदय संस्थान के डायरेक्टर अरविंद खरे ने कहा कि पंचायत और मीडिया के जरिए हमे न्याय मिलता है। हमे कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपस में बैठकर अपनी समस्याओं का निदान करें।

महिला सम्मेलन को संबोधित करतीं कार्यक्रम अधिकारी श्यामकली।

जिला समन्वय समिति की समन्वयक उमा कुशवाहा ने सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि महिलाओं को उचित न्याय और अधिकार दिलाना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सात-सात जिलों में उनका संगठन काम कर रहा है। महिला हिंसा के मामलों में कानून से दी जाने वाली सजाओं का भी उन्होंने ब्यौरा दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत सम्मेलन में आई महिलाओं के पंजीकरण से हुई। समूह चर्चा और सांस्कृतिक संध्या के भी आयोजन हुए। सोमवार को दूसरा सेशन चलेगा।

पतियों से पिटती हैं 25 फीसदी महिलाएं

अमर उजाला प्रतिनिधि

बदौसा (बांदा)। तरुण विकास संस्थान महिलाओं में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर महिलाओं की 'सशक्तीकरण अभियान यात्रा' निकालेगी। इसकी शुरुआत कल इस क्षेत्र के उदरपुर गांव से होगी। समापन 15 फरवरी को जिला मुख्यालय में होगा। संस्थान ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिशत भी गिनाया है।

तरुण विकास संस्थान बदौसा की निदेशक सुश्री उमा कुशवाहा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से 25 महिलाओं को देर से खाना बनाने पर पतियों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हर 100 में से 80 महिलाओं को उनके पति गाली-गलौज करते हैं। हर 100 में 51 महिलाओं को घर से निकालने की धमकी का आए दिन सामना करना पड़ता है। हर 100 में से 40 महिलाओं को घर एवं बच्चों की सही देखभाल न करने के आरोप में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हर 100 में से 25 महिलाओं का उत्पीड़न ससुराल वालों का अनादर करने के आरोप में होता है। हर 100 में से 33 महिलाओं को उनकी वफादारी पर शक होने के आरोप में उत्पीड़ित किया जाता है। हर 100 में से 10 महिलाओं को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, घर से बाहर कदम रखने पर इजाजत लेनी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि पुरुष जब औरत पर अत्याचार करता है तो वह खुद अमानवीय हो जाता है। अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और इनसानियत को चोट पहुंचाता है। इस तरह वह खुद भी अत्याचार करता है।

उन्होंने बताया कि जिला समन्वय समिति में उनकी संस्था के अलावा प्रभात समिति आदिवासी एवं दलित लोक कल्याण समिति, लोक मानव कल्याण परिषद अतर्रा, आदर्श अंबेडकर समिति ओरन, लालबहादुर जन कल्याण समिति तेरहीमाफी, ग्राम उन्मेष संस्थान बांदा, अशोक महान सेवा संस्थान अतर्रा, गौरव ग्रामीण विकास संस्थान अतर्रा आदि समाज सेवी संस्थाएं शामिल हैं। अभियान यात्रा इन संस्थाओं के कार्य क्षेत्रों के नरैनी, महुआ, बिसंडा, कमासिन, बबेरु, तिंदवारी, जसपुरा व बड़ोखर खुर्द विकास खंड के गांवों में जाएंगी।

सुश्री कुशवाहा ने बताया कि अभियान यात्रा 7 फरवरी को उदयपुर से शुरु होगी। रात्रि पड़ाव कालिंजर में होगा। 8 फरवरी को पनगरा, हजारीपुरा, बहेरी और रात्रि विश्राम अनथुवा में होगा।

9 फरवरी को अतर्रा, बिसंडा, रात्रि विश्राम ओरन। 10 फरवरी को मझीवां सानी, सांड़ासानी, रात्रि विश्राम कमासिन में होगा। 11 फरवरी को यहीं समीक्षा बैठक होगी। 12 को बेरांव और 13 को तिंदवारी, तेरहीमाफी, 14 को जसपुरा, पैलानी व रात्रि पड़ाव लामा में होगा।

15 फरवरी को प्रातः पडुई में व दुपहर को बांदा में समापन समारोह होगा।

अमर उजाला, 13/10/04 कानपुर

महिला उत्पीड़न में बांदा अव्वल

मंडल में मौजूदा वर्ष महिला ... की सर्वाधिक घटनाएं बांदा ... हुई। पिछले वर्ष की तुलना में ... कड़ा करीब दो गुना पहुंच गया ... पीड़न की 55 घटनाओं की ... त हमीरपुर दूसरे और महोबा ... स्थान पर रहा। सबसे कम 22 ... चित्रकूट जनपद में हुई। हमीरपुर ... ना उत्पीड़न की घटनाएं दो गुना ... क हुई।

... ला उत्पीड़न की घटनाओं में पूरे ... के अनुपात में बांदा जनपद में ... क वृद्धि हुई। पिछले वर्ष जनवरी ... अवधि तक यहां महिला उत्पीड़न ... मुकदमें पंजीकृत हुए थे। इस वर्ष ... टनाओं में तेजी से इजाफा हुआ ... मुकदमें दर्ज किए गए। वार्षिक ... में हमीरपुर पिछले वर्ष से दो ... आंकड़ा पार कर गया। यहां ... 2003 से इसी अवधि तक ... उत्पीड़न के 22 मुकदमें पंजीकृत ... ए थे। इस वर्ष जनवरी से अब ... मुकदमें पंजीकृत हो चुके हैं।

● हमीरपुर दूसरे तथा महोबा तीसरे स्थान पर

वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक मंडल के सभी जनपदों में महिला उत्पीड़न की घटनाएं इस वर्ष बढ़ी है। फिर भी महोबा जनपद में यह अनुपात ज्यादा नहीं बढ़ पाया। पिछले वर्ष इसी अवधि तक 30 मुकदमें दर्ज हुए थे। इस वर्ष जनवरी से अब तक 34 मामले पंजीकृत किए गए। चित्रकूट जनपद में पिछले वर्ष वर्तमान अवधि तक मात्र 15 घटनाएं हुई थी। वर्ष 2004 में जनवरी से अब तक 22 मामले पंजीकृत किए गए।

अनुसूचित जाति उत्पीड़न के मामलों में चित्रकूट में चार गुना इजाफा हुआ। पिछले वर्ष 5 घटनाओं के मुकाबले इसी अवधि तक 2004 में 19 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बांदा में 36 के मुकाबले 44 महोबा में 5 के मुकाबले 8 मुकदमें लिखे गए। हमीरपुर जिला पिछले वर्ष इस प्रकार के पांच मुकदमें दर्ज हुए थे। इसी अवधि तक 5 मुकदमें पंजीकृत कर यहां 2003 की स्थिति बरकरार रखी गई है। दहेज हत्या की घटनाओं में बांदा में तीन गुना वृद्धि हुई। इसी अवधि में पिछले वर्ष 6 के मुकाबले इस वर्ष 18 महिलाएं दहेज की बलि बेदी पर समा गई। बलात्कार घटनाएं भी 5 के मुकाबले बढ़कर 13 पहुंच गई। हमीरपुर में दहेज हत्या के पिछले वर्ष 9 के मुकाबले 12 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार की घटनाएं दो गुना रहीं। चित्रकूट में अब तक दहेज हत्या की दो तथा बलात्कार के पांच मामले दर्ज किए गए।

पिया से पिटने पर एतराज नहीं

लंदन। दुनिया में शायद ही कोई महिला होगी जो पति द्वारा पीटे जाने का विरोध न करे। लेकिन आपको यह जानकर अचरज होगा कि तुर्की में एक तिहाई से ज्यादा महिलाएं किसी मुद्दे पर पति से बहस, सेक्स से इनकार, बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करने और खाना जल जाने पर पति द्वारा पीटे जाने पर कोई शिकवा-शिकायत नहीं करती है।

हाल ही में यहां कराए गए एक सर्वे में 8,075 महिलाओं से बातचीत की गई। इनमें से 39 फीसदी का कहना था कि उनके पति को उन्हें मारने-पीटने का अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं की तादाद और अधिक है। एनाटोलिया न्यूज एजेंसी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में पति से पिटाई पर आपत्ति न जताने वाली महिलाओं की तादाद 57 फीसदी है। सर्वे में ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि पति के साथ किसी मुद्दे पर बहस होने पर उनकी पिटाई होती है। इसके अलावा बहुत अधिक खर्च और बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करने पर भी ज्यादातर पति अपनी पत्नियों को मार बैठते हैं। सर्वे के दौरान 50 फीसदी महिलाओं ने कहा कि वे शारीरिक हिंसा की शिकार हैं। सर्वे में महिलाओं से पूछा गया कि क्या शादी के वक्त उनकी राय ली जाती है। इस पर 45.7 फीसदी महिलाओं ने कहा कि इस मामले में उनसे किसी तरह की राय नहीं ली जाती है।

अमर उजाला, कानपुर 23/10/04

बैसाखियां नहीं, समानता चाहती हैं महिलाएं

लोकसभा और विधानसभाओंमें महिला आरक्षण बिलपर बहस तो काफी होती है लेकिन नतीजा वही ढाकके तीन पात-सा ही होता है। क्या कारण है कि महिलाओंके लिए राजनीतिमें मात्र एक तिहाई आरक्षणकी ही मांग होती है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह राजनीतिमें पुरुषोंके लिए कोई आरक्षित सीट नहीं होती और वे जितनी तादादमें चाहे इसके भागीदार हो सकते हैं, ऐसा ही महिलाओंके साथ भी हो। आरक्षणके नामपर क्यों महिलाओंको असहाय बनाया जा रहा है? यदि उनमें राजनीतिमें आनेकी इच्छा और कौशल है तो उन्हें किसी आरक्षणकी नहीं, बल्कि आवश्यकता है तो केवल दृढ़ संकल्पकी। वे स्वयं अपने रास्ते बनायें और जितनी संख्यामें चाहे राजनीतिमें अपना स्थान बनायें। क्यों उन्हें आरक्षणकी कमजोर बैसाखियां थमायी जा रही हैं? क्यों उसे यह जतानेकी कोशिश की जा रही है कि वह कमजोर है और राजनीतिमें आनेके लिए उसे आरक्षणकी बैसाखियोंकी जरूरत है।

भारतीय समाजमें सदियोंसे महिलाओंको निर्बल रूपमें पेश किया जाता रहा है। शायद वह इसलिए कि कहीं पुरुष प्रधान इस समाजके अहंको वह कोई ठेस न पहुंचा सके। जाने क्यों, महिलाओंको कमजोर समझनेवाला समाज इस बातको स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वह भी इस समाजका ही एक हिस्सा है। जो जीवन पुरुषोंको मिला है, वही जीवन महिलाओंको भी मिला है। माना कि कुदरतने दोनोंकी शारीरिक बनावटके हिसाबसे पुरुषोंको बलिष्ठ और महिलाओंको कोमल बनाया है, लेकिन उनकी सोचने-परखनेकी शक्तिमें तो कोई अन्तर नहीं। फिर क्यों यह समझा जाता है कि महिलाओंके लिए यह उचित नहीं, वह उचित नहीं है। उन्हें उनके निर्णय स्वतन्त्र रूपसे क्यों नहीं लेने दिये जाते?

यह कहानी एक महिलाकी नहीं बल्कि पूरे समाजकी महिलाओंकी है। वे चाहे किसी गरीब तबकेकी हो या उच्च घरानेकी पढ़ी-लिखी हो या अनपढ़, हर कदमपर उसे कहीं न कहीं ऐसी स्थितिका सामना तो करना पड़ता ही है, जिसमें उसे यह महसूस कराया जाता है कि वह एक महिला है और उसके लिए यह करना ठीक नहीं या वह ऐसा नहीं कर सकती। इसे समाजकी संकीर्ण मानसिकता ही कहेंगे। २१ वीं सदीके इस आधुनिक दौरमें भी महिला-पुरुषोंमें इस तरहका भेदभाव जारी है। शायद यह समाज भूल गया कि सन् १९६६ में इन्दिरा गांधीने जिस जांबाजीसे इस देशकी बागडोर अपने हाथमें ली थी और भारतके विकासमें कई ऐसी योजनाओंको कार्यान्वित किया था जिससे भारतने अभूतपूर्व प्रगति की। इन्दिरा गांधीके सत्ता संभालनेके बाद दूधके पाउडरका आयात करनेवाला देश दुनियाका सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना गया। यह लहर थी श्वेत क्रान्तिकी जिसमें जिला और ग्राम स्तरपर दूधके उत्पादनको बढ़ानेके लिए डेयरी उत्पादकोंको सरकारी प्रोत्साहन दिया गया। यह इन्दिराके आपरेशन फ्लडकी ही देन है जिसके कारण देशमें आज सालाना ८.४ करोड़ टन दूधका उत्पादन हो रहा है।

भारतीय समाजमें सदियोंसे महिलाओंको निर्बल रूपमें पेश किया जाता रहा है। शायद वह इसलिए कि कहीं पुरुष प्रधान इस समाजके अहंको वह कोई ठेस न पहुंचा सके। जाने क्यों, महिलाओंको कमजोर समझनेवाला समाज इस बातको स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वह भी इस समाजका ही एक हिस्सा है। जो जीवन पुरुषोंको मिला है, वही जीवन महिलाओंको भी मिला है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरूका ही प्रोत्साहन था जिसने इन्दिराजीको एक फौलादी और सफल आत्मनिर्भर नेता बनाया। उनकी सोच, आकांक्षाओं, आशंकाओं, उम्मीदोंने देशकी राजनीतिका नक्शा ही बदल दिया। इन्दिरा न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषोंके लिए भी एक ऐसा उदाहरण हैं जो यह दर्शाता है कि केवल घर-परिवारकी चहार-दीवारियोंके भीतर अपना कुटुम्ब चलानेवाली नारी, अगर दृढ़ निश्चयी और स्वावलम्बी हो जाय तो देशको भी उतनी ही कुशलतासे चला सकती है। वहीं पुरुषोंको इस बातको समझना होगा कि महिलाओंको अबला और निर्बल बनानेके बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे वे भी अपने अन्दर छिपी प्रतिभाको निखारकर समाज-सृजनमें पुरुषके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर हिस्सा ले सकें। उनके विचारोंको भी समाजके विकासमें शामिल करें। हमें यह समझना होगा कि महिला-पुरुष गाड़ीके उन दो पहियोंके समान हैं जिनका अस्तित्व एक दूसरेके बगैर शून्य है। मंजिलतक पहुंचनेके लिए दोनों ही पहियोंको समान रूपसे घिसना पड़ता है लेकिन पुरुषोंमें व्याप्त अहंके काले बादलमें महिलाओंका अस्तित्व विलुप्त-सा जान पड़ता है। हालांकि इस समानताके विचारके रास्तेमें कई धार्मिक तत्व तबतक बाधक रहेंगे जबतक इन्हें हटानेकी मांग एकजुट होकर न की जाय। इस समानतामें एक बहुत बड़ा अपवाद है मुस्लिम पसर्नल ला बोर्ड। सभी नागरिकोंके लिए समान नागरिक आचार संहिता लागू करनेमें सबसे बड़ी बाधाके रूपमें खड़े हैं मुस्लिम कट्टरपन्थी। इस समुदायमें अभी भी महिलाओंकी स्थिति जसकी तस बनी हुई है। मुस्लिम ला बोर्डके अन्तर्गत सभी निजी कानून मूलतः नारी विरोधी हैं। इसमें महिलाओंके लिए किसी भी तरहकी कोई आचार संहिता नहीं है। एक शौहर जब जी चाहे अपनी पत्नीको बिना उसकी रजामन्दीके तलाक दे सकता है और दूसरा महिला कोई याचिका भी दायर नहीं कर सकती क्योंकि मुस्लिम समुदाय अपनी परम्पराओं और शरीयतमें हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता इसलिए तलाकशुदा महिलाओंको मजबूरीमें यह तलाक स्वीकार करना पड़ता है। वर्ष १९८५ में शाहबानोके मामलेके बाद तत्कालीन प्रधान मन्त्री राजीव गांधीने मुस्लिम कट्टरपन्थियोंके दबावमें आकर १९८६ में मुस्लिम महिला (तलाकके अधिकारकी रक्षा) कानून बना डाला, जिससे महिलाओंके अधिकार अल्पसंख्यक समूहके अधिकारसे टकरा गये, तब सुप्रीम कोर्टने उस गलतीमें सुधार करनेके लिए समान नागरिक संहिता लागू करनेका आह्वान कर दिया। बावजूद इसके समान नागरिक आचार संहिता लागू नहीं हो पा रही है। मुस्लिम समुदायमें इसका जमकर विरोध हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्टने यह आदेश जारी किया है कि कोई मुस्लिम महिला जबतक इन नियमोंमें फेरबदल नहीं चाहती तबतक कोई भी संस्था या संघटन इस समुदाय द्वारा निर्धारित नियमोंमें दखलन्दाजी नहीं करेगा।

वहीं दूसरी तरफ कुछ धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरणकी नीति अपनाते हैं, इसका क्रियान्वयन नहीं चाहते। उन्हें यह डर सताये हुए है कि कहीं चुनावोंमें उनके वोट बैंक छिन न जायं। सभी अपनी रोटियां सेंकनेमें व्यस्त हैं। महिलाओंके हितोंको तो वे इस तरह नजरअन्दाज करते हैं जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही न हो लेकिन मात्र अपने वोट बैंकपर नजर गड़ाये इन राजनीतिक दलोंको यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि महिलाओंको नजरअन्दाज करके एक तरहसे खुद अपने पैरोंपर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि इस वोट बैंकमें महिलाओंकी भागीदारी भी कुछ कम नहीं है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियोंको इन वोट बैंकोंके फायदे नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वह यह भूल गये हैं कि असन्तुष्ट मुस्लिम महिलाएं यदि चाहें तो इस वोट बैंकके प्रतिशतको एक झटकेमें नीचे गिरा सकती हैं।

इसलिए समाजकी नींवको मजबूत बनानेमें महिलाओंकी अनदेखी करना ठीक नहीं। उन्हें कमजोर न बनायें बल्कि ऐसी स्थितियां बनायें जिससे कि वे उन्मुक्त होकर अपने और समाजके विकासमें अग्रसर हो सकें। उसे आरक्षणकी बैसाखियां पकड़ाकर विकलांग न बनायें बल्कि उसके विकासके मार्गको प्रशस्त कर उसे स्वावलम्बी बनकर समाजके लिए जीना सीखने दें। (एनटीआई)

— मंजू ठाकुर

आधी दुनिया

दैनिक आज - 29/5/95